मनुस्मृति एवं कौटिलीय अर्थशास्त्र में नारी : एक अध्ययन

द्विधा कृत्वात्मनो देहमर्धेन पुरुषोऽभवत्
अर्धेन नारी तस्यां स विराजमसृजत्प्रभुः

डॉ. मनीषा शुक्ला

मनुस्मृति एवं कौटिलीय अर्थशास्त्र में नारीः एक अध्ययन

2006

इस श्रृंखला की अन्य पुस्तकें-

१. ऋग्वेद संहिता में स्त्री : एक अध्ययन
२. गांधी और स्त्री शक्ति
३. *Concept of Stridhana in Ancient Hindu Law : A Critical Analysis*
४. *Great Women of Ancient India*
५. *Revisiting Orientalism : Looking at the Writings of Modern Indian Thinkers on Women*

समर्पित

कुलपिता

महामना पं० मदन मोहन मलवीय

संस्थापक, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय

एवं

आदरणीया मैडम

प्रो० चन्द्रकला पाडिया

जिनसे मुझे 'स्त्री विषयक अध्ययन' की दिशा मिली,

उन्हें सादर एवं हार्द समर्पित।

श्रृंखला परिचय

भारतीय ज्ञान परम्परा की गहनता व चिरन्तनता का प्रमाण वे भारतीय ग्रंथ हैं जिनमें मानवीय मूल्यों का अजस्त्र स्त्रोत प्रवाहित होता है। यदि वेद व उपनिषद् दर्शन की सैद्धांतिक अवधारणा को प्रस्तुत करते हैं, तो धर्मशास्त्र दैनिक जीवन के संचालन के लिए आचार संहिता निर्मित करते हैं। इसके अतिरिक्त कला व साहित्य से संबंधित ग्रंथों की एक लंबी श्रृंखला भारतीय ज्ञान परम्परा की समृद्धि का प्रतीक है। इस प्रकार भारतीय ज्ञान परम्परा, ज्ञान का ऐसा कोश है जिसका अवगाहन कर आधुनिक समाजवैज्ञानिक व तकनीकी अनुशासनों को उत्कर्षित किया जा सकता है। इस समृद्ध परम्परा को मुख्य धारा में जोड़ने की दिशा में किया जाने वाला कोई भी प्रयास भारतीय ही नहीं वरन् वैश्विक शैक्षणिक जगत् का दिशा निर्देशन कर उसके सार्थक नवीनीकरण का मार्ग प्रशस्त करेगा।

दुर्भाग्यवश इस अमूल्य ज्ञानकोश को तथाकथित आधुनिक अध्ययन प्रणाली में वह स्थान नहीं दिया गया जो अपेक्षित है। युवा भारतीय अध्येता अपनी जड़ों से अनभिज्ञ हैं। वे भारतीय वास्तविकताओं को आयातित पाश्चात्य ढाँचे में रख कर देखने का प्रयास करते हैं। भारतीय परम्परा के संबंध में उनका जो भी संक्षिप्त ज्ञान है वह मौलिक न होकर आयातित है। आज तक भारतीय परम्परा व ग्रंथों के जो भी अध्ययन किये गये हैं उनमें से अधिकांशत: पाश्चात्य दृष्टि से किये गये हैं। यह कहना कदापि अनुचित नहीं होगा कि आधुनिक भारतीय विद्वत् समाज स्वआरोपित निर्वासन की अवस्था में है।

भारतीय ज्ञान परम्परा के अध्ययन हेतु मौलिक दृष्टि विकसित कर इस स्वआरोपित निर्वासन से मुक्ति मिल सकती है। भारतीय ज्ञान परम्परा को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए यह अति आवश्यक है कि समृद्ध भारतीय ग्रंथों का अध्ययन समकालीन वास्तविकताओं व आवश्यकताओं के आलोक में किया जाए। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि भारतीय परम्परा की पुनर्समीक्षा का कोई भी प्रयास अतीत के प्रति विवेकहीन भावनात्मक लगाव व महिमा मंडन, की प्रवृत्ति से ग्रस्त न हो। इस दिशा में किये गये किसी भी प्रयास की सार्थकता तभी होगी जब वह पूर्वाग्रहमुक्त व विवेकपूर्ण हो।

प्रस्तुत श्रृंखला भारतीय ज्ञान परम्परा में स्त्री की छवि को रेखांकित करने का एक प्रयास है। भारतीय चिंतन पर विहंगम दृष्टि डालने से यह विदित होता है कि इस समृद्ध चिंतन में लैंगिक समानता व न्याय के स्वर यत्र–तत्र बिखरे पड़े हैं। अग्रलिखित उद्धरण दृष्टव्य हैं–

(१) वेद यदि पुरुष को **'ओजस्वान्'** (अथर्व. ८।५।४) ओज वाला कहता है तो स्त्री को **'ओजस्वती'** (यजु. १०।३) कहता है।

(२) पुरुष यदि **'सहस्त्रवीर्य:'** (अथर्व. २।४।२) सहस्त्र पराक्रम वाला है तो स्त्री **'सहस्त्रवीर्या'** (यजु. १३।२६) कही गयी है।

(३) पुरुष यदि **'सहीयान्'** (ऋ. १।६१।७) अत्यन्त बल वाला है, तो स्त्री **'सहीयसी'** (अथर्व. १०।५।४३) बतायी गयी।

(४) पुरुष को यदि **'सम्राट'** (ऋ. २।२८।६) शासक कहा, तो स्त्री को **'सम्राज्ञी'** (ऋ. १।८५।६४) कहा गया।

(५) पुरुष यदि **'मनीषी'** (ऋ. ९।९६।८) मन वशीकरण करने वाला है तो स्त्री **'मनीषा'** (ऋ. १।१०१।७) है।

(६) पुरुळा यदि **'राजा'** (अथर्व. १।३३।२) दीप्तिमान् कहा गया, तो स्त्री **'राज्ञी'** (यजु. १४।१३) कही गयी।

(७) पुरुळ यदि **'सभासद:'** (अथर्व. २०।२१।३) सभाओं के अधिकारी हैं, तो स्त्री **'सभासदा'** (अथर्व. ८।८।९) है।

(८) पुरुष को यदि **'अषाडह:'** (ऋ. ७।२०।३) अपराजित घोषित किया गया, तो स्त्री **'अषाढा'**, (यजु. १३।२६) प्रसिद्ध हुई।

(९) पुरुष यदि **'यज्ञिय:'** (ऋ. ।१४।३) यज्ञ करने वाला, की उपाधि से युक्त है तो स्त्री **'यज्ञिया'** (यजु. ४।१९) है।

(१०) यदि पुरुष **'ब्रह्मायं वाच:'** (ऋ. १०।७१।११) ब्रह्मा = चतुर्वेद वेत्ता नाम से शोभित हुआ, तो स्त्री भी **'स्त्री हि ब्रह्मा बभूविथ'** (ऋ. ८।३३।१९) **'ब्रह्मा'** संज्ञा से विभूषित हुई, आदि–आदि।

साथ ही, मानव जगत के सृजन के जिस सिद्धांत का उल्लेख भारतीय ग्रंथों में मिलता है वह स्त्री–पुरुष साम्यता के स्वर को मुखरित करता है। ऋग्वेद का नासदीय सूक्त सृष्टि की उत्पत्ति के विषय में कहता है– ''प्रलयकाल में पंचभूतादि सृष्टि का अस्तित्व नहीं था और न अभावग्रस्त असत् सृष्टि का

अस्तित्व था। उस समय भूलोक, आकाश तथा आकाशादि से परे अन्य लोक नहीं थे। सबको आच्छादित करने वाले (ब्रह्माण्ड) भी नहीं थे। किसका स्थान कहाँ था? अगाध और गंभीर जल का भी अस्तित्व उस समय कहाँ था? उस समय न मृत्यु थी, न अमरता का अस्तित्व था, (सूर्य—चन्द्र के अभाव से) दिन—रात्रि का ज्ञान भी नहीं था। प्राण वायु भी नहीं थी। एक मात्र ब्रह्म का अस्तित्व विद्यमान था। अन्य किसी भी वस्तु का अस्तित्व उस समय नहीं था। सृष्टि से पूर्व प्रलयकाल में सम्पूर्ण विश्व मायावी अज्ञान (अंधकार) से ग्रस्त था, सभी अव्यक्त और सर्वत्र एक ही प्रवाह था। उस समय जो कुछ था, वह चारों ओर से सत्—असत् तत्व से आच्छादित था। वही एक अविनाशी तत्व तपश्चर्या के प्रभाव से उत्पन्न हुआ। सर्वप्रथम परब्रह्म—परमात्मा के मन में विराट् सृष्टि को उत्पन्न करने की इच्छा शक्ति प्रकट हुई तत्पश्चात् उस मन से सबसे पहले उत्पत्ति का कारण (बीज—सृजन सामर्थ्य) उत्पन्न हुआ।'' सृष्टि के सृजन संबंधित इस उद्धरण में कोई लैंगिक विभेद दृष्टव्य नहीं होता क्योंकि इस उद्धरण से यह प्रमाणित होता है कि उस परमब्रह्म से ही सभी प्राणियों—स्त्री—पुरुष—की उत्पत्ति हुई। एक ही ऊर्जा स्रोत से सृजित होने वाले प्राणी उच्च व अधीनस्त कैसे हो सकते हैं? ऋग्वेद के उपरोक्त उद्धरण के अतिरिक्त कतिपय भारतीय मनीषियों ने इस आधार पर समस्त प्राणियों की समानता का उद्घोष किया कि समस्त प्राणियों का शरीर पंचभूत तत्वों (क्षिति—जल—पावक—गगन—समीर) से मिलकर बना है तो वे एक—दूसरे से श्रेष्ठ या निम्न किस प्रकार हुए। इस चराचर जगत् की सृष्टि के सम्बन्ध में कठोपनिषद् में भी उत्पत्ति के एकल स्रोत की बात कही गयी है—''वहाँ (ब्रह्म के निकट) न सूर्य प्रकाशित होता है, न चन्द्रमा, न तारागण और न विद्युत ही प्रकाशित होती है, फिर यह (लौकिक) अग्नि किस तरह प्रकाशित हो सकती है? उसके (परंब्रह्म) प्रकाश से ही ये सब प्रकाशित होते हैं। सम्पूर्ण जगत् उसके ही प्रकाश से प्रकाशित है।'' इस प्रकार इस दृश्य जगत् के सभी प्राणी एक ही स्रोत से उत्पन्न हुए हैं और सभी नश्वर हैं। अत: इस जगत् के चलायमान होने में सभी समान रूप से महत्वपूर्ण हैं।

मानव जीवन के सृजन व विलयन की अभेदकारी अवधारणा को धर्मशास्त्रों में भी स्वीकृति दी गयी है। मनुस्मृतिकार कहता है कि ब्रह्मा अपने शरीर के दो भाग कर आधे भाग से पुरुष तथा आधे भाग से स्त्री हो

गये। इस उद्धरण से यह बात भली–भाँति स्पष्ट होती है कि भारतीय दार्शनिक परम्परा तात्विक स्तर पर स्त्री–पुरुष को एक–दूसरे से भिन्न तो मानती है किन्तु इस विभिन्नता के आधार पर दोनों के बीच उच्चता या निम्नता का भेद नहीं स्थापित करती है।

उपनिषद् में भी मानव प्राणी को लिंग के आधार पर परिभाषित नहीं किया गया है फलत: स्त्री व पुरुष परस्पर विरोधी युग्म के रूप में नहीं देखे गए। उपनिषद् की शिक्षा सम्पूर्ण मानवजाति को संबोधित करते हुए दी गयी है, ये दार्शनिक ग्रंथ मानव जीवन की समस्याओं तथा उनका निदान सम्पूर्ण मानवता के लिए सुझाते हैं। उपनिषद् की मान्यता है कि समस्त प्राणी अंतत: आध्यात्मिक मुक्ति या मोक्ष की ओर उन्मुख हैं। उद्देश्य की यह एकता उनके बीच किसी भी विभेद या भेदभाव को स्वीकार नहीं करती है। मानव प्राणी मात्र शरीर एवं मस्तिष्क का युग्म नहीं वरन् एक आध्यात्मिक प्राणी है जो सतत् मुक्ति पथ पर अग्रसर है। उसकी यह यात्रा उसे स्थूल जगत् से आध्यात्मिक जगत् की ओर ले जाती है। आध्यात्मिक मुक्ति का यह उद्देश्य समस्त मानवप्राणी के लिए निर्देशित किया गया है इसमें स्त्री–पुरुष के बीच कोई भेद दृष्टव्य नहीं होता है।

भारतीय विश्वदृष्टि समस्त चराचर जगत् की तात्विक एकता का उद्घोष करती है। भारतीय सामाजिक दार्शनिक परम्परा की मूल धारणा यह है कि व्यक्ति एक आणविक प्राणी नहीं है वरन् वह अपने परिवार, समुदाय तथा अंतत: सम्पूर्ण मानवजाति से अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है और इन संस्थाओं से पृथक होकर वह अस्तित्वहीन है। इस अद्वैत सावयविक चिंतन में मैं/तुम; स्त्री/पुरुष; प्रकृति/संस्कृति जैसे विभेद अप्रांसगिक हैं। यह 'वैश्विक स्व' की विस्तृत धारणा पर आधारित है: 'अयं निज: परोवेति गणना लघुचेतसाम् उदारचरितानाम् तु वसुधैव कुटुम्बकम्'। इस सावयिक भारतीय चिंतन में स्त्री–पुरुष का संबंध 'समान किन्तु भिन्न' के सिद्धांत पर आधारित है। इसमें स्त्री–पुरुष की विभिन्नता को मान्यता तो दी गयी है किन्तु इस भिन्नता को विभेद का आधार नहीं बनाया गया है। स्त्री के मौलिक गुणों–दया, वात्सल्य, ममत्व आदि को जीवन का पल्लवन–पोषण करने वाले गुणों के रूप में व्याख्यायित किया गया है। पृथ्वी को उसके पोषण करने के गुण के कारण ही देवी के रूप में स्थापित किया गया है। हिन्दू दर्शन धरती को मानव मात्र की जीविका के

साधन उपलब्ध कराने वाले निर्जीव तत्व के रूप में नहीं वरन् एक जीवन्त शक्ति के रूप में देखता है और उसकी जीवन्तता का स्रोत उसकी पोषित करने की क्षमता है। स्त्री तत्व के पल्लवन–पोषण के गुण के प्रति ऐसी सम्मानपूर्ण दृष्टि विश्व की किसी अन्य दार्शनिक परम्परा में नहीं मिलती। पृथ्वी को प्रदत्त सम्मानपूर्ण स्थिति भारतीय दर्शन की इस विशिष्ट प्रवृत्ति की ओर संकेत करती है कि इसमें सृजनकर्ता के स्त्री पक्ष को मान्यता दी गयी है। भारतीय दार्शनिक परम्परा स्त्री को वात्सल्य की मूर्ति के रूप में ही नहीं देखती वरन् शक्ति के स्रोत के रूप में भी। सौन्दर्य लहरी में तो यहाँ तक कहा गया है कि 'शक्ति के बिना शिव भी शव हैं'।

इस प्रकार भारतीय ज्ञान परम्परा स्त्री–पुरुष समानतामूलक दृष्टि से ओत–प्रोत है। परन्तु यदि इन ग्रन्थों का अध्ययन उनके ऐतिहासिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सन्दर्भों से काटकर किया जाए तो बहुत सी भ्रांतियाँ पैदा हो जाती हैं। यद्यपि इस तीन हजार वर्षों से अधिक पुरानी सांस्कृतिक परम्परा का पुनर्विश्लेषण अत्यन्त दुरूह है, परन्तु यह अनिवार्य है। यद्यपि इस दिशा में अनेक प्रयास किये गये हैं किन्तु वे अधूरे हैं। अभी इस क्षेत्र में कार्य किये जाने की असीम संभावनायें हैं। प्रस्तुत शृंखला इस दिशा में किया गया एक उदार प्रयास है। हमारा मूल ध्येय सत्य को यथातथ्य उद्घाटित करना है न कि सत्य का सृजन करना।

प्रस्तुत पुस्तक **''मनुस्मृति एवं कौटिलीय अर्थशास्त्र में नारी : एक अध्ययन''** एक अत्यधिक महत्वपूर्ण शोध है जिसमें लेखिका **डॉ० मनीषा शुक्ला** ने इन दो ग्रन्थों में नारी के बारे में की गई सभी उक्तियों का एक सम्यक अध्ययन प्रस्तुत किया है।

भारतीय ज्ञान परम्परा में इन दो ग्रन्थों का विशिष्ट महत्व है; परन्तु यह दु:ख का विषय है कि अधिकांशत: इन दो ग्रन्थों की व्याख्या या तो पाश्चात्य मानदण्डों के आधार पर की गई या इनके सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक सन्दर्भों से काट कर की गई। परिणामत: आज तक इनकी सही और सम्यक् व्याख्या नहीं हो सकी है। बहुधा ऐसा पाया गया है कि एक ही अध्याय के अन्तर्गत एक ही श्लोक को दूसरे अन्य श्लोकों से अलग कर व्याख्यायित किया गया है। परिणामत: इन ग्रन्थों के सकारात्मक पक्षों की बहुत ही उपेक्षा हुई जिसके कारण भारतीय ज्ञान परम्परा के सशक्त पक्षों की गलत छवि बौद्धिक वर्ग एवं सामान्य जनमानस में गहरी पैठ चुकी है। प्रस्तुत शोध इस कमी को पूरा करने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है चूँकि शोधकर्त्री संस्कृत की विद्वान हैं इसलिए उसने बहुत ध्यान के साथ समस्त श्लोकों

एवं प्रकरणों का अध्ययन किया है एवं उन्हें विविध शीर्षकों के अन्तर्गत नारी के सम्बन्ध में दिये गये वचनों को एक स्थान पर एकत्र कर उनकी समीक्षा की है। इस हेतु उन्होंने बहुत सारी टीकाओं एवं टिप्पणियों का भी सारगर्भित अध्ययन किया है।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस प्रकार का अध्ययन भारतीय ज्ञान परम्परा को उसके सही रूप में स्थापित करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा साथ ही इन ग्रन्थों के सम्बन्ध में सामान्य रूप से प्रचलित बहुत सारी भ्रान्तियों का निवारण करेगा। ऐसे कठिन एवं समसामयिक विषय पर पुस्तक लिखने के लिए लेखिका बधाई की पात्र हैं—

C. Pandia

प्रो० चन्द्रकला पाडिया
निदेशिका
महिला अध्ययन एवं विकास केन्द्र
सामाजिक विज्ञान संकाय
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय

प्राक्कथन

अदृश्यदोषान्मतिविभ्रमाद्वा; यत्किञ्चिदूनं लिखितं मया च।
तत् सर्वमार्यैः परिशोधनीयं; कोपं न कुर्यात् खलुलेखकस्य।।

मेरी न्यूनता दृष्टिगत होने पर विद्वान्जन क्षमा करेंगे तथा उसे सूचित करके संशोधन में अपना महनीय योगदान देंगे। अतीव हर्ष का विषय है कि आज मेरे द्वारा सम्पादित कार्य पुस्तकाकार हुआ है। इस पुस्तक के प्रकाशन में पं० महामना मदन मोहन मालवीय जी का आशीर्वाद मुझे अदृश्य रूप से प्राप्त होगा, इस सौभाग्य की कल्पना मैने कदापि नहीं की थी।

इस शुभ अवसर पर लोगों का धन्यवाद ज्ञापित कर देना मेरा परम कर्तव्य है, अतः सर्वप्रथम मैं महिला अध्ययन केन्द्र परिवार (उपसमन्वयिका **डॉ० उषाकिरन राय, डॉ० मीनाक्षी झा, डॉ० मदाना रेखा मैम एवं केन्द्र के सभी भगिनी, बन्धु सुश्री उपासना पाण्डेय, सुश्री प्रीती सिंह, सुश्री प्रियंका त्रिपाठी, श्री आलोक कुमार सिंह, श्री रोशन कु० सिंह, श्री उमेश सिंह, श्री सुभाष सिंह, श्री अमिताभ बनर्जी, श्री राजेश चतुर्वेदी, श्री सुरेन्द्र चौरसिया**) को धन्यवाद देती हूँ। जहाँ पर मैने इस पुस्तक का लेखन कार्य किया।

मेरे संस्कृत गुरू पिता **डॉ० महेन्द्र शुक्ल** एवं परिष्कारक **डॉ० विवेक पाण्डेय** (प्रवक्ता; संस्कृत विभाग पी०जी० कॉलेज हण्डिया इलाहाबाद) के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने मनुस्मृति की अनेक टीकाओं एवं कौटिलीय अर्थशास्त्र जैसे कठिन ग्रन्थ से स्त्री विषयक अध्ययन करने में महनीय सहयोग प्रदान किया, यदि आपका यथेष्ट सहयोग नहीं होता तो; इस पुस्तक की पूर्णता सहज न थी, अतः मैं आपके प्रति विनम्र कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ।

बिना पारिवारिक जनों की प्रेरणा या योगदान के किसी भी कार्य की सम्पूर्ति असंभव है अतः मैं अपनी माँ **श्रीमती सत्या शुक्ला** एवं पारिवारिक जनों (**डॉ. नागेन्द्र नारायण मिश्र, डॉ. अंशुमाला मिश्रा, डॉ. माधवी पाण्डेय, श्री अवनीश शुक्ल, श्रीमती विजयलक्ष्मी, श्री महेश्वर शुक्ल, अनुश्री, अमृताश, अन्वीक्षा एवं विमन्यु**) के प्रति आभारी हूँ।

यह पुस्तक कुल ४ अध्यायों में विभक्त है। पुस्तक के आरम्भ में भूमिका प्रस्तुत है एवं **प्रथम अध्याय** में मनुस्मृति का अध्ययन महिलाओं के

सन्दर्भ में प्रस्तुत है, इसके **द्वितीय अध्याय** के अन्तर्गत कौटिलीय अर्थशास्त्र का अध्ययन महिलाओं के सन्दर्भ में किया गया है। (विवरणिका में विस्तारपूर्वक उन विन्दुओं को देखा जा सकता है।) इसके **तृतीय अध्याय** के अन्तर्गत मनुस्मृति के अध्याय १ से १२ तक के स्त्री विषयक श्लोकों की श्लोक संख्या अंकित है; साथ ही कौटिलीय अर्थशास्त्र से स्त्री विषयक महत्वपूर्ण प्रकरणों एवं अध्यायों की संख्या भी अंकित है, और **चतुर्थ अध्याय** के अन्तर्गत मनु एवं कौटिल्य की स्त्री दृष्टि ग्रन्थानुसार यथावत दो भागों में प्रस्तुत की गयी है। प्रथम भाग के अन्तर्गत मनुस्मृति के कुछ महत्वपूर्ण स्त्री विषयक श्लोक सानुवाद प्रस्तुत हैं एवं द्वितीय भाग के अन्तर्गत कौटिलीय अर्थशास्त्र के स्त्री विषयक महत्वपूर्ण प्रकरण एवं आख्यान ग्रन्थानुसार यथावत सानुवाद प्रस्तुत है।

कोई भी पुस्तक बिना **उपसंहार** के अपूर्ण ही प्रतीत होती है, अतः इस पुस्तक को श्रेयस्कर बनाने हेतु उपसंहार का सुन्दर समायोजन प्रस्तुत है; साथ ही अन्त में **मूल ग्रन्थ सूची** भी संलग्न है।

यह पुस्तक मूर्त रूप में आप सभी के समक्ष उपस्थित है इसके लिए मैं **वसुन्धरा ग्राफिक्स** के संरक्षक **डॉ० सत्येन्द्र शर्मा** को हार्दिक धन्यवाद देती हूँ, एवं पुस्तक के सुरुचिपूर्ण कम्पोजिंग के लिए टाइपिस्ट **राजबाबू मौर्य** तथा **विकास टाइपिस्ट** के प्रति भी अपना आभार व्यक्त करती हूँ।

इस प्रबन्ध में कुल दो ग्रन्थ 'मनुस्मृति' एवं 'कौटिलीय अर्थशास्त्र' से ही नारी विषयक विन्दुओं का अध्ययन उपलब्ध है। स्खलिति मानव प्रवृत्ति है, अतः यत्रकुत्रचित दोष दर्शन हो तो उसका स्वागत है, इन्हीं हार्दिक उद्गारों साहित यह पुस्तक आपके समक्ष प्रस्तुत है–

मनीषा शुक्ला

सम्पर्क

e-mail : maneeshashukla76@rediffmail.com

Mobile : 9935784387, 9839738287

अनुक्रमणिका

भूमिका

मनुस्मृति एवं कौटिलीय अर्थशास्त्र ये दो विश्वप्रसिद्ध संस्कृत ग्रन्थ हैं जिसके रचनाकार आचार्य मनु एव कौटिल्य (क्रमशः) है। जहाँ एक ओर आचार्य मनु ने मनुस्मृति की रचना कर तत्कालीन स्त्री एवं पुरुषों को सदाचार का पाठ पढ़ाया, वही महाराज कौटिल्य ने तत्कालीन संघराज्य के संचालन हेतु सभी महत्वपूर्ण नियम एवं निर्देश अपने ग्रन्थ कौटिलीय अर्थशास्त्र में सुझाया।

आचार्य मनु ने मनुस्मृति के कुल बारह अध्यायों में विविध विषयक श्लोकों की रचना की है। मनु ने मनुस्मृति में 'स्त्री' के जीवन से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण विन्दुओं पर प्रकाश डाला। मनु ने हमारी 'सृष्टि' को स्त्री पुरुष रूप 'सृष्टि' स्वीकारते हुए कहा कि–

द्विधाकृत्वात्मनो देहमर्धेन पुरुषोऽभवत्।
अर्धेन नारी तस्यां स विराजमसृजत्प्रभुः।।[1]

अर्थात हिरण्यगर्भ अपने शरीर के दो भाग कर आधे से पुरुष और आधे से स्त्री बन गया। उस स्त्री में उस महापुरुष ने विराट पुरुष की सृष्टि की।

मनु ने स्त्री की समस्याओं पर सकारात्मक, नकारात्मक दोनों ही प्रकार के विचार व्यक्त किये, जिसका स्पष्ट उदाहरण हम मनुस्मृति के अध्यनोपरान्त देख सकते हैं।

मनु ने **मनुस्मृति के प्रथम अध्याय** में ग्रन्थ की अनुक्रमणिका[2] के अन्तर्गत यह स्पष्ट रूप से बता दिया था कि मनुस्मृति के अन्तर्गत **स्त्रीसमागम, स्त्रियों का धर्म, एवं स्त्री पुरुषों के धर्म का विधान एवं नियम निर्देश** बताया जायेगा।

मनुस्मृति के अध्याय दो के अन्तर्गत आचार्य मनु ने विशेष रूप से स्त्रियों के नामकरण, ब्रह्मचारी द्वारा स्त्री से भिक्षा याचना का नियम, स्त्रियों के वैदिक संस्कार का विधान (यज्ञोपवीत) विवाह विधि द्वारा, परस्त्रियों के नाम ग्रहण का निषेध, मौसी मामी, सास, बुआ इत्यादि गुरुवत् पूज्यनीयं, भाभी के अभिवादन का नियम, बड़ी बहन के अभिवादन का नियम, आचार्यों की श्रेष्ठता, मूर्खनिन्दा, ब्राह्मणत्व निरूपण, ब्रह्मचारियों के नियम, गुरुकुल से भिक्षा याचना, समीप जाकर गुरु की पूजा, गुरुस्त्री संदर्भ, स्त्रियों का स्वभाव, मातादि के साथ एकान्त निषेध, युवति गुरुपत्नी की वन्दना, स्त्री आदि का शुभ कर्म, न अवमानना के योग्य, माँ के अनादर का निषेध, मातादियों की सेवा प्रधान, नीचादियों से ग्रहण निषेध इन विन्दुओं पर अपने विचार व्यक्त किये जिन सभी बिन्दुओं में विशेष रूप से स्त्री प्रधान थी।

मनुस्मृति के अध्याय तीन में मनु ने समावर्तन[३] क्रिया, विवाह संस्कार, सजातीया कन्या से विवाह, समावर्तन क्रिया के पश्चात् विवाह, असपिण्डों से विवाह, में निन्दित कुल, कन्या के दोष, कन्या के लक्षण, पुत्रिका विवाह की निन्दा, स्त्री विवाह के लिए सवर्ण स्त्री की उपादेयता, चारों वर्णों की भार्या का परिग्रहण, ब्राह्मण क्षत्रिय के लिए शूद्रस्त्री का निषेध, हीनजाति से विवाह का निषेध, शूद्र स्त्री से विवाह निषेध, आठ प्रकार के विवाह, ब्राह्मण आदि विवाहों का फल, सवर्णा स्त्री से विवाह की विधि, असवर्णा स्त्री से विवाह की विधि, स्त्रीसंगम, ऋतुकाल की अवधि, स्त्रीसंगम में निन्दित काल, समतिथि–विषमतिथि, स्त्री पुरुष, नपुंसक की उत्पत्ति, वानप्रस्थों के लिए ऋतुगमन, कन्या विक्रय दोष, स्त्रीधन के ग्रहण में दोष, कन्या के लिए धन दान, वस्त्र आभूषण द्वारा कन्या का पूजन, कन्यादियों के पूजन एवं अपूजन का फल, उत्सवों में विशेषत: कन्या पूज्य, दम्पति के सन्तोष का फल, स्त्री को अलंकार के दान और अदान के विषय में, पाँच पाप, पाँचयज्ञ न करने की निन्दा, अतिथि का लक्षण, सखादियों को सत्कार के बाद भोजन, सर्वप्रथम गर्भिणियों को भोजन, मातामह आदि को श्राद्ध में भोजन, श्राद्ध में निषिद्ध ब्राह्मण, परिवेदन सम्बन्धियों के फल, दिधिषूपति के लक्षण, कुण्ड एवं गोलक, पंक्तिपावन, भोजन करते समय, श्राद्ध भोजी के लिए स्त्रीगमन निषेध, सुत की इच्छा वाली स्त्री के लिए पितामह का पिण्ड भक्षणीय इन सभी विन्दुओं पर विचार किया।

आगे **मनुस्मृति के अध्याय चार में** रजस्वला गमन निषेध,[४] पत्नी के साथ भोजन निषेध[५], विशिष्टकाल में स्त्री दर्शन निषेध, रजस्वला स्त्री से वार्तालाप निषेध[६] पतितों के साथ निवास निषेध, क्रोध से चोटी पकड़कर प्रहार का निषेध, ऋतुमती के साथ भी अमावस्या को गमन निषेध, शत्रुत्यादि की सेवा का निषेध, परस्त्री सेवन निन्दनीय, आचार्यादि एवं माता की हिंसा का निषेध, मातृकुल के साथ विवाद का निषेध, अश्रोत्रिय यज्ञ में भोजन निषेध के साथ ही रजस्वला द्वारा स्पर्श किये हुए भोजन का निषेध, पलङ्ग दान, परिवार के लिए (मातादि) भिक्षा याचना इत्यादि विषय पर मनु ने अपने विचारों में स्त्री को पूर्णतया समाहित कर लिया है।

मनु ने **अध्याय पाँच** में स्त्रीदुग्ध[७] त्याग, स्त्रीप्रसंग एवं मांसभक्षण का त्याग, जन्म शौच में माँ की अपवित्रता[८] गर्भस्राव युक्त रजस्वलास्त्री की शुद्धि, वाग्दान् दी हुई कन्या के पति के मृत्यु पर शुद्धि, आचार्य के पत्नी की मृत्यु का शौच, प्रसूतिका के शव स्पर्श के उपरान्त शुद्धि, व्यभिचारी स्त्रियों को उदकक्रिया[९] माता की शवयात्रा में सम्मिलित होने के सम्बन्ध में, स्त्री के आचमन की विधि, स्त्री के साथ रमण करने के पश्चात् शुद्धि, स्त्री धर्म, स्त्री स्वतन्त्रता,[१०] स्वामी की सेवा, स्त्री स्वामी के हेतु, स्वामी की प्रशंसा, स्वामी शुभेच्छा, विधवा स्त्री के धर्म, पराये पुरुष के गमन की निन्दा, पातिव्रत के फल, पत्नी की मृत्यु पर शास्त्रोक्त दाहसंस्कार एवं पूर्वविवाहिता स्त्री के अन्त्येष्टि क्रिया, के ऊपर प्रकाश प्रक्षेप किया।

मनुस्मृति के अध्याय छः में मनु ने वन गमन[११] के सन्दर्भ में बताया।

मनुस्मृति के सातवें अध्याय में मनु ने काम से उत्पन्न व्यसन[१२], स्त्री सेवा, अतिदु:खद एवं कष्टतर, मन्त्रणा काल स्त्री निषिद्ध,[१३] स्त्रियों के व्यवहार की जाँच एवं परख, आत्मरक्षा के लिए स्त्रियों का त्याग, इन बिन्दुओं पर प्रकाश डाला।

मनुस्मृति के अध्याय आठ में मनु ने पति–पत्नी के मध्य परस्पर धर्म व्यवस्था, स्त्री का पराये पुरुष के साथ सम्पर्क निषेध वन्ध्या, पुत्रहीना, प्रोषितपतिकादि स्त्रियों के धन की रक्षा[१४], स्त्रियों के अभियोग में स्त्रियाँ ही साक्षी हों, पूर्वोक्त साक्षी न मिलने पर स्त्री गवाह, स्त्री के साथ दुराचार में साक्षी की जाँच

अनावश्यक, एक भी निर्लोभी साक्षी हो सकता है पर पवित्र स्त्री नहीं; स्त्रियों के रहस्य भाषण में मिथ्या शपथ में पाप नहीं, दूषित कन्या की निन्दा, सप्तपदी, पत्नी आदि को ताड़ने के सम्बन्ध में[१५] माँ एवं स्त्री को दण्ड[१६], पराई स्त्री से संभोग में दण्ड, परस्त्री के साथ संभाषण में दण्ड, नटों की स्त्रियों से सम्भाषण, मनु कहते हैं कि गर्भिणी स्त्रियों को पार उतारते समय नाविक को भार वहन शुल्क नहीं[१७] इत्यादि विषयों में अपने सारगर्भित विचार दिये हैं।

मनुस्मृति के नवें अध्याय में मनु ने स्त्री पुरुष के धर्म,[१८] स्त्रीरक्षा, स्त्री रक्षा के उपाय, स्त्री स्वभाव, स्त्रियों की जातकर्मादि क्रिया में मन्त्रों का निषेध, स्त्री स्वामी गुण साम्यता स्त्री प्रशंसा, व्यभिचार का फल, बीज एवं क्षेत्र, परस्त्री में बीजवपन निषेध, स्त्री पुरुष की एकता, क्षेत्र की प्रधानता, भाई के स्त्रीगमन में पातित्य, नियोग, विधवा के पुत्र उत्पादन के सन्दर्भ में, कामनापूर्वक गमन का निषेध[१९], कन्या के पुनर्दान का निषेध, कार्यार्थी मनुष्य द्वारा स्त्री वृत्ति की व्यवस्था उपरान्त विदेश गमन, प्रोषितभर्तृका के नियम, एक वर्ष तक स्त्री की प्रतीक्षा, स्त्री का मद्यपान, सजातीय स्त्री द्वारा धर्म कार्य विजाति द्वारा नहीं (पति के सन्दर्भ में), गुणी को कन्यादान निर्गुणी को नहीं, स्वयंवरण, ऋतुमती के विवाह में पति द्वारा शुल्क, कन्या और वर के वय का नियम[२०], विवाह की आवश्यकता वाचनिक कन्यादान के उपरान्त अन्य को कन्या दान निषेध, दायभाग, अपने अंश से अविवाहित बहनों को भाई धन दे, अनेक माताओं में ज्येष्ठता का प्रश्न, पुत्रिकाकरण, अनेक माता होने पर धन विभाजन, स्त्री धन, प्रसन्नतापूर्वक पति द्वारा स्त्री को दिया धन, स्त्री का आभूषण अविभाज्य, महापाप इत्यादि विषयों पर मनु ने स्त्रियों की समस्याओं एवं समाधान को ध्यान में रखते हुए, श्लोकों की रचना की।

मनुस्मृति के अध्याय दस के अन्तर्गत मनु ने सजातीय, माता से उत्तम तथा पिता से निम्न पुत्र के सन्दर्भ में, वर्णसंकर, व्रात्य, उपनयन योग्य, शूद्री का ब्राह्मण हो जाना, सुबीज के सन्दर्भ में विशेष विश्लेषण किया। स्त्रियों की भूमिका किस तरह की हो उसे भी बताया।

मनुस्मृति के अध्याय ग्यारह के अन्तर्गत मनु ने द्वितीय विवाह का निषेध पुत्र कलत्रादि को कष्ट पहुँचाकर दान यज्ञादि में दोष, गुरुपत्नी में गमन करने

वाला पापभागी, ब्रह्महत्या के समान कार्य[२१], स्त्री हत्या का प्रायश्चित्त, गुरुस्त्रीगमन का प्रायश्चित्त, स्त्री आदि का जूठा भोजन करने का प्रायश्चित्त, अगम्य के गमन का प्रायश्चित्त, रजस्वला के गमन का प्रायश्चित्त, व्यभिचार में स्त्रियों के लिए प्रायश्चित्त, चाण्डाली के गमन में प्रायश्चित्त, व्रतों के अङ्ग, वेदस्त्रियों के लिए नहीं[२२] इत्यादि विषयों पर मनु ने अध्याय ग्यारह में विस्तारपूर्वक बताया है।

मनुस्मृति के अध्याय बारह में मनु ने तीन प्रकार के दैहिक दुष्कर्म[२३], परस्त्रीगमन, गुरुपत्नी गमन फल के सन्दर्भ में विस्तृत विवेचन किया। मनु ने मनुस्मृति के कुल बारह अध्यायों के अन्तर्गत स्त्रीविषयक अनेक महत्वपूर्ण विन्दुओं पर प्रकाश डाला एवं उसकी विस्तार में चर्चा की। प्रस्तुत पुस्तक के अन्तर्गत मनुस्मृति का अध्ययन निम्न विन्दुओं पर आधृत है –

१. नारी के विविध संस्कार

२. सम्पत्ति विभाजन और स्त्री

३. विभिन्न वय अवस्थाओं में नारी

४. स्त्री एवं कुटुम्ब

५. विधवा स्त्री एवं विधवा पुनर्विवाह

६. मर्यादेतर एवं मर्यादित स्त्री

७. स्त्री एवं पुरुष के धर्म

८. न्याय व्यवस्था एवं स्त्री

९. स्त्रीधन

१०. विवाह एवं विवाह विच्छेद

११. नियोग

१२. स्वयंवरण

१३. आपत्तिजनक बातें स्त्री के सन्दर्भ में

कौटिलीय अर्थशास्त्र का अध्ययन कौटिल्य के सम्पूर्ण अर्थशास्त्र पर आधारित है। इसके अन्तर्गत **प्रथम अधिकरण** जिसका नाम **'विनयाधिकारिक'** है इसके अन्तर्गत कौटिल्य ने विद्या विषयक विचार, वार्ता एवं दण्डनीति, वृद्धजनों की संगति, काम क्रोध आदि छः शत्रुओ का त्याग, साधु स्वभाव राजा की जीवनचर्या, गुप्त उपायों से अमात्यों के आचरणों की परीक्षा, गुप्तचरों की नियुक्ति, 'भिक्षुकी'[२४], स्थायी गुप्तचर, निपुण स्त्री अथवा पुरुष, स्त्री, आजीविका की इच्छुक,[२५] दरिद्र, प्रौढ़, विधवा, दबंग, ब्राह्मणी, परिब्राजिका और वृषली (शूद्रा) आदि नारी गुप्तचरी, रानी से रक्षा के उपाय[२६] इन महत्वपूर्ण विषयों का वर्णन है।

कौटिल्य ने **'अध्यक्षप्रचार'** नामक **दूसरे अधिकरण** में संतानहीन (बन्ध्या) और पुत्रवती अनाथ स्त्रियों तथा उनके बच्चों की रक्षा[२७], अध्यक्षों की चर्चा, कोषगृह का निर्माण और कोषाध्यक्ष के कर्तव्य, समाहर्त्ता का कर–संग्रह कार्य, अक्षपटल में गाणनिक के कार्यों का निरूपण, शासनाधिकार, कोष्ठागार का अध्यक्ष, तोलमाप का अध्यक्ष, शुल्क का अध्यक्ष, सूत–व्यवसाय का अध्यक्ष, आबकारी विभाग का अध्यक्ष, वेश्यालयों का अध्यक्ष, नौकाध्यक्ष, समाहर्त्ता और गुप्तचरों के कार्यों का निरूपण, नागरिक के कार्य इत्यादि की चर्चा है ।

कौटिलीय अर्थशास्त्र के **दूसरे खण्ड** के अन्तर्गत **'धर्मस्थीय'** नामक **तीसरा प्रकरण** है। यह प्रकरण भी स्त्री समस्याओं से अछूता नहीं है। इसके अन्तर्गत कौटिल्य ने विवाह सम्बन्ध, स्त्री का धन, स्त्री को पुनर्विवाह का अधिकार, दाय भाग, (उत्तराधिकार के सामान्य नियम) ऋण लेनदेन, क्रय विक्रय दान किये हुए धन का अदान, अस्वामी–विक्रय, स्व–स्वामि सम्बन्ध, साहस, वाक्पारूष्य, दण्डपारूष्य, द्यूत समाह्वय और प्रकीर्णक, इत्यादि विभिन्न विषयों में स्त्री की भूमिका एवं स्त्री के साथ न्याय का वर्णन है।

कौटिलीय अर्थशास्त्र के **चौथे अधिकरण** का नाम **'अध्यक्ष–प्रचार'** है। इसके अन्तर्गत मुख्यरूप से गुप्त षडयन्त्रकारियों से प्रजा की रक्षा के उपाय, सिद्धवेशधारी गुप्तचरों द्वारा दुष्टों का दमन, शंकितों की पहचान, आशुमृतक की परीक्षा, जाँच एवं यातना, कर्मचारियों की निगरानी, द्रव्य दण्ड, शुद्धदण्ड,

चित्रदण्ड, कुँवारी कन्या के साथ संभोग का दण्ड, अतिचार का दण्ड इसप्रकार अनेक विन्दुओं के बारे में बताया गया है।

कौटिल्य ने इस ग्रन्थ के **पाँचवें अधिकरण** को **'अध्यक्ष—योगवृत्त'** नाम दिया है। इसके अन्तर्गत राजद्रोही उच्चाधिकारियों की दण्डव्यवस्था, कोष का अधिकाधिक संग्रह, भृत्यों का भरण—पोषण, व्यवस्था का यथोचित पालन[२८], विपत्तिकाल में राजपुत्र का अभिषेक और एकछत्र राज्य की प्रतिष्ठा इत्यादि के सन्दर्भ में बताया गया है।

छठाँ अधिकरण 'मण्डलयोनि' शीर्षकाधारित है। इसके अन्तर्गत कौटिल्य ने प्रकृतियों के बारे में बताया, साथ ही **'षडगुण्य'** नामक **सप्तम अधिकरण** में गुण, शांति, उद्योग, संधियाँ, शत्रु के साथ व्यवहार, विजिगीषु का व्यवहार, संधिमोक्ष विजिगीषु राजा द्वारा स्त्री अपहरण निषेध इत्यादि के बारे में विचार किया।

कौटिलीय अर्थशास्त्र के **खण्ड तीन** के अन्तर्गत **आठवें अधिकरण** का नाम **'व्यसनाधिकारिक'** है। इसके अन्तर्गत स्त्री कामज[२९] दोष, पीडनवर्ग, स्तंभवर्ग, कोषसंवर्ग, सेना व्यसन, मित्र व्यसन आदि बिन्दुओं को स्पष्ट किया गया है।

'अभियास्यत्कर्म' नामक **नवें अधिकरण** में कुछ महत्वपूर्ण विन्दुओं पर चर्चा हुई वे महत्वपूर्ण विन्दु हैं— शक्ति देश काल के बलाबल का ज्ञान और आक्रमण का समय, पाश्चात्कोपचिन्ता और वाह्याभ्यन्तर प्रकृति के कोप का प्रतीकार, राजद्रोही और शत्रुजन्य आपत्तियाँ। ये सभी विन्दु प्रत्यक्षत: अथवा अप्रत्यक्ष: स्त्री पक्ष से सम्बद्ध हैं।

'साङ्ग्रामिक' नामक **दशम अधिकरण में** कौटिल्य ने छावनी निर्माण, 'वेश्याओं के स्थान[३०] ' के बारे में भी बताया ।

'सङ्घवृत्त' नामक **ग्यारहवाँ अधिकरण में** भेदक प्रयोग एवं उपांशुदण्ड, की चर्चा है।

बारहवें अधिकरण का नाम **'आबलीयस'** है इसमें कौटिल्य ने विशेषरूप से स्त्री विषयक कुछ महत्वपूर्ण विन्दुओं की चर्चा की यथा— दूतकर्म, मंत्रयुद्ध, कपट उपायें या दण्ड प्रयोगों द्वारा किये आक्रमण के द्वारा विजयोपलब्धि।

'दुर्गलम्भोपाय' नामक **तेरहवाँ अधिकरण** कपट उपायों द्वारा राजा को लुभाने वालों की प्रकृति को स्पष्ट करता है।

'औपनिषदिक' नामक **चौदहवें अधिकरण** में कौटिल्य ने शत्रु का प्रयोग, प्रलम्भन योग में अद्‌भुत उत्पादन, औषधि एवं मंत्र प्रयोग, घातक प्रयोगों का प्रतीकार, इन सभी के सम्बन्ध में बताया।

'तन्त्रयुक्ति' नामक **पन्द्रहवें अधिकरण** में अर्थशास्त्र की युक्तियाँ बताते हुए कौटिल्य ने कहा धार्मिक विवाहों से उत्पन्न लड़कियाँ सम्पत्ति की अधि ाकारी होती हैं।

कौटिल्य ने **चाणक्य प्रणीत सूत्र** में भी स्त्री विषयक महत्वपूर्ण सूत्रों को बताया।

प्रस्तुत पुस्तक के अन्तर्गत अर्थशास्त्र में नारी की स्थिति निम्नांकित विन्दुओं पर आधारित है।

१. वेश्यालय व्यवस्था

२. विवाह, पुनर्विवाह, तलाक, स्त्री धन

३. सम्पत्ति विभाजन एवं स्त्री

४. स्त्री पर अत्याचार का दण्ड

५. दण्ड व्यवस्था स्त्री एवं पुरुष

६. आपत्तिजनक बातें स्त्री के सन्दर्भ में।

मनु एवं कौटिल्य के ग्रन्थ का काल–

१. मनुस्मृति – २००–१०० ईसा पूर्व

२. कौटिलीय अर्थशास्त्र – चौथीशती ईसापूर्व

सन्दर्भ

१ मनुस्मृति, १.३२

२ वही, १.३२

३ गुरुणानुमत: स्नात्वा समावृत्तो यथाविधि:।
उद्वहेत द्विजो भार्या सवर्णा लक्षणान्विताम्।। मनुस्मृति, ३.४

४ नोपगच्छेतत्प्रमत्तेऽपि स्त्रियमार्तवदर्शने।
समानशयने चैव नशयीत तया सह। मनुस्मृति, ४.४०

५ मनुस्मृति, ४.४३

६ नोदक्ययाभिभाषेत यज्ञं गच्छेन्न चावृत:। मनुस्मृति ४.४७

७ स्त्रीक्षीरं चैव वर्ज्यानि सर्वशुक्तानि चैव हि। मनुस्मृति, ५.९

८ सर्वेषां शावमाशौचं मातापित्रोस्तु सूतकम्।
सूतकं मातुरेव स्यादुपस्पृश्य पिता शुचि:।। मनुस्मृति ५.६२

९ पाषण्डमाश्रितानां च चरन्तीनां च कामत:।
गर्भभर्तृद्रुहां चैव सुरापीनां च योषिताम्।। मनुस्मृति ५.९०

१० बालया वा युवत्या वा वृद्धया वापियोषिता न स्वातन्त्र्येण कर्तव्यं किञ्चित्कार्य गृहेष्वपि।। मनुस्मृति ५.१४७

११ संत्यज्य ग्राम्यमाहारं सर्व चैव परिच्छदम्।
पुत्रेषु भार्यो निक्षिप्य वनं गच्छेत्सहैव वा।। मनुस्मृति, ६.३

१२ मृगयाऽक्षो दिवास्वप्न: परिवाद: स्त्रियों मद:।
तौर्यत्रिकं वृथाट्या च कामजो दशको गण:।। मनुस्मृति, ६.४७

१३ स्त्रीम्लेच्छव्याधितव्यङ्गान्मन्त्रकालेऽपसारयेत्।। मनुस्मृति, ७.१४९

१४ वशाऽपुत्रासु चैव स्याद्रक्षणं निष्कुलासु च
पतिव्रतासु च स्त्रीषु विधवास्वातुरासु च।। मनुस्मृति ८.२८

१५ भार्या पुत्रश्च दासश्च प्रोष्यो भ्राता च सोदर:
प्राप्तापराधास्ताड्या: स्यू रज्जवा वेणुदलेन वा।। मनुस्मृति, ८.२९९।।

१६ पिताचार्य: सुहृन्माता भार्या पुत्र: पुरोहित:।
नादण्ड्यो नाम राज्ञोऽस्ति य: स्वधर्मे न तिष्ठति।। मनुस्मृति , ८.३३५

१७ गर्भिणी तु द्विमासादिस्तथा प्रव्रजितो मुनि:।

ब्राह्मण लिङ्गिनश्चैव न दाप्यास्तारिकं तरे। मनुस्मृति, ८.४०७

१८ पुरुषस्य स्त्रियाश्चैव धर्मे वर्त्मनि तिष्ठतो:।

संयोगे विप्रयोगे च धर्मान्वक्ष्यामि शाश्वतान्।। मनुस्मृति, ९.१

१९ नियुक्तौ यौ विधिं हित्वा वर्तयातां तु कामत:।

तावुभौ पतितौ स्यातां स्नुषागगुरुतल्पगौ।। मनुस्मृति ९.६३

२० त्रिंशद्वर्षोद्वहेत्कन्यां हृद्यां द्वादशवार्षिकीम्।

व्यष्टवर्षोऽष्टवर्षा वा धर्मे सीदति सत्वर:।। मनुस्मृति ९.९४

२१ रेत:सेक: स्वयोनीषु कुमारीष्वन्त्यजासु च।

सख्यु: पुत्रस्य च स्त्रीषु गुरुतल्पसमं विदु:।। मनुस्मृति ११.५८

२२ सत्यादृतिप्रणवका: प्राणायामास्तु षोडश:।

अपि भ्रूणहणं मासात्पुनन्त्यहरह: कृता:।। मनुस्मृति, ११.२४८

२३ अदत्तानामुपादानं हिंसा चैवाविधानत:।

परदारोपसेवा च शारीरं त्रिविधं स्मृतम्।। मनुस्मृति, १२.७

२४ सत्रितीक्ष्णरसदभिक्षुकीश्च, कौ० अर्थशास्त्र, प्रकरण ६, अध्याय १०

२५ परिव्राजिक वृत्तिकामा दरिद्रा विधवा प्रगल्भा ब्राह्मण्यन्त: पुरे कृतसत्कारा महामात्रकुलान्य–धिगच्छेत्। एतया मुण्डावृषल्यो व्याख्याता:। इति सञ्चारा:। कौ० अर्थशास्त्र, प्रकरण ६, अध्याय ११

२६ द्वाररक्षणं निशान्तप्रणिधौ वक्ष्याम:। कौ० अर्थशास्त्र प्रकरण १२, अध्याय १६

२७ बालवृद्धव्याधितव्यसन्यनाथंश्च राजा

विभृयात्; स्त्रियम प्रजातायाश्च पुत्रा न्।३।

कौ० अर्थशास्त्र, प्रकरण १७, अध्याय १

२८ कौ० अर्थशास्त्र ७.१२१.१६.१ पृं० ५३५

२९ वही ८.१२९.३.४० पृ० ४६८

३० वही १०.१४६.१.२ पृ० ६३७–६३८

******

१ मनुस्मृति में नारी

१. नारी के विविध संस्कार

मनु ने स्त्री के विविध संस्कारों की बात की है स्त्री के नामकरण संस्कार के सन्दर्भ में मनु कहते हैं कि स्त्रियों का नाम सुख से उच्चारण करने योग्य और सरल होना चाहिये[१]। स्त्रियों का संस्कार मन्त्ररहित होना चाहिये, पति की सेवा ही उनके लिए गुरूकुल निवास के बराबर है घर का काम ही उनके लिए अग्निदेव की पूजा है। स्त्रियों का वैदिक संस्कार (यज्ञोपवीत) वैदिक विधि से ही पूरा हो जाता है[२]। मनु कहते हैं कि यदि स्त्री और शूद्र कोई शुभ कर्म करे तो ब्रह्मचारी भी उनके साथ मिलकर वह शुभ कर्म करें और शास्त्र से अनिषिद्ध कर्म करने में उसका मन लगे तो वह भी करे[३]। **स्त्री के विवाह संस्कार के सन्दर्भ में मनु कहते हैं कि विवाह के जितने मन्त्र हैं वे कन्याओं के लिए ही कहे गये हैं। जिसका कन्यापन पुरूष समागम से नष्ट हो चुका है, उसके लिए नहीं। क्योंकि उनका धर्म पहले ही लुप्त हो चुका है**[४]। विवाह के मन्त्र यथार्थ में पत्नीत्व के कारण हैं। उन मन्त्रों की निष्पत्ति कन्या के सातवें पद में पण्डितों को जाननी चाहिये[५]। मनु ने मनुस्मृति में आठ प्रकार के विवाह संस्कार[६] के सम्बन्ध में बताया है जो चारो वर्णो की कन्याओं एवं पुरूषों के लिए उपलब्ध थे इसे संक्षिप्त रूप में देखा जा सकता है—

एकं गोमिथुनं द्वे वा वरादादाय धर्मतः।
कन्याप्रदानं विधिवदार्षो धर्मः स उच्यते ॥ २९ ॥

वर से एक या दो जोड़े गाय बैल धर्मार्थ लेकर विधिपूर्वक कन्या देने का नाम आर्ष विवाह हैं।

सहोभौ चरतां धर्ममिति वाचानुभाष्य च ।
कन्याप्रदानमभ्यर्च्य प्राजापत्यो विधिः स्मृतः ।। ३० ।।

''तुम दोनों साथ मिलकर गृह–धर्म की रक्षा करो,''वर से यह कहकर और पूजन करके जो उसे कन्या दी जाती है, वह प्राजापत्य विवाह कहलाता है।

ज्ञातिभ्यो द्रविणं दत्त्वा कन्यायै चैव शक्तितः।
कन्याप्रदानं स्वाच्छन्द्यादासुरो धर्म उच्यते ।। ३१।।

कन्या के बाप या चचा आदि को और कन्या को यथाशक्ति धन देकर स्वच्छन्दतापूर्वक कन्या का ग्रहण करना आसुर विवाह है।

इच्छायान्योन्यसंयोगः कन्यायाच वरस्य च ।
गान्धर्वः स तु विज्ञेयो मैथुन्यः कामसंभवः ।। ३२ ।।

कन्या और वर को अपनी इच्छा से परस्पर मिलने और प्रेमव्यवहार करने से जो काम उत्पन्न होता है उस कामसम्भूत विवाह को गान्धर्व विवाह कहते हैं।

हत्वा छित्त्वा च भित्त्वा च क्रोशन्ती रूदतीं गृहात्।
प्रसह्य कन्याहरणं राक्षसो विधिरूच्यते ।। ३३ ।।

प्रतिपक्षी (दुश्मन) को मारकर, घायलकर, किले या फाटक को तोड़कर रोती बिलपती कन्या को जबर्दस्ती घर से हरण कर ले जाने का नाम राक्षस विवाह है।

सुप्तां मत्तां प्रमत्तां वा रहो यत्रोपगच्छति।
स पापिष्ठो विवाहानां पैशाचचाष्टमोऽधमः ।। ३४ ।।

नींद से सोई हुई या मद से मतवाली, या जो कन्या अपने होशहवास में न हो, उसके साथ एकान्त में उपभोग करना विवाहों में अत्यन्त निकृष्ट पापों से भरा हुआ यह आठवाँ पैशाच विवाह जानना।

अरिदरेव द्विजाग्र्याणां कन्यादानं विशिसळ्यते।
इतरेषां तु वर्णानामितरेतरकायया ।। ३५ ।।

ब्राह्मणों को जल से कन्यादान करना प्रशस्त है। क्षत्रियादि तीन वर्णों को जल के बिना भी दाता–ग्रहीता के वचनमात्र से (अर्थात् मैंने कन्या दी और मैंने ग्रहण की इस प्रकार वाक्य प्रयोग से) कन्यादान हो सकता है।

मनु ने मनुस्मृति में विभिन्न प्रकार के विवाह संस्कारों के फल[9] के सम्बन्ध में भी बताया है। इसे निम्नलिखित रूपों में देखा जा सकता है—

दैवोढाज: सुतच व सप्त सप्त परावरान्।
आर्षोढाज: सुतस्त्रींस्त्रीन्षट्षट् कायोढज: सुत: ।। ३६ ।।

दैव विवाह के अनुसार विवाहिता स्त्री में जो पुत्र उत्पन्न होता है, वह सात पुरखे पीछे के और सात आगे के और आर्ष विवाह से उत्पन्न पुत्र तीन पित्रादि और तीन पुत्र पुरखों को तथा प्राजापत्य से उत्पन्न पुत्र छ: पीछे के और छ: आगे के पुरखों को तारते हैं, और स्वयं भी तरते हैं।

मनु विवाह संस्कार के सन्दर्भ में आगे कहते हैं कि अच्छी लड़की को दिखाकर वर का व्याह किसी दूसरी लड़की से नहीं कराना चाहिये, यदि कोई ऐसा करता है तो वर उतने ही शुल्क में दोनों कन्याओं से व्याह करे[८]। मनु यह भी कहते हैं कि जो कन्या पागल है, कुष्ठरोगिणी है, और पुरुष के साथ जिसका समागम हो चुका है, इनका दोष बताकर विवाह संस्कार (कन्यादान) करने वाला पिता दण्ड का अधिकारी नहीं है[९]।

मनु कहते हैं कि विवाह संस्कार के समय यदि पिता अपनी दोषवती कन्या के दोष बताये बिना वर को दे तो राजा उस पर ९६ पण का दण्ड लगाये[१०]। मात्र इतना ही नहीं अपितु मनु यह भी कहते हैं कि जो भी पुरुष विवाह संस्कार के अवसर पर द्वेष से कन्या को अकन्या अर्थात् क्षतयोनि कहकर मित्थ्या दोष लगाये तो राजा उस कन्या के दोष पर कुछ विचार न कर दोष लगाने वालो के १०० पण दण्ड लगाये[११]।

मनु ने विवाह संस्कार के अवसर पर सप्तपदी[१२] का भी उल्लेख किया है। मनु विवाह संस्कार के पूर्व संस्कार जिसे 'वाग्दान'[१३] कहा जाता है का उल्लेख करते हुए कहा है कि जिस कन्या का विवाह किसी पुरुष के साथ निश्चित हो चुका है यदि वह पुरुष विवाह के पूर्व ही मृत हो जाये तब उस कन्या का उसके देवर के साथ विवाह संस्कार किया जाय। मनु कहते है कि कन्या का विवाह होना यदि किसी पुरुष के साथ निश्चित हो चुका है तब किसी अन्य पुरूष के साथ उसके विवाह की कोई चर्चा न की जाय क्योंकि एक को देकर फिर दूसरे को देने से उसे (लड़की के अभिभावक का) पुरुषानृत दोष का भागी होना पड़ता है।

विवाह संस्कार के पश्चात्[१४] यदि कन्या के पति को ज्ञात हो जाय कि उसका विवाह दोषवती कन्या के साथ छल से कर दिया गया है तो वह पुरुष विवाह के पश्चात् कन्यादाता के दान को लौटाकर कन्यादान को भग्न कर सकता

है अर्थात् उस कन्या को अपने पास न रखकर उसे उसके पिता अथवा जो भी अभिभावक हों उनके पास भेज सकता है।

मनु कहते हैं कि पिता कन्या के विवाह संस्कार के पूर्व[१५] यह विचार कर ले कि वह अपनी कन्या को गुणी वर को ही दान करेगा अगुणी को नहीं, यदि गुणी वर या सजातीय वर प्राप्त हो जाय तो कन्या व्याहने योग्य हो अथवा न हो उसका व्याह कर दे।

किन्तु यदि कन्या ऋतुमती हो चुकी है एवं उसे गुणहीन वर प्राप्त हो रहें हों तो ऐसी स्थिति में कन्या आजीवन पिता के घर में कुँवारी ही रहे किन्तु अगुणी (मूर्ख) वर के साथ व्याह न करे अथवा कन्या का पिता कन्या को मूर्ख को कदापि प्रदान न करे।

मनु ने कन्याओं के लिए स्वयं[१६] विवाह संस्कार सम्पन्न करने का भी निर्देश मनुस्मृति में दिया है। किन्तु उसकी भी एक निश्चित अवधि है। मनु कहते हैं कि कन्या के ऋतु धर्म होने के तीन वर्ष तक कन्या अच्छे वर की प्रतीक्षा करे इसके उपरान्त मनोनुकूल वर न प्राप्त होने पर समान जाति गुण वाले वर का स्वयं ही चयन करे। क्योंकि पिता या भ्राता आदि द्वारा समय पर विवाह संस्कार सम्पन्न न कराने पर यदि कुमारिका विहित समय पर स्वयं पति को वरण करे तो इससे उसे अथवा उसके पति को कोई पाप नहीं होता।

किन्तु विवाह में पिता के दिये हुए पूर्व के अलंकरणों का त्याग करे अन्यथा कन्या विवाह संस्कार संपन्न हो जाने पर चोर समझी जायेगी। ऋतुमती कन्या के विवाह के अवसर पर वर कन्या के पिता को कोई शुल्क न दे। क्योंकि ऋतु प्राप्त होने पर उसका विवाह न करने के कारण सन्तानोत्पत्ति के निरोध से पिता का कन्या पर से अधिकार समाप्त हो जाता है।

मनु ने विवाह संस्कार हेतु कन्या और वर के वय[१७] का भी निर्देश किया है। मनु कहते हैं कि तीस वर्ष का पुरुष बारह वर्ष की सुन्दर बालिका के साथ विवाह संस्कार सम्पन्न करा सकता है एवं चौबीस वर्ष का युवक ८ वर्ष की बालिका के साथ।

मनु ने विवाह संस्कार को एक आवश्यक[१८] संस्कार के रूप में स्वीकार किया है। मनु कहते हैं कि ब्रह्मा ने गर्भ ग्रहण करने के लिए स्त्रियों को और गर्भाधान के लिए पुरुषों को बनाया है। वेद में भी कहा गया है कि साधारण धर्म भी स्त्री के साथ करना चाहिये।

विवाह संस्कार सम्पन्न[१९] हो जाने पर स्त्री—पुरुष जब तक जीवित रहें, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष आदि कर्मों में परस्पर अभिन्न होकर रहें, यह स्त्री—पुरुष का संक्षेप में धर्म मनु द्वारा बताया हुआ है। मनु कहते हैं कि विवाह होने के पश्चात् स्त्री—पुरुष को सदैव ऐसा प्रयत्न करना चाहिये कि जिसमें धर्म, अर्थ और काम्य विषय में अलग—अलग रहते पर भी कोई किसी के साथ विरूद्ध आचरण न करे।

२. सम्पत्ति—विभाजन एवं स्त्री

मनु ने मनुस्मृति में सम्पत्ति विभाजन के सन्दर्भ में भी बताया है साथ ही स्त्रियों को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया है।

मनु ने मनुस्मृति में स्पष्ट रूप से बनाया है कि जो पिता अथवा पति आदि सम्बन्धित वर्ग मोहवश स्त्रीधन से अर्थात् बेटी अथवा पत्नी आदि के भूषण, वस्त्र और सवारी इत्यादि बेचकर गुजर करते हैं, वे नरकगामी होते हैं।[२०]

कन्या के लिए धन के दान का विधान मनु ने किया है। मनु कहते हैं कि कन्याओं के निमित्त वर का दिया हुआ भूषण वस्त्रादिरूप शुल्क यदि पिता भ्राता आदि न लें तो वह बिक्री नहीं हुई। जिस कारण कुमारियों का पूजन अहिंसात्मक अर्थात् दयामूलक है।[२१]

मनु वस्त्र आभूषण आदि द्वारा कन्या के पूजन के प्रबल समर्थक हैं वे कहते हैं कि विशेष कल्याण की इच्छा रखने वाले, माँ, बाप, भाई, पति तथा देवर इत्यादि सम्बन्धियों को चाहिये कि कन्या को भूषण, वस्त्र और भोजन पाक सामग्रियों द्वारा उन्हें पूजित करें[२२]।

मनु ने कन्या को धन आदि देने अथवा न देने के फल के सन्दर्भ में भी बताया है। मनु कहते हैं कि जिस कुल में स्त्रियाँ धन आदि द्वारा पूजित (सम्मानित) होती हैं, उस कुल पर देवता प्रसन्न होते हैं, और जहाँ स्त्री का धन आदि दान में अपमान होता है वहाँ किसी का कल्याण नहीं होता है। वहाँ यज्ञ आदि क्रियाएँ निष्फल हो जाती हैं। जिस कुल में बहू—बेटियों अथवा स्त्री को अभाव होता है अथवा वे सतायी जाती है वह कुल शीघ्र नष्ट हो जाता है। किन्तु जहाँ इन्हें किसी तरह का दुःख नहीं दिया जाता वहाँ धन की सदैव बढ़ोत्तरी होती है। इसी कारण मनु स्त्रियों को विशेषत: उत्सवों में भी पूज्यनीय मानते हैं।[२३]

मनु कहते हैं ये स्त्रियाँ सदैव आभूषण, वस्त्र एवं पाक सामग्रियों से सन्तुष्ट करने योग्य हैं। जिन पुरुषों को समृद्धि की इच्छा हो, वे किसी शुभ आयोजन अथवा उत्सवों में स्त्री का धनादि के द्वारा सम्मान करें।

मनु ने सम्पत्ति विभाजित करते समय स्त्रियों पर विशेष ध्यान दिया है। वे किसी न किसी बहाने स्त्री को धन देने के पक्षधर रहे हैं। मनु कहते हैं[२४] कि यदि स्त्री आभूषण एवं वस्त्र द्वारा सुशोभित न की जाय तो वह खिन्न हृदय होने के कारण स्वामी को आनन्दित नहीं कर सकती, फिर स्वामी की अप्रसन्नता से सन्तानोत्पत्ति में बाधा पड़ जाती है। आगे मनु यह भी कहते हैं कि स्त्रियों के भूषण वस्त्र की जगमगाहट से सारा कुल जगमगा उठता है। परन्तु इनका मलिन वेश वंश को मलिन बना देता है।

मनु कहते हैं कि माता (एवं पिता) के लोकान्तर गमन करने पर सब भाई मिलकर पिता के धन को बराबर बाँट लें माता (एवं पिता) की जीवित अवस्था में उन्हें सम्पत्ति विभाजन का कोई अधिकार नहीं[२५]। मनु ने स्त्री को यहाँ माता के रुप में महत्वपूर्ण स्थान दिया है।

मनु ने अविवाहित बहनों के लिए भी सम्पत्ति में हिस्से की व्यवस्था की हैं वे कहते हैं कि अविवाहित बहनों के लिए सब भाई अपने अपने अंशों से अलग धन दें। जो अपने अंश का चौथा भाग बहन के विवाह हेतु नहीं देता, वह पतित होता है। मनु ने आगे यह भी कहा है कि यदि ब्राहमण के चारों वर्ण की स्त्रियाँ हों और उन सब में पुत्र हों तो उन सबके बीच भी सम्पत्ति विभाजन होना चाहिये[२६]।

मनु ने माता के धन के विभाग के सन्दर्भ में कहा है कि माता के मर जाने पर सभी सगे भाई और अविवाहिता बहनें मातृधन को बराबर बाँट लें[२७]। विवाहिता बहन की कुँवारी कन्याओं को भी मातामही (नानी) के धन में से उनके सन्तोषार्थ प्रसन्नता पूर्वक कुछ दे देना चाहिये[२८]।

मनु कहते हैं कि पति ने प्रसन्न होकर स्त्री को जो अन्वाधेय[२९] दिया हो, अर्थात् विवाहोपरान्त पति द्वारा जो धन स्त्री को प्राप्त हुआ हो, पति की जीवित अवस्था में स्त्री मर जाय तो उसका सब धन उसकी सन्तान का होता है[३०]।

आसुर आदि विवाहों में स्त्री को जो धन दिया जाता है वह उसके निःसन्तान मरने पर उसके माँ (बाप) को मिलना चाहिये[३१]। मनु कहते हैं कि

ब्राह्मण की अनेक वर्ण की स्त्रियों के जो कुछ धन उनके पिता द्वारा दिये गये हों, यदि वे सन्तानरहित मर जाय तो उनका धन ब्राह्मणी सौत को या उसकी सन्तान को मिलना चाहिये[३२]।

मनु कहते हैं कि पति की जीवित अवस्था में उसकी सम्मतिं से स्त्रियों ने जो भूषण धारण किये हों, पति के मर जाने पर धन बाँटते समय दामाद उसे न बाँटें, बाँटनेवाले पतित होते हैं–

पत्यो जीवति यः स्त्री भिरलङ्कारो धृतो भवेत्।

न तं भजेरन्दायादा भजमानाः पतन्ति ते ।। मनुस्मृति ९.२००

आगे मनु यह भी कहते हैं कि निःसन्तान पुत्र का हिस्सा उसकी माता को मिलेगा। माता के अभाव में वह धन उसकी दादी को मिलेगा अर्थात् पिता की माँ को मिलेगा[३३]।

३. विभिन्न वय अवस्थाओं में नारी

मनु ने स्त्रियों को विभिन्न रूपों में मनुस्मृति में प्रस्तुत किया है। स्त्री की बाल्य, कौमार्य, युवा एवं वृद्धावस्था सभी के सन्दर्भ में विचार किया है। मनु कहते हैं बालिका हो या युवा हो वृद्ध हो उसे स्वतन्त्रता पूर्वक कोई कार्य नहीं करना चाहिये[३४]। बाल्यकाल में पिता के अधीन और पति का परलोक होने पर स्त्री पुत्रों के अधीन होकर रहे[३५]।

४. स्त्री एवं कुटुम्ब

मनु ने कुटुम्ब में माँ बहन या बेटी के साथ एकान्तवास का निषेध किया है,[३६] यह अप्रत्यक्षतः पुरूष (विद्वान्) के लिए कहा गया है किन्तु इसका स्त्री के साथ भी सम्बन्ध है।

मनु ने माता को आत्मा की मूर्ति माना है[३७]। मनु ने यह भी कहा है कि माँ (पिता) को सदैव प्रसन्न रखना चाहिये इन के प्रसन्न रहने पर सभी तप पूरे हो जाते हैं। मनु ने माता की सेवा के सन्दर्भ में भी मनुस्मृति में उल्लेख किया है[३८]। मनु ने कहा है कि मातृभक्ति से व्यक्ति इस लोक का उपभोग करता है[३९]। जो माता का आदर करता है वो सभी धर्मों का आदर करता है[४०]। जो इसका अपमान करता है उस व्यक्ति की सारी क्रियाएँ निष्फल होती हैं।

मनु ने कुटुम्ब में पत्नी के भोजनावसर पर अन्य बान्धवों के भी भोजन करने की बात कही है[४१]। परिवार में नयी बहू, कन्या, रोगी और गर्भिणी स्त्रियों को अतिथियों के भी पूर्व बिना कुछ विचार किये भोजन करने कराने के सन्दर्भ में कहा है[४२]। मनु कहते हैं कि पहले अतिथि, ब्राह्मण और आत्मीय, षोष्यवर्गो को भोजन कराकर जो पीछे अन्न बचे वह (पति) पत्नी भोजन करें[४३]। मनु ने पुरुष के लिए स्त्री के साथ एक थाली में भोजन करने पर निषेध किया है[४४]। गुरूवर्ग (माता पिता आदि) और भृत्यों के पोषणार्थ सबसे अर्थात् हेयजनों से भी धन का दान लिया जा सकता है[४५] ऐसा मनु ने कहा है।

मनु ने कहा है कि मृताशौच सभी सपिण्डों को बराबर होता है, जन्माशौच माँ (बाप) को ही होता है। इसमें विशेषता इतनी है कि जननी दस रात तक अपवित्र रहती है किन्तु पिता स्नान मात्र से ही शुद्ध[४६] हो जाता है[४७]।

गर्भ स्राव होने पर जितने महीने का गर्भ हो उतने संख्यक रात में स्त्री शुद्ध होती है, रजस्वला साध्वी स्त्री रज निवृत्त होने पर स्नान से शुद्ध होती है[४८]।

अविवाहिता कन्या वाग्दान के अनन्तर मर जाय तो उसके भावी पति, देवर आदि तीन दिन में शुद्ध होते हैं[४९]।

मनु ने स्त्रियों के मुख को सदैव शुद्ध माना है[५०]। मनु ने कहा है कि पति के असन्तुष्ट रहने पर भी स्त्री को सदा प्रसन्न होकर चतुराई के साथ घर के कामों को सम्हालना चाहिये, भूषण एवं पाकपात्र आदि नित्यव्यवहार्य्य सामग्रियों को साफ करना चाहिये और जहाँ तक हो सके कम खर्च करना चाहिये[५१]। पिता या भ्राता जिस पुरुष का हाथ धरा दे जीवित अवस्था में शुद्ध हृदय से उसकी सेवा करे[५२]।

स्त्रियों के लिये न अलग यज्ञ, न व्रत और न उपवास है। पति की सेवा से ही वे स्वर्ग में पूजित होती हैं। ऐसा मनु ने कहा है –

नास्ति स्त्रीणां पृथग्यज्ञो न व्रतं नाप्युपोषणम्।

पतिं शुश्रूषते तेन तेन स्वर्गे महीयते ।। मनुस्मृति ५.१५५

पतिव्रता स्त्री ही स्वर्ग[५३] जाती है ऐसा भी मनुस्मृति में मनु ने कहा है। पर पुरुष गमन करने वाली स्त्री को स्वर्ग नहीं मिलता[५४]। शास्त्रोक्त विधि से चलने वाली स्त्री यदि पहले मर जाय तो धर्मज्ञ द्विज अग्निहोत्र और यज्ञपात्रों के द्वारा उसकी दाह क्रिया करे[५५]। मनु कहते हैं ग्राम्य आहार एवं परिधान आदि को

त्यागकर स्त्री को साथ ले या उसे पुत्र के हाथ सौंपकर स्वयं वन को जाय[५६]।

साथ ही मनु यह भी कहते हैं कि सन्तान का जनना, बच्चों का पालन करना, प्रतिदिन पाक प्रक्रिया और लोकव्यवहार का प्रत्यक्ष कारण स्त्री ही है—

उत्पादनमपत्यस्य जातस्य परिपालनम।।

प्रत्यहं लोकयात्रायाः प्रत्यक्षं स्त्रीनिबन्धनम् ।। मनुस्मृति ९.२७

सन्तान, अग्निहोत्र आदि धर्मकार्य, सेवा, उत्कृष्ट रति, पितरों तथा अपना स्वर्गसाधन, ये सभी कुछ पत्नी के अधीन है –

अपत्य धर्मकार्याणि शुश्रूषा रतिरुत्तमा।

दाराधीनस्तथा स्वर्गः पितृणामात्मनश्चह।। मनुस्मृति ९.२८

५. विधवा स्त्री एवं विधवा पुनर्विवाह

मनु कहते हैं कि स्वर्ग लोक पाने की इच्छा करने वाली सुशीला स्त्री अपने जीते या मरे पति का कुछ भी अप्रिय न करे, अर्थात् व्यभिचार आदि निन्दित कर्म से पति का परलोक न बिगाड़े[५७]। विधवा स्त्री के सम्बन्ध में मनु ने कहा है कि विधवा स्त्री को चाहिये कि पति के मर जाने पर पवित्र फल, फूल और मूल खाकर जहाँ तक हो सके देह को साधे, परन्तु पर पुरुष का कभी नाम न ले[५८]। विधवा स्त्री पतिव्रता के उत्तम धर्मों को चाहती हुई मरते दम तक क्षमायुक्त और नियमपूर्वक ब्रह्मचारिणी होकर रहे[५९]। मनु कहते हैं जो पतिव्रता स्त्री पति के मरने पर ब्रह्मचर्य में स्थित रहती है, वह पुत्रहीन होने पर भी ब्रह्मचारी पुरुषों की भाँति स्वर्गलोक को जाती है[६०]। जो स्त्री सन्तान के लोभ से पति का अतिक्रमण करती है अर्थात् परपुरुष के साथ व्यभिचार करती है, इस लोक में उसकी निन्दा होती है और उस पुत्र से उसे स्वर्ग भी नहीं मिलता, क्योंकि अन्य पुरुष से उत्पन्न की गई वह सन्तान शास्त्रसम्मत नहीं है, और दूसरे की स्त्री में उत्पादित सन्तान भी उत्पादक की नहीं होती है।

पतिव्रता स्त्रियों को दूसरे पति का उपदेश कहीं नहीं किया गया है[६१] ऐसा मनु कहते हैं इस बात से यह भी स्पष्ट हो जाता है कि मनु विधवापुनर्विवाह के पक्षधर नहीं थे किन्तु मनु पुनः कहते हैं सन्तान न होने पर स्त्री को चाहिये कि गुरुजनों से नियुक्त होकर देवर या सपिण्ड (पुरुष) से अभिलषित पुत्र उत्पन्न करावे। ऐसा विधान विधवाओं के लिए भी है, गुरुजन से नियुक्त पुरूष विधवा

में एक पुत्र पैदा करे पर दूसरा पुत्र कभीं नहीं[62]। इस विषय में दूसरे आचार्यो का मत है कि नियुक्त पुरुष धर्मपूर्वक द्वितीय पुत्र का भी उत्पादन करे[63]। वैवाहिक वेदमन्त्रों में कहीं नियोग का उल्लेख नहीं है और नहीं विवाह विधायक शास्त्र में ही विधवाविवाह का उल्लेख ऐसा मनु कहते हैं –

नो द्वाहिकेषु मन्त्रेषुनियोगः कीर्त्यते क्वचित्।
न विवाहविधावुक्तं विधवावेदनं पुनः।। मनुस्मृति ९.६५

वाग्दानोत्तर विधवा अर्थात् जिस कन्या का वाग्दानोत्तरपति मर जाय तो उसे इस विधान से देवर के साथ ब्याह दे ऐसा मनु कहते हैं[64]।

६. मर्यादेतर एवं मर्यादित स्त्री

मनु ने मनुस्मृति में नारी के विभिन्न आयामों पर विचार व्यक्त किया है। मनु ने स्त्री को मर्यादा में रखने की बात की है मनु कहते हैं कि पिता या पिता की सम्मति से भाई जिस पुरुष का हाथ धरा दे जीवित अवस्था में उसकी शुद्ध हृदय से सेवा करे और उसके मर जाने पर धर्म का उल्लंघन न करे[65]।

मनु ने स्त्रियों के लिए अलग से किसी यज्ञ व्रत अथवा उपवास का कोई विधान नहीं किया है[66]। स्त्री के मर्यादा को ध्यान में रखते हुए मनु यह भी कहते हैं कि स्त्री अपने जीते जी वा मरे पति का कुछ अप्रिय न करे अर्थात् मर्यादेतर कार्य (व्यभिचार) न करे –

पाणिग्राहस्य साध्वी स्त्री जीवतो वा मृतस्य वा।
पतिलोकमभीप्सन्ती नाचरेत्किञ्चिदप्रियम् ।। मनुस्मृति ५.१६५

मनु ने मर्यादेतर स्त्री के सम्बन्ध में बताते हुए कहा है कि जो स्त्री अपने बाप दादे के धन और अपने रुप गुण से गर्वित होकर पराये पुरुष के साथ शयन करके पति का निरादर करे तो राजा उसे बहुत लोगों के सामने कुत्तो से नुचवा डाले[67]।

मनु ने स्त्रियों को मर्यादित रखने के लिए यह भी कहा है कि पुरुषों को चाहिये कि अपनी स्त्रियों को कभीं स्वतन्त्र न होने दें। शृंगार आदि विषय में लगी रहने पर भी उन्हें अपने वश में रखें[68]।

अमर्यादित स्त्रियाँ कुल को कलंकित करती हैं ऐसा भी मनु ने कहा है–

सूक्ष्मेभ्योऽपि प्रसङ्गेभ्यः स्त्रियो रक्ष्या विशेषताः।
द्वयोर्हिकुलयोः शोकमावहेयुररक्षिताः ।। मनुस्मृति ९.५

मनु ने कहा कि दुर्बल पति को भी अपनी स्त्री की रक्षा करनी चाहिये[६९]। बाल्यावस्था में पिता, युवावस्था में स्वामी एवं वृद्धावस्था में पुत्र स्त्री की रक्षा करे, ऐसा मनु कहते हैं–

पिता रक्षति कौमरि भर्ता रक्षति यौवने।
रक्षन्ति स्थविरे पुत्रा न स्त्री स्वातन्त्रयमर्हति ।। मनुस्मृति ९.३

स्त्री मर्यादित रहे इसके लिए मनु ने कहा कि रुपये पैसे रखने, खर्च करने, शरीर और उपभोगी वस्तुओं को साफ रखने, पति की सेवा शुश्रूशा करने, रसोई बनाने तथा घर के सभी सामानो की देखभाल करने में उसे बझा कर रखें[७०]।

मनु स्त्री की मर्यादा के सन्दर्भ में आगे यह भी कहते हैं कि स्त्री को स्वयं अपनी रक्षा करनी चाहिये[७१]। मद्यपीना, बुरे लोगों का संसर्ग, स्वामी का वियोग, अकेली इधर उधन घूमना, असमय सोना और दूसरे के घर में रहना, ये छः (अमर्यादित स्त्रियों के) व्यभिचारमूलक दोष हैं[७२]। मर्यादित स्त्रियों की प्रशंसा भी मनु ने की है –

प्रजनार्थं महाभागाः पूजार्हा गृहंदीप्तयः।
स्त्रियः श्रियश्च गेहेषु न विशेषोऽस्ति कश्चन ।।

मनुस्मृति ९/२६।।

अर्थात् ये स्त्रियाँ सन्तानोंत्पत्ति के कारण बड़ी भाग्यशालिनी, सम्मान के योग्य, घर की शोभा और अपर गृहलक्ष्मी हैं। घरों में मनु ने स्त्री और लक्ष्मी को समान स्थान दिया है, इनमें कोई अन्तर नहीं किया है। मनु कहते हैं कि जो कन्या कुलक्षणी, हों उन्हें त्याग दें[७३]। मनु ने यह भी कहा है कि कार्यार्थी मनुष्य भार्या के लिए धन की व्यवस्था करके ही विदेश जाय क्योंकि अभावग्रस्त स्त्रियों के दूषित हो जानें की संभावना बनी रहती है[७४]। मनु ने यह भी कहा है कि स्वामी के दूसरा विवाह कर लेने पर जो स्त्री क्रोधित होकर घर से निकल भागे तो उसे शीघ्र पकड़कर घर के भीतर बन्द कर रखना चाहिये अथवा उसे उसके बाप के घर भिजवा देना चाहिये[७५]।

अमर्यादित स्त्रियों के व्यभिचार के उपरान्त मनु ने प्रायश्चित का विध ाान भी किया है। मनु कहते हैं कि अपनी इच्छा से व्यभिचार करने वाली स्त्री को उसका पति एक घर में बंद कर रखे, और परस्त्रीगमन पुरुष के लिए जो प्रायश्चित कहा गया है वही उसे करावे[७६]।

७. स्त्री एवं पुरुष के धर्म

धर्म शब्द संस्कृत की धृ धातु से बना है, जिसका अर्थ धारण करना, आलम्बन लेना या पालन करना है। मनु ने कर्तव्य के अर्थ में धर्म शब्द का प्रयोग किया है[७७]। मनु ने धर्म के ५ उपादान बताए हैं– १–सम्पूर्ण वेद, २–वेदज्ञों की परम्परा (स्मृति), ३–उनका व्यवहार, ४–सज्जनों का आचार, ५–आत्म तुष्टि[७८]। मनु के अनुसार १० गुणों को धर्म के अन्तर्गत लिया गया है और इन्हें धर्म कहा गया है। ये हैं– धैर्य, क्षमा, मन को वश में रखना, अस्तेय (चोरी न करना), शौच (मानसिक, वाचिक, शारीरिक शुद्धि), इन्द्रिय संयम, ज्ञान, विज्ञान, सत्य और क्रोध का त्याग[७९]। मनु का कथन है कि पूर्वोक्त चारो आश्रमों के व्यक्तियों को पूर्वोक्त दस प्रकार के धर्म का यत्नपूर्वक सेवन करना चाहिये[८०]। मनु ने सदाचार को सम्पूर्ण धर्म का सार माना है[८१]। मनु का कथन है कि धर्म की रक्षा से मनुष्य की रक्षा होती है[८२]। मनु का कथन है कि धर्म से सुख प्राप्त होता है अधर्म से दुःख[८३]। इस प्रकार मनु ने स्त्री एवं पुरुष दोनों के धर्मों को बताया।

मनु पुरुषों के धर्म के सन्दर्भ में बताते हुए पुरुषों द्वारा परस्त्री के नामग्रहण पर निषेध करते हैं वे कहते हैं कि जो पर स्त्री हो और जिससे किसी प्रकार का सम्बन्ध न हो, उसे परुष भवती (आप) सुभगे या भगिनी (बहन) कहकर संभाषण करे[८४]। आगे पुरुषों के धर्म के सन्दर्भ में यह भी कहा कि मौसी, मामी, सास, फूफी (पिता की बहन) ये गुरु पत्नी के समान होने के कारण उसी के सम्यक पूज्यनीया हैं[८५]। समान वर्ण की भौजाई को नित्य प्रणाम करना चाहिये, किन्तु नाते की अन्य स्त्रियों को परदेश से आने पर प्रणाम करे[८६]। फूफी, मौसी और अपनी बड़ी बहन के साथ माता के समान व्यवहार करे किन्तु माता को इन सबों में बहुत बड़ी समझे[८७]।

स्त्री यदि मार्ग से आती हो तो मार्ग छोड़ देना चाहिये[८८] ऐसा मनु कहते हैं। पिता से हजार गुना माँ श्रेष्ठता में बढ़कर है–सहस्त्रं तुपितृन्माता गौरवेणातिच्यिते–(मनु० २/१४५) इसलिए माता का सम्मान करना चाहिये ऐसा मनु का मानना हैं। मनु कहते है कि बिना चोट पहुँचाये, प्राणियों के कल्याण की व्यवस्था करनी चाहिये। धर्म चाहने वाले को पढ़ाते समय मीठी और कोमल वाणी का प्रयोग करना उचित है[८९], ये धर्म स्त्री एवं पुरुष दोनों पर लागू होते हैं।

स्त्री एवं पुरुष दोनों के धर्म के सन्दर्भ में बताते हुए मनु कहते हैं कि दुखी होने पर भी किसी का जी न दुखावे, किसी के साथ द्रोह की बुद्धि मन

में न रखे। ऐसा गर्हित वचन कभी न बोले जिससे दूसरे का उद्वेग प्राप्त हो[९०]। मनु ने यद्यपि ये धर्म ब्राह्मण पुरुष के सन्दर्भ में कहें है किन्तु जनसमान्य पर भी ये धर्म लागू होते हैं।

मनु ने यह भी कहा है कि अपमान नहीं करना चाहिये[९१]। जब तक माता, पिता, आचार्य जीवित हों तब तक नित्य उनके सन्तोषप्रद कार्य में तत्पर रह कर उनकी सेवा करे किन्तु स्वतन्त्र होकर अन्यधर्म की उपासना न करे[९२]। पुरुष का इन तीनों में ही कर्तव्य समापन हो जाता है। यही सक्षात् परम धर्म हैं और इसके पृथक जो धर्म हैं मनु उन्हें उपधर्म मानते हैं–

त्रिष्वेतेष्वितिकृत्यं हिपुरूषस्य समाप्यते।
एष धर्मः परः साक्षादुपधर्मोऽन्य उच्यते ॥ मनुस्मृति २.२३७

मनु ने पुरुष को माँ, बहन, बेटी के साथ एकान्त या एकासन सेवन पर निषेध किया है, उनका मानना है कि स्त्रियाँ कुमार्ग में ले जाने वाली होती है एवं बलवान इन्द्रिय समूह विद्वान को भी अपनी ओर खीच लेता है।[९३] मनु ने पुरुषों के लिए सूर्योदय एवं सूर्यास्त शयन का निषेध किया है[९४]। मनु ने पुरुष के लिए गायत्री मंत्र का जाप एवं सूर्योपासना का विधान बताया है[९५]। मनु ने यह भी कहा है कि यदि स्त्री एवं शूद्र कोई शुभ कर्म करे तो ब्रह्मचारी भी उनके साथ मिलकर वह शुभ कर्म करे और शास्त्र से अनिषिद्ध कर्म करने में उसका मन लगे तो वह भी करे –

यदि स्त्री यद्यवरजः श्रेयः किंचित्समाचरेत्।
तत्सर्वभाचरेद्युक्तो यत्र वास्य रमेन्मनः ॥ मनुस्मृति २.२३

मनु ने पुरुषों के सन्दर्भ में कहा है कि सवर्णा से ही विवाह करना श्रेष्ठ है। दूसरा विवाह करने वाले को क्रम से ये स्त्रियाँ भी जिनका उल्लेख नीचे के श्लोक में है प्रशस्त कही गई हैं[९६]।

शूद्रैव भार्या शूद्रस्य सा च विशःस्मृते।
ते च स्वा चैव राज्ञश्च स्वा चाग्रजन्मनः ॥ मनुस्मृति ३.१३

इस प्रकार यह भी स्पष्ट हो जाता है कि पुरुष दो विवाह कर सकता है मनु इससे सहमत थे। मनु यह भी स्वीकार करते हैं कि ब्राह्मण (पुरुष) शूद्री के साथ शयन कर अधोगति (नरक) को प्राप्त होता है और उसमें पुत्र उत्पन्न

करके तो वह ब्राह्मणत्व से ही रहित हो जाता है अत: ब्राह्मण को शूद्री से विवाह का विधान नहीं है नहीं तो वह पतित हो जायेगा[९७]। मनु ने पुरुष के सन्दर्भ में कहा है कि सदा अपनी स्त्री में रत रहे[९८]।

मनु ने कन्या के पिता के सन्दर्भ में कहा है कि कन्या का पिता कन्यादान के लिए थोड़ा भी धन न ले साथ ही पति स्त्रीधन बेचकर गुजर बसर न करे[९९]। विशेष कल्याण की इच्छा रखने वाले, माँ, बाप, भाई, पति एवं देवरों को चाहिये कि कन्या को भूषण, वस्त्र और भोज्यादि पदार्थो से पूजित करे यह भी मनु ने कहा है–

पितुर्भ्रातृभिश्चैता: पतिभिर्देवरेस्तथा।

पूज्या भूषयितव्याश्च बहुकल्याणभीप्सुभि: ।। मनुस्मृति ३.५५

स्त्रियों को सदैव आभूषण, वसन, भोजन से सन्तुष्ट करना चाहिये, जिन पुरुषों को समृद्धि की इच्छा हो, वे किसी शुभावसर और उत्सवों में सब प्रकार से स्त्रियों का सम्मान करें[१००]। जो (पुरुषं) देवता, पितर, अतिथि और माता पिता आदि पोष्यवर्ग तथा अपना संरक्षण नहीं करता, वह साँस लेता हुआ भी मरे के समान है[१०१]। मनु कहते हैं कि पुरूष परस्त्रीगमन न करे[१०२]। मनु ने स्त्रियों के धर्म के सन्दर्भ में भी मनुस्मृमि में विस्तृत रूप से बताया है –

एष शौचविधि: कृत्स्नाद्रव्यशुद्धिस्तथैव च।

उक्तो व: सर्व वर्णानां स्त्रीणां धर्मान्निबोधत:।।

मनुस्मृति ५.१४६, १४७, १४८––१५१

अर्थात् स्त्रियों के धर्म सुनो, बालिका हो या युवति हो या वृद्धा हो, स्त्री को स्वतन्त्रतापूर्वक घर का कोई काम नहीं करना चाहिये। आगे मनु यह भी कहते हैं कि बाल्यकाल में पिता के अधीन, युवावस्था में पति के अधीन और पति के परलोक जाने पर स्त्री पुत्रों के अधीन होकर रहे किन्तु स्वतन्त्र होकर कभी न रहे। पिता, पति या पुत्र से अपने को पृथक न करे, क्योंकि इनसे विमुख स्त्री पतिकुल एवं पिताकुल दोनों को निन्दित करती है। पति के असन्तुष्ट रहने पर भी स्त्री को सदा प्रसन्न होकर चतुराई के साथ घर के कामों की सम्हालना चाहिये। भूषण और पाक पात्र आदि नित्य व्यवहार्य्य सामग्रियों को साफ रखना चाहिये और जहाँ तक हो कम से कम खर्च करना चाहिये। पिता या भाई जिससे विवाह करा दे अपने जीते जो स्त्री उसका निर्वाह करे यही स्त्री का धर्म है[१०३]। इस प्रकार मनु ने मनुस्मृति में स्त्री एवं पुरुष धर्म के बारे में बताया।

८. न्याय व्यवस्था एवं स्त्री

मनु ने मनुस्मृति में स्त्रियों के न्याय के सन्दर्भ में बहुत सी बातें बतायी हैं। मनु ने यह भी बताया है कि पुरुष पाप करके धर्म के व्याज से प्राजापत्य आदि व्रत न करे अर्थात् स्त्री आदि को यह कहकर न भुलावे कि वह पाप को प्रायश्चित्त न करके धर्मार्थ व्रत करता है[१०४]। मनु ने पुरुष को निर्दिष्ट किया है कि ग्राम्य आहार (चावल आटा आदि) और पहनावा, ओढ़ावा, शय्या, सवारी आदि सबको त्यागकर स्त्री को साथ ले या उसे पुत्र के हाँथ सौपकर वानप्रस्थ जीवन व्यतीत करे,[१०५] यहाँ स्त्री दोनों ही स्थितियों में न्याय प्राप्त है (अर्थात् चाहे वनगमन करे चाहे पुत्र के पास रहे)।

मनु ने प्रोषितपतिकादियों के सम्बन्ध में कहा है कि वन्ध्या, पुत्रहीना, जिस स्त्री के कुल में कोई न हो, पतिव्रता, विधवा और रोगिणी स्त्री, इनके धन की रक्षा भी राजा नाबालिग के धन की तरह करे[१०६]।

आगे मनु कहते हैं कि यदि स्त्रियों का धन उनके बन्धु बान्धव जबर्दस्ती ले लें तो धार्मिक राजा उन्हें चोर का दण्ड दे[१०७]। मनु का मानना है कि स्त्रियों के अभियोग में स्त्रियाँ ही गवाही करें[१०८]। यदि पूर्वोक्त साक्षी न मिलें तभी अन्य के मुकदमों में स्त्री से भी गवाह का काम लिया जा सकता है[१०९]। मनु कहते हैं कि साहस के सभी काम, चोरी और स्त्री के साथ बुरा व्यवहार, वचन और दण्ड की कठोरता, इसमें साक्षियों की जांच न करे[११०] यहाँ भी स्पष्ट है स्त्रियों के प्रति मनु का न्यायपूर्ण निर्देश है।

आगे मनु यह भी कहते हैं कि जो कोई कन्या को द्वेष में आकर दोषी बतावे राजा उस पर १०० पड़ जुर्माना करे[१११]। मनु ने यह भी कहा है कि अच्छी लड़की को दिखाकर वर का ब्याह किसी दूसरी लड़की से करा दे तो ब्याहने वाला उसी एक शुल्क से दोनों लड़कियों से ब्याह करे[११२]।

आगे मनु यह भी बताते हैं कि जो कन्या पागल, कुष्ठरोगिणी और पुरुष के साथ जिसका समागम हो चुका है, इनका दोष पहले कहकर जो दाता कन्यादान करता है वह दण्ड का भागी नहीं होता।

मनु ने व्यभिचारी स्त्री के दण्ड के बारे में भी बताया है[११३]। मनु ने यह भी बताया है कि गर्भिणी स्त्री से नदी पार उतारने का शुल्क नहीं लेना चाहिये[११४]।

९. स्त्रीधन

मनु ने कहा है कि जो पिता तथा पति स्त्रीधन बेचकर गुजारा करते हैं वे नरकगामी होते हैं[११५]। मनु ने ६ प्रकार के स्त्रीधन का उल्लेख किया है –

अध्यग्न्यध्यावाहनिकं दत्तं च प्रीतिकर्मणि।

भ्रातृमातृपितृप्राप्तं अडविधं स्त्रीधनं स्मृतम् ।। मनुस्मृति ९.१९४

अर्थात् अध्याग्नि, अध्यावाहनिक, प्रीतिप्रदत्त, भ्रातृप्रदत्त, मातृदत्त, और पितृदत्त, ये छः प्रकार के स्त्रीधन कहे गये हैं[११६]। मनु कहते हैं कि विविध कुटुम्बियों के साधारण धन में से स्त्रियों को द्रव्यसंग्रह नहीं करना चाहिये और पति की आज्ञा बिना अपने धन में से भी कुछ पैसा जमा करना उचित नहीं[११७]।

अन्य प्रसंग में मनु यह भी बताते हैं कि ब्राह्मण की अनेक वर्णों की स्त्रियों के जो कुछ धन उनके पिता के दिये हों, यदि वे सन्तानरहित मर जायं तो उनका धन ब्राह्मणी की सौत को या उसकी संतान को मिलना चाहिये[११८]।

मनु ने वस्त्र, वाहन, जेवर, पकवान, कुएँ पोखर, दासी, स्त्री इन सबको अविभाज्य कहा है अर्थात् ये बाँटने योग्य नहीं[११९]। मनु कहते हैं कि पति की जीवित अवस्था में उसकी सम्मति से स्त्रियों ने जो भूषण धारण किये हों, पति के मर जाने पर धन बाँटते समय दामाद उसे न बाँटे, बाँटने वाले पतित होते हैं[१२०]।

१०. विवाह एवं विवाह विच्छेद

मनु ने विवाह को आवश्यक आवश्यकता के रूप में स्वीकार किया है। मनु कहते हैं कि पति अपनी इच्छा से पत्नी न पाकर देवता के द्वारा दी हुई पत्नी पाता है। इसलिए देवताओं को प्रसन्न रखने के लिए उस साध्वी स्त्री का नित्य प्रति पालन करे। ब्रह्मा ने गर्भग्रहण करने के लिए स्त्रियों को और गर्भाधान के लिए पुरुषों को बनाया है। इसलिए वेद में कहा गया है कि साधारण धर्म भी स्त्री के साथ करना चाहिये[१२१]। मनु ने विवाह के सन्दर्भ में कुछ कुलों की निन्दा की हैं वे कहते हैं कि गाय, बैल, बकरे, भेड़े, आदि से पूर्ण होने पर भी जिन के कुल में दोष हैं। उनसे विवाह न करें[१२२] यहाँ मनु ने निन्दित कुल के साथ–साथ विवाह योग्य कुल के बारे में भी बताया है। मनु कहते हैं कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को पहले सवर्णा (स्वजाति की कन्या) से ही विवाह करना श्रेष्ठ है। दूसरा विवाह करने वाले को क्रम

से ये स्त्रियाँ भी जिनका उल्लेख कुछ श्लोकों[१२३] में किया गया है प्रशस्त कही गई हैं। मनु ने मनुस्मृति में आठ प्रकार के विवाहों[१२४] का उल्लेख किया है– ब्राह्म, दैव, आर्व, प्राजापत्य, आसुर, गान्धर्व, राक्षस, पैशाच।

ब्राह्मणों को जल से कन्यादान करना प्रशस्त है। क्षत्रियादि तीनों वर्णों को जल के बिना भी दाता–ग्रहीता के वचन मात्र से (अर्थात–मैंने कन्या दी और मैंने ग्रहण की इस प्रकार वाक्य प्रयोग से) कन्यादान हो सकता है। मनु कहते हैं कि सवर्ण स्त्रियों का विवाह के समय हाथ पकड़ना ही पाणिग्रहण संस्कार है। असवर्णा (भिन्न जातीया) स्त्रियों के साथ विवाह करते समय निम्नलिखित विधियाँ अपनायी जाती हैं– क्षत्रिय बालिका का विवाह के समय ब्राह्मण के हाथ के वाण का एक भाग पकड़े। वैश्य की कन्या ब्राह्मण और क्षत्रिय के हाथ के चाबुक को और शूद्र की लड़की ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य के वस्त्र का एक खूँट पकड़े[१२५]।

मनु ने विवाह विच्छेद के सन्दर्भ में यह कहा है कि जो कन्या कुलक्षणी, रोगिणी, व्यभिचारिणी, जो छल से अच्छी बतायी गयी हो, उसे विधिवत् ग्रहण करके भी त्याग दे। जो पुरुष दोषवाली कन्या का दोष बताये बिना उसे किसी के साथ ब्याह दे तो उस दुरात्मा कन्यादाता के दान को लौटाकर व्यर्थ कर दे अर्थात् उस कन्या को अपने पास न रखकर देनेवाले सौंप दें[१२६]।

मनु ने द्वेष करने वाली स्त्री के सन्दर्भ में बताया है कि उसका पति १ वर्ष तक उसके सुधरने की प्रतीक्षा करे यदि वह न सुधरे तो उसके साथ बातचीत बंद कर दे[१२७]। मनु ने विपरीत चलने वाली स्त्रियों के पतियों के लिए दूसरा विवाह कर लेने के सन्दर्भ में भी कहा है[१२८]। मनु कहते हैं कि यदि स्त्री वन्ध्या हो, केवल कन्या को जन्म देने वाली हो, अप्रियवदिनी, अपुत्रिणी हो तो पति को शीघ्र दूसरा विवाह कर लेना चाहिये[१२९]।

मनु यह भी कहते हैं कि दूसरा विवाह कर लेने पर यदि प्रथम पत्नी रोगिणी है तो पति उसका अपमान न करे एवं विवाह करते समय उसकी आज्ञा अवश्य ले किन्तु ऐसा उन्होंने प्रियवादिनी एवं पति को प्रेमकरने वाली रोगिणी स्त्री के सन्दर्भ में कहा है[१३०]। स्वामी के दूसरा विवाह कर लेने पर जो स्त्री रूष्ट होकर घर से निकल भागे तो उसे शीघ्र पकड़कर घर के भीतर बन्द कर देना चाहिये अथवा उसे उसके बाप के घर भिजवा देना चाहिये[१३१]। मनु के अनुसार स्त्रियों के लिए दूसरे पति अथवा पुनर्विवाह का उपदेश कहीं नहीं कहा गया है।

११. नियोग[१३२]

मनु ने कहा है कि स्त्री को चाहिये कि सन्तान न होने पर स्वामी आदि गुरूजनों की आज्ञा से नियुक्त होकर देवर से या सपिण्ड के किसी अन्य पुरूष से अभिलषित पुत्र उत्पन्न करावे। गुरूजन से नियुक्त पुरूष कामवासना से रहित होकर विधवा स्त्री में पुत्र पैदा करे। विधवा में शास्त्रोचित नियोग कार्य सम्पन्न हों जाने पर वे दोनों स्त्री पुरुष आपस में गुरू और पुत्रवधू की भाँति आचरण करें[१३३]। आगे मनु यह भी कहते हैं कि वैवाहिक वेदमन्त्रों में नियोग का उल्लेख नहीं है[१३४]।

१२. स्वयंवरण

मनु ने यह भी कहा है कि आजीवन पिता के घर में कुमारी रहे यह अच्छा है, किन्तु उसे (मूर्ख) वर को कदापि न दे। कन्या के ऋतुधर्म होने के तीन वर्ष तक अच्छे कुलशील वाले विद्वान की प्रतीक्षा करे। उसके बाद मनोनुकूल वर न मिलने पर समान जाति गुण वाले वर का स्वयं वरण करे[१३५]।

१३. आपत्तिजनक बातें स्त्री के सन्दर्भ में

मनु ने मनुस्मृति में स्त्रियों के विभिन्न पक्षों कों प्रस्तुत किया है, किन्तु कुछ बातें अत्यन्त आपत्तिजनक प्रतीत होती हैं। मनु कहते हैं कि अपने हाव भाव से पुरुषों को दूषित करना यही नारियों का स्वभाव है, और विद्वानों को स्त्रियों से बहुत सम्हलकर रहना चाहिये।

स्वभाव .... विपश्चित:

मनुस्मृति २/२१३

आगे मनु यह भी कहते हैं कि स्त्री मूर्ख या विद्वान् दोनों प्रकार के पुरूषों को कुमार्ग पर ले जाती है, स्त्री देह धर्मवश काम एवं क्रोध के वशीभूत होती है[१३६]।

आगे तृतीय अध्याय में मनु कन्या के उत्पादक पुरूष को भी दोष की दृष्टि से देखते हैं मनु कहते हैं कि जिसके कुल अत्यधिक कन्याओं का जन्म होता है उनके वंश में ब्याह न करे[१३७]।

मनु श्राद्ध में जिन ब्राह्मणों को निषिद्ध मानते हैं उसका वर्णन करते हुए कहते हैं कि जिस स्त्री का फिर से विवाह हुआ हो उसका पुत्र देवकार्य अथवा

श्राद्ध में त्याज्य है। साथ ही विधवा से उत्पन्न पुत्र भी श्राद्ध में त्याज्य है। यही नहीं अपितु जिस कुवारी कन्या के छोटी बहन का विवाह हो गया एवं वह अविवाहित है तो मात्र अविवाहित होने के नाते वह कन्या श्राद्ध कर्म में त्याज्य है[१३८]। श्राद्ध में त्याज्य के सन्दर्भ में मनु आगे यह भी कहते हैं कि विधवा स्त्री से विवाह करने वाला पुरुष भी देवादिकर्म एवं श्राद्धादि में त्याज्य है[१३९]।

मनु कन्याओं के दोष के सन्दर्भ में बताते हुए कहते हैं कि जिन कन्याओं में दोष हों उनके साथ विवाह न करें। दोषों के सन्दर्भ में मनु कहते हैं कि जिस कन्या के बाल भूरे हों, जो अधिकाङ्गी हो, अर्थात् जिसके हाथ पैरों में छ: ऊँगलियाँ हों, जो हमेशा बीमार रहा करे, जिसके शरीर में रोम न हों या बहुत हों जो बहुत बोलने वाली हो, जिसकी आँखें पीली हों, उसके साथ व्याह न करे। आगे मनु यह भी कहते हैं कि जिस कन्या का नाम नक्षत्र, वृक्ष, नदी, म्लेच्छ, पहाड़, पक्षी, सांप और दासी के नाम पर हो उसके साथ भी विवाह सम्बन्ध स्थापित न करे[१४०]।

मात्र इतना ही नहीं अपितु मनु यह भी कहते हैं कि जिस कन्या का कोई अंग न बिगड़ा हो, जिसका नाम सुख से उच्चारित करने योग्य हो जिसके दांत छोटे हों, सूक्ष्म रोये हों आदि उसके साथ व्याह करे। मनु कहते हैं कि जिस कन्या के भाई न हो उसके साथ ब्याह न करे[१४१]।

मनु कहते है कि जिस समय ब्राह्मण भोजन कर रहा हो उस समय रजस्वला स्त्री उसे न देखे[१४२]। आगे मनु यह भी कहते हैं कि पुरूष को रजस्वला स्त्री को छूना भी नहीं चाहिये क्योंकि उसे छूने मात्र से पुरूष की प्रज्ञा, तेज, बल, बुद्धि एवं आयु क्षीण हो जाती है[१४३]। मनु ने रजस्वला स्त्री के साथ बातचीत को भी आपत्तिजनक माना है[१४४]। आगे मनु कहते हैं कि यदि निषाद से शूद्री (स्त्री) में उत्पन्न पुत्र (पुल्कस) है तो उसके साथ नहीं बैठना चाहिये[१४५]। मनु अश्रोत्रिय यज्ञ में भोजन करना निषिद्ध मानते हैं, मनु कहते हैं कि जिस यज्ञ में स्त्री ने हवन किया हो उसमें ब्राह्मण कभी भी भोजन ग्रहण न करे। आगे मनु यह भी कहते हैं कि जिस भोजन को रजस्वला स्त्री ने मात्र स्पर्श कर दिया हो वह भी नहीं खाना चाहिये[१४६]।

मनु विद्वानों के लिए वेश्या के अन्न को खाने का निषेध करते हैं साथ ही उसे व्यभिचारिणी स्त्री आदि के अन्न को भी नहीं खाना चाहिये। इसी सन्दर्भ

में मनु यह भी कहते हैं कि जिस स्त्री के पुत्र न हो (अवीरा) उसका भी अन्न नहीं खाना चाहिये। मनु कहते हैं कि वेश्या का अन्न स्वर्गादि लोकों से वञ्चित करता है अतः वेश्या का अन्न नहीं खाना चाहिये[१४७]।

मनु जन्मशौच में माता की अपवित्रता के सन्दर्भ में बताते हुए कहते हैं कि जन्माशौच माँ–बाप दोनों को ही होता है किन्तु इसमें विशेषता इतनी है कि जननी दस रात्रि तक अपवित्र रहती है। आगे मनु यह भी कहते हैं कि यदि कोई पुरुष रजस्वला अथवा प्रसूतिका का स्पर्श कर ले तो वह स्नान से शुद्ध होता है, अन्यथा वह अशुद्ध हो जाता है[१४८]।

मनु स्त्रियों के धर्म के सन्दर्भ में बताते हुए कहते हैं कि बालिका हो या युवती हो या वृद्धा हो, स्त्री को स्वतन्त्रतापूर्वक घर का कोई कार्य नहीं करना चाहिये। स्त्री को बाल्यकाल में पिता के अधीन, युवावस्था में पति के अधीन और पति के परलोक चले जाने पर पुत्र के अधीन रहना चाहिये किन्तु स्त्री को स्वतन्त्र कदापि नहीं रहना चाहिये। मनु कहते हैं कि पिता, पति या पुत्र से स्त्री अपने को पृथक न करे। क्योंकि इनसे विलग रहने वाली स्त्री पतिकुल एवं पितृकुल दोनों को निन्दित करती है[१४९]।

मनु स्त्रियों को गृहकार्य में व्यस्त रखने के पक्षधर हैं वह कहते हैं कि पति से असन्तुष्ट रहने पर भी स्त्री को सदैव प्रसन्न होकर गृहकार्य करना चाहिये। एवं जहाँ तक हो सके कम खर्च करना चाहिये[१५०]। स्त्री को अपने (पति) स्वामी की सेवा करनी चाहिये। पिता या पिता की इच्छा से भ्राता जिस पुरुष का हाथ धरा दें, जीवित अवस्था में उसकी शुद्ध हृदय से सेवा करे और उसके मरने पर धर्म का उल्लंघन न करे[१५१]।

मनु कहते हैं कि स्त्री को सदैव अपने स्वामी की प्रशंसा करनी चाहिये। चाहे पति अनाचारी हो या परस्त्री में अनुरक्त हो, या अनपढ़ हो फिर भी स्त्री को सदैव देवता की तरह अपने पति की सेवा करनी चाहिये[१५२]।

मनु कहते हैं कि स्त्रियों के लिए पति से अलग न कोई यज्ञ है न कोई पूजा अपितु पति की सेवा ही एकमात्र उन्हें स्वर्ग तक पहुँचा सकती है[१५३]।

विधवाओं के धर्म के सन्दर्भ में मनु कहते हैं कि वे कभीं भी परपुरूष का नाम न लें। एवं मरते दम तक ब्रह्मचारिणी होकर रहें क्योंकि ऐसी ही विधवास्त्रियाँ स्वर्गलोकादि को प्राप्त होती हैं[१५४]।

मनु पातिव्रत के फल को बताते हुए कहते हैं कि जो स्त्रियाँ मन वचन और कर्म से पति के विरूद्ध आचरण नहीं करती हैं वे परलोक में पति को पुनः प्राप्त करती हैं एवं इस लोक में पतिव्रता कही जाती हैं। अत: स्त्री को तन मन धन से पति की सेवा करनी चाहिये[१५५]।

मनु मन्त्रणा काल में स्त्रियों को निषिद्ध मानते हैं वे कहते हैं कि स्त्रयों को विचार करते समय हटा दे। क्योंकि सतायी जाने पर या बहकावे में पड़कर स्त्रियाँ विचार को प्रकट कर देती हैं[१५६]। स्त्रियूों की बुद्धि चपल होती है अत: वे साक्षी नहीं हो सकतीं[१५७]। स्त्रियों के रहस्य भाषण में, विवाह की बातचीत में झूठी शपथ करे तो उसका पाप नहीं होता[१५८]। किसी के धन के अधिभोग के सन्दर्भ में मनु कहते हैं कि स्त्री का किसी के भी द्वारा भोगे जाने पर धनी का स्वत्व नष्ट नहीं होता[१५९]। पत्नी आदि के ताड़ना किसी अपराध के दण्डस्वरूप रस्सी या बाँस की पतली छड़ी से ताड़ित करना चाहिये[१६०]।

मनु स्त्री की रक्षा[१६१] के पक्षधर थे, स्त्री रक्षा के सन्दर्भ में उनका मत था कि पुरुषों को अपनी स्त्रियों को कभी स्वतन्त्र नहीं होने देना चाहिये। उन्हें सदैव अपने वश में रखें। बाल्यावस्था में पिता, युवावस्था में स्वामी और वृद्धावस्था में पुत्र स्त्री की रक्षा करें, किन्तु स्त्री स्वतन्त्र कभीं न रहे। क्योंकि अरक्षित स्त्रियाँ दोनों कुलों को कलङ्कित करती हैं।

मनु ने 'स्त्री रक्षा के अनेक उपायों'[१६२] को भी मनुस्मृति में बताया है। उनका कहना है कि स्त्री को रुपये पैसे रखने, खर्च करने, शरीर और उपभोगी वस्तुओं को साफ रखने, पति की सेवा सुश्रूषा करने, रसोई बनाने तथा घर के सभी सामानों की देखभाल में व्यस्त रख कर उसकी रक्षा की जानी चाहिये। स्त्री के व्यभिचार मूलक दोषों के सन्दर्भ में बताते हुए मनु कहते हैं कि अपने पति से वियुक्त अथवा अलग रहना, अकेली इधर—उधर भ्रमण करना, असमय शयन करना, दूसरे के घर में रहना आदि उसके व्यभिचार मूलक दोष हैं।

मनु स्त्रियों के स्वभाव[१६३] के सन्दर्भ में कहते हैं कि वे न रूप की परीक्षा करती हैं न वय का ध्यान करती हैं, सुन्दर हो अथवा कुरूप, पुरूष होने मात्र से ही वे उसके साथ भोग करती हैं। मात्र इतना ही नहीं अपितु पराये पुरूष को देखकर उसके साथ भोग की इच्छा, चित्त की चपलता और स्वभाव से स्नेहशून्य होने के कारण यत्नपूर्वक घर में रोके जाने पर भी स्त्री अपने पति के विरूद्ध

आचरण करती है। अतः ब्रह्मा निर्मित इस कृति (स्त्री) के स्वभाव को जानकर पुरुष स्त्री की रक्षा करे ऐसा निर्देश मनु ने पुरुषों को दिया है। इसी सन्दर्भ में आगे मनु यह भी कहते हैं कि शय्या, आसन, अलटार, कांम, क्रोध, कुटिलता, द्रोह और दुराचार सृष्टि के आरम्भ से ही स्त्रियों में पाया जाता है।

स्त्रियों की जातकर्मादि[१६४] क्रिया के सन्दर्भ में मनु कहते हैं कि स्त्रियों की जात कर्मादि क्रिया मन्त्रों से न हो, यह इनके लिए धर्मशास्त्र में व्यवस्था की गयी है। क्योंकि स्त्रियाँ असत्य के समान अशुभ होती हैं, यह शास्त्र का कथन है।

नियोग[१६५] व्यवस्था के सन्दर्भ में मनु कहते हैं कि स्त्री को चाहिये कि सन्तान न होने पर स्वामी आदि गुरुजनों की आज्ञा से नियुक्त होकर देवर से या सपिण्ड के किसी अन्य पुरुष से अभिलषित पुत्र उत्पन्न करावे। साथ ही मनु नियोगी पुरुष को निर्दिष्ट करते हैं कि विधवा के गर्भिणी होने के अनन्तर स्त्री पुरुष आपस में गुरू और पुत्रवधू की भाँति व्यवहार करें। क्योंकि गुरूजन से नियुक्त पुरूष नियोग के उपरान्त यदि अपनी इच्छा के अनुसार व्यवहार करे तो वे पुत्रवधू और गुरूपत्नी गमन के पापभागी बन पतित हो जायेंगे।

ब्राह्मण विधवा का नियोग दूसरे से न करावे क्योंकि इससे उस स्त्री का पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाता है[१६६] एक तरफ जहाँ मनु नियोग की चर्चा करते हैं वहीं दूसरी तरफ यह भी कहते हैं[१६७] कि वैवाहिक वेदमन्त्रों में कहीं नियोग का उल्लेख नहीं है। और न ही विवाह विधायक शास्त्रों में विधवा विवाह का प्रसंग।

वाग्दान[१६८] के सन्दर्भ में मनु कहते हैं कि जिस कन्या का विवाह तय हो गया हो और उसका होने वाला पति यदि विवाह के पूर्व मृत हो जाय तो उसे उसके देवर से ही (पति के छोटे भाई) व्याह करे अन्य से नहीं। वह देवर विवाहविधि से नियोग कर उस पवित्र व्रतवाली श्वेतवस्त्रधारिणी स्त्री से गर्भधारण तक प्रत्येक ऋतुकाल में एक बार गमन करे। मनु के मत में वाग्दानोत्तर पति के मर जाने पर स्त्री श्वेत वस्त्र धारण करे भले ही उसका विवाह उसके देवर के साथ हो चुका है। आगे मनु यह भी कहते हैं कि एक पुरुष के साथ विवाह निश्चित हो जाने पर विवाह पूर्व निर्णय में कोई परिवर्तन न करे।

स्त्रीत्याग के सन्दर्भ में मनु कहते हैं जो कन्या रोगिणी[१६९] हो उसे विधिवत ग्रहण करके भी त्याग देना चाहिये। साथ ही जो पिता कन्या के दोष

को छिपाकर व्याह करे तो विवाहोपरान्त कन्या को अपने पास न रखे उसे उसके पिता के पास भेज दे[१७०]।

प्रोषितभर्तृका[१७१] यानि जिसका पति परदेश चला गया हो के लिए मनु निर्देश देते हैं कि स्वामी के द्वारा जीविका का प्रबन्ध किये बिना चले जाने पर स्त्री सूत कातकर जीवन व्यतीत करे, एवं यदि पति धर्मकार्य के लिए विदेश गया हो तो आठ वर्ष, विद्या या यश के निमित्त गया हो तो छः वर्ष और कामना सिद्धि के लिए गया हो तो तीन वर्ष तक उसके आगमन की प्रतिक्षा करे तदुपरान्त वह भी जाय।

जहाँ एक तरफ मनु स्त्री को लम्बे अन्तराल तक प्रतिक्षा करना निर्दिष्ट करते हैं वहीं दूसरी तरफ पुरुष को यह भी निर्देश देते हैं कि द्वेष करने वाली स्त्री की प्रतिक्षा एक वर्ष तक करनी चाहिये[१७२]।

मनु कहते हैं[१७३] कि जो स्त्री स्वामी की आज्ञा के विपरीत चले, एवं अधिक धन खर्च करे उसे त्यागकर दूसरी स्त्री से विवाह कर लेना चाहिये, दूसरे विवाह के प्रसंग में मनु यह भी कहते हैं कि यदि स्त्री वन्ध्या हो तो उसे आठवें वर्ष में त्याग दे एवं यदि उसके बच्चे मर जाते हों तो उसे दसवें वर्ष में एवं केवल कन्या को जन्म देती हो तो ग्यारहवें वर्ष में एवं अप्रिय बोलने वाली हो साथ ही निःसन्तान हो तो पति को शीघ्र ही उसका त्याग कर दूसरा विवाह कर लेना चाहिये। यदि स्वामी दूसरा व्याह कर ले तो स्त्री को रूष्ट नहीं होना चाहिये, यदि स्त्री ऐसा करे तो उसका पति उसे घर में बन्द कर दे या मायके भिजवा दे। दो विभिन्न जातियों की स्त्रियों से विवाहित पति,[१७४] के शरीर की सेवा और प्रतिदिवसीय धर्म–कार्य सजातीय स्त्री करे, विजातीय कदापि न करे। क्योंकि जो पुरूष सजातीय स्त्री के रहते मोहवश विजातीया से शरीर सेवा कराता है वह चण्डाल के समान है यह पूर्व ऋषियों का मत है।

मनु कन्या के विवाह के सन्दर्भ में बताते हैं कि भले ही कन्या वय से विवाह योग्य न हो किन्तु उत्तम वर मिल जाने पर शीघ्र ही उसे व्याह देना चाहिये[१७५]। आगे मनु कन्या और वर के वय (आयु) का नियम निर्देश[१७६] करते हुए कहते हैं कि तीस वर्ष का पुरुष बारह वर्ष की सुन्दरी कन्या से अथवा चौबीस वर्ष का युवा आठ वर्ष की बालिका से व्याह करे। स्त्रियों के सन्दर्भ में मनु का विचार है कि उसे गर्भधारण करने के लिए ब्रह्मा ने निर्मित किया है[१७७]।

मनु क्षेत्रज[७८] के धन ग्रहण के सन्दर्भ में कहते हैं कि जो स्त्री गुरूजनों से नियुक्त होकर देवर या किसी अन्य पुरुष से पुत्र उत्पन्न करावे, वह यदि कामज हो तो पिता का धन नहीं प्राप्त कर सकता क्योंकि विद्वान् लोग उसकी उत्पत्ति को नहीं स्वीकारते। आगे मनु यह भी कहते हैं[७९] कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य पुरूष यदि शूद्र स्त्री में पुत्र उत्पन्न करें तो उस जन्म लेने वाले पुत्र को पिता के धन का अधिकार नहीं है यह इन (ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य) की प्रसन्नता पर निर्भर करता है कि वह उत्पन्न पुत्र को स्वेच्छया कुछ धन दे दें।

पुनर्भू[८०] स्त्री के सम्बन्ध में मनु कहते हैं कि किसी भी विधवा स्त्री का विवाह उसी परिस्थिति में हो सकता है यदि वह अक्षतयोनि है। आगे मनु यह भी बताते हैं कि विवाहविच्छेद अर्थात पतित्याग (तलाक) के उपरान्त यदि स्त्री पति के पास लौट आती है तो फिर उसके साथ विवाह कर सकता है। विवाह विच्छेद के उपरान्त पुनः विवाह होने पर उस स्त्री को पुनर्भू कहा जायेगा।

मनु कहते हैं[८१] कि ब्राह्मण यदि कामवश शूद्र स्त्री में पुत्र उत्पन्न करे तो वह उत्पन्न पुत्र जीवित नहीं माना जायेगा उसे 'पारशव' अर्थात शव (मुर्दे के सामान) माना जायेगा।

स्त्रियों की व्यक्तिगत बचत[८२] के सन्दर्भ में स्त्रियों को साधारण धन में से बचत नहीं करनी चाहिये एवं पति से बिना पूछे अपने धन में से कुछ भी पैसा जमा करना अनुचित है। मनु दण्ड विधान में स्त्रियों को रस्सी अथवा बांस की कमची से दण्ड देना स्वीकारते हैं[८३]।

मनु ने मनुस्मृति में बहुत सारे गलत कार्यों के प्रायश्चित्त का भी विधान किया है। जैसे अज्ञात गर्भ को तथा रजस्वला स्त्री को मारकर अनुष्ठान कर प्रायश्चित्त किया जा सकता है[८४]। मात्र इतना हो नहीं उन्होंने गुरुपत्नी में गमन करने वाले पुरुष के लिए जितेन्द्रिय होकर तीन महीने तक फल फूल खाकर चान्द्रायण[८५] व्रत करने का निर्देश दिया है। मनु ने यह भी कहा है कि स्त्री का जूठा खाने पर भी सात रात तक प्रायश्चित[८६] करना चाहिये।

मनु ने मनुस्मृति में अगम्य[८७] के गमन पर भी प्रायश्चित्त का विधान किया है। यथा सगी बहन, मित्र पत्नी, पुत्र वधू, कुँवारी और (चाण्डालिन) के साथ मैथुन करने वाला भी गुरूपत्नी गमन के समान प्रायश्चित्त (चान्द्रायण व्रत) करे। आगे मनु यह भी कहते हैं कि फुफेरी, मौसेरी और ममेरी बहन के साथ गमन

करके चान्द्रायण ब्रत करना चाहिये। मनु ने हर प्रकार के कुकर्मों[८८] के लिए प्रायश्चित्त का विधान किया है।

मनु ने मनुस्मृति में स्पष्ट रूप से बताया है कि भ्रूणहत्या[८९] करने वाला भी पाप मुक्त हो सकता है किन्तु इसके लिए उसे भूर्भुस्वः आदि सप्त व्याहृति और प्रणवयुक्त गायत्री तथा शीर्ष मन्त्र जपपूर्वक पूरक—कुम्भक—रेचक की विधि ा से प्रतिदिन सोलह प्राणायाम करना होगा, स्पष्ट है यह नियम निर्देष मात्र पुरुषों के लिए है जो शूद्र न हों, क्योंकि स्त्री और शूद्र को वेदमन्त्रोच्चारण करने का अधिकार नहीं है।

सन्दर्भ

१. मनुस्मृति २.२३
२. वही २.६७
३. वही २.२२३
४. वही ८.२२६
५. वही ८.२२७
६. वही ३.२१—३५
७. वही ३.३८
८. वही ८.२०४
९. वही ८.२०५
१०. वही ८.२२४
११. वही ८.२२५
१२. वही ८.२२७
१३. वही ९.७०, ७१
१४. वही ९.७२, ७३
१५. वही ९.८८,१६
१६. वही ९.९०, ९३
१७. वही ९.९४, १८
१८. वही ९.९५, ९६
१९. वही ९.१०१, १०२
२०. वही ३.५२
२१. वही ३.५४
२२. वही ३.५५
२३. वही ३.५६, ५७, ५९

२४. वही ३.६१, ६२

२५. वही ९.१०४

२६. वही ९.१५९–१५६, १७९–१९१

२७. वही ९.१९२

२८. वही ९.१९३

२९. विवाहात्परतो यत्तुलब्धं भर्तृकुले स्त्रियां।
अन्वाधेयं तदुक्तं तु सर्वबन्धुकुले तथा।। कात्यायन।।

३०. मनुस्मृति ९.१९५, १९६

३१. वही ९.१९७

३२. वही ९.१९८

३३. वही ९.२१७

३४. वही ५.१४७

३५. वही ५.१४८

३६. वही २.२१५

३७. वही २.२२६, २२७

३८. वही २.२२८, २२९, २३०

३९. वही २.२३३

४०. वही २.२३४, २३७

४१. वही ३.११३

४२. वही ३.११४, ११५

४३. वही ३.११६

४४. वही ४.४३

४५. वही ४.२५१, २५२

४६. जाते पुत्रे पितुः स्नानं सचैलं तु विधीयते।
माता शुद्धयेदेशहेन स्नानात्तुसपर्शन पितु:।। इति संर्क्त:।।

४७. मनुस्मृति ५.६२

४८. वही५.६६

४९. वही ५.७२

५० वही ५.१३०

५१. वही ५.१५०

५२. वही ५.१५१

५३. वही ५.६०

५४. वही ५.६१–६२

५५. वही ५.१६७–१६८

५६. वही ६.३

५७. वही ५.१५६
५८. वही ५.१५७
५९ वही ५.१५८
६०. वही ५.१६०
६१. वही ५.१६२
६२. वही ९.५९, ६०
६३. वही ९.६१, ६२, ६४
६४. वही ९.६९, ७०, ७१
६५. वही ५.१५१
६६. वही ५.१५५
६७. वही ८.३७१
६८. वही ९.२
६९. वही ९.६
७०. वही ९.११
७१. वही ९.१२
७२. वही ९.१३
७३. वही ९.७२
७४. वही ९.७४, ७५
७५. वही ९.८३–८५
७६. वही ११.१७६, १७७
७७. वही १.२
७८. वही २.६
७९. वही ६.९२
८०. वही ६.९१
८१. वही २.१०८
८२. वही ८.११५
८३. वही ६.६४
८४. वही २.५६
८५. वही २.१३१
८६. वही २.१३२
८७. वही २.१३३–१३७
८८. वही २.१३८
८९. वही २.१५९
९०. वही २.१६१–१६३, १७७–१८०
९१. वही २.२२५–२२९

९२. वही २.२३४–२३६
९३. वही २.२१४–२२०
९४. वही २.२२१
९५. वही २.२२२
९६. वही ३.१२
९७. वही ३०१२, १६–१९
९८. वही ३.१३, ४६–५०
९९. वही ३.५१–५४
१००. वही ३.५९–६२, ६७–७०
१०१. वही ३.७२, ८०–९२
१०२. वही ४.१३०–१३५, १२८
साथ ही अध्याय ४ के अधिकतर श्लोक धर्म से सम्बन्ध रखते हैं।
१०३. मनुस्मृति ५.१४६–१५१
१०४. वही ४.१९८
१०५. वही ६.३
१०६. वही ८.२८
१०७. वही ८.२९–३५
१०८. वही ८.६८
१०९. वही ८.७०
११०. वही ८.७२
१११. वही ८.२२५
११२. वही ८.२०४
११३ वही ८.३७१
११४. वही ८.४०७
११५. वही ३.५१–५५
११६. वही ९.१९४, १९५
११७. वही ९.१९९
११८. वही ९.१९८
११९ वही ९.११९
१२०. वही ९.२००
१२१. वही ९.८८–९६
१२२. वही ३.६–११
१२३. वही ३.१२, १३
१२४. वही ३.२०–४२
१२५. वही ३.४३–४५

१२६. वही ९.७२, ७३
१२७. वही ९.७७, ७८
१२८. वही ९.८०
१२९. वही ९.८१
१३०. वही ९.८२
१३१. वही ९.८३–८७
१३२. वही ५.१५६–१६६
१३३. वही ९.५९–६४
१३४. वही ९.६५–६८
१३५. वही ९.८९–८३
१३६. वही २.२१४
१३७. वही ३.६, ७
१३८. वही ३.१५५–१५७
१३९. वही ३.१६६
१४०. वही ३.८, ९
१४१. वही ३.१०, ११
१४२. वही ३.२३९
१४३. वही ४.११, ४२
१४४. वही ४.५७
१४५. वही ४.७९
१४६. वही ४.२०५, २०६
१४७. वही ४.२०९, २११, २१३, २१९
१४८. वही ५.६२, ८५
१४९. वही ५.१४७, १४९
१५०. वही ५.१५०
१५१. वही ५.१५१
१५२. वही ५.१५४
१५३. वही ५.१५५
१५४. वही ५.१५७, १५८, १६०
१५५. वही ५.१६५, १६६
१५६. वही ७.१४९, १५०
१५७. वही ८.१७७
१५८. वही ८.११२
१५९. वही ८.१४९
१६०. वही ८.२९९

१६१. वही ९.२, ३, ५
१६२. वही ५.१५१
१६३. वही ९.१४–१७
१६४. वही ९.१८
१६५. वही ९.५९, ६२, ६३
१६६. वही ९.६४
१६७. वही ९.६५
१६८. वही ९.७०, ७१
१६९. वही ९.७२
१७०. वही ९.७३
१७१. वही ९.७५, ७६
१७२. वही ९.७७
१७३. वही ९.८३
१७४. वही ९.८६, ८७
१७५. वही ९.८८
१७६. वही ९.९४
१७७. वही ९.९६
१७८. वही ९.१४७
१७९. वही ९.१५५
१८०. वही ९.१७६
१८१. वही ९.१७८
१८२. वही ९.१९९
१८३. वही ९.२३०
१८४. वही ११.८७
१८५. वही ११.१०६
१८६ वही ११.१५२
१८७. वही ११.१, १७०, १७१
१८८. वही ११.१७३, १७४, १७६, १७७
१८९. वही ११.२४८

******

२

कौटिलीय अर्थशास्त्र में नारी

१. वेश्यालय व्यवस्था[१]

कौटिल्य ने अपने ग्रन्थ के द्वितीय अधिकरण के ४३वें प्रकरण में स्त्री के एक अन्य पक्ष वेश्यावृत्ति एवं वेश्या व्यवस्था के सन्दर्भ में भी वर्णन किया है। कौटिल्य ने वेश्यालयों के अध्यक्ष के सन्दर्भ में भी बताया है कौटिल्य कहते हैं कि—

वेश्यालयों की व्यवस्था करने वाला एक राजकीय अधिकारी हो, वह रूप, युवावस्था से युक्त एवं गीत संगीत में प्रवीण नारी को, चाहे वह वेश्याकुल से सम्बद्ध हो अथवा न हो, एक हजार पण देकर गणिका (वेश्या) के कार्य हेतु नियुक्त करे। इसी प्रकार अन्य गणिकाओं को भी नियुक्त किया जाय एवं एक हजार पण में से आधा धन उन्हें तथा आधा उनके परिवार हेतु दिया जाय।

अध्यक्ष का यह कार्य है कि वह गणिकाओं के कार्यों को भली भांति देखें। यदि कोई गणिका अन्य स्थान पर चली गई है अथवा मृत हो गयी है तो ऐसी परिस्थिति में उसके स्थान पर उसकी पुत्री अथवा भगिनी नियुक्त होकर परिवार को पोषित करे।

कौटिल्य ने गणिकाओं को तीन श्रेणियों में विभक्त किया है।

१. कनिष्ठ, २. मध्यम, ३. उत्तम।

कौटिल्य कहते हैं कि सौन्दर्य तथा साज—सज्जा में कमसल कनिष्ठ वेश्या का वेतन एक हजार पण, सौन्दर्य तथा साज सज्जा में उससे अच्छी मध्यम वेश्या की मासिक आय दो सहस्र पण, एवं वाक्पटुता में चतुर उत्तम वेश्या की मासिक आय तीन सहस्त्र पण हो। कनिष्ठ वेश्या इत्र तथा इत्रदान के

साथ राजा के सहयोग में उपस्थित रहे, मध्यम गणिका पालकी के साथ उपस्थित रहकर राजा को व्यजन डुलावे, एवं उत्तम गणिका राज सिंहासन एवं रथ आदि के समक्ष उपस्थित रहकर राजा की सेवा करे।

आगे कौटिल्य यह भी बताते हैं कि जब गणिकाएँ युवावस्था को व्यतीत कर वृद्ध हो जायँ उनका रूप सौन्दर्य नष्ट हो जाय तब उन्हें खाला (मातृका) के पद पर नियुक्त किया जाय।

इसी सन्दर्भ में कौटिल्य यह भी कहते हैं कि जो वेश्याएँ राजव्यवस्था से दूर होने की इच्छुक हों, वे राजा को चौबीस सहस्त्र पण देकर मुक्त हो सकती हैं। यदि उनके पुत्र भी राजशासन की सेवा से निवृत्त होने के इच्छुक हों तब वे बारह पण राजा को दें। यदि वे उक्त मूल्य देने में अक्षम हों तो आठ वर्ष तक राजा के यहाँ चारण का कार्य कर मुक्त हो सकते हैं।

आगे कौटिल्य वेश्याओं की दासियों के सन्दर्भ में निर्दिष्ट करते हुए कहते हैं कि वे यदि वृद्ध हो जायँ तो उन्हें कोष्ठागार अथवा भोजनालय के कार्य हेतु नियुक्त किया जाय। यदि वे कार्य करने में अक्षम हों एवं कार्य न करने की इच्छा रखती हों एवं किसी पुरूष की स्त्री बनकर रहना चाहती हों तो वह दासी अपनी स्वामिनी गणिका को प्रतिमाह सवापण वेतन दें।

कौटिल्य ने गणिकाओं के अध्यक्ष को निर्देश दिया है कि गणिकाध्यक्ष वेश्याओं के भोगधन (सम्भोग से प्राप्य धन), माता से मिला धन (दायभाग), संभोग के अतिरिक्त आय (आमदनी) और भावी–प्रभाव (आयति) आदि को एक स्थान पर लिखित रखे एवं उनके अत्यधिक फिजूल खर्ची पर रोक भी लगाये।

कौटिल्य कहते हैं कि यदि वेश्या अपने आभूषणों को अपनी माता के अतिरिक्त किसी अन्य को दे तो उसके उपर गणिकाध्यक्ष सवाचारपण का दण्ड लगाये। यदि गणिका अपने आभूषण, वस्त्र, पात्र इत्यादि का विक्रय करे अथवा गिरवी रखे तो उस पर सवा पचास पण का दण्ड लगाया जाय।

कौटिल्य आगे यह भी कहते हैं कि यदि वेश्या किसी के साथ रूक्ष आचरण दिखाये तो उसके इस व्यवहार पर उसे चौबीस पण का दण्ड लगाया जाय। यदि वह हाथ, पैर, लाठी आदि से प्रहार करे तो दुगुना (अड़तालीस पण) दण्ड दिया जाय। यदि किसी का कान, हाथ काट ले तो उसे पौने बावन पण का दण्ड दिया जाय।

कौटिल्य वेश्याओं के साथ बलात्कार के सन्दर्भ में बताते हुए कहते हैं कि यदि कोई पुरुष कामनरहित कुमारी पर बलात्कार करे तो उसे उत्तम साहस का दण्ड देना चाहिये। जो इच्छुक कुमारी के साथ संभोग करे उसे भी प्रथम साहस का दण्ड दिया जाना चाहिये।

कौटिल्य यह भी कहते हैं कि जो पुरुष किसी कामनारहित वेश्या को जबर्दस्ती अपने घर में रोक कर रखे या चोट तथा घाव कर उसके रूप को हानि पहुँचाये तो गणिकाध्यक्ष उस व्यक्ति को एक हजार पण का दण्ड लगाये। शरीर के भिन्न–भिन्न स्थानों को चोट पहुँचाने पर, उन–उन स्थानों की विशेषताओं के अनुसार अधिक दण्ड दिया जा सकता है, यह दण्ड–राशि अड़तालिस हजार पण तक ली जा सकती है।

कौटिल्य कहते हैं कि राजा की परिचर्या हेतु जो गणिकाएँ नियुक्त हैं उन्हें हानि पहुँचाने वाले अथवा मारने वाले व्यक्ति पर बहत्तर पण दण्ड किया जाय। खाला, वेश्यापुत्री एवं वेश्या को हानि पहुँचाने वाले व्यक्ति को उत्तम साहस का दण्ड दिया जाय।

कौटिल्य गणिकाओं के रक्षार्थ जिस दण्ड व्यवस्था का निर्देश देते हैं यदि कोई व्यक्ति एक बार अपराध करे उस पर ये दण्ड लागू होगा। किन्तु यदि कोई व्यक्ति इसी अपराध को दुहराये तो दुगुना, दण्ड, तिहराये तो तिगुना दण्ड, एवं चतुर्थ साहस करे तो चौगुना अथवा सर्वस्वहरण, देश निकाला आदि जो भी उचित प्रतीत हो प्राप्त करेगा।

कौटिल्य कहते हैं कि राजा यदि आज्ञा दे एवं कोई गणिका किसी विशेष पुरूष के पास गमन करने से मना कर दे तो उस पर एक सहस्त्र कोड़े लगवाये जाँय अथवा उस पर पञ्चसहस्त्र पण जुर्माना किया जाय।

यदि कोई वेश्या संभोग शुल्क लेकर धोखा करे तब वह संभोग शुल्क से दुगुना शुल्क दण्डस्वरूप भरे। यदि पूरी रात का शुल्क लेकर गणिका किस्सा कहानियों अथवा अन्य बहाने में रात्रि व्यतीत करे तब वह शुल्क का आठगुना दण्डस्वरूप भरे। किसी संक्रामक रोग या किसी दोष के कारण यदि वेश्या संभोग करानें को तैयार न हो तो उसे अपराधिनी न समझा जाय।

कौटिल्य गणिकाध्यक्ष को यह भी निर्देश देते हैं कि यदि कोई गणिका संभोग शुल्क लेकर भी किसी पुरुष को मरवा देती है तो उस गणिका को उस मृत पुरूष के साथ चिता में जीवित ही जला दिया जाय। यदि कोई पुरुष किसी

वेश्या के वस्त्र आभूषण या संभोग से प्राप्त धन को चुरा ले तो उसे धन का आठ गुना दिया जाय। गणिका का यह कर्तव्य भी है कि वह अपने संभोग, शुल्क अपनी आमदनी और अपने साथ रहने वाले पुरुष की सूचना गणिकाध्यक्ष को समय–समय पर देती रहे।

यही दण्ड उन लोगों के लिए भी है एवं यही विधान भी जो नट, नर्तक, गायक, वादक, कथावाचक, कुशीलव, प्लवक, जादूगर एवं चारण है तथा जो कोई भी स्त्रियों द्वारा जीविका निर्वाह करते हैं और वे स्त्रियाँ जो छिपकर दुराचार करती हैं। रूप से जीविका चलाने वाली वेश्या अपनी मासिक आमदनी के हिसाब से दो दिन की कमाई कर रूप में राजा को दे।

गाना बजाना, नाचना, नाटक करना लिखना, चित्रकारी करना, आदि कार्यों में संलग्न लोगों की और गणिका दासी आदि को ज्ञान देने वाले आचार्यों की, आजीविका का प्रबन्ध नगरों तथा गाँवों से आने वाली आय द्वारा किया जाना चाहिये। वेश्यापुत्रों, नाचने गाने वालों और इसी प्रकार अन्य लोगों को वेश्याओं का शिक्षक नियुक्त करना चाहिये।

कौटिल्य का मानना है कि नट–नर्तक आदि पुरुषों को धन का लालच देकर राजा अपने वश में कर ले तब अनेक भाषायें बोलने वाली तथा अनेक प्रकार के वेश बनाने वाली उनकी स्त्रियों को शत्रु के गुप्तचरों का वध कर ने अथवा उनको विषय–वासनाओं में फंसाने के लिए नियुक्त कर दें।

२. विवाह, पुनर्विवाह, तलाक एवं स्त्रीधन

अर्थशास्त्र के तृतीय अधिकरण में स्त्री तथा पुरूषों के वैवाहिक स्थिति के सन्दर्भ में विचार व्यक्त किया है। कौटिल्य ने विवाह पर तीन प्रकार से अपने विचार व्यक्त किये हैं जिन्हें निम्नांकित रूप में देखा जा सकता है। कौटिल्य सर्वप्रथम विवाहित स्त्रियों के निम्नपतन तदुपरान्त परपुरुष के अनुगमन एवं पुनर्विवाह की स्थिति पर अपने मत को व्यक्त करते हैं। वैवाहिक स्थिति के सन्दर्भ में स्त्री तथा पुरुषों का अध्ययन निम्नलिखित रूप में किया जा सकता है। **विवाह सम्बन्ध** इसे निम्नलिखित तीन भागों में विभाजित किया गया है–

धर्मविवाह: स्त्री को पुनर्विवाह का अधिकार, पुरुष को पुनर्विवाह का अधिकार

(१) धर्मविवाह : विवाह के बाद ही सारे सांसारिक व्यवहार आरम्भ होते हैं। वस्त्र–आभूषण आदि से सजाकर विधिपूर्वक–**कन्यादान** करना ब्राह्म विवाह कहलाता है। **कन्या** और वर, दोनों सहधर्म पालन करने की प्रतिज्ञा कर जिस **विवाह** बन्धन

को स्वीकार करते हैं, उसे **प्राजापत्य विवाह** कहते हैं। वर से गऊ का जोड़ा लेकर जो **विवाह** किया जाता है उसे **आर्ष विवाह** कहते हैं। **विवाह** वेदीं में बैठकर ऋत्विक् को जो **कन्यादान** दिया जाता है उसे **दैव विवाह** कहते हैं।

कन्या और वर का आपसी सलाह से किया गया विवाह **गान्धर्व विवाह** (Love Marriage) कहलाता है। **कन्या** के पिता को धन देकर जो **विवाह** किया जाता है उसे **आसुर विवाह** कहते हैं। किसी **कन्या** से बलात्कार करके विवाह करना **राक्षस विवाह** कहलाता है। सोई हुई **कन्या** को हरण करके विवाह करना **पैशाच विवाह** कहलाता है।

उक्त आठ प्रकार के विवाहों में पहिले प्रकार का **विवाह** सलाह से होने के कारण धर्मानुकूल विवाह है। बाकी चार विवाह **माता—पिता** दोनों की सलाह से होते हैं; क्योंकि वे दोनों **लड़की** को देकर उसके बदले में धन लेते हैं। उस धन को यदि पिता न हो तो माता ले सकती है और **माता** न हो पिता ले सकता है। इसके अतिरिक्त प्रीतिवश दिया हुआ दूसरे प्रकार का धन उस **कन्या** का है जिसके साथ विवाह किया गया हो। सभी प्रकार के विवाहों में **स्त्री**—पुरुष में परस्पर प्रीति का होना आवश्यक है।

(२) स्त्री को पुनर्विवाह का अधिकार : पति के मर जाने पर स्त्री यदि अपने धर्म—कर्म पर रहना चाहती हो तो उसे अपने दोनों प्रकार के निजी धन तथा प्रीति धन ले लेना चाहिए। उस धन को ले लेने के बाद यदि वह दूसरा पति कर ले तो व्याज सहित सारे मूलधन को वह वापस कर दे। यदि वह परिवार की इच्छा से दूसरा विवाह करना चाहती हो तो अपने मृत पति और श्वसुर के दिए हुए धन को विवाह के समय में ही पा सकती है, उसके पहिले नहीं। इस प्रकार के पुनर्विवाह का विस्तृत विवेचन आगे दीर्घप्रवास प्रकरण में किया जाएगा।

यदि **विधवा** स्त्री अपने ससुर की इच्छा के विरूद्ध पुनर्विवाह करना चाहे तो ससुर और मृत—पति का धन उसे नहीं मिलेगा। यदि विरादरी वालों के हाथ से उसके **पुनर्विवाह** का प्रबन्ध हो तो विरादरी वाले ही उसके लिये हुए ध
ान को वापस करें।

न्यायपूर्वक प्राप्त हुई **स्त्री** की रक्षा करने वाला पुरुष ही उसके धन की भी रक्षा करे। **पुनर्विवाह** की इच्छा करने वाली **स्त्री** अपने मृत पति के उत्तराधि
ाकार को नहीं पा सकती है। यदि वह धर्मपूर्वक जीवन—निर्वाह करने की इच्छा करे, तो वह अपने मृत पति के उत्तराधिकार को भोग सकती है।

(३) **पुरूष को पुनर्विवाह का अधिकार** : यदि किसी **स्त्री की** संतान न होती हो या उसके अन्दर सन्तान पैदा करने की शक्ति न हो, तो पति को चाहिए कि वह आठ वर्ष तक सन्तान होने की प्रतीक्षा करे। यदि स्त्री मरे हुए बच्चे ही जने तो दश वर्ष तक और यदि उसको **कन्याऐं** ही पैदा होती हों तो पति को बारह वर्ष तक इन्तजार करना चाहिए। उसके बाद पुत्र की इच्छा करने वाला पुरूष **पुनर्विवाह** कर सकता है। जो भी पुरुष इस नियम का उल्लंघन करे उसे दहेज में मिला हुआ धन, **स्त्रीधन,** अतिरिक्त धन अपनी पहली **स्त्री** के गुजारे के लिए देना चाहिए। इसके अतिरिक्त वह चौबीस पण तक का जुर्माना सरकार को अदा करे।

विवाह सम्बन्ध : इसे निम्नलिखित भागों में बाँटा गया है—

स्त्री की परवरिश, कठोर स्त्री के साथ व्यवहार, पति—पत्नी का द्वेष, पति पत्नी का अतिचार और अतिचार पर प्रतिषेध

(१) **स्त्री की परवरिश** : यदि किसी स्त्री के भरण—पोषण की अवधि नियत न हो तो परुष को चाहिए कि वह उस स्त्री के वस्त्र, भोजन और व्यय का यथोचित प्रबन्ध करे; अथवा अपनी आमदनी के अनुसार उसके अतिरिक्त सुख—सुविधा भी दे; किन्तु जिस स्त्री के भरण—पोषण का समय नियत हो और जिस स्त्री ने दहेज, स्त्री धन तथा अतिरिक्त धन लेना स्वीकार न किया हो, पति को चाहिए कि अपनी आमदनी के अनुसार उसको बँधी हुई रकम देता जाय।

यदि स्त्री अपने मायके में रहती हो या स्वतन्त्र रह कर गुजारा करती हो, तो उसके भरण—पोषण के लिए पति को बाध्य नहीं किया जा सकता है। यहाँ तक स्त्री की परवरिश पर विचार किया गया।

(२) **कठोर स्त्री के साथ व्यवहार** : दाम्पत्य—नियमों का उल्लंघन करने वाली स्त्री को पहिले 'नंगी, अधनंगी, लूली—लँगड़ी, बाप—मरी, माँ—मरी' आदि गालियाँ न देकर उसको भले ढंग से नम्रता तथा सभ्यता सिखानी चाहिए। यदि इससे कार्य न सधे तो उसकी पीठ पर बाँस की खपाची, रस्सी या डप्पण से तीन बार चोट करे। फिर भी वह सीधी राह पर न आवे तो उसे वाक्पारुष्य तथा दण्डपारुष्य का आधा दण्ड दिया जाय।

यही दण्ड उस स्त्री को भी दिया जाय जो अकारण ही निर्दोष पति से बुरा व्यवहार करती हो और पति के दरवाजे पर या बाहर किसी प्रकार की इशारेबाजी या ऐयाशी करे। इस प्रकार के नियम—विरूद्ध आचरण करने वाली स्त्री के लिए इसी प्रकरण में दण्ड का निर्देश किया गया है।

(३) **पति–पत्नी का द्वेष** : अपने पति के साथ द्वेष रखने वाली स्त्री यदि सात ऋतुकाल तक दूसरे पुरुष के साथ समागम करती रहे तो उसे चाहिए कि वह अपने दोनों प्रकार के स्त्री–धन पति को सौंपकर पति को भी दूसरी स्त्री के साथ समागम करने की अनुमति दे दे। यदि पति, स्त्री से द्वेष करता हो तो उसको चाहिए कि वह अपनी स्त्री को संन्यासिनी तथा भाई–बन्धुओं साथ अकेली रहने से न रोके। पराई स्त्री के साथ संभोग करने के चिह्न स्पष्ट दिखाई देने पर भी यदि कोई पुरुष इनकार कर दे या किसी प्रेमिका के साथ संभोग करके साफ मुकर जाय तो उसको बारह पण का दण्ड दिया जाय।

(४) **पति–पत्नी का अतिचार** : मना किए जाने पर भी यदि कोई स्त्री दर्पवश मद्यपान और बिहार करे तो उस पर तीन पण, पति के मना करने पर यदि दिन में सिनेमा देखे तो छह पण और यदि किसी पुरुष के साथ सिनेमा देखे तो बारह पण जुर्माना किया जाय। यदि यही अपराध वह रात में करे तो उसको दुगुना दण्ड दिया जाय।

यदि कोई स्त्री सोते हुए या उन्मत्त हुए अपने पति को छोड़कर घर से बाहर चली जाय, अथवा पति की इच्छा के विरूद्ध घर का दरवाजा बन्द कर दे तो उसको बारह पण दण्ड देना चाहिए। यदि कोई स्त्री अपने पति को रात में घर से बाहर कर दे तो उस स्त्री पर चौबीस पण का दण्ड किया जाय।

परपुरुष या परस्त्री परस्पर मैथुन के लिए यदि इशारेबाजी करें या एकान्त में अश्लील बातचीत करें तो स्त्री पर चौबीस पण और पुरुष पर अड़तालीस पण का जुर्माना किया जाय। यदि वे परस्पर केश, तथा कमर पकड़े एक दूसरे को चूमें, दाँत काटें या नाखून गड़ावे तो इस अपराध में स्त्री को पूर्व साहस दण्ड और पुरुष को उससे दुगुना दण्ड दिया जाय। किसी संकेत स्थान में यदि वे परस्पर बातचीत करें तो आर्थिक दंड की जगह उन पर कोड़े लगाये जाँय। इस प्रकार की अपराधिनी स्त्री के किसी एक ही अङ्ग पर गाँव के चंडाल द्वारा पाँच कोड़े लगवाये जाँय। पण दंड अदा करने पर प्रहार दंड कम कर दिया जाय।

(५) **अतिचार पर प्रतिषेध** : वर्जित करने पर यदि कोई स्त्री तथा पुरुष छोटी–मोटी उपहार की वस्तुएँ देकर परस्पर व्यवहार करें तो छोटे उपहार पर स्त्री को बारह पण और बड़े उपहार पर चौबीस पण दण्ड दिया जाय। यदि उपहार में वह सोने की कीमती चीजें दे तो उसे चौबीस पण का दण्ड दिया जाय। इन अपराधों को यदि पुरुष करे तो उस पर स्त्री से दुगुना दण्ड किया जाय। यदि वे

स्त्री पुरुष बिना मुलाकात किए ही उपहार की चीजें लेते–देते रहें तो पूर्वोक्त दण्ड से आधा दण्ड उन्हें दिया जाय।

राज्य के प्रति बगावत करने पर, आचार का उल्लंघन करने पर और आवारा–गर्द होने पर कोई भी स्त्री अपना स्त्री धन, दूसरी शादी करने पर निर्वाह के लिए प्राप्त हुआ धन (आनीत) और दहेज में मिला हुआ धन; आदि की अधि िकारिणी नहीं हो सकती।

(ग) **विवाह सम्बन्ध :** इसे निम्नलिखित भागों में बाँटा गया है– स्त्रियों का घर से बाहर जाना, रास्ते में किसी परपुरुष के साथ स्त्री का चलना, स्त्रियों को पुनर्विवाह का अधिकार–

(१) **स्त्रियों का घर से बाहर जाना :** पतिघर से भागी हुई स्त्री पर छह पण का दण्ड दिया जाय, किन्तु यदि वह किसी भय के कारण भागे तो अदण्ड्य समझी जाय। पति के रोकने पर भी यदि कोई स्त्री घर से भाग निकले तो उस पर बारह पण दण्ड किया जाय। यदि वह पड़ोसी के ही घर में चली जाय तो उसे छह पण का दण्ड दिया जाय।

पति की आज्ञा के बिना पड़ोसी को अपने घर में पनाह देने, भिखारी को भीख देने और व्यापारी को किसी तरह का माल देने वाली स्त्री को बारह पण दण्ड दिया जाय। यदि कोई स्त्री निषिद्ध व्यक्तियों के साथ यही व्यवहार करे तो उसे प्रथम साहस दण्ड दिया जाय। यदि वह निर्दिष्ट सीमा के घरों से बाहर जाये तो उसे चौबीस पण दण्ड दिया जाय।

विपत्तिरहित किसी परपत्नी को अपने घर में पनाह देने वाले पर सौ पण का दण्ड किया जाय। यदि कोई स्त्री गृहस्वामी के रोकने पर या छिपकर उसके घर में घुस जाय तो उस स्थिति में गृहस्वामी निरपराध समझा जाय।

कुछ आचार्यो का अभिमत है कि पति से तिरस्कृत कोई स्त्री यदि अपने पति के सम्बन्धी पुरुषरहित घर में जाय या सुख–संपन्न, गाँव के मुखिया, अपने धन में निरीक्षक, भिक्षुकी या अपने किसी सम्बन्धी के पुरुषरहित घर में प्रवेश करे तो उसको दोषी नहीं समझा जाना चाहिए।

इस सम्बन्ध में आचार्य कौटिल्य का मत है कि ऊपर कही गई अवस्थाओं में कोई भी साध्वी स्त्री अपने उन सम्बन्धियों या परिवारजनों के घरों में भी जा सकती है, जहाँ परुष विद्यमान हों, क्योंकि उसके छलपूर्ण व्यवहार उसके पति तथा सम्बन्धियों से छिपे नहीं रह सकते हैं। मृत्यु, बीमारी, विपत्ति और

प्रसव काल में स्त्री अपने सम्बन्धियों के यहाँ जा सकती है। ऊपर कहे गए अवसरों पर यदि कोई पुरुष अपनी स्त्री को अपने सम्बन्धियों के यहाँ जाने से रोके तो वह बारह पण दण्ड का अपराधी है। यदि कोई स्त्री जाकर भी अपने जाने की बात को छिपाये तो उसका स्त्री–धन जब्त कर लिया जाय। यदि सम्बन्धी लोग लेने–देने के डर से ऐसे अवसरों की सूचना न दें तो उनको वर की ओर से अवशिष्ट देय धन न दिया जाय।

(२) **रास्ते में किसी परपुरुष के साथ स्त्री का चलना** : पतिघर से भाग कर सुदूर गाँव में जाने वाली स्त्री को बारह पण का दण्ड दिया जाय, और उसके नाम से जमा पूँजी तथा उसके आभूषण आदि जब्त कर लिये जाँय। यदि वह मैथुन के लिए किसी पुरुष का सहवास करे तो उस पर चौबीस पण दण्ड किया जाय और यज्ञयागादि धर्मकार्यों में उसको सहधर्मिणी के अधिकार से वंचित किया जाय; किन्तु यदि वह घर के भरण–पोषण या दूसरी जगह में रहने वाले पति के समीप ऋतुगमन के लिए जाय तो उसे अपराधिनी न माना जाय। यदि उच्च वर्ण का व्यक्ति इस अपराध को करे तो उसे प्रथम साहस दण्ड दिया जाय; और निम्न वर्ण के व्यक्ति को मध्यम साहस दण्ड।

यदि कोई स्त्री मार्ग, जंगल या किसी गुप्त स्थान में अथवा किसी संदिग्ध या वर्जित पुरुष के साथ मैथुन के लिए घर से भाग निकले तो गिरफ्तार कर अपराध के अनुसार दण्ड दिया जाय। गाने–बजाने वाले नट–नर्तक, भाट, मछियारे, शिकारी, कलवार तथा इसी प्रकार के वे पुरुष जो स्त्रियों को साथ रखतें हैं; उनके साथ जाने में स्त्री को कोई दोष नहीं। मना करने पर भी यदि कोई पुरुष किसी स्त्री को साथ ले जाय या स्त्री ही स्वयं किसी पुरुष के साथ चली जाय, तो उन्हें आधा दण्ड दिया जाय।

(३) **स्त्रियों को पुनर्विवाह का अधिकार** : जिन शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मणों की पुत्रहीन स्त्रियों के पति कुछ समय के लिए विदेश गए हों वे एक वर्ष तक, और पुत्रवती स्त्रियाँ इससे अधिक समय तक अपने पतियों के आने की इन्तजारी करें। यदि पति, उनके भरण–पोषण की पूरी व्यवस्था करके गए हों तो इससे दुगुने समय तक पत्नियाँ उनका इन्तजार करें। जिनके भोजन–वस्त्र का प्रबन्ध न हो, उनके बन्धु–बान्धवों को चाहिए, कि चार वर्ष या इससे अधिक आठ वर्ष तक, वे उनका प्रबन्ध करें। इसके बाद पहिले विवाह में दिए गए धन को वापस लेकर वे उस स्त्री को दूसरी शादी करने की छूट दे दें।

अध्ययन के लिए विदेश गए ब्राह्मणों की पुत्रहीन स्त्रियाँ दस वर्ष तक और पुत्रवती स्त्रियाँ बारह वर्ष तक, अपने पतियों के आने प्रतीक्षा करें। किसी राजकार्य से बाहर गए पतियों की प्रतीक्षा उनकी स्त्रियाँ आयु–पर्यन्त करें। पति के प्रवासकाल में यदि किसी समानवर्ण पुरुष से किसी स्त्री का बच्चा पैदा हो जाय तो निन्दनीय नहीं है। कुटुम्बक्षय या समृद्ध बंधु–बांधवों के छोड़े जाने के कारण या विपत्ति की मारी हुई कोई भी प्रोषितपतिका जीवन–निर्वाह के लिए, अपनी इच्छा के अनुसार, दूसरा विवाह कर सकती है।

चार प्रकार के धर्म–विवाहों के अनुसार जिस कुमारी का विवाह हुआ हो, और यदि उसका पति उससे बिना कहे ही परदेश चला जाय तो सात मासिक धर्म तक वह अपने पति की प्रतीक्षा करे। यदि उसकी कोई सूचना मिल गई हो तो एक वर्ष तक पत्नी उसकी प्रतीक्षा करे। यदि कहकर पति विदेश जाय और उसकी कोई खबर न मिले तो पाँच मासिक धर्म तक और मिल जाय तो दस मासिक धर्म तक उसका इन्तजार करें। विवाह के समय प्रतिज्ञात धन में से जिसने अपनी पत्नी को थोड़ा ही धन दिया हो और विदेश जाने पर उसकी कोई खबर न मिले तो तीन मासिक धर्म पर्यन्त; यदि खबर मिल जाय तो सात मासिक धर्म तक पत्नी उसकी प्रतीक्षा करे। जिस पति ने विवाह में प्रतिज्ञात सभी धन पत्नी को चुका दिया हो, विदेश जाने पर उसकी कोई खबर न मिले तो पाँच मासिक धर्म तक और खबर मिल जाय तो दस मासिक धर्म तक उसकी प्रतीक्षा की जाय। इन सभी अवस्थाओं के बीत जाने पर कोई भी स्त्री धर्माधिकारी से आज्ञा लेकर अपनी इच्छा से अपना दूसरा विवाह कर सकती है। इस सम्बन्ध में आचार्य कौटिल्य का कथन है 'क्योंकि ऋतुकाल में स्त्री को पुरुष का सहवास न मिलना, धर्म का नाश हो जाने के बराबर, अमङ्गलकारी है'।

जिस स्त्री का पति सन्यासी हो गया हो या मर गया हो, उसकी स्त्री सात मासिकधर्म तक दूसरा विवाह न करे। यदि उसकी कोई सन्तान हो तो वह एक वर्ष तक ठहर जाय। उसके बाद वह अपने पति के सगे भाई के साथ विवाह कर लें यदि ऐसे सगे भाई बहुत हों तो वह, पति के पीठ पीछे पैदा हुए धार्मिक एवं भरण–पोषण में समर्थ भाई के साथ विवाह कर ले; या जिस भाई की पत्नी न हो उसके साथ विवाह कर ले। यदि पति का कोई सगा भाई न हो तो समान गोत्र वाले उसके किसी पारिवारिक भाई के साथ विवाह कर ले। कम से कम पति का जो नजदीक–से नजदीक का भाई हो, उसके साथ विवाह कर ले।

अपने पति की सम्पत्ति के हकदार पुरुषों को छोड़कर यदि कोई स्त्री किसी दूसरे पुरुष के साथ विवाह करे तो विवाह करने वाला पुरुष, वह स्त्री, उस स्त्री को देने वाला, उस विवाह में शामिल होने वाले, ये सभी लोग, स्त्री को बहकाने या अनुचित ढंग से उसको अपने काबू में करने के जुर्मदार समझे जाँय और उनको यथोचित दण्ड दिया जाय।

तलाक[३] : पति से द्वेष–वैमनस्य रखनेवाली स्त्री, पति की इच्छा के विरूद्ध तलाक नहीं दे सकती है। इसी प्रकार पति भी अपनी पत्नी को तलाक नहीं दे सकता है। दोनों में परस्पर समान दोष होने पर ही तलाक संभव है।

पत्नी में कुछ बुराइयाँ आ जाने के कारण यदि पति उसका परित्याग करना चाहे तो, जो धन उसको स्त्री की ओर से मिला है उसे भी वह स्त्री को लौटा दे। यदि इसी कारण कोई स्त्री अपने पति से सम्बन्ध–विच्छेद करना चाहे तो पति से पाये हुए धन को वह पति को न लौटाये। किन्तु चार प्रकार के धर्म विवाहों में किसी भी दशा में तलाक नहीं हो सकता है।

किसी भी नीच, प्रवासी, राजद्रोही, घातक, जाति तथा धर्म से गिरे हुए और नपुंसक पति से स्त्री (विवाह–विच्छेद) तलाक ले सकती है उसे कौटिल्य इसप्रकार कहते हैं–

नीचत्वं परदेशं वा प्रस्थितो राजकिल्बिषी।।
प्राणाभिहन्ता पतितस्त्याऽयः क्लीबोऽपि वा पतिः।

(कौ० अर्थ० पृ० २६५)

कौटिल्य ने विवाह सम्बन्धी शर्त के बारे में बताते हुए कहा कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन तीनों जातियों में **विवाह** के बाद स्त्री पुरुष के किसी प्रकार का उलट–फेर नहीं हो सकता है। शूद्रों में प्रथम संयोग हो जाने पर **स्त्री–**पुरुष एक–दूसरे को छोड़ सकते हैं। ब्राह्मण आदि तीन वर्णों में विवाह के बाद सुहागरात के समय यदि पति–पत्नी को एक–दूसरे में कोई योनिलिङ्गज दोष जान पड़े तो सम्बन्ध–विच्छेद हो सकता हैं सन्तान हो जाने पर किसी भी तरह सम्बन्ध–विच्छेद सम्भव नहीं है। (प्र० ७१.१५)

स्त्री का धनः स्त्री धन दो प्रकार का होता है:

१. वृत्ति २. आवध्य।

स्त्री का **वृत्ति** धन वह है जो स्त्री के नाम से बैंक आदि में जमा किया गया हो। उसकी रकम कम–से–कम दो हजार तक होनी चाहिए। गहना या जेवर आदि **आवध्य** धन कहलाते है, जिनकी तादाद का कोई नियम नहीं है।

किसी **स्त्री** का पति परदेश चला जाय और उसकी (**स्त्री** की) जीविका निर्वाह के लिए कोई जरिया न हो तो वह **स्त्री** अपने पुत्र और अपनी **पतोहू** के जीवन–निर्वाह के लिए अपने निजी धन को खर्च कर सकती है। किसी विपत्ति, बीमारी, दुर्भिक्ष या इसी तरह के आकस्मिक संकट से बचने के लिए और किसी धर्मकार्य में पति भी यदि **स्त्री** के निजी धन को खर्च करता है तो उसमें कोई बुराई नहीं। इसी प्रकार दो सन्तान पैदा होने पर **स्त्री**–पुरूष दोनों मिलकर यदि उस धन को खर्च करें तब भी कोई दोष नहीं; और ऐसे पति–**पत्नी** जिनका विवाह धर्मानुकूल हुआ हो, कोई सन्तान पैदा न होने पर तीन वर्ष तक उस धन को खर्च कर सकते हैं। जिन्होंने गान्धर्व या आसुर विवाह किया हो और आपसी सलाह से वे **स्त्री**–धन को खर्च कर डालें तो उनसे व्याजसहित मूलधन जमा कर लिया जाय। जिन्होंने राक्षस तथा पैशाच विधि से विवाह किया हो ऐसे पति–**पत्नी** यदि स्त्री धन को खर्च कर डालें तो उन्हें चोरी का दण्ड दिया जाय। यदि **पुत्रवती स्त्री पुनर्विवाह** करना चाहे तो वह **निजी स्त्रीधन** की अधिकारिणी नहीं हो सकती। उस **स्त्री** के निजी धन के उत्तराधिकारी उसके पुत्र ही होंगे। यदि कोई **विधवा स्त्री** अपने पुत्रों के भरण–पोषण के लिए **पुनर्विवाह** करना चाहे तो उसे अपनी निजी सम्पति अपने लड़कों के नामजद कर देनी पड़ेगी।

यदि किसी **स्त्री** के पुत्र कई पतियों के द्वारा पैदा हुए हों तो उसे चाहिए कि जिस पिता का जो पुत्र हो उसी के नाम उसके पिता की सम्पत्ति नामजद करे। अपनी इच्छा से खर्च करने के लिए प्राप्त हुए धन को भी वह **पुनर्विवाह** करने से पूर्व अपने पुत्रों के नाम लिख दे। **पुत्रहीन विधवा** अपने पतिव्रत धर्म का पालन करती हुई गुरु के संरक्षण में रहकर जीवन पर्यन्त अपने स्त्रीधन का उपभोग कर सकती है। **स्त्रीधन** आपत्तिकाल के लिए ही होता है। उसके मरने के बाद उसका बचा हुआ धन उसके उचित उत्तराधिकारियों को मिलना चाहिए। पति के रहते हुए यदि **स्त्री** मर जाय तो उसके निजी धन को उसकी सन्तानें आपस में बाँट लें। यदि लड़के न हों तो धन को **लड़कियाँ** ही बाँट लें। यदि **लड़कियाँ** भी न हों तो उसका पति उस धन को ले ले। बन्धु– बान्धवों ने जो धन **विवाह** के समय

दहेज के रूप में या दूसरे रूप में उस स्त्री को दिया है उसे वे वापस ले सकते हैं। यहाँ तक **स्त्री–धन** विषयक नियमों पर विचार किया गया।

३. सम्पत्ति विभाजन एवं स्त्री[४]

कौटिल्य ने अर्थशास्त्र के इस ग्रन्थ में कहा है कि विवाहादि के लिए जितने धन की अपेक्षा हो, कन्यायें उतना धन अपनी पैतृक सम्पत्ति में से ले लें। कौटिल्य कहते हैं कि लड़कों के अभाव में लड़कियाँ ही रिक्थ धन की अधिकारिणी हैं, जो धर्म विवाहों से पैदा हुई हैं। लड़कियों के अभाव में मृतक–पुरूष का जीवित पिता आदि उस सम्पत्ति का अधिकारी है।

इसी सन्दर्भ में कौटिल्य एक अन्य बात भी बताते हैं, कि एक ही माता से अनेक पिताओं द्वारा पैदा हुए लड़कों को दाय विभाग पिता के क्रम से होना चाहिये। पुत्रों के बालिग हो जाने पर ही सम्पत्ति का विभाजन करना चाहिये। इसी क्रम में विदेश गये हुए पुत्र जब तक लौटकर न आ जायँ तब तक उनके हिस्से की देखरेख उनकी माता के द्वारा की जानी चाहिये।

कौटिल्य इस बात से भी सहमत हैं कि विवाहित ज्येष्ठ भ्राता अपनी छोटी बहिनों के विवाह में दहेज आदि के लिए यथोचित धन दें। आगे कौटिल्य यह भी कहते हैं कि मूर्ख, कोढ़ी आदि की भली संतान को उनकी माता की संपत्ति का उत्तराधिकार दिया जाना चाहिये। यदि पतित, मूर्ख आदि पुरुषों की स्त्रियाँ हों, किन्तु अशक्त होने से उनसे वे संतान पैदा न कर सकें, तो उनके बंधु बांधव उनकी (मूर्ख आदि की) पत्नियों से संतान पैदा करें। वे संतान अपनी परम्परागत संपत्ति के उत्तराधिकारी जाने जायँ।

कौटिल्य ने सम्पत्ति विभाजन एवं स्त्री के सन्दर्भ विचार व्यक्त करते हुए पैतृक क्रम से विशेषाधिकार"[५] की बातें कीं हैं। कौटिल्य कहते हैं कि यदि एक स्त्री के कई पुत्र हों तो उनमें से सबसे बड़े पुत्र को वर्ण क्रम से इस प्रकार हिस्सा मिलना चाहिये: ब्राह्मणपुत्र को बकरियाँ, क्षत्रिय पुत्र को घोड़े, वैश्यपुत्र को गायें, शूद्रपुत्र को भेड़ें।

कौटिल्य बहनों को दाय भाग में अधिकार नहीं देते हैं। वे कहते हैं कि दायभाग की अनधिकारिणी बहिनें, माता की सम्पत्ति में से पुराने बर्तन तथा आभूषण ले लें।

कौटिल्य आगे यह भी कहते हैं कि अनेक स्त्रियों से उत्पन्न पुत्रों में उसी के पुत्र को बड़ा समझा जाय, जो अविवाहित स्त्री के मुकाबले में, विधिापूर्वक व्याह करके लाई गई है, भले ही उसका पुत्र पीछे पैदा हुआ हो; यदि एक स्त्री कन्या की अवस्था में ही पत्नी बनी और दूसरी स्त्री दूसरों द्वारा भोगी जाने पर पत्नी बनी, तो उनमें से पहिली का लड़का ही बड़ा समझा जाय। इसी प्रकार किसी स्त्री को जुड़वा बच्चे पैदा हो जायें, तो उनमें वही बड़ा माना जाय जो पहिले पैदा हुआ है।

कौटिल्य विभिन्न वर्णों की पत्नियों तथा उनके पुत्रों के मध्य सम्पत्ति विभाजन के सन्दर्भ में कहते हैं कि यदि किसी ब्राह्मण की चारो वर्णों की पत्नियाँ हों तो ब्राह्मणी से पैदा हुए पुत्र को चार भाग, क्षत्रिया स्त्री के पुत्र को तीन भाग, वैश्या पत्नी के लड़के को दो भाग और शूद्रा में उत्पन्न हुए पुत्र को एक भाग मिलना चाहिए।

इसी भाँति यदि किसी क्षत्रिय पुरुष की क्षत्रिया स्त्री, वैश्या एवं शूद्रा, तीन पत्नियाँ हों, तथा वैश्य की वैश्या और शूद्रा दो ही पत्नियाँ हों तो उनके पुत्रों का दायविभाग भी उपर्युक्त विधि से ही निर्णित होगा। कौटिल्य कहते हैं कि यदि किसी ब्राह्मणी और क्षत्रिया से दो ही पुत्र पैदा हुए हों तो वे दोनों सम्पत्ति को बराबर बाँट लें। इसी प्रकार क्षत्रिय और वैश्य के घर में नीच जाति की स्त्री से उत्पन्न हुए लड़के, समान वर्ण की स्त्री से उत्पन्न हुए लड़के के हिस्से में से आधी बाँट लें। कौटिल्य आगे यह भी कहते हैं कि समान या असमान किसी भी वर्ण की स्त्री से यदि लड़का पैदा हुआ तो वही पिता की सारी सम्पत्ति को ले लें; और अपने बंधुबांधवों का भरण पोषण करे।

ब्राह्मण से शूद्रा में उत्पन्न हुआ पुत्र ब्राह्मण की सम्पत्ति के तीसरे हिस्से को प्राप्त करे। यदि किसी मातृकुल की या निकट के खानदान की स्त्री से लड़का उत्पन्न हुआ हो तो वह दो भाग लेले। जिससे कि वह मृत पिता का पिण्डदान कर सके। इन सब के न होने पर मृतक का आचार्य अथवा शिष्य उसकी सम्पत्ति का अधिकारी है। अथवा मृतक की स्त्री से नियोग द्वारा पैदा हुआ पुत्र या उसके मातृकुल के भाई अथवा समीप के रिश्तेदार, मृतक की सम्पत्ति के अधिकारी है।

कौटिल्य सम्पत्ति विभाजन के सन्दर्भ में यह भी बताते हैं कि सम्पत्ति विभाजन में पुत्रक्रम से उत्तराधिकार[६] दिया जाना चाहिये। पुरातन आचार्यों का मत

है कि **'किसी पुरूष से किसी पराई स्त्री में पैदा हुआ पुत्र उस पराई स्त्री की संपत्ति है'।**

विधिपूर्वक **विवाहित स्त्री** से उसके पति द्वारा पैदा किया हुआ पुत्र औरस कहलाता है। उसी के समान **लड़की** का लड़का भी समझा जाता है। समानगोत्र अथवा भिन्नगोत्र **स्त्री** से उसके पति द्वारा पैदा किया गया लड़का क्षेत्रज कहलाता है। यदि मृतक पिता का कोई लड़का न हो तो वही, (दो पिता या दो गोत्र वाला लड़का ही) उन दोनों के पिंडदान और संपत्ति, का उत्तराधिकारी होता है।

४. स्त्री पर अत्याचार का दण्ड[७]

कौटिल्य ने अपने ग्रन्थ में स्त्रियों पर होने वाले अत्याचार के सन्दर्भ में भी विस्तृत रूप में वर्णन किया है। कौटिल्य ने सर्वप्रथम कुँवारी कन्या की इच्छा के विरूद्ध संभोग पर आपत्ति व्यक्त की है। कौटिल्य ने कुँवारी कन्या से संभोग करने पर दण्ड का भी उल्लेख किया है। कौटिल्य कहते हैं कि—जो व्यक्ति अपनी जाति की रजोधर्म रहित (अरजस्का) कन्या को दूषित करे उसका हाथ कटवा दिया जाय अथवा उस पर चार—सौ पण दण्ड किया जाय। यदि वह बलात्कार के कारण मर जाय तो अपराधी को प्राणदण्ड की सजा दी जाय।

यदि कोई व्यक्ति रजस्वला हो चुकी कन्या को दूषित करे तो अपराधी की तर्जनी और मध्यमा उगलियाँ कटवा दी जाँय अथवा उस पर दो—सौ पण दण्ड किया जाय और लड़की के पिता को वह हर्जाना (अवहीन) दे।

संभोग के लिए इच्छा न करने वाली कन्या से गमन करने पर इच्छापूर्ति नहीं होती है। संभोग की इच्छा करने वाली स्त्री से गमन करने पर पुरुष को चौवन पण और स्त्री को सत्ताईस से पण दण्ड किया जाय। जिस लड़की की सगाई हो चुकी हो उसके साथ संभोग करने वाले का हाथ काट दिया जाय या उस पर चार—सौ पण दण्ड किया जाय और सगाई का सारा खर्च उससे वसूल किया जाय। सगाई के बाद सात मासिक धर्म होने तक भी यदि लड़की का विवाह न किया जाय तो उसका होने वाला पति लड़की को यथेच्छा भोग सकता है, और लड़की के पिता को वह हर्जाना भी न दे। क्योंकि **मासिकधर्म हो जाने के बाद लड़की पर पिता का कोई अधिकार नहीं रह जाता है।**

यदि मासिक धर्म होने पर भी कन्या का तीन वर्ष तक विवाह न किया जाय तो उसकी जाति का कोई भी पुरुष उसके साथ संभोग कर सकता है। यदि मासिक धर्म होते हुए तीन वर्ष से अधिक गुजर जाय तो किसी भी जाति का पुरुष उसको अपनी पत्नी बना सकता है इसमें कोई दोष नहीं, किन्तु वह पुरुष लड़की के पिता के बनवाये आभूषण आदि नहीं ले जा सकता है। यदि वह पुरुष लड़की के पिता के आभूषण आदि वापस न करे तो उसको चोरी का दण्ड दिया जाय।

दूसरे के लिए कही हुई स्त्री को 'वह पुरुष मैं ही हूँ' ऐसा कहकर जो अन्य पुरुष उपभोग करे उस पर दो–सौ पण दण्ड किया जाय। स्त्री की इच्छा न होने पर कोई भी पुरुष उससे संभोग न करे। विवाह से पहिले जिस कन्या को दिखाया गया हो, विवाह में यदि उसी जाति की दूसरी कन्या दी जाय तो उस व्यक्ति पर सौ–पण दण्ड किया जाय। यदि उसकी जगह कोई नीच जाति की कन्या दी जाय तो दो–सौ पण दण्ड किया जाय। जो पुरुष क्षतयोनि स्त्री को अक्षतयोनि कहकर दुबारा उसका विवाह कराये उस पर चौवन पण दण्ड किया जाय, और उससे शुल्क तथा अन्य खर्चा भी वसूल किया जाय। यदि वह ऐसा ही कह कर तीसरी बार विवाह कराये तो उस पर दुगुना जुर्माना (१०८ पण) किया जाय।

जो स्त्री अपनी योनि–क्षीणता दिखाने के लिए दूसरे का खून अपने कपड़ों पर लगाये उस पर दो–सौ पण दण्ड किया जाय। इसी प्रकार जो पुरुष अक्षतयोनि स्त्री को क्षतयोनि बताये उस पर भी दो–सौ पण दण्ड किया जाय तथा शुल्क एवं विवाह–व्यय भी उससे वसूल किया जाय। स्त्री की इच्छा के विरूद्ध उससे कोई भी संभोग नहीं कर सकता है।

संभोग की इच्छा से कोई स्त्री यदि अपने समान जाति वाले पुरुष से योनिक्षत कराये तो उस पर बारह पण दण्ड किया जाय। यदि वह स्वयं ही अपनी योनि को क्षत करे तो उस पर चौबीस पण दण्ड किया जाय। पुरुष की इच्छा न रखती हुई भी जो स्त्री क्षणिक आनन्द के लिए किसी पुरुष से अपनी योनि क्षीण कराती है उस पर सौ पण दण्ड किया जाय और उस पुरुष को वह संभोग शुल्क दे। जो स्त्री अपनी इच्छा से संभोग कराये, उसको चाहिए कि वह राजदासी बन जाय।

गाँव के बाहर निर्जन स्थान में संभोग कराने वाली स्त्री पर चौबीस पण जुरमाना किया जाय और **यदि पुरुष संभोग करके मुकर जाय तो उस पर अठतालीस पण दण्ड किया जाय।** किसी कन्या का बलात् अपहरण करने वाले पुरूष पर दो–सौ पण दण्ड किया जाय। आभूषणों से युक्त कन्या का बलात् अपहरण करने वाले को उत्तम साहस दण्ड दिया जाय। अपहरण में यदि उनके व्यक्तियों का हाथ हो तो प्रत्येक को यही दण्ड दिया जाय।

वेश्या की लड़की के साथ बलात्कार करने वाले पर चौवन पण दण्ड किया जाय। और दंड से सोलह गुनी फीस (८६४ पण) वह लड़की की माता को अदा करे। किसी भी दास या दासी की लड़की के साथ संभोग करने वाले पुरूष पर चौबीस पण दण्ड किया जाय और उससे शुल्क तथा आभूषण आदि भी वसूल किये जाँय। दासता से छुड़ाने के बराबर धन देकर जो व्यक्ति किसी दासी से संभोग करे उस पर बारह पण जुरमाना किया जाय और उससे दासी स्त्री के लिए वस्त्र तथा जेवरात भी वसूल कर लिए जाँय।

कन्या को दूषित करने में जो भी सहायता करे अथवा मौका या जगह दे उसे भी अपराधी के ही समान दण्ड दिया जाय। जिस स्त्री का पति विदेश में हो, यदि वह व्यभिचार कराये तो उसका देवर या नौकर उसको नियंत्रण में रखे। उनके नियन्त्रण में रहकर वह स्त्री अपने पति के आने की प्रतीक्षा करे। यदि पति उसके अपराध को क्षमा कर दे तो, जार सहित उसको दण्ड से बरी किया जाय, यदि क्षमा न करे तो स्त्री के नाक–कान काट दिये जाँय और उसके जार को प्राणदंड की सजा दी जाय।

व्यभिचार छिपाने के लिए यदि कोई रक्षक पुरूष जार को चोर बताये तो उस पर पाँच सौ पण जुरमाना किया जाय। रक्षक पुरुष यदि हिरझय की रिश्वत लेकर जार को छोड़ दे तो उस पर रिश्वत का अठगुना जुरमाना किया जाय। यदि कोई स्त्री किसी पुरुष के साथ फँसी हो तो उसका पता उसकी इन चेष्टाओं से किया जाय: यदि वह रास्ते में चलती हुई दूसरी स्त्री की चुटिया पकड़े, यदि उसके शरीर पर संभोग चिह्न लक्षित हों, यदि कामोत्तेजना के लिए अपने शरीर पर उसने चंदन आदि का लेप किया हो, यदि वह पुरुषों से इशारों से बात करे, यदि वह बात–चीत से स्वयं ही प्रकट कर दे।

जो पुरुष शत्रुओं से, जंगली लोगों से, नदी के प्रवाह से, जंगलों से, दुर्भिक्ष से रोग या मूर्च्छा से त्यागी हुई पराई स्त्रियों का उद्धार करे, वह उस स्त्री

की रजामन्दी से उसके साथ तृप्त होकर संभोग कर सकता है। यदि वह स्त्री कुलीन हो, समान जाति की होने पर भी वह उद्धारकर्ता से संभोग की इच्छा न करे और बाल–बच्चों वाली हो तो उद्धार करने वाला उसको उसके पति के पास सौंप कर उससे यथोचित पुरस्कार प्राप्त करे।

शत्रुओं से, जंगली लोगों से, नदी के प्रवाह से, जंगलों से, दुर्भिक्ष से, परित्यक्ता रोगी या मूर्च्छा से त्यागी हुई पराई स्त्रियों को, उद्धार करने वाला व्यक्ति, भोग सकता है; किन्तु राजाज्ञा या स्वजनों से त्यक्त, कुलीन, कामनारहित और बाल–बच्चों वाली स्त्रियों का, आपत्ति से बचाने पर भी; उपभोग नहीं किया जा सकता है; प्रत्युत उचित पुरस्कार प्राप्त कर ऐसी स्त्रियों को उनके घर पहुँचा दिया जाय।

आगे कौटिल्य ने अत्याचार करने वालों को भी दण्ड देने की बात कही है। कौटिल्य कहते हैं कि पति को न चाहने वाली स्त्री पर उसका पति, कन्या को पत्नी बनाने की इच्छा रखने वाला पुरुष और अपने पति पर उसकी पत्नी, यदि वशीकरण आदि प्रयोग करें तो अपराध न माना जाय। इनके अतिरिक्त तान्त्रिक प्रयोग करने वालों को मध्यम साहस दण्ड दिया जाय।

जो पुरुष अपनी मौसी, बूआ, मामी, गुरूपत्नी, पुत्रवधू, लड़की और बहिन के साथ व्यभिचार करे उसका लिंग और अंडकोश काटकर उसको प्राणदण्ड की सजा दी जाय। यदि मौसी, बूआ आदि स्वयं ऐसा करायें तो उनके दोनो स्तन काटकर और उनका भग–छेदन कर उन्हें भी प्राणदण्ड की सजा दी जाय। दास और परिचारक यदि व्यभिचार करें तो उन्हें भी यही दण्ड दिया जाय।

लोक–लाज से रहने वाली ब्राह्मणी के साथ यदि क्षत्रिय व्यभिचार करे तो उसे उत्तम साहस दण्ड दिया जाय; यदि वैश्य करे तो उसकी सारी सम्पत्ति हड़प ली जाय, यदि शूद्र करे तो उसको तिनकों की आग में जला दिया जाय। राजा की स्त्री के साथ जो कोई भी व्यभिचार करे उसे तपे भाड़ में भून दिया जाय।

चाण्डालिनी के साथ व्यभिचार करने वाले पुरुष के माथे पर योनि का निशान दाग कर उसे देश–निर्वासन का दण्ड दिया जाय, यदि ऐसा शूद्र करे तो उसे चाण्डाल बना दिया जाय। चाण्डाल यदि किसी आर्या स्त्री के साथ संभोग करे तो उसे प्राणदण्ड दिया जाय और उस पर स्त्री के नाक–कान काट दिये

जाँय। संन्यासिनी के साथ संभोग करने वाले पर चौबीस पण दण्ड किया जाय, यदि संन्यासिनी कामातुर होकर ऐसा कराये तो उस पर भी चौबीस पण दण्ड किया जाय। वेश्या के साथ बालात् व्यभिचार करने पर बारह पण दण्ड दिया जाय। यदि अनेक व्यक्ति एक स्त्री के साथ बारी–बारी से संभोग करें तो एक–एक को चौबीस–चौबीस पण दण्ड दिया जाय।

यदि कोई पुरुष किसी स्त्री के गुदा या मुख में संभोग करें तो उसे प्रथम साहस दण्ड दिया जाय। लौंडेबाजी करने पर भी यही दण्ड किया जाय।

५. दण्ड व्यवस्था: स्त्री एवं पुरुष

कौटिल्य ने कौटिलीय अर्थशास्त्र में, दण्ड विधान के सन्दर्भ में भी बताया है। कौटिल्य कहते हैं कि दण्ड व्यवस्था के अभाव में सर्वत्र ही अराजकता फैल जाती है और निर्बल को बलवान सताने लगता है, किन्तु दण्डधारी राजा से रक्षित दुर्बल भी बलवान बना रहता है। भली भाँति सोच समझ कर प्रयुक्त दण्ड स्त्री तथा पुरुष दोनों को धर्म, अर्थ और काम में प्रवृत्त करता है। काम–क्रोध के वशीभूत होकर अज्ञानतापूर्वक अनुचित रीति से प्रयोग में लाया हुआ दण्ड, वानप्रस्थ और परिव्राजक जैसे निःस्पृह व्यक्तियों को भी कुपित कर देता है, फिर गृहस्थलोगों पर ऐसे दण्ड की क्या प्रतिक्रिया होगी, सोचा ही नहीं जा सकता है। इसके विपरीत, यदि दण्ड की व्यषस्था तोड़ दी जाय तो उसका कुप्रभाव यह होगा कि जैसे छोटी मछली को बड़ी मछली खा जाती है, वैसे ही बलवान व्यक्ति, निर्बल व्यक्ति का जीना दूभर कर देगा। इसलिए ऐसा विचार करते हुए कौटिल्य ने स्त्री एवं पुरुष दोनों के लिए दण्ड की व्यवस्था की है।

कौटिल्य कहते हैं कि स्त्री का मुख देखने का कार्य के अलावा इधर–उधर की बात करने वाले परीक्षक को प्रथम साहस का दण्ड दिया जाना चाहिये। उन्हें उचित समय पर वेतन या मजदूरी न दी जाय तो मध्यम साहस दण्ड और कार्य न करने पर भी यदि वेतन दिया जाय तब भी मध्यम साहस दण्ड देना चाहिये।[८] जो स्त्री वेतन लेकर भी कार्य न करे उसका अंगूठा कटवा देना चाहिये। यही दण्ड उसको भी देना चाहिये, जो माल चुराये, खो दे अथवा लेकर भाग जाय। प्रत्येक कर्मचारी को उसके अपराध के अनुसार शारीरिक या आर्थिक दण्ड दिया जाना चाहिये।[९]

यदि गणिका अपने आभूषणों को अपनी माता के सिवा किसी दूसरे के हाथ सौपे तो उसे सवा चार पण दण्ड दिया जाय। यदि वह अपने गहने, कपड़े,

बर्तन आदि को बेचे या गिरवी रखे तो उस पर सवा पचास पण का दण्ड दिया जाय।[१०] यदि गणिका किसी के साथ कठोरता का बरताव करे तो चौबीस पण का दण्ड दिया जाय। यदि वह हाथ, पैर, लाठी आदि से प्रहार करे तो दुगुना (अड़तालीस पण) दण्ड दिया जाय। यदि वह किसी का कान, हाथ काट ले तो उसे पौने बावन पण का दण्ड दिया जाय।[११]

यदि कोई पुरुष कामना रहित कुमारी से संभोग करे तो उसे प्रथम साहस का दण्ड दिया जाय एवं जो पुरुष कामना रहित वेश्या को जबर्दस्ती घर में रोके अथवा क्षति पहुँचाये उस पर एक हजार पण का दण्ड लगाया जाना चाहिये।

कौटिल्य कहते हैं कि परायी स्त्री के साथ संभोग का चिन्ह स्पष्ट दिखाई देने पर भी यदि कोई पुरुष इनकार कर दे या **किसी प्रेमिका के साथ संभोग करके साफ मुकर जाय तो उसको बारह पण दण्ड दिया जाय।** मना करने पर भी यदि कोई स्त्री घमण्डवश मद्यपान और विचरण करे तो उस पर तीन पण, पति के मना करने पर यदि दिन में सिनेमा देखे तो छह पण और किसी पुरुष के साथ सिनेमा देखे तो बारह पण जुर्माना किया जाय। यदि यही अपराध वह रात में करे तो दुगुना दण्ड दिया जाय।

यदि कोई स्त्री सोते हुए या उन्मत हुए अपने पति को छोड़कर घर से बाहर जाय या पति की इच्छा के विरूद्ध घर का दरवाजा बन्द कर दे तो उसको बारह पण दण्ड देना चाहियें यदि कोई स्त्री अपने पति को रात में घर से बाहर कर दे तो उस स्त्री पर चौबीस पण दण्ड किया जाय।[१२]

कौटिल्य कहते हैं कि पति घर से भागी हुई स्त्री पर छह पण दण्ड दिया जाय किन्तु यदि वह भय से भागी है तो अदण्ड्य समझी जाय। पति के रोकने पर भी यदि कोई स्त्री घर से भाग निकले तो उस पर बारह पण दण्ड किया जाय। यदि वह पड़ोसी के घर में चली जाय तो उसे छह पण दण्ड दिया जाय।[१३] अपने पति की सम्पत्ति के हकदार पुरुषों को छोड़कर यदि कोई स्त्री किसी दूसरे पुरुष के साथ विवाह करे तो विवाह करने वाला पुरुष यथोचित दण्डित किया जाय।[१४]

किसी को छूना, पीटना या हाथ उठाना और चोट पहुँचाना दण्डपारूष्य है यदि अपने से श्रेष्ठ व्यक्तियों के साथ ऐसा व्यवहार किया जाय तो उसे दुगुना दण्ड दिया जाय। अपने से छोटे के साथ ऐसा व्यवहार किया जाय तो आधा दण्ड दिया जाय। दूसरों की स्त्रियों के साथ ऐसी हरकतें करने पर भी दुगुना दण्ड दिया

जाय। यदि कोई व्यक्ति प्रमाद, उन्माद या अज्ञानतावश ऐसा करें तो उसे आधा दण्ड दिया जाय।[१५]

वायदा किए धन को न देने वाले, भौजाई का हाथ पकड़कर झटका देने वाले, दूसरे की रखेल वेश्या के यहाँ जाने वाले व्यक्ति पर अड़तालीस पण दण्ड किया जाय। जो व्यक्ति विधवा के साथ बलात्कार करे, चाण्डाल होकर आर्या स्त्री को छूए, शूद्रा सन्यासिनों को यज्ञादि देवकर्म में भोजन कराये उस पर सौ पण दण्ड दिया जाय।

ब्राह्मण को ताडन दण्ड न दिया जाय। यदि वह गुरूपत्नी के साथ संभोग करे तो दण्डस्वरूप योनि का चिन्ह उस ब्राह्मण के मस्तक पर कर दिया जाय।[१६] खरीदी हुई दासी के साथ यदि राजपुरूष व्यभिचार करे तो उसे प्रथम साहस का दण्ड दिया जाय।[१७] चोरों और व्यभिचारियों की दूतियों के नाक, कान काट लिये जायँ या उन पर पाँच सौ पण दण्ड किया जाय।[१८] जो व्यक्ति प्रहार द्वारा गर्भ गिराये उसको उत्तम साहस का दण्ड दिया जाय। औषध द्वारा गर्भ गिराने पर मध्यम साहस दण्ड दिया जाय। कठोर काम कराकर गर्भ गिराने वाले को प्रथम साहस का दण्ड दिया जाय। यदि कोई बलात्कार से किसी स्त्री अथवा पुरुष की हत्या कर डाले, बलात्कार से किसी स्त्री का अपहरण कर ले जाय, बलात्कार से किसी स्त्री की नाक कान काट ले इन सभी प्रकार के अपराधों के दण्डस्वरूप अपराधियों को शूली पर लटका दिया जाय।[१९] विष देकर किसी की हत्या करने वाले स्त्री–पुरूष को जल में डुबाकर खत्म कर दिया जाय, बशर्ते कि वह स्त्री गर्भिणी न हो। यदि गर्भिणी हो तो बच्चा पैदा होने के एक मास बाद उसका ऐसा ही प्राणांत किया जाय।[२०]

जो व्यक्ति रजोधर्म रहित कन्या को दूषित करे उसका हाथ कटवा दिया जाय अथवा उस पर चार सौ पण दण्ड किया जाय। यदि वह बलात्कार के कारण मर जाय तो अपराधी को प्राणदण्ड की सजा दी जाय। **यदि कोई व्यक्ति रजस्वला हो चुकी कन्या को दूषित करे तो अपराधी की तर्जनी और मध्यमा उगलियाँ कटवा दी जाय अथवा उस पर दो–सौ पण दण्ड किया जाय और लड़की के पिता को वह हर्जाना (अवहीन) दे।**[२१]

संभोग की इच्छा न करने वाली कन्या से गमन करने पर इच्छापूर्ति नहीं होती हैं संभोग की इच्छा करने वाली स्त्री से गमन करने पर पुरुष को चौवन पण और स्त्री को सत्ताईस पण दण्ड किया जाय। जिस लड़की की सगाई हो चुकी हो उसके साथ संभोग करने पर अपराधी के हाथ कटवा दिये जाय या उस पर

चार सौ पण दण्ड किया जाय और सगाई का सारा खर्च वसूल किया जाय।[२२] विवाह से पहले जिस कन्या को दिखाया गया हो, विवाह में यदि वह कन्या न हो तो उस व्यक्ति पर जिसने कन्या दिखाया है सौ पण दण्ड किया जाय। जो पुरूष क्षतयोनि स्त्री को अक्षतयोनि कहकर दुबारा विवाह कराये उस पर चौवन पण दण्ड किया जाय।[२३]

गाँव के बाहर निर्जन स्थान में संभोग कराने वाली स्त्री पर चौबीस पण जुरमाना किया जाय और यदि पुरुष संभोग करके मुकर जाय तो उस पर अड़तालीस पण दण्ड किया जाय। किसी कन्या का बलात अपहरण करने वाले पुरुष पर दो सौ पण दण्ड किया जाय।[२४] यदि अनेक व्यक्ति एक ही स्त्री के साथ संभोग करें तो एक–एक का चौबीस पण दण्ड दिया जाय। साथ ही यदि कोई पुरुष किसी स्त्री के गुदा या मुख में संभोग करे तो उसे प्रथम साहस का दण्ड देना चाहिये।[२५] इस प्रकार कौटिल्य ने विभिन्न प्रकार के अपराधों के लिए भिन्न–भिन्न मात्रा में एवं प्रकार के दण्डों का विधान किया।

६. आपत्तिजनक बातें स्त्री के सन्दर्भ में

कौटिल्य ने अर्थशास्त्र के प्रथम अधिकरण के १२वें प्रकरण के १६वें अध्याय में कहा है कि–**रक्षितो राजा रायं रक्षत्यासन्नेभ्यः। पूर्व दारेभ्यः पुत्रेभ्यश्च** अर्थात् राजा यदि अपने निकटवर्ती सम्बन्धियों तथा शत्रुओं से सुरक्षित है तभी अपने राज्य की रक्षा कर सकता है इसी क्रम में कौटिल्य यह भी कहते हैं राजा को चाहिये कि वह सर्वप्रथम अपनी रानियों (तथा अपने पुत्रों) से अपनी रक्षा का प्रबन्ध करे। कौटिल्य का मानना है कि राजा अपनी अर्धाङ्गिनी से ही अरक्षित है। मात्र इतना ही नहीं कौटिल्य ने राजा रानियों से किस प्रकार अपनी रक्षा करे यह उपाय भी निशान्तप्रणिधि नामक प्रकरण में सुझाया है।

कौटिल्य ने १३वें प्रकरण में राजपुत्रों के लिए कुछ निर्देश देते हुए कहा है कि यदि राजपुत्र को धन बल की उपलब्धि न हो तो वह व्यापार कर अपनी जीविका चलाये। या किसी धन–सम्पन्न विधवा के द्रव्य की चोरी कर अपना जीविकोपार्जन करे।

आगे कौटिल्य ने १५वें प्रकरण में कहा है कि **अन्तर्गृहगतः स्थविरस्त्रीपरिशुद्धां देवीं पश्येत्। न काश्चिपभिगच्छेत्**–अर्थात् रानी के महल में

जाने के पूर्व राजा किसी भरोसेमन्द वृद्धा दासी के साथ ही रानी से (अपनी पत्नी से) मिले। अकेले कभीं भी अपनी पत्नी से मिलने न जाये, क्योंकि ऐसा करने में कभीं—कभीं बड़ा धोखा हो जाता है। कौटिल्य के इस प्रकार कहने के पीछे एक कथानक का यद्यपि योगदान है कहा जाता है कि प्राचीन काल में भद्रसेन नामक राजा के भाई वीरसेन ने उसकी पत्नी (रानी) से मिलकर छिपकर भद्रसेन राजा को मार डाला था। इसी प्रकार माता की शय्या के नीचे छिपे राजकुमार ने अपने पिता कारूश को मार डाला था। अत: कौटिल्य का मानना है कि किसी भी राजा को अपने पत्नी (रानी) से मिलते समय सावधान रहना चाहिये।

इसी प्रकरण[२६] में आगे कौटिल्य यह भी कहते हैं कि राजा को चाहिये कि वह दासियों के साथ रानी का सम्पर्क न होने दें। रानियों के सगे सम्बन्धी भी उन्हें प्रसव या बीमारी के अतिरिक्त न मिलने पावें। स्नान तथा उबरन के बाद सुन्दर वस्त्र आभूषण धारण कर वेश्याएँ राजा को निकट जायं। अन्त:पुर के वृद्ध तथा नपुंसक पुरुष रानियों के चरित्र का ध्यान रखें।

कौटिल्य प्रकरण १६ में राजा के आत्मरक्षा का प्रबंध बताते हुए कहते हैं कि राजा को स्नान कराना, उसके अंगों को दबाना, ये कार्य दासियाँ ही करें। कौटिल्य अर्थशास्त्र के दूसरे अधिकरण के ४१ वें प्रकरण में आबकारी विभाग के अध्यक्ष को निर्देश देते हैं कि शराब को बनाने एवं उसका मसाला तैयार करने के लिए वह स्त्रियों को नियुक्त करें।

आगे कौटिल्य ४३वें प्रकरण में वेश्यालयों के अध्यक्ष को निर्देश देते हैं कि वह रूप यौवन से युक्त गायन एवं वादन में निपुण युवति को चाहे वह वेश्याकुल से सम्बद्ध हो अथवा न हो उसे गणिका (वेश्या) के पद पर एक हजार पण मुद्रा देकर नियुक्त करे। मात्र इंतना ही नहीं अपितु यदि कोई गणिका अन्यत्र पलायन कर जाय या मन बनाये तो उसके स्थान पर उसकी लड़की या बहन गणिका का कार्य करे।

कौटिल्य पुरुष के पुनर्विवाह[२७] को बताते हुए कहते हैं कि यदि किसी स्त्री को सन्तान न हो या उसके अन्दर सन्तानोत्पादन क्षमता का अभाव हो तो पति को आठ वर्ष तक प्रतीक्षा कर विवाह कर लेना चाहिये। इसी प्रकार यदि स्त्री मृत सन्तानोत्पादित करे तो दश वर्ष तक एवं यदि उसको मात्र कन्याएँ उत्पन्न होती हों तो पति बारहवर्ष प्रतीक्षा कर विवाह करे। आगे कौटिल्य कहते हैं कि **पुत्रार्था: हि स्त्रिय:** अर्थात् स्त्रियाँ पुत्र पैदा करने के लिए ही होती हैं।

कौटिल्य संभोग[२८] की चर्चा करते हुए कहते हैं कि संभोग की इच्छा होते हुए भी कोढ़िन या पागल स्त्री के साथ पुरुष संभोग न करे, किन्तु, पुत्र की इच्छा रखने वाली स्त्री किसी भी कोढ़ी या उन्मत पुरुष के साथ संसर्ग कर सकती है।

आगे कौटिल्य कठोर स्त्री[२९] के साथ किये जाने वाले व्यवहार के बारे में बताते हुए कहते हैं कि दाम्पत्य नियमों का उल्लंघन करने वाली स्त्री को सभ्यता सिखानी चाहिये। यदि इससे बात न बने तो उसकी पीठ पर बाँस की खपाची, रस्सी या उप्पण से तीन बार चोट करे। फिर भी वह सीधी न हो तो उसे वाक्पारुष्य एवं दण्डपारुष्य का आधा दण्ड दिया जाय। यही दण्ड उस स्त्री को भी दिया जाय जो अकारण निर्दोष पति से बुरा व्यवहार करती हो। यही नहीं कौटिल्य ने कटु भाषिणी स्त्रियों के व्यवहार पर भी विचार किया है।

कौटिल्य ने अतिचार पर प्रतिषेध[३०] के सन्दर्भ में भी चर्चा की है। कौटिल्य स्त्रियों एवं पुरुषों की बीच लेनदेन को गलत मानते हैं। कौटिल्य कहते हैं कि वर्जित करने पर यदि कोई स्त्री तथा पुरुष छोटी–मोटी उपहार की वस्तुएँ देकर परस्पर व्यवहार करें तो छोटे उपहार पर स्त्री को बारह पण और बड़े उपहार पर चौबीस पण दण्ड दिया जाय। यदि उपहार में वह सोने की कीमती चीज़े दें तो उसे चौबीस पण का दण्ड दिया जाय।

कौटिल्य आगे विवाह[३१] सम्बन्ध की चर्चा करते हुए कहते हैं कि स्त्रियों का बाहर जाना ठीक नहीं है। कौटिल्य कहते हैं कि पति घर से भागी हुई स्त्री पर छह पण का दण्ड दिया जाय। पति के रोकने पर भी यदि कोई स्त्री घर से भाग निकले तो उस पर बारह पण दण्ड किया जाय। यदि वह पड़ोसी के भी घर में चला जाय तो उसे छह पण दण्ड दिया जाय। मात्र इतना ही नहीं कौटिल्य यह भी कहते हैं कि पति की आज्ञा के बिना पड़ोसी को अपने घर में पनाह देने, भिखारी को भीख देने और व्यापारी को किसी तरह का माल देने वाली स्त्री को बारह पण दण्ड दिया जाय।

कौटिल्य चौथे अधिकरण के प्रकरण ८७ के अध्याय १२ में कहते हैं कि जो पुरुष जंगली शत्रुओं से, जंगली लोगों से, नदी के प्रवाह से, जंगलों से, दुर्भिक्ष से रोग या मूर्छा से त्यागी हुई परायी स्त्रियों का उद्धार करे, वह उस स्त्री की रजामन्दी से उसके साथ तृप्त होकर संभोग कर सकता है।

आगे कौटिल्य–चाणक्य प्रणीत सूत्र में लिखते हैं कि **भर्तृत्वशवर्तिनी भार्या** (३३६) अर्थात् पति के वश में रहने वाली पत्नी हो भार्या भरण पोषण की

अधिकारिणी होती है। आगे कौटिल्य कहते हैं कि पुरुष को अप्रमत्त होकर सदा स्त्री का निरीक्षण करना चाहिये। (३५९) कौटिल्य कहते हैं कि **स्त्रीषु किञ्चिदपि न विश्वसेत्** अर्थात् स्त्रियों पर जरा भी विश्वास नहीं करना चाहिये। क्योंकि स्त्रियों में न विवेक होता है और न लोकव्यवहार का ज्ञान।[३२]

आगे कौटिल्य कहते हैं कि **पुत्रार्था: हि स्त्रिय:** (३९३) अर्थात् पुत्र–प्राप्ति के लिए ही स्त्रियों का वरण किया जाता है। कौटिल्य कहते हैं कि यदि गर्भस्थ शिशु की हत्या का पाप मिटाना हो तो व्यक्ति अन्न दान करे–**अन्नदानं भ्रूणहत्यामपि मार्ष्टि** (४१३)।

कौटिल्य ने ४६६वें सूत्र में कहा है– **स्त्री नाम सर्वाशुभानी क्षेत्रम्** अर्थात स्त्री समस्त अशुभों की जन्मदात्री है। यही नहीं अपितु स्त्री का मन क्षण–क्षण बदलता रहता है। इसलिए अशुभ कर्मों को न चाहने वाले लोग स्त्रियों में आसक्त नहीं होते।[३३]

कौटिल्य कहते हैं कि स्त्री के लिए पति से बढ़कर कोई देवता नहीं है– **स्त्रीणां न भर्तु: परं देवतम्** (५१२) इसलिए पति के इच्छानुसार चलने वाली स्त्री को इहलोक और परलोक, दोनों का सुख प्राप्त होता है।[३४]

७. चाणक्य सूत्र एवं स्त्री

कौटिल्य ने कौटिलीय अर्थशास्त्र की समाप्ति के उपरान्त चाणक्य सूत्र में भी स्त्रियों के सन्दर्भ में लिखा है। चाणक्य कहते हैं कि स्त्रियाँ चुगली करने वाले पुरुष के साथ रहना नहीं पसंद करती हैं।[३५]

आगे कौटिल्य कहते हैं यदि माता दुष्ट हो तो उसको छोड़ देना चाहिये–**माताऽपि दुष्टा त्याज्या**। मैथुन न करने से स्त्री शीघ्र वृद्धावस्था को प्राप्त कर जाती है– **स्त्रीणाममैथुने जरा**। आगे कौटिल्य यह भी कहते हैं कि स्त्री एवं पुरूष का विवाह सम्बन्ध समान व्यक्तियों के मध्य होना चाहिये, क्योंकि नीच और उच्च व्यक्तियों में परस्पर विवाह सम्बन्ध नहीं हो सकता।[३६] कौटिल्य ने पुरुषों को निर्देश दिया है कि वेश्या आदि अगम्य स्त्रियों के साथ सहवास नहीं करना चाहिये क्योंकि वेश्या आदि के साथ सहवास करने पर आयु, यश, पुण्य नष्ट हो जाता है। कौटिल्य कहते हैं कि **अधन: स्वभार्यया त्यवमन्यते**। (२९३ चा० सू०) निर्धन व्यक्ति की स्त्री भी पति का अपमान कर बैठती है।

कौटिल्य ने स्त्री को रत्न की संज्ञा दी है। कौटिल्य कहते हैं कि **स्त्रीरत्न से बढ़कर दूसरा नहीं है– न स्त्रीरत्नसमं रत्नम्**।

कौटिल्य ने पुरुषों को निर्देश दिया है कि वे स्त्री में आसक्त न रहें क्योंकि न **स्त्रैणस्य स्वर्गाप्तिधर्मकृत्यं** च अर्थात् स्त्री में आसक्त पुरुष को न तो स्वर्ग मिलता है और न उसके द्वारा कोई धर्मकार्य हो पाता है। यही नहीं अपितु स्त्रियाँ स्वयमेव स्त्री में आसक्त स्त्रैण पुरूषों का अपमान करती हैं।[३७] कौटिल्य ऐसी भार्या के समर्थक हैं जो अपने पति के वश में रहती हो। कौटिल्य कहते हैं ऐसी ही स्त्री भरण पोषण की अधिकारिणी होती है।[३८]

आगे कौटिल्य बालक एवं जननी के सन्दर्भ में बताते हुए कहते हैं कि माँ भले ही अपने बालक को प्रताड़ित करे किन्तु वह बालक माँ के ही आगे रुदन करता है– **मातृताडितो वत्सो मातरमेवानुरोदिति**। कौटिल्य कहते हैं कि स्त्रियों में किसी को बाँध रखने की अटूट क्षमता होती है। स्त्रियाँ बिना लोहे की बेड़ी होती हैं।[३९]

कौटिल्य आगे दुष्ट स्त्रियों के सन्दर्भ में बताते हुए कहते हैं कि **दुष्कलत्रं मनस्विनां शरीरकर्शनम्** अर्थात दुष्ट स्त्री मनस्वी पुरुष के शरीर को कृश बना देती है। पुरुषों को चाहिये कि वे अप्रमत्त होकर सदैव स्त्रियों का निरीक्षण करें।[४०] कौटिल्य कहते हैं कि स्त्रियों पर जरा भी विश्वास नहीं करना चाहिये–**स्त्रीषुकिञ्चिदपि न विश्वसेत्।**[४१] कौटिल्य ने राजदासी से भी दूर रहने की बात की है कौटिल्य कहते हैं कि–**राजदासी न सेवित्तव्या।** अर्थात् राजदासी से किसी तरह सम्बन्ध नहीं रखना चाहिये। कौटिल्य ने पुत्रों से यह अपेक्षा की है कि वे सभी विपत्तियों से अपने माँ (पिता) की रक्षा करें–**दुर्गतेः पितरौ रक्षाति सपुत्रः।**

पत्नी के सन्दर्भ में बताते हुए कौटिल्य कहते हैं कि सन्तान को जन्म देने वाली स्त्री भार्या होती है। एवं अनेक स्त्रियों के एक साथ ऋतुमती होने पर उस स्त्री के पास जाना चाहिये जो पहिले पुत्रवती हो, **या प्रसूते साभार्या ।** चा० सू० ३८९, **तीर्थसमवाये पुत्रवतीभनुगच्छेत्।।** चा० सू० ३९।। कौटिल्य रजस्वला स्त्री के सन्दर्भ में कहते हैं कि रजस्वला स्त्री के साथ संभोग करने से ब्रह्मचर्य नष्ट होता है। साथ ही दूसरे की स्त्री में वीर्य का निक्षेप नहीं करना चाहिये–

सतीर्थागमनाद् ब्रह्मचर्य नश्यति ।
न परक्षेत्रं बीजं विनिक्षिपेत्।। चा० सू० ३९२

कौटिल्य कहते हैं कि पुत्र की प्राप्ति के लिए ही स्त्रियों का वरण किया जाता है।[४२] कौटिल्य दासी के साथ सम्बन्ध बनाने के विरोधी हैं। वे कहते हैं

कि अपनी दासी के साथ परिग्रह करना अपने को दास बना लेना है।[४३] पराई स्त्री के साथ समागम नहीं करना चाहिये।[४४] कौटिल्य ने सुहाग को स्त्रियाँ का आभूषण माना है।[४५] कौटिल्य ने कहा है कि स्त्री के बन्धन से छुटकारा पाना बड़ा ही दुष्कर कार्य हैं। स्त्री समस्त अशुओं की जन्मदात्री होती है। स्त्री पुरुष की परीक्षा नहीं कर सकती है। यही नहीं अपितु स्त्रियों का मन क्षण—क्षण बदलता रहता है। यही कारण है अशुभ कर्मों से बचने वाले स्त्रियों में आसक्त नहीं होते हैं।[४६]

कौटिल्य ने माता के साथ एकान्त में रहने का निषेध किया है।[४७] स्त्रियों के लिए उनका पति ही देवता है ऐसा कौटिल्य स्वीकार करते हैं— **स्त्रीणां न भर्तुः परं दैवतम्।** कौटिल्य कहते हैं कि पति के इच्छानुसार चलने वाली स्त्री को इहलोक और परलोक, दोनों का सुख प्राप्त होता है।[४८] अतः स्त्री सदैव अपने पति की इच्छा से चले। इस प्रकार कौटिल्य ने चाणक्य सूत्र में स्त्रियों से सम्बन्धित उपर्युक्त बातों पर अपने विचार व्यक्त किये।

सन्दर्भ

१. कौटिलीय अर्थशास्त्र, पृ० २०७—२११
२. वही, पृ० २६१—२७४
३. वही, ३.५९.३.५—६, पृ० २६७
४. वही, ३.६१.५
५. वही, ३.६२.६
६. वही, ३.६२.७
७. वही, पृ. ३९३—३९७
८. वही, ३९.२३.६.पृ.१९३
९. वही, ४३.२७.४.पृ.१९३
१०. वही, ४३.२६.४.पृ.२०८
११. वही, ४३.२६.५.पृ.२०८
१२. वही, पृ.२६८
१३. वही, पृ.२७०
१४. वही, पृ.२७४
१५. वही, पृ.३३४
१६. वही, पृ.३४०
१७. वही, पृ.३८४
१८. वही, पृ.३८७

१९. वही, पृ.३८९
२०. वही, पृ.३९१
२१. वही, पृ.३९३
२२. वही,
२३. कौटिलीय अर्थशास्त्र, पृ.३९४
२४. वही, पृ.३९५
२५. वही, पृ.४०२
२६. वही, १.१ पृ.६८
२७. वही, ३.५८.२ पृ.२६४
२८. वही, ३.५८.२ पृ.२६५
२९. वही, ३.५८.२ पृ.२६६
३०. वही, ३.५९.३ पृ.२६९
३१. वही, ३.६०.४ पृ.२७०, २७१
३२. कौटिलीय अर्थशास्त्र, (चाणक्य सूत्र) ३६१
३३. वही, ४७९, ४८०
३४. वही, ५१३
३५. वही, १६६
३६. वही, २८६
३७. वही, ३१८
३८. वही, ३३६
३९. वही, ३५६
४०. वही, ३५९
४१. वही, ३६१
४२. वही, ३९३
४३. वही, ३९४
४४. वही, ४१२
४५. वही, ४४९
४६. वही, ४७६–४८०
४७. वही, ५०८
४८. वही, ५१३

*****

३

विविध

(१) मनुस्मृति के निम्नांकित श्लोकों में स्त्री अध्ययन करें—

अध्याय—१ ३२, ११२, ११४, ११५

अध्याय—२ ३३, ५०, ६७, १२९, १३१, १३२, १३३, १४७, १५८, १६९, १७०, १७७, १८४, २०२, २१०, २११, २१२, २१३, २१४, २१५, २१६, २१७, २२३, २२६, २२७, २२८, २२९, २३०, २३१, २३३, २३४, २३५, २३८, २४०

अध्याय—३ ४, ५, ६, ७, ८, ९, १०, ११, १२, १३, १४, १५, १६, १७, १८, १९, २०,२१, २२, २३, २४, २५, २६, २७, २८, २९, ३०, ३१, ३२, ३३, ३४, ३५, ३८, ४३, ४४, ४५, ४६, ४७, ४८ ४९, ५०, ५१, ५२, ५३, ५४, ५५, ५६, ५७, ५९, ६०, ६१, ६२, ६८, ७१, १०३, १०४, ११३, ११४, ११५, ११६, ११७, १४८, १५५, १५६, १५७, १६०, १६४, १६६, १७२, १७३, १७४, १७५, १८५, २३९, २५०, २६२, २६३, २६४,

अध्याय—४ ४०, ४१, ४२, ४३, ४४, ५३, ५७, ७९, ८३, १२८, १३३, १३४, १६२, १८०, १८३, १८४, १८५, १९८, २०५, २०८, २०९, २११, २१३, २१६, २१७, २१९, २३२, २३९, २५१, २५२

अध्याय—५ ९, ५६, ६२, ६३, ६६, ७२, ८०, ८५, ९०, ९१, १०१, १०८, १३९, १४४, १४६, १४७, १४८, १४९, १५०, १५१, १५२, १५३, १५४, १५५, १५६, १५७, १५८, १६०, १६१, १६२, १६३, १६४, १६५, १६६, १६७, १६८

अध्याय—६ ३

अध्याय—७ ४७, ५२, १४९, १५०, १५३, २१३, २२३, २२४

अध्याय—८ ६, ७, २८, २९, ६८, ७०, ७२, ७७, ८९, ११२, ११४, १४१, २०४, २०५, २२४, २२५, २२६, २२७, २९९, ३१७, ३३५, ३५२, ३५३, ३५४, ३५५, ३५६, ३५७, ३५८, ३५९, ३६०, ३६१, ३६२, ३६३, ३६४, ३६५, ३६६, ३६७, ३६९, ३७०, ३७१, ३७३, ३७४, ३७५, ३७६, ३७७, ३७८, ३८२, ३८३, ३८४, ३८५, ३८९, ४०७

अध्याय—९ १, २, ३, ४, ५, ६, ७, ८, १०, ११, १२, १३, १४, १५, १६, १७, १८, २०, २१, २२, २३, २४, २५, २६, २७, २८, २९, ३०, ३२, ३३, ३४, ४१, ४२, ४३, ४५, ४६, ४७, ४८, ५४, ५५, ५७, ५८, ५९, ६०, ६१, ६२, ६३, ६४, ६५, ६७, ६८, ६९, ७०, ७१, ७२, ७३, ७४, ७५, ७६, ७७, ७८, ७९, ८०, ८१, ८२, ८३, ८४, ८५, ८६, ८७, ८८, ८९, ९०, ९१, ९२, ९३, ९४, ९५, ९६, ९७, ९८, ९९, १००, १०१, १०२, १०३, १०४, ११८, १२०, १२२, १२३, १२४, १२५, १२७, १२८, १३०, १३१, १३२, १३३, १३४, १३५, १३६, १३९, १४०, १४३, १४४, १४५, १४६, १४७, १४८, १४९, १५०, १५१, १५३, १५४, १५५, १५६, १५७, १६६, १६८, १७०, १७१, १७२, १७३, १७४, १७५, १७६, १७७, १७८, १७९, १८१, १८२, १८३, १९०, १९१, १९२, १९३, १९४, १९५, १९६, १९७, १९८, १९९, २००, २१७, २१९, २३०, २३५, २३६, २३८

अध्याय–१० ५, ६, ७, ८, ९, १०, ११, १२, १४, १५, १७, १८, १९, २०, २२, २३, २४,२८, २९, ३०, ३१, ३२, ३४, ३५, ३६, ३७, ३८, ३९, ४०, ५६, ६२, ६४, ६६, ६९

अध्याय–११ ५, ६, ९, १०, ४९, ५८, ५९, ६०, ६१, ६३, ६५, ६६, ८७, १०३, १०६, १५२,१७०, १७७, १७२, १७३, १७४, १७५, १७६, १७७, १७८, १८८, २२३, २४८

अध्याय–१२ ७, ५८, ५९, ६०, ६७, ६९

(२) कौटिलीय अर्थशास्त्र के निम्नांकित अध्यायों एवं प्रकरणों में स्त्री विषयक अध्ययन करें*–

प्रथम खण्ड, पहला अधिकरण, विनयाधिकारिक

प्र० १.अ०१, प्र०१.अ०३, प्र०२.अ०४, प्र०३.अ०५, प्र०३.अ०६,

प्र०५.अ०९, प्र०६.अ०१०, प्र०७.अ०११, प्र०८.अ०१२, प्र०९.अ०१३,

प्र०१०.अ०१५, प्र०१२.अ०१६, प्र०१३.अ०१७, प्र०१४.अ०१८, प्र०१५.अ०१९,

प्र०१६.अ०२०

दूसरा अधिकरण, अध्यक्षप्रचार

प्र०१७.अ०१, प्र०२१.अ०५, प्र०२२.अ०६, प्र०२३.अ०७, प्र०२६.अ०१०,

प्र०३१.अ०१५, प्र०३५.अ०१९, प्र०३७.अ०२१, प्र०३९.अ०२३, प्र०४१.अ०२५,

प्र०४३.अ०२७, प्र०४४.अ०२८, प्र०५३.अ०५४, प्र०५५.अ०३६

दूसरा खण्ड, तीसरा अधिकरण, धर्मस्थीय

प्र०५६–५७.अ०१, प्र०५८.अ०२, प्र०५९.अ०३,
प्र०६०.अ०४, प्र०६१.अ०५,
प्र०६२.अ०६, प्र०६३.अ०७, प्र०६७.अ०११,
प्र०७०.अ०१४, प्र०७१.अ०१५,
प्र०७२–७३.अ०१६, प्र०७४.अ०१७, प्र०७५.अ०१८,
प्र०७६.अ०१९, प्र०७७, अ०२०

चौथा अधिकरण, अध्यक्ष–प्रचार

प्र०७९.अ०४, प्र०८०.अ०५, प्र०८१.अ०६, प्र०८२.अ०७, प्र०८३.अ०८,
प्र०८४.अ०९, प्र०८५.अ०१०, प्र०८६.अ०११, प्र०८७.अ०१२, प्र०८८, अ०१३

पांचवाँ अधिकरण, अध्यक्ष–योगवृत्त

प्र० ८९.अ०१, प्र०९०.अ०२, प्र०९१.अ०३,
प्र०९३.अ०५, प्र०९४–९५.अ०६

छठा अधिकरण, मण्डलयोनि

प्र०९६.अ०१, प्र०९७.अ०२

सातवाँ अधिकरण, आड्गुण्य

प्र०१०१–१०२.अ०३, प्र०१११.अ०६, प्र०११९,१२०.अ०१५,
प्र०१२१.अ०१६, प्र०१२२,१२३.अ०१७

तीसरा खण्ड, आठवाँ अधिकरण, व्यसनाधिकारिक

प्र०१२९.अ०३, प्र०१३०,१३२.अ०४, प्र०१३३,१३४.अ०५

नौवाँ अधिकरण, अभियास्यत्कर्म

प्र०१३५,१३६.अ०१, प्र०१४०,१४१.अ०३, प्र०१४४, अ०६

दसवाँ अधिकरण, साङ्ग्रामिक

प्र०१४७.अ०१

ग्यारहवाँ अधिकरण, सङ्घवृत्त

प्र०१६०,१६१.अ०१

बारहवाँ अधिकरण, आबलीयस

प्र०१६२.अ०१, प्र०१६३.अ०२, प्र०१६८,१६०,.अ०५

तेरहवाँ अधिकरण, दुर्गलम्भोपाय

प्र०१७२.अ०२

चौदहवाँ अधिकरण, औपनिषदिक

प्र०१७७.अ०१, प्र०१७८.अ०२, प्र०१७८.अ०३,

प्र०१७९, अ०४

पन्द्रहवाँ अधिकरण, तन्त्रयुक्ति

प्र०१८०.अ०१

चाणक्य प्रणीत स्त्री सूत्र

१. **पिशुनः श्रोता पुत्रदारैरपि त्यज्यते।। १६६।।**

चुगली करने और सुनने वाले पुरुष को उसके स्त्री–पुत्र भी छोड़ देते है।

२. **माताऽपि दुष्टा त्याज्या ।। २४७।।**

माता भी यदि दुष्ट हो तो उसको छोड़ देना चाहिए।।

३. **स्त्रीणाममैथुनं जरा।। २८५।।**

मैथुन न करने से स्त्री शीघ्र वृद्ध हो जाती है।

४. **अगम्यागमनादायुर्यशः पुण्यानि क्षीयन्ते।। २८७।।**

वेश्या आदि (अगमय) स्त्रियों के साथ सहवास करने से आयु, यश और पुण्य नष्ट हो जाते है।

५. **अधनः स्वभार्ययाऽप्यवमन्यते।। २९३।।**

निर्धन व्यक्ति की स्त्री भी पति का अपमान कर बैठती है।

६. **न स्त्रीरत्नसमं रत्नम्।। ३१३।।**

स्त्रीरत्न से बढ़कर दूसरा रत्न नहीं है।

७. **न स्त्रैणसय स्वर्गाप्तिर्धर्मकृत्यं च।। ३१७।।**

स्त्री में आसक्त पुरुष को न तो स्वर्ग मिलता है और न उसके द्वारा कोई धर्मकार्य हो पाता है।

८. **स्त्रीयोऽपि स्त्रैणमवमन्यते।। ३१८।।**

स्त्रियाँ भी स्त्रैण पुरुष का अपमान कर देती है।

९. **भर्तृवशवर्तिनी भार्या।। ३३६।।**

पति के वश में रहने वाली पत्नी ही भार्या (भरण–पोषण की अधिकारिणी) होती है

१०. **मातृताडितो वत्सो मातरमेवानुरादिति।। ३४१।।**

माता के द्वारा ताड़ित बच्चा, माता के ही आगे रोता है।

११. **अलौहमयं निगडं कलत्रम्।। ३५६।।**

स्त्री बिना लोहे की बेड़ी है।

१२. **दुष्कलत्रं मनस्विनां शरीरकर्शनम्।। ३५८।।**

दुष्ट स्त्री मनस्वी पुरुष के शरीर को कृश बना देती है।

१३. **अप्रमत्तो दारान्निरीक्षेत्र।। ३५९।।**

अप्रमत्त होकर सदा स्त्री का निरीक्षण करना चाहिए।

१४. **स्त्रीषु किञ्चिदपि न विश्वसेत्।। ३६०।।**

स्त्रियों पर जरा भी विश्वास न करना चहिए।

१५. **न समाधिः स्त्रीषु लोकज्ञता च।। ३६१।।**

स्त्रियों में न विवेक होता है और न लोकव्यवहार का ज्ञान।

१६. **गुरूणां माता गरीयसी।। ३६२।।**

गुरूजनों में माता का स्थान सर्वोच्च होता है।

१७. **सर्वावस्थासु माता भर्तव्या।। २६३।।**

अतएत प्रत्येक अवस्था में माता का भरण—पोषण करना चाहिए।

१८. **स्त्रीणां भूषणं लज्जा।। ३६५।।**

स्त्री का आभूषण लज्जा है।

१९. **राजदासी न सेवितव्या।। ३७९।।**

राजदासी से किसी तरह का सम्बन्ध न रखना चाहिए।

२०. **या प्रसूते सा भार्या।। ३८९।।**

सन्तान को जन्म देने वाली स्त्री ही भार्या है।

२१. **तीथ्रसमवाये पुत्रवतीमनुगच्छेत्।। २९०।।**

अनेक स्त्रियों के एक साथ ऋतुमती होने पर उस स्त्री के पास जाना चाहिए, जो पहले पुत्रवती हो।

२२. **सतीर्थागमनाद् ब्रह्मचर्य नश्यति।। ३९१।।**

रजस्वला स्त्री के साथ संभोग करने से ब्रह्मचर्य नष्ट होता है।

२३. **न परक्षेत्रे बीजं विनिक्षिपेत्।। ३९२।।**

परस्त्री के गर्भ में वीर्य का निक्षेप नहीं करना चाहिए।

२४. **पुत्रार्थ हि स्त्रियः।। ३९३।।**

पुत्र—प्राप्ति के लिए ही स्त्रियों का वरण किया जाता है।

२५. **स्वदासीपरिग्रहो हि दासभावः।। ३९४।।**

अपनी दासी के साथ परिग्रह करना अपने को दास बना लेना है।

२६. **मातरमिव वत्साः सुखदुःखानि कर्तारमेवानुगच्छन्ति।। ३९७।।**

जैसे बछड़ा माता के पास जा पहुँचता है वैसे ही सुख और दुःख अपने कर्ता के पास जा पहुँचते है।

२७. **परदारान्नगच्छेत्।। ४१२।।**

पराई स्त्री के साथ समागम न करना चाहिए।

२८. **अन्नदानं भ्रूणहत्यामपि मार्ष्टि।। ४१३।।**

अंन्नदान से भ्रूण (गर्भस्थ शिशु) हत्या का भी पाप मिट जाता है।

२९. **स्त्रीणां भूषणं सौभाग्यम्।। ४४९।।**

सुहाग स्त्री का आभूषण है।

३०. **दुर्लभः स्त्रीबन्धनान्मोक्षः।। ४७६।।**

स्त्री के बन्धन से छूटना बड़ा दुष्कर है।

३१. **स्त्री नाम सर्वाशुभानां क्षेत्रम्।। ४७७।।**

स्त्री समस्त अशुभों की जन्मदात्री है।

३२. **न च स्त्रीणां पुरूषपरीक्षा।। ४७८।।**

स्त्री, पुरूष की परीक्षा नहीं कर सकती।

३३. **स्त्रीणां मनः क्षणिकम्।। ४७९।।**

स्त्री का मन क्षण–क्षण बदलता रहता है।

३४. **अशुभद्वेषिणः स्त्रीषु न प्रसक्ताः।। ४८०।।**

अशुभ कर्मो को न चाहने वाले लोग स्त्रियों में आसक्त नहीं होते है।

३५. **प्रदोषे न संयोगः कर्तव्यः।। ४९१।।**

संध्याकाल में संभोग वर्जित है।

३६. **न मात्रा सहवासः कर्तव्यः।। ५०८।।**

एकान्त में माता के भी साथ न रहे।

३७. **स्त्रीणां न भर्तुः परं दैवतम्।। ५१२।।**

स्त्री के लिए पति से बढ़कर कोई देवता नहीं है।

३८. **तदनुवर्तनमुभयसुखम्।। ५१३।।**

पति के इच्छानुसार चलने वाली स्त्री को इहलोक और परलोक, दोनों का सुख प्राप्त होता है।

(३) क–मनुस्मृति

शब्द	**परिभाषा**
परस्त्री	जिससे किसी प्रकार का सम्बन्ध न हो
गुरुवत्	गुरु के समान
अभिवादन	प्रणाम
गुरुस्त्री	गुरुपत्नी

अवमानना	अवज्ञा
समावर्तन	विधि पूर्वक स्नान आदि
असपिण्ड	माता के सात पीढ़ी बाहर अथवा पिता के गोत्र से भिन्न
पुत्रिका	जिसके भाई न हो एवं अज्ञात पिता की पुत्री
सवर्ण	समान जाति (वर्ण)
असवर्ण	असमान जाति (वर्ण)
दिधिषूपपति	बड़े मृत बड़े भाई की पत्नी से धर्मपूर्वक नियोगोपरान्त कामी हो जाने वाला पुरुष
कुण्ड	जिसका पति जीवित हो उस स्त्री में दूसरे पुरुष से उत्पन्न पुत्र
गोलक	पति के मरने पर अन्य पुरुष से उत्पन्न पुत्र
पंक्तिपावन	त्रिणाचिकेत (जिसने यजुर्वेद का अध्वर्युभाग पढ़ा हो) या यजुर्वेदोक्त व्रत का करने वाला अग्निहोत्री, त्रिसुपर्ण (ऋग्वेद की शाखा विशेष का ज्ञाता या तदुक्त व्रत का करने वाला) शिक्षा आदि छ: अङ्गों का ज्ञाता तथा उसकी शिक्षा देने वाला, ब्राह्मविवाह से विधिपूर्वक व्याही हुई स्त्री के गर्भ से उत्पन्न और आरण्यक उपनिषद् में गीयमान सामवेद का गानेवाला ये छ: पंक्तिपावन हैं।
पुल्कस	निषाद से शूद्री में उत्पन्न
अश्रोत्रिय	अवैदिक ब्राह्मण
अभक्ष्य	न खाने योग्य

वाग्दान	वाणी द्वारा दिया हुआ दान
उदकक्रिया	जल तर्पण करना
मन्त्रणाकाल	विचार समय
साहसादि	चोरी, स्त्री के साथ बुरा व्यवहार, वचंन एवं दण्ड की कठोरता
अधिभोग	किसी के द्वारा उपभोग
संग्रहण	परस्त्री की न छू ने योग्य (स्तन जघन) अङ्गों को छूना
कन्यादूषण	न चाहने वाली कन्या को बलपूर्वक भ्रष्ट करना
अरक्षित	जिसके अभिभावक न हों
जाया	पत्नी (स्वामी वीर्यरूप से स्त्री के गर्भाशय में प्रवेश कर पुत्र रूप से उत्पन्न होता है, पति उसमें फिर जायमान होता है, इसी से पत्नी का 'जाया' नाम है।)
बीज	पुरुष
क्षेत्र	स्त्री
बीजवपन	बीजबोना
नियोग	गुरुजनों की आज्ञा से नियुक्त पुत्र उत्पत्ति में सहायक क्रिया।
वृत्ति	जीवनयापन में सहायक वस्तुएँ, अन्न, धन आदि।
प्रोषितभर्तृका	जिसके स्वामी विदेश गये हों
अतिक्रमण	अनादर
परिचर्या	सेवा
अधिवेदना	कष्ट
वय	आयु

दायभाग	धन भाग
अंश	हिस्सा अथवा भाग
क्षेत्रज	छोटे भाई द्वारा बड़े भाई की पत्नी में नियोग उपरान्त उत्पन्न पुत्र अथवा पुत्री
पुत्रिकाकरण	पुत्रहीनों का धन पुत्री के बच्चे को देने की घोषणा
दौहित्र	पुत्री का पुत्र
कामज	काम से उत्पन्न
जारज	बिना विधिपूर्वक नियोग के उत्पन्न पुत्र
औरस	वेदविधि से विवाहिता स्त्री में पिता द्वारा उत्पन्न पुत्र
स्त्रीधन	अध्याग्नि, अध्यावाहनिक, प्रीतिप्रदत्त, भ्रातृदत्त, मातृदत्त एवं वितृप्रदत्त छः धन
साधारणधन	विविध कुटुम्बियों का धन
अविभाज्य	न बाँटने योग्य
महापातक	ब्रह्मघात, मद्यपान, स्वर्णचोरी
गुरुपत्नीगमन	
अम्बष्ठ	ब्राह्मण से विवाहिता वैश्यकन्या में उत्पन्न पुत्र
निषाद या पारशव	ब्राह्मण से शूद्रकन्या में उत्पन्न पुत्र
वर्णसंकर	दो वर्णो का मेल
सूत	क्षत्रिय से ब्राह्मण कन्या में उत्पन्न पुत्र की जाति
मागध	वैश्य से क्षत्रियकन्या में उत्पन्न
वैदेह	वैश्य से ब्राह्मण कन्या में उत्पन्न

व्रात्य	द्विजादि द्वारा सवर्णा स्त्रियों में उत्पन्न अयज्ञोपवीतधारी पुत्रों का दोष

ख– कौटिलीय अर्थशास्त्र

अधिविन्ना	प्रथम विवाहिता पत्नी
अप्रासव्यवहार	नाबालिग
औ	
औरस	विवाहिता पत्नी से उत्पन्न पुत्र
ग	
गणिकाध्यक्ष	वेश्याओं पर अनुशासन रखने वाला अधिकारी
द	
दाय	रिक्थ–इन्हेरिटेंस
ध	
धारिता	मता–कैपेसिटी
श	
शूकधानी	पिनकुशा
शून्यपाल	प्रांतीय शासक
शैल्पिक प्रशिक्षण केन्द्र	टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर
श्रमसंघ	श्रमिकों का संघ–लेबर यूनियन
श्रेष्ठिन्	प्रधान–मेयर
श्रेणी	शिल्पियों और व्यावसायिकों का संघ
श्रोणि	हिप

* प्रस्तुत प्रकरणों एवं अध्यायों की संख्या स्त्री विषयक अध्ययन की दृष्टि से दी गयी है। संकेत – प्र० = प्रकरण, अ० = अध्याय, कौ० = कौटिलीय, कौटिल्य, अर्थ० = अर्थशास्त्र, अधि० = अधिकरण

******

४ मनु एवं कौटिल्य की स्त्री दृष्टि

१. मनुस्मृति के कुछ महत्वपूर्ण स्त्री विषयक श्लोक*

अध्याय १.

(१) स्त्री पुरुष रूप सृष्टि

द्विधा कृत्वात्मनो देहमर्धेन पुरुषोऽभवत्।
अर्धेन नारी तस्यां स विराजमसृजत्प्रभुः ।।३२।।

हिरणयगर्भ अपने शरीर के दो भाग कर आधे से पुरुष और आधे से स्त्री बन गया। उस स्त्री में उस महापुरुष ने विराट पुरुष की सृष्टि की।

अध्याय २.

(२) स्त्रियों का नामकरण

स्त्रीणां सुखोद्यमक्रूरं विस्पष्टार्थं मनोहरम्।
मङ्गल्यं दीर्घवर्णान्तमाशीर्वादाभिधानवत् ।। ३३।।

लड़कियों का नाम सुखंस उच्चारण करने योग्य, सरल, सुन्दर, स्पष्ट अर्थयुक्त, शुभवाचक, आशीर्वाद–सूचक और जिसका अन्तिम अक्षर दीर्घ हो, रखना चाहिये। यथा– कमला देवी।

(३) स्त्रियों का वैदिक संस्कार (यज्ञोपवीत) विवाह विधि द्वारा

वैवाहिको विधिः स्त्रीणां संस्कारो वैदिकः स्मृतः।
पति सेवा गुरौ वासो गृहार्थोऽग्निपरिक्रिया ।। ६७।।

स्त्रियों का वैदिक संस्कार (यज्ञोपवीत) विवाह–विधि से ही पूरा हो जाता है। पति की सेवा ही उनके लिए गुरूकुल–निवास के बराबर है और घर का काम–धन्धा करना ही अग्निदेव का आराधन है।

(४) मौसी मामी, सास, बुआ इत्यादि गुरुवत् पूज्यनीय

मातृष्वसा मातुलानी श्वश्रूरथ पितृष्वसा।
संपूज्या गुरूपत्नीवत्समास्ता गुरुभार्यया ।। १३१।।

मौसी, मामी, सास और फूफी (बापकी बहन) ये गुरू–पत्नी के समान होने के कारण उसी के सदृश सम्यक् पूजनीया हैं।

(५) भाभी के अभिवादन में

भ्रातुर्भार्योपसंग्राह्या सवर्णाहन्यहन्यपि।
विप्रोष्य तूपसंग्राह्या ज्ञातिसंबन्धियोषितः ।। १३२।।

समान वर्ण की ब्याही भौजाई को नित्य प्रणाम करना चाहिये। किन्तु नाते की अन्य स्त्रियों को परदेश से आने पर प्रणाम करे।

(६) बड़ी बहन के अभिवादन में

पितुर्भगिन्यां मातुश्च ज्यायस्याँ च स्वसर्यपि।
मातृवद्वृत्तिमातिष्ठेन्माता ताभ्यो गरीयसी ।। १३३।।

फूफी, मौसी और अपनी बड़ी बहन के साथ माता के समान व्यवहार करे किन्तु माता को इन सबों में बहुत बड़ी समझे।

(७) गुरुस्त्री के विषय में

गुरुवत्प्रतिपूज्याः स्युः सवर्णा गुरुयोषितः।
असवर्णास्तु संपूज्याः प्रत्युत्थानाभिवादनैः ।। २१०।।

गुरूपत्नी सजातीया हों तों वे गुरू के समान पूज्या हैं किन्तु जो पत्नी असवर्णा हों वह प्रत्युत्थान और अभिवादन से सम्मान करने योग्य हैं।

अभ्यञ्जनं स्नापनं च गात्रोत्सादनमेव च।
गुरुपत्न्या न कार्याणि केशानां च प्रसाधनम् ।। २११।।

तेल उबटन लगाना, स्नान कराना, देह दाबना और बाल सँवारना, ये सब कार्य गुरुपत्नी न करे।

गुरुपत्नी तु युवतिर्नाभिवाद्येह पादयोः।
पूर्णविंशतिवर्षेण गुणदोषौ विजानता ॥ २१२॥

इस कलिकाल में पूरे बीस वर्ष का **जवान शिष्य** गुण दोष को जानता हुआ, **युवती गुरुपत्नी को पैर छूकर प्रणाम न करे।**

अध्याय ३.

(८) कन्या विक्रय में दोष

न कन्यायाः पिता विद्वान्गृहणीच्छुल्कमण्वपि।
गृहणंश्छुल्कं हि लोभेन स्यान्नरोऽपत्यविक्रयी ॥ ५१॥

द्रव्य ग्रहण के दोष को जानने वाला, कन्या का पिता कन्यादान के लिये थोड़ा भी धन न ले। लोभ से धन ग्रहण करने पर मनुष्य संतान बेचने वाला होता है।

(९) स्त्रीधन के ग्रहण के दोष

स्त्रीधनानि तु ये मोहादुपजीवन्ति वान्धवाः।
नारी यानानि वस्त्रं वा ते पापा यान्त्यधोगतिम् ॥ ५२॥

जो पति पिता आदि सम्बन्धिवर्ग मोहवश स्त्रीधन से अर्थात् बेटी अथवा पत्नी आदि के भूषण, वस्त्र और सवारी इत्यादि बेचकर गुजर करते हैं, वे पातकी नरकगामी होते हैं।

आर्षे गोमिथुनं शुल्कं केचिदाहुर्मृषैव तत्।
अल्पोऽप्येवं महान्वापि विक्रयस्तावदेव सः ॥ ५३॥

आर्ष विवाह में गाय बैल का एक जोड़ा शुल्क लेने की बात जो किसी ने कही है वह मिथ्या ही है। थोड़ा ले या अधिक, वह बेचना ही हुआ।

(१०) कन्या के लिए धन का दान

यासां नाददते शुल्कं ज्ञातयो न स विक्रयः।
अर्हणं तत्कुमारीणामानृशंस्यं च केवलम् ॥ ५४॥

कन्याओं के निमित्त वर का दिया हुआ भूषण वस्त्रादिरुप शुल्क यदि पिता भ्राता आदि न लें तो वह बिक्री नहीं हुई। जिस कारण कुमारियों का पूजन अहिंसात्मक अर्थात् दयामूलक है।

(११) वस्त्र आभूषण द्वारा कन्या का पूजन

पितृभिर्भ्रातृभिश्चैताः पतिभिर्देवरैस्तथा।

पूज्या भूषयितव्याश्च बहुकल्याणमीप्सुभिः ।। ५५।।

विशेष कल्याण की इच्छा रखने वाले, मां, बाप, भाई, पति और देवरों को चाहिये कि कन्या को भूषण, वस्त्र और भोज्यादि पदार्थों से पूजित करें।

(१२) कन्यादियों के पूजन एवं अपूजन का फल

यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः।

यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राफलाः क्रियाः ।। ५६।।

जिस कुल में स्त्रियाँ पूजित (सम्मानित) होती हैं, उस कुल पर देवता प्रसन्न होते हैं। जहाँ औरतों का अपमान होता है, वहां सभी यज्ञादिक क्रियायें निष्फल होती हैं।

शोचन्ति जामयो यत्र विनश्यत्याशु तत्कुलम्।

न शोचन्ति तु यत्रैता वर्धते तद्धि सर्वदा ।। ५७।।

जिस कुल की बहू बेटियाँ सतायी जाकर क्लेश भोगती हैं, वह कुल शीघ्र नष्ट हो जाता है। किन्तु जहाँ इन्हें किसी तरह का दुःख नहीं दिया जाता, वहाँ सर्वदा धनजन की वृद्धि होती है।

(१३) उत्सवों में विशेषतः पूज्य

तस्मादेताः सदा पूज्या भूषणाच्छादनाशनैः।

भूतिकामैर्नरैर्नित्यं सत्कारेषूत्सवेषु च ।। ५९।।

इसलिये ये स्त्रियाँ सदा भूषण, वसन और भोजन से सन्तुष्ट करने योग्य हैं। जिन पुरूषों को समृद्धि की इच्छा हो, वे किसी शुभावसर और उत्सवों में सब प्रकार उनका सम्मान करें।

(१४) दम्पत्ति के सन्तोष का फल

संतुष्टो भार्यया भर्ता भर्त्रा भार्या तथैव च।

यस्मिन्नेव कुले नित्यं कल्याणं तत्र वै ध्रुवम् ।। ६०।।

जिस कुल में स्त्री से स्वामी और स्वामी से स्त्री प्रसन्न रहती है, उस कुल में अवश्य कल्याण होता है अर्थात् धन जन से उस कुल की वृद्धि होती है।

(१५) स्त्री को अलंकार के दान और अदान के विषय में

यदि हि स्त्री न रोचेत पुमांसं न प्रमोदयेत्।

अप्रमोदात्पुनः पुंसः प्रजनं न प्रवर्तते ।। ६१।।

यदि स्त्री भूषणवसन से सुशोभित न की जाय तो वह खिन्नहृदय होने के कारण स्वामी को आनन्दित नहीं कर सकतीं, फिर स्वामी की अप्रसन्नता से सन्तानोत्पत्ति में बाधा पड़ जाती है।

स्त्रियां तु रोचमानायां सर्ब तद्रोचते कुलम्।

तस्यां त्वरोचमानायां सर्वमेव न रोचते ।। ६२।।

स्त्रियों के भूषणवस्त्र की जगमगाहट से सारा कुल जगमगा उठता है। परन्तु इन का मलिन भेष वंश को मलिन बना देता है।

(१६) सर्वप्रथम गर्भिणि आदियों को भोजन

सुवासिनीः कुमारीश्च रोगिणो गर्भिणीः स्त्रियः।

अतिथिभ्योऽग्र एवैतान्भोजयेदविचारयन् ।। ११४।।

नयी बहू, कन्या, रोगी और **गर्भिणी स्त्रियां,** इन सबको अतिथियों के पहले बिना विचारे भोजन करा दे।

अदत्त्वा तु य एतेभ्यः पूर्व भुङ्क्तेऽविचक्षणः।

स भुञ्जानो न जानाति श्वगृध्रैर्जग्धिमात्मनः ।। ११५।।

जो अज्ञानी इन सबको न खिलाकर पहले स्वयं खाता है, वह खानेवाला यह नहीं जानता कि मरने के बाद उसके शरीर को कुत्ते और गीध नोंच नोंचकर खायँगे।

भुक्तवत्स्वथ विप्रेषु स्वेषु भृत्येषु चैव हि।

भुञ्जीयातां ततः पश्चाद्वशिष्टं तुं दम्पती ।।११६।।

पहले अतिथि ब्राह्मण और आत्मीय, पोष्यवर्गो को भोजन कराकर पीछे जो अन्न बचे वह **पति–पत्नी** भोजन करे।

देवानृषीन्मनुष्यांश्च पितृन्गृह्याश्च देवताः।

पूजयित्वा ततः पश्चाद्गृहस्थः शेषभुग्भवेत् ।।११७।।

पहले देवता, ऋषि, अतिथि, पितर और प्राणिवर्ग का अन्नादिसे पूजन करके पीछे बचा हुआ अन्न **गृहस्थ** आप भोजन करे।

अध्याय ४.

(१७) रजस्वला गमन निषेध

नोपगच्छेत्प्रमत्तोऽपि स्त्रियमार्तवदर्शने।

समानशयने चैव न शयीत तया सह ।। ४०।।

कामार्त होने पर भी स्त्री को रजस्वला देख उससे संभोग न करे और न उसके साथ एक बिछौने पर सोवे।

रजसाभिप्लुतां नारीं नरस्य ह्युपगच्छतः।

प्रज्ञा तेजो बलं चक्षुरायुश्चैव प्रहीयते ।। ४१।।

क्योंकि रजस्वला स्त्री के साथ प्रसग करने वाले पुरूष की बुद्धि, तेज, बल, दृष्टि और आयु क्षीण होती है।

तां विवर्जयतस्तस्य रजसासममिप्लुताम्।

प्रज्ञा तेजो बलं चक्षुरायुश्चैव प्रवर्धते ।। ४२।।

किन्तु जो पुरुष रजस्वला स्त्री का स्पर्श नहीं करते उनकी प्रज्ञा, तेज, बल, दृष्टि और आयु की वृद्धि होती है।

(१८) क्रोध से चोटी पकड़कर प्रहार का निषेध

केशग्रहान्प्रहारांश्च शिरस्येतान्विवर्जयेत्।

शिरस्नातश्च तैलेन नाङ्ग किञ्चिदपि स्पृशेत्।। ८३।।

क्रोध में आकर चोटी पकड़ किसी (स्त्री अथवा पुरुष) के सिर में प्रहार न करे। सिर से नहाया हुआ पुरुष तेल से किसी अंग का स्पर्श न करे।

(१९) पर स्त्री सेवन निन्दनीय

न हीदृशमनायुष्यं लोके किंचन विद्यते।
यादृशं पुरुषस्येह परदारोपसेवनम् ।। १३४।।

संसार में पुरुष को आयुष्य घटानेवाला ऐसा कोई पाप नहीं है **जैसाकि परस्त्रीगमन।**

(२०) मातृकुल आदि के साथ विवाद न करे

माता पितृभ्यां जामीभिर्भ्रात्रा पुत्रेण भार्यया।
दुहित्रा दासवर्गेण विवादं न समाचरेत् ।। १८०।।

मातृकुल के लोगों के साथ तथा मां, बाप, बहन, पतोहू, भाई, बेटा, बेटी, स्त्री और नौकरों के साथ विवाद न करे।

जामयोऽप्सरसां लोके वैश्वदेवस्य बान्धवाः।
संबन्धिनो ह्यापां लोके पृथिव्यां मातृमातुलौ ।।१८३।।

बहन और वधू का अप्सरा लोकपर, बान्धवों का वैश्वदेव लोकपर, सम्बन्धियों का वरुणलोकपर, **माता** और मामा का भूलोकपर प्रभुत्व रहता है।

आकाशेशास्तु विज्ञेया बालवृद्धकृशातुराः।
भ्राता ज्येष्ठ समः पित्रा भार्या पुत्रः स्वका तनुः।। १८४।।

बालक, वृद्ध, आश्रित और रोगियों का आकाशपर प्रभुत्व रहता है। बड़ा भाई पिता के तुल्य होता है, **स्त्री** और पुत्र **तो अपना शरीर ही ठहरा** फिर उनके साथ विवाद कैसा?

छाया स्वो दासवर्गश्च दुहिता कृपणं परम्।
तस्मादेतैरधिक्षिप्तः सहेतासंज्वरः सदा ।। १८५।।

दासवर्ग अपनी छाया के समान हेते हैं, **बेटी बड़ी ही दयापात्र होती है।** इस कारणये सब कुछ आक्षेप भी करें तो चुपचाप सह ले, पर विवाद न करे।

न धर्मस्योपदेशेन पापं कृत्वा व्रतं चरेत्।

व्रतेन पापं प्रच्छाद्य कुर्वन्स्त्रीशूद्रदम्भनम् ।।१९८।।

पाप करके धर्म के ब्याज से प्राजापत्य आदि व्रत न करे अर्थात् **स्त्री**, शूद्र और मूर्खे को यह कहकर न भुलावे कि वह पाप का प्रायचित न करके केवल धर्मार्थ व्रत करता है।

अध्याय ८.

(२१) प्रोषितपतिकादियों के धन की रक्षा

वशाऽपुत्रासु चैवं स्याद्रक्षणं निष्कुलासु च।

पतिव्रतासु च स्त्रीषु विधवास्वातुरासु च ।। २८।।

वन्ध्या, पुत्रहीना, जिस स्त्री के कुल में कोई न हो, पतिव्रता, विधवा और रोगिणी स्त्री, इनके धन की रक्षा भी राजा नाबालिग के धन की तरह करे।

जीवन्तीनां तु तासां ये तद्धरेयुः स्वबान्धवाः।

ताञ्छिष्याच्चौरदण्डेन धार्मिकः पृथिवीपतिः ।। २९।।

उन जीती हुई स्त्रियों का धन उनके बान्धव जबर्दस्ती ले लें तो धार्मिक राजा उन्हें चोर का दण्ड दे।

(२२) स्त्रियों के अभियोग में स्त्रियाँ ही साक्षी हों

स्त्रीणां साक्ष्यं स्त्रियः कुर्युर्द्विजानां सदृशा द्विजाः।

शूद्राश्च सन्तः शूद्राणामन्त्यानामन्त्ययोनयः ।। ६८।।

स्त्रियों के अभियोग में स्त्रियों को गवाह करे, ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्यों के गवाह उनके सजातीय हों, शूद्रों के शूद्र और चाण्डाल आदि नीच जातियों के साक्षी उनकी जातिवाले हों।

(२३) किसी कन्या को दिखाकर अन्य कन्या से विवाह के सन्दर्भ में

अन्यां चेद्दर्शयित्वान्या वोढुः कन्या प्रदीयते।

उभे त एकशुल्केन वहेदित्यब्रवीन्मनुः ।। २०४।।

अच्छी लड़की को दिखाकर वर का ब्याह किसी दूसरी लड़की से करा दे तो ब्याहनेवाला उसी एक शुल्क से दोनों लड़कियों के साथ ब्याह कर ले, यह मनु जी ने कहा है।

(२४) कन्या के दोष के सम्बन्ध में मित्थ्याकथन

अकन्येति तु यः कन्यां ब्रूयाद्द्वेषेण मानवः।
स शतं प्राप्नुयाद्दण्डं तस्या दोषमदर्शयन् ॥ २२५॥

जो कोई द्वेष से कन्या को अकन्या अर्थात् क्षतयोनि कहकर मिथ्या दोष लगावे तो राजा उस कन्या के दोषपर कुछ विचार न कर दोष लगाने वाले पर १०० पण जुर्माना करे।

(२५) पराई स्त्री के साथ संभोग में

परदाराभिमर्शेषु प्रवृत्तान्नृन्महीपतिः।
उद्वेजनकरैर्दण्डै श्छिन्नयित्वा प्रवासयेत् ॥ ३५२॥

जो पुरुष पराई स्त्री के साथ सम्भोग करने में प्रवृत्त हों, राजा उन्हें उद्वेग देने वाले दण्डों से दण्डित करके देश से निकाल दें।

तत्समुत्थो हि लोकस्य जायते वर्णसंकरः।
येन मूलहरोऽधर्मः सर्वनाशाय कल्पते ॥ ३५३॥

क्योंकि परस्त्रीगमन से वर्णसंकर उत्पन्न होता है। सृष्टि के मूल कारण का हरण करने वाला वर्णसंकरी अधर्म सर्वनाश का कारण होता है।

(२६) परस्त्री के साथ सम्भाषण में दण्ड

परस्य पत्न्या पुरुषः संभाषां योजयन्रहः।
पूर्वमाक्षारितो दोषैः प्राप्नुयात्पूर्वसाहसम् ॥ ३५४॥

परस्त्री के अपवाद का दण्ड पाया हुआ पुरुष यदि फिर परस्त्री के साथ एकान्त में संभाषण करे तो राजा उस पर प्रथम साहस दण्ड करे।

यस्त्वनाक्षारितः पूर्वमभिभाषेत कारणात्।
न दोषं प्राप्नुयात्किंचिन्न हि तस्य व्यतिक्रमः ॥ ३५५॥

जो परस्त्री के अपवाद दोष से रहित हो और किसी कारण से दूसरे की स्त्री के साथ लोगों के सामने या एकान्त में भाषण करे तो वह अपराधी न होने के कारण दण्ड पाने योग्य भी नहीं है।

परस्त्रियं योऽभिवदेत्तीर्थेऽरण्ये वनेऽपि वा।

नदीनां वापि संभेदे स संग्रहणमाप्नुयात् ।। ३५६।।

जो पुरुष पराई स्त्री से तीर्थ में या नदी के तटवर्ती जंगल में या गांव के बाहर निर्जन उपवन में या नदियों के संगम–स्थान में रहस्य–भाषण करे, तो राजा उस पर संग्रहण का दण्ड (एक सहस्त्र पण) करे।

उपचारक्रिया केलिः स्पर्शो भूषणवाससाम्।

सह खट्वासनं चैव सर्वं संग्रहणं स्मृतम् ।। ३५७।।

परस्त्री के पास माला, फूल, इत्र आदि भेजना, उसके साथ खेलना, उसका भूषणवस्त्र छूना, उसके साथ चारपाई पर बैठना, ये सब शास्त्र में संग्रहण कहे गये हैं।

(२७) स्त्री संग्रहण में

स्त्रियं स्पृशेददेशेयः स्पृष्टो वा मर्षयेत्तया।

परस्परस्यानुमते सर्वं संग्रहणं स्मृतम् ।। ३५८।।

जो पुरुष परस्त्री के न छूने योग्य (स्तन, जघन आदि) अंग को छुए और उस स्त्री के द्वारा अपना गुप्त अंग छुए जाने पर कुछ न बोले और वे दोनों इस दोष को स्वीकार करें तो यह भी संग्रहण है।

अब्राह्मणः संग्रहणे प्राणान्तं दण्डमर्हति।

चतुर्णामपि वर्णानां दारा रक्ष्यतमाः सदा ।। ३५९।।

यदि शूद्र द्विजाति की स्त्री के साथ संग्रहण करे तो वह प्राणदण्ड देने योग्य है। क्योंकि चारों वर्णों को अपनी स्त्री की बड़ी सावधानी से सदा रक्षा करनी चाहिये।

(२८) परस्त्री के साथ निषिद्ध होने पर संभाषण

न संभाषां परस्त्रीभिः प्रतिषिद्धः समाचरेत्।

निषिद्धो भाषमाणस्तुः सुवर्णं दण्डमर्हति ।। ३६१।।

पति के निषेध कर देने पर दूसरा पुरुष उसकी स्त्री के साथ बातचीत न करे, मना करने पर भी उसकी स्त्री से बात करे तो वह सोलह मासा सोना दण्ड देने योग्य है।

(२९) कन्यादूषण पर

योऽकामां दूषयेत्कन्यां स सद्यो वधमर्हति।

सकामां दूषयंस्तुल्यो न वधं प्राप्नुयान्नरः ।। ३६४।।

जो सजातीय मनुष्य नहीं चाहने वाली कन्या को जबर्दस्ती भ्रष्ट करे तो राजा उसे उसी समय प्राणदण्ड दे या उसका लिंग कटवाकर छोड़ दें। किन्तु कन्या यदि अपनी इच्छा से वैसा कर्म करे तो राजा उस कन्या के दूषित करने वाले को प्राणदण्ड न दे।

कन्यां भजन्तीमुत्कृष्टं न किंचिदपि दापयेत्।

जघन्यं सेवमानां तु संयतां वासयेद्गृहे ।। ३६५।।

उच्च जाति के पुरुष के साथ संभोग करने वाली कन्या को कुछ भी दण्ड न करे और हीन जाति के पास जाने वाली को यत्नपूर्वक घर में रोक रखे।

उत्तमां सेवमानस्तु जघन्यो वधमर्हति।

शुल्कं दद्यात्सेवमानः समामिच्छेत्पिता यदि ।। ३६६।।

नीच जाति का पुरुष यदि श्रेष्ठ जाति की लड़की के साथ समागम करे तो वह बध के योग्य है। रति चाहने वाली सजातीय लड़की के साथ प्रसंग करने वाले पुरुष से लड़की का बाप चाहे तो कुछ शुल्क लेकर उसी के साथ लड़की का ब्याह कर दे।

(३०) अंगुलिप्रक्षेप आदि

अभिषह्य तु यः कन्यां कुर्याद्दर्पेण मानवः।

तस्याशु कर्त्ये अङ्गुल्यौ दण्डं चार्हति षट्शतम् ।। ३६७।।

जो मनुष्य घमण्ड में आकर वरजोरी समान जाति की कन्या की योनि में उंगली डाल दे तो राजा शीघ्र उसकी दो उँगलियाँ कटवाकर उसे ६०० पण जुर्माना करे।

सकामां दूषयंस्तुल्यो नाङ्गुलिच्छेदमाप्नुयात्।

द्विशतं तु दमं दाप्यः प्रसङ्गविनिवृत्तये ॥ ३६८॥

स्वयं चाहने वाली कन्या के भग में उंगली डालने वाले समान जाति के पुरुष की उंगली नहीं काटना चाहिये। दो सौ पण दण्ड उससे इसलिये लेना चाहिये, जिससे आइन्दे वह फिर ऐसा दुष्कर्म न करे।

कन्यैव कन्यां या कुर्यात्तस्याः स्याद द्विशतो दमः।

शुल्कं च द्विगुणं दद्याच्छिफाश्चै वाप्नु याद्दश ॥ ३६९॥

यदि कन्या कन्या के साथ ऐसा दुर्व्यवहार करे तो वह दो सौ पण दण्ड राजा को दे और दुगुना शुल्क उस लड़की के बाप को दे। राजा उस अपराधिनी कन्या की पीठपर दस हल्की हल्की बेंत लगवावे।

या तु कंन्यां प्रकुर्यात्स्त्री सा सद्यो मौण्ड्यमर्हति।

अङ्गुल्योरेव वा छेदं खरेणोद्वहनं तथा ॥ ३७०॥

यदि स्त्री कन्या की योनि में उंगली डाले तो राजा तत्काल उसके सिर का बाल मुड़वा दे या उसकी दो उंगली कटवा डाले। या गधेपर चढ़ाकर उसे सड़कों में घुमावे।

(३१) दण्डित होने के एक वर्ष के बाद का दण्ड

संवत्सराभिशस्तस्य दुष्टस्य द्विगुणो दमः।

व्रात्यया सह संवासे चाण्डाल्या तावदेव तु ॥ ३७३॥

परस्त्रीगमन से दूषित पुरुष दण्डित होने पर यदि एक वर्ष के बादं फिर वैसा अपराध करे तो पहले उसे जितना दण्ड देना पड़ा था उसका दुगुना दण्ड दाखिल करे। व्रात्य पुरुष स्त्री और चाण्डालिन के पास जाने वाले के लिये भी राजा इसी दण्ड की व्यवस्था करे अर्थात् जो पुरुष एक वर्ष के अनन्तर फिर उसी व्रात्यस्त्री या चाण्डालपत्नी में गमन करे तो राजा उसे पूर्व दण्ड का दुगुना दण्ड करें।

(३२) शूद्र आदि के द्वारा अरक्षित के गमन में

शूद्रो गुप्तमगुप्तं वा द्वैजातं वर्णमावसन्।
अगुप्तमङ्गसर्वस्वैर्गुप्तं सर्वेण हीयते ।। ३७४।।

जो द्विजाति (ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य) की स्त्री स्वामी आदि अभिावक से रक्षित न हो। यदि शूद्र उसके साथ व्यभिचार करे तो राजा उसका लिङ्गच्छेदनपूर्वक सर्वस्वहरण कर ले। और रक्षित स्त्री के साथ व्यभिचार करे तो सर्वस्वहरण के साथ उसे प्राणदण्ड दे।

वैश्य: सर्वस्वदण्ड: स्यात्संवत्सरनिरोधत:।
सहस्त्रं क्षत्रियो दण्ड्यो मौण्ड्यं मूत्रेण चार्हति ।। ३७५।।

यदि वैश्य रक्षित ब्राह्मणी के साथ मैथुन करे तो सर्वस्वहरणपूर्वक उसे एक वर्ष की कैद की सजा दे और क्षत्रिय को एक हजार पण जुर्माना करे और गधे के मूत्र से उसका सिर मुड़वा दे।

ब्राह्मणीं यद्यगुप्तां तु गच्छेतां वैश्यपार्थिवौ।
वैश्यं पञ्चशतं कुर्यात्क्षत्रियं तु सहस्त्रिणम्।। ३७६।।

यदि वैश्य और क्षत्रिय अरक्षित ब्राह्मणी के साथ गमन करें तो वैश्य को ५०० पण और क्षत्रिय को १००० पण दण्ड करे।

उभावपि तु तावेव ब्राह्मण्या गुप्तया सह।
विप्लुतौ शूद्रवद्दण्ड्यै दग्धव्यौ वा कटाग्निना ।। ३७७।।

वैश्य और क्षत्रिय, ये दोनों यदि रक्षित ब्राह्मणी के साथ मैथुन करें तो शूद्र के लिये जो दण्ड पहले कहा गया है, वह दण्ड इन्हें देना चाहिये अथवा तृणकी धधकती हुई आग में इन्हें जला देना चाहिये।

(३३) ब्राह्मण के वरजोरी विप्रगमन में

सहस्त्रं ब्राह्मणो दण्ड्यो गुप्तां विप्रां बलादव्रजन्।
शतानि पश्च दण्ड्य: स्यादिच्छन्त्या सह संगत:।। ३७८।।

यदि ब्राह्मण रक्षित ब्राह्मणी के साथ वरजोरी मैथुन करे तो उसे एक हजार पण दण्ड देना चाहिये, और वह सकामा हो तो उसके साथ संगम करने पर राजा उसे ५०० पण दण्ड करे।

(३४) गार्भणी आदियों को पार उतारने का शुल्क नहीं

गर्भिणी तु द्विमासादिस्तथा प्रव्रजितो मुनिः।
ब्राह्मणा लिङ्गिनश्चैव न दाप्यास्तारिकं तरे ॥ ४०७॥

दो मास से ऊपर की गर्भिणी स्त्री, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, संन्यासी और ब्राह्मण, इन लोगों से केवट पार उतारने का खेवा न ले।

अध्याय ९.

(३५) स्त्री प्रशंसा

प्रजनार्थं महाभागाः पूजार्हा गृहदीप्तयः।
स्त्रियः श्रियश्च गेहेषु न विशषोऽस्ति कश्चन ॥ २६॥

ये स्त्रियां सन्तानोत्पत्ति करने के कारण बड़ी भाग्यशालिनी, सम्मान के योग्य, घर की शोभा और अपर गृहलक्ष्मी हैं। घरों में लक्ष्मी और स्त्री दोनों एक समान हैं, इनमें कुछ अन्तर नहीं है। जैसे लक्ष्मी के बिना घर सूना लगता है, वैसे स्त्री के बिना भी।

उत्पादनमपत्यस्य जातस्य परिपालनम्।
प्रत्यहं लोकयात्रायाः प्रत्यक्षं स्त्रीनिबन्धनम् ॥ २७॥

सन्तान का जनना, बच्चों का पालन करना, प्रति दिन पाकप्रक्रिया और लोकव्यवहार का प्रत्यक्ष कारण स्त्री ही है।

अपत्यं धर्मकार्याणि शुश्रूषा रतिरुत्तमा।
दाराधीनस्तथा स्वर्गः पितृणामात्मनश्च ह ॥ २८॥

सन्तान, अग्निहोत्र आदि धर्मकार्य, सेवा, उत्कृष्ट रति, पितरों का तथा अपना स्वर्गसाधन, ये सभी कुछ पत्नी के अधीन हैं।

(३६) अव्यभिचार का फल

पतिं या नाभिचरति मनोवाग्देहसंयता।
सा भर्तृ लोकानाप्नोति सद्भिः साध्वीति चोच्यते ॥ २९॥

जो स्त्री मन वचन और शरीर को संयत रख कभी पति के विरुद्ध आचरण नहीं करती, वह इस लोक में पतिव्रता के नाम से ख्यात होती है और देहत्याग के अनन्तर स्वामी के साथ स्वर्ग का सुख भोगती है।

(३७) बीज एवं क्षेत्र के सम्बन्ध में

भर्तुः पुत्रं विजानन्ति श्रुतिद्वैधं तु भर्तरि।
आहुरुत्पादकं केचिदपरे क्षेत्रिणं विदुः ॥ ३२॥

पुत्र स्वामी का होता है, यह मुनियों का मत है। किन्तु स्वामी के विषय में दो प्रकार की श्रुति है। कोई कहता है कि उत्पन्न करने वाले का पुत्र होगा और कोई कहता है कि जिसकी पत्नी में पुत्र उत्पन्न किया गया है उसका पुत्र होगा।

क्षेत्रभूता स्मृता नारी बीजभूतः स्मृतः पुमान्।
क्षेत्रबीजसमायोगात्संभवः सर्वदेहिनाम् ॥ ३३॥

महर्षियों ने स्त्री को क्षेत्र के समान और पुरुष को बीज के समान माना है। क्षेत्र बीज के संयोग से सब प्राणियों की उत्पत्ति होती है।

विशिष्टं कुत्रचिद्बीजं स्त्रीयोनिस्त्वेव कुत्रचित्।
उभयं तु समं यत्र सा प्रसूतिः प्रशस्यते ॥ ३४॥

कहीं बीज प्रधान होता है और कहीं क्षेत्र की प्रधानता होती है जहाँ बीज और क्षेत्र दोनों समान होते हैं, वहां सन्तान पतिबीज से उत्पन्न होने के कारण श्रेष्ठ मानी जाती है।

(३८) परस्त्री में बीजववन का निषेध

तत्प्राज्ञेन विनीतेन ज्ञानविज्ञानवेदिना।
आयुष्कामेन वप्तव्यं न जातु परयोषिति ॥ ४१॥

इसलिये ज्ञान विज्ञान का जानने वाला विनीत विद्वान, जो दीर्घ आयु चाहता हो, कभी परस्त्री में बीज न बोवे।

अत्र गाथा वायुगीताः कीतयन्ति पुराविदः।
यथा बीजं न वप्तव्यं पुंसा परपरिग्रहे ॥ ४२॥

पुराने पण्डित लोग इस विषय में वायु से गायी हुई गाथा गाते हुए कहते हैं कि दूसरे पुरुष को दूसरे की स्त्री में बीज नहीं बोना चाहिये।

नश्यतीषुर्यथा विद्धः स्वे विद्धमर्नोविद्ध्यतः।
तथा नश्यति वै क्षिप्रं बीजं परपरिग्रहे ॥ ४३॥

दूसरे के बेधे हुए हिरन के निशाने पर दूसरे का प्रक्षिप्त वाण जैसे विफल होता है (पहले जिसकी गोली लग चुकी है, उसी का सावज होता है) वैसे पराई स्त्री में बोया हुआ बीज शीघ्र निष्फल होता है। क्योंकि गर्भधारण के अनन्तर क्षेत्रस्वामी का ही उस गर्भपर पूरा अधिकार होता है, बीज बोने वाले का नहीं।

(३९) स्त्री पुरुष की एकता

एतावनेन पुरुषो यज्जायात्मा प्रजोति ह।
विप्राः प्राहुस्तथा चैतद्यो भर्ता सा स्मृताङ्गना।। ४५।।

स्त्री, अपना शरीर और सन्तति, ये तीनों पुरुष के रूपान्तर हैं। वेद जानने वाले ब्राह्मण कहते हैं कि जो भार्या है वही भर्ता है अर्थात् भार्या और भर्ता में कुछ भेद नहीं है। इसलिये स्त्री में उत्पादित सन्तान उसके स्वामी की ही होती है।

न निष्क्रयविसर्गाभ्यां भर्तुर्भार्या चिमुच्यते।
एवं धर्मं विजानीमः प्राक्प्रजापतिनिर्मितम् ।। ४६।।

बेच डालने या त्याग देने से स्त्री पति के पत्नीत्व से पृथक् नहीं होती। प्रजापति के द्वारा निर्मित इस धर्म को हम लोग अच्छी तरह जानते हैं।

(४०) भाई के स्त्रीगमन में पातित्य

भ्रातुर्ज्येष्ठस्य भार्या या गुरुपत्न्यनुजस्य सा।
यवीयसस्तु या भार्या स्नुषा ज्येष्ठस्य सा स्मृता ।। ५७।।

बड़े भाई की स्त्री को छोटा भाई गुरु पत्नी और छोटे भाई की स्त्री को बड़ा भाई पतोहू के समान जाने, यह महर्षियों ने कहा है।

ज्येष्ठो यवीयसो भार्या यवीयान्वाग्रजस्त्रियम्।
पतितौ भवतो गत्वा नियुक्तावप्यनापदि ।। ५८।।

बड़ा भाई छोटे भाई की स्त्री से और छोटा भाई बड़े भाई की स्त्री से निरापद अवस्था में निर्युक्त होकर भी गमन करने से पतित होता है।

(४१) नियोग

देवराद्वा सपिण्डाद्वास्त्रिया सम्यङ्नियुक्तया।
प्रजेप्सिताधिगन्तव्या संतानस्य परिक्षये।। ५९।।

स्त्री को चाहिये कि सन्तान न होने पर स्वामी आदि गुरुजनों की आज्ञा से नियुक्त होकर देवर से या सपिण्ड के किसी अन्य पुरुष से अभिलषित पुत्र उत्पन्न करावे।

(४२) विधवा के पुत्र उत्पादन के सन्दर्भ में

विधवायां नियुक्तस्तु घृताक्तो वाग्यतो निशि।
एकमुत्पादयेत्पुत्रं न द्वितियं कथंचन।। ६०।।

गुरुजन से नियुक्त पुरुष सारे शरीर में घी लेपकर चुपचाप रात में कामवासना से रहित होकर विधवा स्त्री में एक पुत्र पैदा करे, पर दूसरा पुत्र कभी नहीं।

द्वितीयमेके प्रजनं मन्यन्ते स्त्रीषु तद्विदः।
अनिर्वृतं नियोगार्थं पश्यन्तो धर्मतस्तयोः।। ६१।।

उस विषय के जानने वाले दूसरे आचार्यो का मत है कि एक पुत्र का होना न होने के बराबर है, इसलिये नियुक्त पुरुष उस स्त्री में धर्मपूर्वक द्वितीय पुत्र का उत्पादन करे।

विधवायां नियोगार्थे निर्वृत्ते तु यथाविधि।
गुरूवञ्च स्नुषावञ्च वर्तेयातां परस्परम्।। ६२।।

विधवा में शास्त्रोचित नियोग का कार्य सम्पन्न हो जाने पर अर्थात् उसके गर्भधारण करने पर वे दोनों स्त्री पुरुष आपस में गरु और पुत्रवधू की भाँति व्यवहार करें।

(४३) कामनापूर्वक गमन निषेध

नियुक्तौ यौ विधिं हित्वा वर्तेयातां तु कामतः।
तावुभौ पतितौ स्यातां स्नुषागगुरुतल्पगौ ।। ६३।।

गुरुजन से नियुक्त होकर जेठा या छोटा भाई शास्त्रविधि को त्यागकर अपनी इच्छा के अनुसार व्यवहार करें तो वे पुत्रवधू और गुरुपत्नी गमन के पापभागी बन पतित होंगे।

(४४) प्रोषितभर्तृका के नियम

विधाय प्रोषिते वृत्तिंजीवन्नियममास्थिता।
प्रोषिते त्वविधायैव जीवेच्छिल्पैरगर्हितैः।। ७५।।

जीविका का प्रबन्ध कर स्वामी के विदेश जाने पर स्त्री नियमपूर्वक समय बितावे। यदि स्वामी जीविका का प्रबन्ध किये बिना जाय तो स्त्री को चाहिये कि अनिन्दित वृत्ति से अर्थात् सूत आदि कातकर जीवननिर्वाह करे।

प्रोषितो धर्मकार्यार्थं प्रतीक्ष्योऽष्टौ नरः समाः।
विद्यार्थं षट् यशोऽर्थं वा कामार्थं त्रीस्तु वत्सरान्।। ७६।।

धर्मकार्य के लिये स्वामी विदेश गया हो तो आठ वर्ष, विद्या या यश के निमित्त गया हो तो छः वर्ष और किसी कामनासिद्धि के लिये गया हो तो तीन वर्षतक उसके आगमन की प्रतीक्षा करे, पीछे वह स्वयं पति के पास जाय।

(४५) अधिवेदना में

मद्यपा साधुवृत्ता च प्रतिकूला च या भवेत्।
व्याधिता वाधिवेत्तव्या हिंस्रार्थघ्नी च सर्वदा ।। ८०।।

यदि स्त्री मद्य पीनेवाली, बुरा आचरण करने वाली, स्वामी की आज्ञा के विपरीत चलनेवाली, कुष्ठरोगादि से युक्त, हिंसास्वभावाली, और सर्वदा अपरिमित खर्च करने वाली हो तो उसके स्वामी को चाहिये कि दूसरा ब्याह कर ले।

वन्ध्याष्टमेऽधिवेद्याब्दे दशमे तु मृतप्रजा।
एकादशे स्त्रीजननी सद्यस्त्वप्रियवादिनी ।। ८१।।

स्त्री वन्ध्या हो तो आठवें वर्ष में, मृतवत्सा हो तो दसवें वर्ष में, केवल कन्याप्रसविनी हो तो ग्यारहवें वर्ष में और अप्रियवादिनी अपुत्रिणी हो तो पति को शीघ्र ही दूसरा ब्याह कर लेना चाहिये।

या रोगिणि स्यात्तु हिता संपन्ना चैव शीलतः।

सानुज्ञाप्याधिवेत्तव्या नावमान्या च कर्हिचित् ।। ८२।।

जिस रोगिणी स्त्री को अपने पति में प्रेम हो और जो शीलवती हो, उसकी आज्ञा लेकर पति दूसरा ब्याह करे और कभी उसका अपमान न करे।

अधिविन्ना तु या नारी निर्गच्छेद्रुषिता गृहात्।

सा सद्यः संनिरोद्धव्या त्याज्या वा कुलसंनिधौ ।। ८३।।

स्वामी के दूसरा ब्याह कर लेने पर जो स्त्री रुष्ट होकर घर से निकल भागे तो उसे शीघ्र पकड़कर घर के भीतर बन्द कर रखना चाहिये अथवा उसे उसके बाप के घर भिजवा देना चाहिये।

(४६) गुणी को कन्यादान दे निर्गुणी को नहीं

उत्कृष्टायभिरूपाय वराय सदृशाय च।

अप्राप्तामपि तां तस्मै कन्या दद्याद्यथाविधि ।। ८८।।

उत्तम कुलवाला, सुन्दर सजातीय वर मिल जाय तो कन्या ब्याहने योग्य न होने प र भी उसे उस वर के साथ विधिपूर्वक ब्याह दे।

काममामरणात्तिष्ठेद्गृहे कन्यर्तुमत्यपि।

नचैवैनां प्रयच्छेत्तु गुणहीनाय कर्हिचित् ।। ८९।।

कन्या के ऋतुमती होने पर भी आजीवन पिता के घर में कुमारी रहे यह अच्छा है, किन्तु उसे गुणजीन (मूर्ख) वर को कदापि न करे।

(४७) स्वयं वरण करने का काल

त्रीणि वर्षाण्युदीक्षेत कुमार्यृतुमती सती।

ऊर्ध्वं तु कालादेतस्माद्विन्देत सदृशं पतिम् ।। ९०।।

कन्या के ऋतुधर्म होने के तीन वर्ष तक अच्छे कुलशीलवाले विद्वान् वर की प्रतीक्षा करे। तिसके बाद मनोनुकूल वर न मिलने पर समान जाति गुणवाले वर का स्वयंवरण करे।

अदीयमाना भर्तारमधिगच्छेद्यदि स्वयम्।
नैनः किंचिदवाप्नोति न च यं साधिगच्छति ।। ९१।।

पिता भ्राता आदि द्वारा नहीं दी जाने पर कुमारिका यदि विहित समय पर स्वयं पति को वरण करे तो इससे उसे या उसके पति को कुछ भी पाप नहीं होता।

(४८) ऋतुमती के विवाह में पति द्वारा शुल्कदान न दिया जाय

पित्र न दद्याच्छुल्कं तु कन्यामृतुमतीं हरन्।
स हि स्वाम्यादतिक्रामेदृतूनां प्रतिरोधनात् ।। ९३।।

ऋतुमती कन्या से ब्याह करने वाला वर उसके पिता को शुल्क न दे। क्योंकि ऋतु प्राप्त होने पर उसका ब्याह न कर देने के कारण सन्तानोत्पत्ति के निरोध से पिता का कन्यापर दायित्व नहीं रहता।

(४९) कन्या और वर के वय का नियम

त्रिं शद्वर्षोद्वहेत्कन्यां हृद्यां द्वादशवार्षिकीम्।
व्यष्टवर्षोऽष्टवर्षा वा धर्मे सीदति सत्वरः ।। ९४।।

तीस वर्ष का पुरुष बारह वर्ष की सुन्दरी कन्या से अथवा चौबीस वर्ष का युवा आठ वर्ष की बालिका से विवाह करे, शीघ्रता करने वाला गार्हस्थ्य धर्म में क्लेश पाता है।

(५०) विवाह आवश्यक आवश्यकता

देवदत्तां पतिर्भार्यां विन्दते नेच्छयात्मनः।
तां साध्वीं विभृयान्नित्यं देवानां प्रियमाचरन् ।। ९५।।

पति अपनी इच्छा से पत्नी न पाकर देवता की दी हुई भार्या पाता है। इसलिये देवताओं के प्रीत्यर्थ उस साध्वी स्त्री का नित्य पालन करे।

प्रजनार्थं स्त्रियः सृष्टाः संतानार्थं च मानवाः।
तस्मात्साधारणो धर्मः श्रुतौ पत्न्या सहोदितः ।। ९६।।

ब्रह्मा ने गर्भग्रहण के लिये स्त्रियों को और गर्भाधान के लिये पुरुषों को बनाया है। इसलिये वेद में कहा है कि साधारण धर्म भी स्त्री के साथ करना चाहिये।

(५१) वाचनिक कन्यादान करके अन्य को कन्या न दे

एतत्तु न परे चक्रुर्नापरे:जातु साधवः।

यदन्यस्य प्रतिज्ञाय पुनरन्यस्य दीयते ।। ९९।।

ऐसा न तों पहले किसी सज्जन ने किया और न कोई वर्तमान काल में ही कर रहा है, जो दूसरो को कन्या देने का अङ्गीकार करके दूसरे को दे दे।

नानुशुश्रुम जात्वेतत्पूर्वेष्वपि हि जन्मसु।

शुल्कसंज्ञेन मूल्येन छन्नं दुहितृविक्रयम् ।। १००।।

हमने पूर्वकल्प में भी कभी यह नहीं सुना कि शुल्करूपी मूल्य के भीतर किसी महात्मा ने कन्याविक्रय को छिपाया हो।

(५२) दायभाग

एष स्त्रीपुंसयोरुक्तो धर्मो वो रतिसंहितः।

आपद्यपत्यप्राप्तिश्च दायभागं निबोधत ।। १०३।।

स्त्री पुरुष का यह रतियुक्त धर्म और आपद अवस्था में सन्तानोत्पति की विधि तुमसे कही, अब दायभाग की व्यवस्था सुनो।

ऊर्ध्वं पितुश्च मातुश्च समेत्य भ्रातरः समम्।

भजेरन्पैतृकं रिक्थमनीशास्ते हि जीवतोः ।।१०४।।

माता पिता के लोकान्तर गमन करने पर सब भाई मिलकर बाप के धन को बराबर—बराबर बांट लें। माता पिता की जीवित अवस्था में उन्हें धन बांटने का कोई अधिकार नहीं है।

(५३) अपने अंश से भाई अविवाहित बहन को धन दे

स्वेभ्योंऽशेभ्यस्तु कन्याभ्यः प्रदद्युर्भ्रातरः पृथक्।

स्वात्स्वादंशञ्चतुर्भागं पतिताः स्युरदित्सवः ।।११८।।

अविवाहित बहनों के लिये सब भाई अपने अपने अंशों से अलग दें। जो अपने अंश का चौथा भाग बहन की शादी के लिये नहीं देना चाहें, वे पतित होते हैं।

(५४) अनेक माताओं में ज्येष्ठ

पुत्रः कनिष्ठो ज्येष्ठायां कनिष्ठायां च पूर्वजः।
कथं तत्र विभागः स्यादिति चेत्संशयो भवेत् ॥१२२॥

यदि पहली विवाहिता स्त्री में छोटा पुत्र हो और छोटी स्त्री में ज्येष्ठ पुत्र हो तो उन दोनों में धन किस प्रकार बांटा जायेगा, यदि यह संशय उत्पन्न हो तो।

एकं वृषभमुद्धारं संहरेत स पूर्वजः।
ततोऽपरे ज्येष्ठवृषास्तदूनानां स्वमातृतः ॥१२३॥

प्रथम स्त्री में उत्पन्न पुत्र छोटा होने पर भी अपने हिस्से में एक बैल अधिक ले। इसके और सौतेले भाई जो उम्र में बड़े हों, उनमें माता की ज्येष्ठता और न्यूनता के अनुसार जिठाई छुटाई और तदनुसार ही बांट बखरा होगा।

ज्येष्ठस्तु जातो ज्येष्ठायां हरेद्वृषभषोडशाः।
ततः स्वमातृतः शेषा भजेरन्निति धारणा ॥१२४॥

पहली विवाहिता स्त्री में ज्येष्ठ पुत्र हो तो वह अपने हिस्से से पन्द्रह गौ और एक बैल अधिक ले। और जितने पुत्र हों वे अपनी माता की ज्येष्ठता के अनुसार धन का बाँट करें, यही धर्मसंगत व्यवस्था है।

सदृशस्त्रीषु जातानां पुत्राणामविशेषतः।
न मातृतो ज्यैष्ठ्यमस्ति जन्मतो जयैष्ठ्यमुच्यते ॥१२५॥

सजातीय स्त्रियों में जो पुत्र उत्पन्न होते हैं, उनमें जातिकी विशेषता न होने के कारण माता की ज्येष्ठता के अनुसार उनकी ज्येष्ठता नहीं होती, जन्म से उनकी बड़ाई छुटाई ली जाती है। अर्थात जिसका जन्म पहले हुआ वही जेठा है।

(५५) पुत्रिकाकरण में

अपुत्रोऽनेन विधिना सुतां कुर्वीत पुत्रिकाम्।
यदपत्यं भवेदस्यां तन्मम स्यात्स्वधाकरम् ॥१२७॥

पुत्रहीन मनुष्य इस विधि से बेटी को पुत्रिका करे कि इस कन्या से जो सन्तान उत्पन्न होगा वह मेरा श्राद्ध करेगी।

(अभ्रातृकां प्रदास्यामि तुभ्यं कन्यामलंकृताम्।

अस्यां यो जायते पुत्रः स मे पुत्रो भवेदिति ।।)

(मैं अलङ्कारयुक्त यह भ्रातृहीन कन्या तुमको देता हूँ। इसमें जो पुत्र जन्म लेगा, वह मेरे पुत्र के स्थानापन्न होगा)

अनेन तु विधानेन पुरा चक्रेऽथ पुत्रिकाः।

बिवृद्ध्यर्थं स्ववंशस्य स्वयं दक्षः प्रजापति ।।१२८।।

इस विधि से स्वयं दक्ष प्रजापति ने वंशवृद्धि के लिये पहले पुत्रिका की थी।

(५६) पुत्रिका को धन देने के सम्बन्ध में

यथग्वात्मा तथा पुत्रः पुत्रेण दुहिता समा।

तस्यामात्मनि तिष्ठन्त्यां कथमनयो धनं हरेत् ।।१३०।।

जैसे आत्मा और पुत्र में कुछ भेद नहीं है, वैसे ही पुत्र और पुत्री में भी कुछ भेद नहीं है। उस आत्मरुपिणी पुत्री के वर्तमान रहते दूसरा कैसे धन ले सकता है।

मातुस्तु यौतकं यत्स्यात्कुमारीभाग एव सः।

दौहित्र एव च हरेदपुत्रस्याखिलं धनम् ।।१३१।।

माता के विवाह समय का जो उसके बाप भाई का दिया हुआ धन हो वह उसकी अविवाहित कन्याओं को मिलना चाहिये। पुत्रहीन नाना के सम्पूर्ण धन लेने का अधिकार उसके दौहित्र को है।

दौहित्रो ह्यखिलं रिक्थमपुत्रस्य पितुर्हरेत्।

स एव दद्याद्वौ पिण्डौ पित्रे मातामहाय च ।।१३२।।

दूसरा पुत्र न रहने से पिता का भी सम्पूर्ण धन दौहित्र को ही मिलेगा और वही पिता और मातामह दोनों को पिण्ड देगा।

पौत्रदौहित्रयोर्लोके न विशेषोऽस्ति धर्मतः।

तयोर्हि मातापितरौ संभूतौ तस्य देहतः ।।१३३।।

संसार में दौहित्र और पौत्र में धर्मतः कुछ विशेषता नहीं है। क्योंकि उन दोनों के माता पिता एक ही देह से उत्पन्न हुए हैं।

(५७) पुत्रिका के बाद पुत्र उत्पन्न होने पर धन विभाजन

पुत्रिकायां कृतायां तु यदिं पुत्रोऽनु जायते।
समस्तत्र विभागः स्याज्ज्येष्ठता नास्ति हि स्त्रियाः ।। १३४।।

पुत्रिका करने के बाद यदि पीछे पुत्र का जन्म हो, तो उन दोनों को धन का अंश बराबर मिलेगा, कन्या की ज्येष्ठता नहीं होती। अर्थात् उसे पुत्र से अधिक अंश नहीं मिल सकता।

(५८) अनेक माता होने पर धन का विभाग

ब्राह्मणस्यानुपूर्वेण चतस्रस्तु यदि स्त्रियः।
तासां पुत्रेषु जातेषु विभागेऽयं विधिः स्मृतः ।।१४९।।

ब्राह्मण के यदि चारों वर्णों की स्त्रियाँ हों और उन सब में पुत्र उत्पन्न हों तो उनके विभाग की व्यवस्था मनुजीने इस प्रकार कही है।

कीनाशो गोवृषो यानमलंकारश्च वेश्म च।
विप्रस्यौद्धारिकं देयमेकांशश्च प्रधानतः ।। १५०।।

जो पुत्र सवर्ण स्त्री के गर्भ से उत्पन्न हो उसे हल में जोतने योग्य एक मजबूत बैल, सवारी के लिये घोड़ा, गहने, घर और विभाग की वस्तुओं में जो सबसे अच्छी हो वह देकर जो शेष धन बचे उसे आगे कही हुई व्यवस्था के अनुसार सब भाई बाँट लें।

त्र्यंशं दायाद्धरेद्विप्रो द्वावंशौ क्षत्रियासुतः।
वैश्याजः सार्धमेवांशमंशं शूद्रसुतो हरेत् ।।१५१।।

पिता के धन का साढ़े सात भाग करके तीन भाग ब्राह्मणी का पुत्र, दो भाग क्षत्राणी का पुत्र, डेढ़ भाग वैश्या का पुत्र और एक भाग शूद्री का पुत्र लेवे।

चतुरोंऽशान्हरेद्विप्रस्त्री नंशान्क्षत्रियासुतः।
वैश्यापुत्रो हरेद्द्व्यंशमंशं शूद्रासुतो हरेत्।। १५३।।

ब्राह्मणी से जो पुत्र उत्पन्न हो उसे धन का चार अंश, क्षत्रिया स्त्री से उत्पन्न पुत्र को तीन अंश, वैश्या से उत्पन्न पुत्र को दो अंश और शूद्री के पुत्र को एक अंश दे।

यद्यपि स्यात्तु सत्पुत्रोऽप्यसत्पुत्रोऽपि वा भवेत।
नाधिकं दशमाद्दद्याच्छूद्रापुत्राय धर्मतः ।। १५४।।

ब्राह्मण के द्विजाति स्त्रियों में पुत्र विद्यमान हो या न हो शूद्री के पत्नी को धन के दसवें अंश से अधिक न दें।

ब्राह्मणक्षत्रियविशां शूद्रापुत्रो न रिक्थभाक्।
यदेवास्य पिता दद्यात्तदेवास्य धनं भवेत् ।।१५५।।

ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य का जो पुत्र शूद्री के गर्भ से उत्पन्न हो वह धन का भागी नहीं होता, पिता जो कुछ उसे दे वही उसका धन होगा।

समवर्णासु ये जाताः सर्वे पुत्रा द्विजन्मनाम्।
उद्धारं ज्यायसे दत्वा भजेरन्नितरे समम् ।। १५६।।

द्विजातियों के सजातीया पत्नियों में जितने पुत्र उत्पन्न हों वे जैठे भाई को ज्येष्ठांश देकर जो धन बचे वह सब बराबर–बराबर बाँट लें।

(५९) औरस आदि १२ प्रकार के पुत्र का लक्षण

स्वक्षेत्रे संस्कृतायां तु स्वयमुत्पादयेद्धि यम्।
तमौरसं विजानीयात्पुत्रं प्रथमकल्पितम् ।। १६६।।

वेदविधि से विवाहिता स्त्री में पिता जिस पुत्र को स्वयं उत्पन्न करे, उसे सब पुत्रों में मुख्य औरस जानना चाहिये।

माता पिता वा दद्यात्तां यमद्भिः पुत्रमापदि।
सदृशं प्रीतिसंयुक्तं सज्ञेयो दत्रिमः सुतः ।। १६८।।

माँ बाप जिस सजातीय पुत्र को अपना खुशी से जल से उत्सर्ग कर किसी को पुत्राभावरूपी आपत्काल में दे देते हैं, उस पुत्र को दत्तक जानना चाहिए।

उत्पद्यते गृहे यस्य न च ज्ञायेत कस्य सः।
स गृहे गूढ उत्पन्नस्तस्य स्याद्यस्य तल्पजः ।।१७०।।

जिसके घर में लड़के का जन्म हो, परन्तु उसकी पैदाइश किससे हुई यह किसी को मालूम न हो, वह गूढ़ोत्पन्न पुत्र उसका होगा, जिसकी स्त्री में वह उत्पन्न हुआ है।

मातापितृभ्यामुत्सृष्टं तयोरन्यतरेण वा।

यं पुत्रं परिगृह्णीयादपविद्धः स उच्यते ।।१७१।।

माता पिता से या उन दोनों में किसी एक से त्यागे हुए पुत्र को ग्रहण कर जो उसे पालता है, उसका वह अपविद्ध पुत्र कहलाता है।

पितृवेश्मनि कन्या तु यं पुत्रं जनयेद्रहः।

तं कानीनं वदेन्नाम्ना वोढुः कन्यासमुद्भवम् ।।१७२।।

बाप के घर में कुमारी कन्या छिपकर जिस पुत्र को जनती है, वह कानीन नाम का पुत्र उसका होता है जो उस कन्या से ब्याह करता है

या गर्भिणी संस्क्रियते ज्ञाताज्ञातापि वा सती।

वोढुः स गर्भो भवति सहोढ इति चोच्यते ।।१७३।।

गर्भवती कन्या के गर्भ की बात जानकर या न जानकर जो उसके साथ ब्याह करता है, उसका वह सहोढ़ पुत्र कहलाता है।

क्रीणीयाद्यस्त्वपत्यार्थं मातापित्रोर्यमन्तिकात्।

स क्रीतकः सुतस्तस्य सदृशोऽसदृशोऽपि वा ।।१७४।।

माता पिता से जो पुत्र सन्तानार्थ खरीदा जाता है, वह सजातीय हो या विजातीय, उसका क्रीत पुत्र होता है।

या पत्या वा परित्यक्ता विधवा वा स्वयेच्छया।

उत्पादयेत्पुनर्भूत्वा स पौनर्भव उच्यते ।। १७५।।

जो स्त्री पति से त्यागी जाने पर या विधवा होने पर अपनी इच्छा से फिर दूसरे की जोरू बनकर लड़का पैदा करे तो वह उस जन्मदाता का पौनर्भव पुत्र कहलाता है।

सा चेदक्षतयोनिः स्याद्गतप्रत्यागतापि वा।

पौनर्भवेन भर्त्रा सा पुनः संस्कारमर्हति ।। १७६।।

यदि वह विधवा अक्षतयोनि हो तो दूसरे पुरुष के पास जाकर फिर उसके साथ ब्याह कर सकती है या पति से त्यागी जाने पर वह पति के पास लौट आवे तो पति फिर उसके साथ ब्याह कर सकता है। वह स्त्री पुनर्विवाह होने से पुनर्भू कहलायेगी।

मातापितृविहीनो यस्त्यक्तो वा स्यादकारणात्।

आत्मानं स्पर्शयेद्यस्मै स्वयंदत्तस्तु स स्मृतः ।।१७७।।

माता पिता से निष्कारण परित्यक्त पुत्र अपने को जिसे दे डाले, उसका वह स्वयंदत्त पुत्र कहा जाता है।

यं ब्राह्मणस्तु शूद्रायां कामादुत्पादयेत्सुतम्।

स पारयन्नेव शवस्तस्मात्पारशवः स्मृतः ।।१७८।।

ब्राह्मण कामवश विवाहिता शूद्री में जो पुत्र उत्पन्न करता है उसे पारशव कहते हैं, क्योंकि वह जीता रहने पर भी 'शव' के समान अर्थात् मुर्दे के बराबर है।

(६०) पति के मर जाने पर नियुक्त पुत्र का धन पर अधिकार

संस्थितस्यानपत्यस्य सगोत्रात्पुत्रमाहरेत्।

तत्र यद्रिक्थजातं स्यात्तत्तस्मिन्प्रतिपादयेत् ।।१९०।।

जिस स्त्री का पति मर जाय और कोई सन्तान न हो तो वह सगोत्र से यथाविधि पुत्र ग्रहण कर अपने पति का सब धन उस पुत्र को दे दे।

(६१) एक माता में दो पिता से उत्पन्न पुत्रों के बीच धन का विभाग

द्वौ तु यौ विवदेयातां द्वाभ्यां जातौ स्त्रिया धने।

तयोर्यद्यस्य पित्र्यं स्यात्तत्स गृह्णीत नेतरः।।१९१।।

एक ही माता में दो पिताओं से उत्पन्न दो पुत्र यदि मातृधन के लिये विवाद करें तो उन दोनों में जिसके पिता का धन हो वही उस धन को ले, दूसरा नहीं।

(६२) माता के धन के विभाग में

जनन्यां संस्थितायां तु समं सर्वे सहोदराः।

भजेरन्मातृकं रिक्थं भगिन्यश्च सनाभयः ।।१९२।।

माता के मर जाने पर सभी सगे भाई और अविवाहिता बहनें मातृधन को बराबर बांट लें।

यास्तासां स्युर्दुहितरस्तासामपि यथार्हतः।

मातामह्या धनात्किंचित्प्रदेयं प्रीतिपूर्वकम् ।।१९३।।

विवाहिता बहन की कुंवारी कन्याओं को भी मातामही (नानी) के धन में से उनके सन्तोषार्थ प्रसन्नतापूर्वक कुछ देना चाहिये।

(६३) स्त्री धन

अध्यग्नयध्यावाहनिकं दत्तं च प्रीतिकर्मणि।

भ्रातृमातृपितृप्राप्तं षड्विधं स्त्रीधनं स्मृतम् ।।१९४।।

अध्याग्नि, अध्यावाहनिक, प्रीतिप्रदत्त, भ्रातृदत्त, मातृदत्त और पितृदत्त, ये छः प्रकार के स्त्री धन कहे गये हैं।

(६४) प्रसन्नता पूर्वक पति द्वारा स्त्री को दिया धन

अन्वाधेयं च यद्दत्तं पत्या प्रीतेन चैव यत्।

पत्यौ जीवति वृत्तायाः प्रजायास्तद्धनं भवेत् ।।१९५।।

पति ने प्रसन्न होकर स्त्री को जो अन्वाधेय दिया हो, पति की जीवित अवस्था में स्त्री मर जाय तो उसका सब धन उसकी सन्तान का होता है।

(६५) विधि से ब्याही स्त्री का धन

ब्राह्मदेवार्षगान्धर्वप्राजापत्यषु यद्वसु।

अप्रजायामतीतायां भर्तुरिव तदिष्यते ।। १९६।।

ब्राह्म, देव, आर्ष, गान्धर्व और प्राजापत्य की विधि से ब्याही हुई स्त्री का धन उसके निःसन्तान मरने पर उसके पति का ही होगा, यह मन्वादि महर्षियों की सम्मति है।

यत्त्वस्याः स्याद्धनं दत्तं विवाहेष्वासुरादिषु।

अप्रजायामतीतायां मातापित्रोस्तदिष्यते।। १९७।।

आसुर आदि विवाहों में स्त्री को जो धन दिया जाता है वह उसके निःसन्तान मरने पर उसके मां बाप को मिलना चाहिये।

स्त्रियां तु यद्भवेद्वित्तं पित्रा दत्तं कथंचन।

ब्राह्मणी तद्धरेत्कन्या तदपत्यस्य वा भवेत् ।।१९८।।

ब्राह्मण की अनेक वर्णों की स्त्रियों के जो कुछ धन उनके बाप के दिये हों, यदि वे सन्तानरहित मर जायं तो उनका धन ब्राह्मणी सौत को या उसकी सन्तान को मिलना चाहिये।

(६६) साधारण धन से स्त्रीधन न करे

न निर्हारं स्त्रियः कुर्युः कुटुम्बादुबहुमध्यगात्।
स्वकादपि च वित्ताद्धि स्वस्य भर्तुरनाज्ञया ॥१९९॥

विविध कुटुम्बियों के साधारण धन में से स्त्रियों की द्रव्यसंग्रह नहीं करना चाहिये। और पति की आज्ञा बिना अपने धन में से भी कुछ पैसा जमा करना उचित नहीं है।

(६७) स्त्री का अलंकार अविभाज्य

पत्यौ जीवति यः स्त्रीभिरलङ्कारो धृतो भवेत्।
न तं भजेरन्दायादा भजमानाः पतन्ति ते ॥ २००॥

पति की जीवित अवस्था में उसकी सम्मति से स्त्रियों ने जो भूषण धारण किये हों, पति के मरने पर धन बांटते समय दामाद उसे न बांटें, बांटने वाले पतित होते हैं।

(६८) निःसन्तान पुत्र का हिस्सा माता या माता के अभाव में दादी को मिले

अनपत्यस्य पुत्रस्य माता दायमवाप्नुयात्।
मातर्यपि च वृत्तायां पितुर्माता हरेद्धनम् ॥ २१७॥

निःसन्तान पुत्र का हिस्सा उसकी माता को मिलेगा। माता के अभाव में वह धन उसकी दादी (पिता की माँ) पावेगी।

(६९) न बाँटने योग्य

वस्त्रं पत्रमलंकारं कृतान्नमुदकं स्त्रियः।
योगक्षेमं प्रचारं च न विभाज्यं प्रचक्षते ॥ २१९॥

वस्त्र, वाहन, जेवर, पकवान, कुएँ पोखर का जल, **दासी आदि स्त्रियां,** पुरोहित और गौओं के आनेजाने का मार्ग, इन सबको मनुजी ने अविभाज्य कहा है, अर्थात् **ये सब बाँटने योग्य नहीं हैं।**

अध्याय १०.

(७०) उपनयन योग्य

सजातिजानन्तरजाः अट् सुता द्विजधर्मिणः।
शूद्राणां तु सधर्माणः सर्वेऽपध्वंसजाः स्मृताः ॥ ४१ ॥

द्विजातियों के **सजातीया स्त्रियों के** गर्भ से तीन, और ब्राह्मण के अनुलोमक्रम से क्षत्रिया और वैश्या के गर्भ से दो तथा क्षत्रिय के वैश्या के गर्भ से उत्पन्न एक, इस प्रकार छः **पुत्र द्विजकर्म के अधिकारी होते हैं,** और प्रतिलोमक्रम से उत्पन्न जो सूतादिक हैं, वे शूद्र के सहधर्मी हैं, अतएव उनका उपनयन नही होता।

(७१) सुबीज के सन्दर्भ में

सुबीजं चैव सुक्षेत्रे जातं संपद्यते यथा।
तथार्याज्जात आर्यायां सर्व संस्कारमर्हति ।। ६९।।

जैसे अच्छा बीज अच्छे खेत में पड़ने से अच्छी तरह उपजता है उसी तरह आर्य जाति से सवर्ण स्त्री में उत्पन्न सभी अनुलोमज पुत्र संस्कार के योग्य होते हैं।

अध्याय ११.

(७२) पुत्र कलत्रादि को कष्ट पहुँचाकर दान यज्ञादि करने में दोष

शक्तः परजने दाता स्वजने दुःखजीविनि।
मध्वापातो विषास्वादः सधर्मप्रतिरूपकः ।। ९।।

जो दानशील धनवान स्वजनों के दुःख देखते हुए भी यश के लिये दूसरों को दान देते हैं, उनका वह दान धर्म का कृत्रिम रूप है, यथार्थ में वह धर्म नहीं है। वह पहले मधुर दीखने पर भी परिणाम में विष के सदृश है।

भृत्यानामुपरोधेन यत्करोत्यौर्ध्वदेहिकम्।
तद्भवत्यसुखोदर्कं जीवतश्च मृतस्य च ।। १०।।
(वृद्धौ च मातापितरौ साध्वी भार्या शिशुः सुतः।
अप्यकार्यशतं कृत्वा भर्तव्या मनुरब्रवीत्।।)

जो भरण पोषण करने योग्य **माता** पिता **स्त्री** पुत्र आदि **को कष्ट देकर** परलोक बनाने के लिये दान **पुण्य करता है, उसका वह कर्म** इस लोक या परलोक में **कहीं भी सुख का कारण नहीं होता।**

(जिसके माता पिता वृद्ध हों, स्त्री पतिव्रता हो और पुत्र नन्हासा हो, उसे सैकड़ों बुरे काम करके भी उन सबका पालन पोषण करना चाहिये, यह मनुजीने कहा है।)

(७३) ब्रह्महत्या के समान कार्य

रेत:सेक: स्वयोनीषु कुमारीष्वन्त्यजासु च।

सख्यु: पुत्रस्य च स्त्रीषु गुरूतल्पसमं विदु: ।। ५८।।

सगी बहन, कुमारी, चाण्डालिन, मित्रपत्नी और पुत्रवधू इनमें वीर्यसिञ्चन करना गुरुपत्नीगमन के समान जानना।

(७४) उपपातक

गोवधोऽयाज्यसंयाज्यपारदार्यात्मविक्रया:।

गुरुमातृपितृत्याग: स्वाध्यायाग्न्यो: सुतस्य च ।। ५९।।

परिवित्तितानुजेऽनूढे परिवेदनमेव च।

तयोर्दानं च कन्यायास्तयोरेव च याजनम् ।। ६०।।

कन्याया दूषणं चैव वार्धुष्यं व्रतलोपनम्

तडागारामदाराणामपत्यस्य च विक्रय:।। ६१।।

सर्वाकरेष्वधीकारो महायन्त्रप्रवर्तनम्

हिंसौषधीनां स्त्र्याजीवोऽभिचारो मूलकर्म च ।। ६३।।

अनाहिताग्निता स्तेयमृणानामनपक्रिया।

असच्छास्त्राधिगमनं कौशीलव्यस्य च क्रिया ।। ६५।।

धान्यकुप्यपशुस्तेयं पद्यपस्त्रीनिषेवणम्।

स्त्रीशूद्रविट्क्षत्रवधो नास्तिक्यं चोपपातकम् ।। ६६।।

गोबध, जाति और कर्म से दूषित मनुष्यों का यज्ञ कराना, **परस्त्रीगमन**, अपने को बेचना, गुरु, **माता**, पिता **की सेवा न करना**, वेदाध्ययन का त्याग, स्मार्तअग्नि का परित्याग, सन्तान का भरणपोषण न करना, **परिवित्तिता** (विवाहित छोटे भाई का अविवाहित बड़ा भाई) और **परिवेत्तृत्व, इन दोनों दोषवालों को कन्या देना**, उन दोनों को यज्ञ कराना, **कन्या के भग में उंगली डालना**, सूद पर रुपया लगाना, ब्रह्मचर्यव्रत का लोप, पोखर, बाग, **स्त्री** और सन्तान **को बेचना**, व्रात्यता, बन्धु–त्याग, नियत रूप से वेतन लेकर शास्त्र पढ़ाना, नियत वेतन–प्रदानपूर्वक

पढ़ना, जो वस्तु बेचनेयोग्य न हो उसकी बिक्री करना, सब प्रकार की खानों में अधिकारी होना, बड़े–बड़े प्रवाह में सेतु निर्म्माण के लिये बड़ी–बड़ी कलें बनाना, ओषधियों की जड़ खोदना, **स्त्री के व्यभिचार से जीविका चलाना,** मन्त्रयन्त्र के खरा मारण उच्चाटन आदि, निरपराधी जीव का बध, जलावन के लिये हरे पेड़ों को काट गिराना, अपने लिये रसोई बनाना, निन्दित अन्न खाना, अग्निहोत्र न करना, किसी की चीज चुराना, ऋण न चुकाना, वेदविरूद्ध शास्त्र का पढ़ना, अभिनय करना, धान्य, ताँबा और पशु चुराना, **मद्य पीनेवाली स्त्री का सेवन करना, स्त्री,** शूद्र, वैश्य और क्षत्रिय **का बध** तथा नास्तिकता, **ये सब उपपातक है।**

(७५) गर्भ, स्त्री हत्या का प्रायश्चित्त

अतोऽन्यतममास्थाय विधिं विप्रः समाहितः।
ब्रह्महत्याकृतं पापं व्यपोहत्यात्मवत्तया ।। ८६।।

इस हेतु वह ब्राह्मण संयतचित होकर पूर्वोक्त प्रायचितों में किसी एक विधि का अनष्ठान कर आत्मनिष्ठता से ब्रह्महत्या के पाप का नाश करता है।

हत्वा गर्भमविज्ञातमेतदेव व्रतं चरेत्।
राजन्यवैश्यौ चेजानावात्रेयीमेव च स्त्रियम् ।। ८७।।

अज्ञात गर्भ को, यज्ञ करते हुए क्षत्रिय और वैश्य को **तथा रजस्वला स्त्री को मारकर ब्रह्महत्या के इन उपरोक्त प्रायचित्तों को ही करे।**

(७६) गुरुस्त्रीगमन का प्रायश्चित्त

गुरुतल्प्य भिभाष्यैनस्तप्ते स्वप्यादयोमये।
सूर्मी ज्वलन्तीं स्वाश्लिष्येन्मृत्युना स विशुद्ध्यति।।१०३।।

गुरुपत्नी में गमन करने वाला अपने पाप की ख्याति करके लोहे की तप्त शय्यापर सोवे या **लोहे की स्त्री–प्रतिमा बनाकर** उसे **आग में लाल कर** अच्छी तरह उसका **आलिग्न करे, इस प्रकार मृत्यु होने से** वह **शुद्ध होता है।**

चान्द्रायणं वा त्रीन्मासानभ्यस्येन्नियतेन्द्रियः।
हविष्येण यवाग्वा वा गुरुतल्पापनुत्तये ।। १०६।।

अथवा **गुरुपत्नी गमन के पापनाशार्थ** जितेन्द्रिय होकर तीन महीने तक फल मूल आदि हविष्य खाकर या यवागू पान करके **चान्द्रायण व्रत करे।**

(७७) स्त्री आदि का जूठा भोजन करने पर प्रायश्चित्त

अभोज्यानां तु भुक्त्वान्नं स्त्रीशूद्रोच्छिष्टमेव च।
जग्ध्वा मांसमभक्ष्यं च सप्तरात्रं यवान्पिबेत् ।। १५२।।

जिनका अन्न खाना मना है, उनका अन्न, **स्त्री** और शूद्रों **का जूठा** और अभच्य मांस **खाकर सात रात तक** यवागू या जलमिश्रित **जौ का सत्तू पिये।**

(७८) अगम्य के गमन का प्रायश्चित्त

गुरुतल्पव्रतं कुर्याद्रेतः सिक्त्वा स्वयोनिषु।
सख्युः पुत्रस्य च स्त्रीषु कुमारीष्वन्त्यजासु च ।। १७०।।

सगी बहन, मित्रपत्नी, पुत्र–वधू, कुँवारी और अन्त्यजा (चाण्डालिन) के साथ मैथुन करने वाला गुरुपत्नीगमन का प्रायश्चित्त करे।

पैतृष्वसेयीं भगिनीं स्वस्त्रीयां मातुरेव च।
मातुश्च भ्रातुस्तनयां गत्वा चान्द्रायणं चरेत् ।। १७१।

फुफेरी, मौसेरी और ममेरी बहन के साथ गमन करके चान्द्रायण व्रत करे।

एतास्तिस्रस्तु भार्यार्थे नोपयच्छेत्तु बुद्धिमान्।
ज्ञातित्वेनानुपेयास्ताः पतति ह्युपयन्नधः ।। १७२।।

बुद्धिमान् पुरुष उपर्युक्त तीनों के साथ वैवाहिक सम्बन्ध न करे, क्योंकि वे नाते में बहन होने के कारण ब्याहने योग्य नहीं हैं। जो उनके साथ ब्याह करता है, वह नरकगामी होता है।

(७९) रजस्वलागमन का प्रायश्चित्त

अमानुषीषु पुरुष उदक्यायामयोनिषु।
रेतः सिक्त्वा जले चैव कृच्छ्रं सांतपनं चरेत ।। १७३।।

जो पुरुष घोड़ी आदि में, **राज्स्वला स्त्री** में, **योनि से भिन्न स्थान** में और जल में वीर्य त्याग करता है, वह कृच्छ्र सात्तसपन व्रत करने से शुद्ध होता है।

अध्याय १२.

(८०) तीन प्रकार के दैहिक दुष्कर्म

अदत्तानामुपादानं हिंसा चैवाविधानतः।
परदारोपसेवा च शारीरं त्रिविधं स्मृतम् ।। ७।।

दूसरे की वस्तु को बलपूर्वक लेना, अवैध हिंसा और **परस्त्री गमन,** ये तीन प्रकार के **दैहिक दुष्कर्म हैं।**

* मनुस्मृति (भाषा–टीका) टीकाकार पं जनार्दन झा, प्रकाशक हिन्दी पुस्तक एजेन्सी कलकत्ता, संवत् १९८१

२. कौटिलीय अर्थशास्त्र में कुछ महत्वपूर्ण स्त्री विषयक प्रकरण*

प्रकरण–७

अध्याय–११

गुप्तचरों की नियुक्ति (भ्रमणशील गुप्तचर)

१. परिव्राजिका वृत्तिकामा दरिद्रा विधवा प्रगल्भा ब्राह्मण्यन्तः पुरे कृतसत्कारा महामात्रकुलान्यधिगच्छेत्। एतया मुण्डावृषल्यो व्याख्याताः। इति सञ्चाराः। (४) पृष्ठ सं० ३२

आजीविका की इच्छुक, दरिद्र, प्रौढ़, **विधवा,** दबंग **ब्राह्मणी,** रनिवास में सम्मानित, प्रधान अमात्यों के घर में प्रवेश पानेवाली **'परिव्राजिका'** (संन्यासिनी के वेश में खुफिया का काम करने वाली) नाम की **गुप्तचरी** कहलाती है। इसी प्रकार मुंडा (मुंडित बौद्ध–भिक्षुणी) और **वृषली** (शूद्रा) आदि **नारी गुप्तचरियों** को भी जान लेना चाहिए। ये सभी 'संचार' नामक गुप्तचर हैं।

२. भिक्षुकी प्रतिषेधे द्वाःस्थपरम्परा मातापितृव्यञ्जनाः शिल्पकारिकाः कुशीलवा दास्यो वा गीतपाठ्यवाद्यभाण्डगूढलेख्यसंज्ञाभिर्वा चारं निर्हारयेयुः। दीर्घरोगोन्मादाग्निरसविसर्गेण वा गूढनिर्गमनम्। (२) पृष्ठ सं० ३४

यदि अमात्य आदि के घरों में **भिक्षुकी** का अंतःप्रवेश निषिद्ध हो तो वह समाचार द्वारपालों के माध्यम से बाहर **भिक्षुकी** तक पहुँचे। यदि इसमें भी कुछ आशंका या असम्भव जान पड़े तो अंतःपुर के नौकरों के माता–पिता बनने का बहाना

करके वृद्धा **स्त्री**–पुरूष भीतर प्रवेश करके रहस्य का पता लगायें। या तो **रानियों के बाल सवाँरने वाली** या नाचने–गाने वाली **स्त्रियों** अथवा **दासियों** द्वारा, अथवा निजी संकेतों वाले गीतों, श्लोकों, प्रार्थनाओं, या तो बाजों, बर्तनों, टोकरियों में गुप्त लेख रखकर, अथवा अन्य विधियों से, जैसा भी समय के अनुसार अपेक्ष्य हो, अंत:पुर के समाचारों को बाहर लाया जाय। यदि इन युक्तियों से भी सफलता न मिले तो गुप्तचर को चाहिए कि वह किसी भयटर बीमारी अथवा पागलपन के बहाने से आग लगाकर या किसी को जहर देकर (जिससे अंत:पुर में कोलाहल मच जाये) चुपचाप बाहर निकल आवे।

प्रकरण–३९

अध्याय–२३

सूत–व्यवसाय का अध्यक्ष

१. ऊर्णावल्ककार्पासतूलशणक्षौमाणि च विधवान्यङ्गकन्याप्रव्रजितादण्डा–प्रतिकारिणीभी रूपाजीवामातृकाभिर्वृद्धराजदासीभिर्व्युपरतोपस्थानदेवदासीभिश्च कर्तयेत्। (२) पृष्ठ सं० १९२

ऊन, बल्क, कपास, सेंमल, सन और जूट आदि को कतवाने के लिए विधवाओं, अग्हीन **स्त्रियों, कन्याओं, सन्यासिनों, सजायाफ्ता स्त्रियों, वेश्याओं की खालाओं, बूढ़ी दासियों** और मन्दिर की **दासियों** को नियुक्त करना चाहिए।

२. श्लक्ष्णस्थूलमध्यतां च सूत्रस्य विदित्वा वेतनं कल्पयेत्। बह्वल्पतां च। सूत्रप्रमाणं ज्ञात्वा तैलामलकोद्वर्तनैरेता अनुगृह्णीयात्। (३) पृष्ठ सं० १९२

सूत की एकसारता, मोटाई और मध्यमता की अच्छी तरह जाँच करने के बाद उक्त–**महिलाओं** की मजदूरी नियत करनी चाहिए। कम–ज्यादा सूत कातने वाली **स्त्रियों** को उनके कार्य के अनुसार वेतन देना चाहिये सूत का वजन अथवा लम्बाई को जानकार पुरस्कार रूप में उन्हें तेल, आँवला और उबटन देना चाहिए, जिससे वे प्रसन्न होकर अधिक कार्य करें।

३. तिथिषु प्रतिपादनमानैश्च कर्म कारयितव्या:। सूत्र से वेतनह्रासो द्रव्यसारात्। (४) पृष्ठ सं० १९२

त्यौहारों और छुट्टी के दिनों में उन्हें भोजन, दान या सामान देकर उनसे कार्य करवाना चाहिए। निर्धारित मात्रा से सूत कम काता जाय तो, सूत के मूल्य के अनुसार उनका वेतन काटना चाहिए।

४. याश्चानिष्कासिन्यः प्रोषितविधवा व्यङ्गाः कन्यका वाऽऽत्मानं बिभृयुस्ताः स्वदासीभिरनुसार्य सोपग्रहं कर्म कारयितव्याः। (३) पृष्ठ सं० १९३

जो **स्त्रियाँ** परदानसीन हों, जिनके पति परदेश गए हों, विधवा हों, जो लूली–लंगड़ी हों, जिनका विवाह न हुआ हो, जो आत्म निर्भर रहना चाहती हों, ऐसी **स्त्रियों** के सम्बन्ध में अध्यक्ष को चाहिए कि वह **दासियों** द्वारा सूत भेज कर उनसे कतवाये और उनके साथ अच्छा व्यवहार करे।

५. स्वयमागच्छन्तीनां वा सूत्रशालां प्रत्युषसि भाण्डवेतनविनिमयं कारयेत्। सूत्रपरीक्षार्थं मात्रः प्रदापः। (४) पृष्ठ सं० १९३

घर पर काते हुए सूत को लेकर जो **स्त्रियाँ** स्वयं या **दासियों** को साथ लेकर प्रातः काल ही पुतलीघर (सूत्रशाला) में उपस्थित हों, उन्हें यथोचित मजदूरी दी जानी चाहिए। सूत्रशाला में अधिक सबेरा होने के कारण यदि कुछ अन्धेरा हो तो वहाँ उतना ही प्रकाश किया जाय, जिससे सूत अच्छी तरह देखा जा सके।

६. स्त्रिया मुखसन्दर्शनेऽन्यकार्यसम्भाषायां वा पूर्वः साहसदण्डः। वेतनकालातिपातने मध्यमः, अकृतकर्मवेतनप्रदाने च। (५) पृष्ठ सं० १९३

स्त्री का मुख देखने या कार्य के अलावा इधर–उधर की बात करने वाले परीक्षक को प्रथम साहस दण्ड दिया जाना चाहिए। उन्हें उचित समय पर वेतन या मजदूरी न दी जाये तो मध्यम साहस दण्ड और कार्य न करने पर भी यदि वेतन दिया जाय तब भी मध्यम साहस दण्ड देना चाहिए।

७. गृहीत्वा वेतनं कर्माकुर्वत्याः अङ्गुष्ठसन्दंशनं दापयेत्। भक्षितापहृतावस्कन्दितानां च। वेतनषु च कर्मकराणामपराधतो दण्डः। (६) पृष्ठ सं० १९३

जो **स्त्री** वेतन लेकर भी कार्य न करे उसका अंगूठा कटवा देना चाहिए। यही दण्ड उसको भी देना चाहिए, जो माल को चुराये, खो दे अथवा लेकर भाग जाय। प्रत्येक कर्मचारी को उसके अपराध के अनुसार शारीरिक या आर्थिक दण्ड दिया जाना चाहिए।

प्रकरण—४३

अध्याय—२७

वेश्यालयों का अध्यक्ष

१. गणिकाध्यक्षो गणिकान्वयामगणिकान्वयां वा रूपयौवनशिल्पसम्पन्नां सहस्त्रेण गणिकां कारयेत्। कुटुम्बार्धेन प्रतिगणिकाम्। (१) पृष्ठ सं० २०७

वेश्यालयों की व्यवस्था करने वाले राजकीय अधिकारी को चाहिए कि रूप, यौवन से सम्पन्न एवं गायन—वादन में निपुण **स्त्री** को, चाहे वह वेश्याकुल से संबद्ध हो या न हो, एक हजार पण देकर गणिका (वेश्या) के कार्य पर नियुक्त करे। इसी प्रकार दूसरी **गणिकाओं** को नियुक्त किया जाय, और एक सहस्र पण में से आधा उन्हें तथा आधा उनके परिवार को दे दिया जाय।

२. निष्पतिताप्रेतयोर्दुहिता भगिनी वा कुटुम्बं भरेत। तन्माता वा प्रतिगणिकां स्थापयेत्। तासामभावे राजा हरेत्। (२) पृष्ठ सं० २०७

यदि कोई **गणिका** दूसरी जगह चली जाय या मर जाय तो उसकी जगह उसकी **लड़की या बहिन** नियुक्त होकर परिवार का पोषण करे। अथवा उसकी **माता** उसकी जगह किसी दूसरी **गणिका** को नियुक्त करे। यदि ऐसा भी सम्भव न हो सके तो उसकी संपति को राजा ले ले।

३. सौभाग्यालङ्कारवृद्ध्यासहस्त्रेण वारं कनिष्ठं मध्यममुत्तमं वारोपयेत्। छत्रभृङ्गारव्यजनशिबिकापीठिकारथेषु च विशेषार्थम्। (३) पृष्ठ सं० २०६

वेश्याओं की तीन श्रेणियाँ हैं। १. कनिष्ठ, २. मध्यम और ३. उत्तम। सौन्दर्य तथा सजावट में कमसल कनिष्ठ वेश्या का वेतन एक हजार पण, सौन्दर्य तथा सजावट में उससे अच्छी मध्यम वेश्या का वेतन दो हजार पण, और हर एक बात में चतुर उत्तम वेश्या का वेतन तीन हजार पण होता है। कनिष्ठ **वेश्या** छत्र तथा इत्रदान लेकर राजा की सेवा करे, मध्यम **वेश्या** पालकी के साथ रहकर राजा को व्यजन करे, और उत्तम **वेश्या** राजसिंहासन तथा रथ आदि के निकट रह कर राजा की परिचर्या करे।

४. सौभाग्यमङ्गे मातृकां कुर्यात्। (४) पृष्ठ सं० २०६

जब **गणिकाओं** का सौन्दर्य जाता रहे और उनकी जवानी ढल जाय, तब उन्हें **खाला (मातृका)** के स्थान पर नियुक्त कर देना चाहिए।

५. **निष्क्रयचतुर्विंशतिसाहस्त्रो गणिकायाः। द्वादशसाहस्त्रो गणिकापुत्रस्य। अष्टवर्षात्प्रभृति राज्ञः कुशीलवकर्म कुर्यात् (१) पृष्ठ सं० २०८**

जो **गणिकाएँ** राजवृत्ति से अपने को मुक्त करना चाहें, वे राजा को चौबीस हजार पण देकर स्वतन्त्र हो सकती हैं। यदि वेश्यापुत्र राजसेवा से निवृत्त होना चाहे तो वह बारह पण अदा करे। यदि वह मुक्त होने का मूल्य (निष्क्रय) अदा करने में असमर्थ हो तो आठ वर्ष तक राजा के यहाँ चारण का कार्य कर अपने आप को मुक्त कर सकता है।

६. **गणिकादासी भग्नभोगा कोष्ठागारे महानसे वा कर्म कुर्यात्। अविशन्ती सपादपणसवरुद्धा मासवेतनं दद्यात्। (२) पृष्ठ सं० २०८**

वेश्या की दासी जब बूढ़ी हो जाये तो उसे कोष्ठागार या रसोई के कार्य में नियुक्त कर देना चाहिए। यदि वह काम न करना चाहे और किसी **पुरुष की स्त्री** बन कर रहना चाहे, वह प्रतिमास उस **गणिका** को सवा पण वेतन दे।

७. **भोगं दायमायं व्ययमायतिं च गणिकाया निबन्धयेत्। अतिव्ययकर्म च वारयेत्। (३) पृष्ठ सं० २०८**

गणिकाध्यक्ष को चाहिए कि वह **वेश्याओं** के भोगधन (सम्भोग से प्राप्त हुई आमदनी), **माता** से मिला धन (दायभाग), संभोग के अतिरिक्त आमदनी (आय) और भावी–प्रभाव (आयति) आदि को रजिस्टर में दर्ज करता रहे, और उन्हें अधिक खर्च करने से रोकता रहे।

८. **मातृहस्तादन्यत्राभरणन्यासे सपादचतुष्पणो दण्डः। स्वापतेयं विक्रयमाधानं नयन्त्याः सपादपञ्चाशत्पणो दण्डः। (४) पृष्ठ सं० २०८**

यदि **गणिका** अपने आभूषणों को अपनी माता के सिवा किसी दूसरे के हाथ सौंपे तो उसे सवा चार पण दण्ड दिया जाय। यदि वह अपने गहने, कपड़े, वर्तन आदि को बेचे या गिरवी रखे तो उस पर सवा पचास पण का दण्ड किया जाय।

९. **चतुर्विंशतिपणो वाक्पारुष्ये। द्विगुणो दण्डपारुष्ये। सपादपञ्चाशत्पणः पणोऽर्धपणश्च कर्णच्छेदने। (५) पृष्ठ सं० २०८**

यदि वह किसी के साथ कठोरता का बर्ताव करे तो उसे चौबीस पण का दण्ड दिया जाय। यदि वह हाथ, पैर, लाठी आदि से प्रहार करे तो दुगुना

(अड़तालीस पण) दण्ड दिया जाय। यदि वह किसी का कान, हाथ काट ले तो उसे पौने बावन पण का दण्ड दिया जाय।

१०. अकामायाः कुमार्या वा साहसे उत्तमो दण्डः। सकामायाः पूर्वः साहसदण्डः। (६) पृष्ठ सं० २०८

यदि कोई पुरुष कामनारहित **कुमारी पर बलात्कार** करे तो उसे उत्तम साहस दण्ड देना चाहिए। जो इच्छा करने वाली कुमारी के साथ संभोग करे उसे भी प्रथम साहस दण्ड दिया जाना चाहिए।

११. गणिकामकामां रुन्धतो निष्पातयतो वा व्रणविदारणेन वा रूपमुपघ्नतः सहस्रदण्डः। स्थानविशेषेण वा दण्डवृद्धिरानिष्क्रयद्विगुणात् पणसहस्रं वा दण्डः। (१) पृष्ठ सं० २०९

जो पुरूष किसी **कामनारहित वेश्या** को जबर्दस्ती अपने घर में रोक कर रखे या कोई चोट तथा घाव कर उसके रूप को क्षति पहुँचाये उस पुरुष को एक हजार पण से दण्डित करना चाहिए। शरीर के भिन्न–भिन्न स्थानों को चोट पहुँचाने पर, उन–उन स्थानों की विशेषताओं के अनुसार अधिक दण्ड दिया जा सकता है, यह दण्ड–राशि अड़तालीस हजार पण तक ली जा सकती है।

१२. प्राप्ताधिकारां गणिकां घातयतो निष्क्रयात्त्रिगुणो दण्डः। मातृकादुहितृका–रूपदासीनां घात उत्तमः साहसदण्डः। (२) पृष्ठ सं० २०९

राजा की सेवा में नियुक्त **वेश्याओं** को मारने वाले व्यक्ति पर बहत्तर हजार पण दण्ड किया जाय। खाला, **वेश्यापुत्री** और **वेश्या** को मारने–पीटने वाले को उत्तम साहस दण्ड दिया जाय।

१३. सर्वत्र। प्रथमेऽपराधे प्रथमः, द्वितीये द्विगुणः, तृतीये त्रिगुणः, चतुर्थे यथाकामी स्यात्। (३) पृष्ठ सं० २०९

पूर्वोक्त सारी दण्ड–व्यवस्था एक बार अपराध करने वालों के लिए निर्दिष्ट है। यदि कोई अपराधी उसी अपराध को दुहराये तो दुगुना दण्ड, तिहराये तो तिगुना दण्ड, और चौथी बार भी उसी अपराध को करे तो चौगुना दण्ड अथवा सर्वस्वहरण, देश निकाला आदि जो भी उचित हो, उसे दण्ड दिया जाय।

१४. राजाज्ञया पुरुषमनभिगच्छन्ती गणिका शिफासहस्रं लभेत, पञ्चसहस्रं वा दण्डः। (४) पृष्ठ सं० २०९

राजा की आज्ञा होने पर यदि कोई वेश्या किसी विशिष्ट व्यक्ति के पास ज़ाने से इनकार कर दे तो उस पर एक हजार कोड़े लगवाये जाँय अथवा उस पर पाँच हजार पण जुर्माना किया जाय।

१५. भोगं गृहीत्वा द्विषत्या भोगद्विगुणो दण्डः। वसतिभोगापहारे भोगमष्टगुणं दद्यात्, अन्यत्र व्याधिपुरुषदोषेभ्यः। (५) पृष्ठ सं० २०९

यदि कोई **वेश्या** संभोग–शुल्क (भाग) लेकर धोखा कर दे तो उस पर संभोग–शुल्क से दुगुना जुर्माना करना चाहिए। यदि पूरी रात का शुल्क लेकर गणिका किस्सा–कहानियों या दूसरे बहानों में ही सारी रात टाल दे तो उसपर शुल्क का आठ गुना दण्ड किया जाना चाहिए, किसी किसी संक्रामक रोग या किसी दोष के कारण गणिका यदि संभोग कराने को तैयार न हो तो उसे अपराधिनी न समझा जाय।

१६. पुरुषं घ्नत्याश्चिताप्रतापोऽप्सु प्रवेशनं वा। (१) पृष्ठ सं० २१०

यदि कोई **गणिका** संभोग–शुल्क लेकर किसी पुरुष को मरवा डाले तो **गणिका** को उस पुरुष के साथ जीवित ही चिता में जला देना चाहिए, अथवा उसके गले में पत्थर बाँधकर उसको पानी में डुबो देना चाहिए।

१७. गणिकाभरणमर्थं भोगं वाऽपहरतोऽष्टगुणो दण्डः। गणिका भोगमायतिं पुरुषं च निवेदयेत्। (२) पृष्ठ सं० २१०

यदि कोई पुरुष किसी **गणिका** के वस्त्र, आभरण या संभोग से प्राप्त धन को चुरा ले तो उसे उस धन का आठ गुना दण्ड दिया जाय। **गणिका** को चाहिए कि वह अपने संभोग, अपनी आमदनी और अपने साथ रहनेवाले पुरुष की सूचना गणिकाध्यक्ष को बराबर देती रहे।

१८. एतेन नटनर्तकगायकबादकवाग्जीवनकुशीलवप्लवकसौभिकचारणस्त्री–व्यवहारिणां स्त्रियो गूढाजीवाश्च व्याख्याताः। (३) पृष्ठ सं० २१०

यही दण्ड–विधान और यही व्यवस्था उन लोगों के लिये भी है जो नट, नर्तक, गायक, वादक, कथावाचक, कुशीलव, प्लवक, जादूगर, चारण है तथा जो कोई भी **स्त्रियों** द्वारा जीविका–निर्वाह करते हैं, और वे **स्त्रियाँ** जो छिपकर व्यभिचार करती हैं।

१९. तेषां तूर्यमागन्तुकं पञ्चपणं प्रेक्षावेतनं दद्यात्। (४) पृष्ठ सं० २१०

बाहर से आई हुई **नट–मण्डली** प्रत्येक खेल पर पाँच पण राजकर के रूप में अदा करे।

२०. **रूपाजीवा भोगद्वयगुणं मासं दद्युः। (५) पृष्ठ सं० २१०**

रूप से जीविका कमाने वाली **वेश्या** अपनी मासिक आमदनी के हिसाब से दो दिन की कमाई कर रूप में राजा को दे।

२१. **गीतवाद्यपाठ्यनृत्तनाट्याक्षरचित्रवीणावेणुमृदङ्गपरचितज्ञानगन्धमाल्य–संयूहनसम्पादनसंवाहनवैशिककलाज्ञानानि गणिका दासी रङ्गोपजीविनीश्च ग्राहयतो राजमण्डलादाजीवं कुर्यात्। (६) पृष्ठ सं० २१०**

गाना, बजाना, नाचना, नाटक करना, लिखना, चित्रकारी करना, वीणावेणु—मृदंग बजाना, दूसरे के मन को पहिचानना, सुगन्धित द्रव्यों को बनाना, माला गूँथना, पैर दबाना, शरीर सजाना आदि कार्यों में निपुण लोगों की और **गणिका, दासी** तथा **नर्तकियों** को कलाओं का ज्ञान देने वाले आचार्यों की, आजीविका का प्रबन्ध नगरों तथा गाँवों से आने वाली आय द्वारा किया जाना चाहिए।

२२. **गणिकापुत्रान् रंगोपजीविनश्च मुख्यान् निंष्पादयेयुः सर्वतालावचराणां च। (१) पृष्ठ सं० २११**

वेश्यापुत्रों, नाचने–गाने वालों और इसी प्रकार के अन्य लोगों की **वेश्याओं** का शिक्षक नियुक्त करना चाहिए।

२३. **गणिकापुत्रान् रंगोपजीविनच मुख्यान् निष्पादयेयुः सर्वतालावचराणां च। (१) पृष्ठ सं० २११**

वेश्यापुत्रों, नाचने–गाने वालों और इसी प्रकार के अन्य लोगों की **वेश्याओं** का शिक्षक नियुक्त करना चाहिए।

२४. **संज्ञाभाषान्तरज्ञाश्च स्त्रियस्तेषामनात्मसु।**

चारघातप्रमादार्थं प्रयोज्या बन्धुवाहनाः। (२) पृष्ठ सं० २११

नट–नर्तक आदि पुरुषों को धन का लालच देकर राजा अपने वश में कर ले और तब, उनके भाषायें बोलने वाली तथा अनेक प्रकार के वेश बनाने

वाली उनकी स्त्रियों को शत्रु के गुप्तचरों का वध करने अथवा उनको विषयवासनाओं में फँसाने के लिये नियुक्त कर दे।

प्रकरण—५५

अध्याय—३६

नागरिक के कार्य

१. रक्षिणामवार्य वारयतां वार्य चावारयतामक्षणद्विगुणो दण्डः। स्त्रियं दासीमधिमेहयतां पूर्वः साहसदण्डः, अदासीं मध्यमः, कृतावरोधामुत्तमः, कुलस्त्रियं वधः। (५) पृष्ठ सं० २४९

जो पहरेदार रोके जाने योग्य व्यक्तियों को न रोक लें तो उन्हें, रोक लगे समय के अपराध से दुगुना अर्थात् ढाई पण दण्ड देना चाहिए। **जो पुरुष दूसरे की स्त्री तथा दासी के साथ बलात्कार करे, उसे** प्रथम साहस **दण्ड देना चाहिए। दासी** आदि के अलावा किसी **वेश्या के** साथ बलात्कार करने पर मध्यम साहस दण्ड देना चाहिए। यदि कोई **दासी या वेश्या किसी की पत्नी** बन चुकी हो और तब उसके साथ कोई बलात्कार करे तो उसे उत्तम साहस दण्ड दिया जाना चाहिए। जो पुरुष **कुलीन स्त्रियों** के साथ ऐसा दुर्व्यवहार करे उसको प्राणदण्ड की सजा देनी चाहिए।

प्रकरण—५८

अध्याय—२

विवाह सम्बन्ध

धर्मविवाहः स्त्री का धनः स्त्री को पुनर्विवाह का अधिकारः पुरुष को पुनर्विवाह का अधिकार

१. विवाहपूर्वो व्यवहारः। (१) पृष्ठ सं० २६१

धर्मविवाहः **विवाह** के बाद ही सारे सांसारिक व्यवहार आरम्भ होते हैं।

२. कन्यादानं कन्यामलङ्कृत्य ब्राह्मो विवाहः। (२) पृष्ठ सं० २६१

वस्त्र—आभूषण आदि से सजाकर विधिपूर्वक—**कन्यादान** करना ब्राह्म विवाह कहलाता है।

३. सहधर्मचर्या प्राजापत्यः। (३) पृष्ठ सं० २६१

कन्या और वर, दोनों सहधर्म पालन करने की प्रतिज्ञा कर जिस **विवाह** बन्धन को स्वीकार करते हैं, उसे **प्राजापत्य विवाह** कहते हैं।

४. **गोमिथुनादानादार्षः। (४) पृष्ठ सं० २६१**

वर से गऊ का जोड़ा लेकर जो **विवाह** किया जाता है उसे **आर्ष विवाह** कहते हैं।

५. **अन्तर्वेद्यामृत्विजे दानाद् दैवः। (५) पृष्ठ सं० २६१**

विवाह वेदी में बैठकर ऋत्विक् को जो **कन्यादान** दिया जाता है उसे **दैव विवाह** कहते हैं।

६. **मिथस्समवायाद् गान्धर्वः। (६) पृष्ठ सं० २६१**

कन्या और वर का आपसी सलाह से किया गया विवाह **गान्धर्व विवाह** (Love marriage) कहलाता है।

७. **शुल्कादानादासुरः। (७) पृष्ठ सं० २६१**

कन्या के पिता को धन देकर जो **विवाह** किया जाता है उसे **आसुर विवाह** कहते हैं।

८. **प्रसह्यादानाद् राक्षसः। (८) पृष्ठ सं० २६१**

किसी **कन्या** से बलात्कार करके विवाह करना **राक्षस विवाह** कहलाता है।

९. **सुप्तादानात् पैशाचः। (१) पृष्ठ सं० २६२**

सोई हुई **कन्या** को हरण करके विवाह करना **पैशाच विवाह** कहलाता है।

१०. **पितृ प्रमाणाश्चत्वारः पूर्वे धर्म्याः। मातापितृप्रमाणाः शेषाः। तौ हि शुल्कहरौ दुहितुः। अन्यतराभावेऽन्यतरो वा। (२) पृष्ठ सं० २६२**

उक्त आठ प्रकार के विवाहों में पहिले प्रकार के **विवाह** की सलाह से होने के कारण धर्मानुकूल विवाह है। बाकी चार विवाह **माता**—पिता दोनों की सलाह से होते हैं; क्योंकि वे दोनों **लड़की** को देकर उसके बदले में धन लेते हैं। उस धन को यदि पिता न हो तो माता ले सकती है और **माता** न हो पिता ले सकता है।

११. **द्वितीयं शुल्कं स्त्री हरेत्। सर्वेषां प्रीत्यारोपणमप्रतिषिद्धम्। (३) पृष्ठ सं० २६२**

इसके अतिरिक्त प्रीतिवश दिया हुआ दूसरे प्रकार का धन उस **कन्या** का है जिसके साथ विवाह किया गया हो। सभी प्रकार के विवाहों में **स्त्री**—पुरुष में परस्पर प्रीति का होना आवश्यक है।

१२. वृत्तिराबन्ध्यं वा स्त्रीधनम्। परद्विसाहस्त्रा स्थाप्या वृत्तिः। आबन्ध्यानियमः। (४) पृष्ठ सं० २६२

स्त्री का धनः स्त्री का धन दो प्रकार का होता हैः १. वृत्ति और २. आवध्य। **स्त्री** का वृत्ति धन वह है जो स्त्री के नाम से बैंक आदि में जमा किया गया हो। उसकी रकम कम—से—कम दो हजार तक होनी चाहिए। गहना या जेवर आदि आवध्य धन कहलाते है, जिनकी तादाद का कोई नियम नहीं है।

१३. तदात्मपुत्रस्नुषाभर्मणि प्रवासाप्रतिविधाने च भार्याया भोक्तुमदोषः। प्रतिरोधकव्याधिदुर्भिक्षभयप्रतीकारे धर्मकार्ये च पत्युः। सम्भूय वा दम्पत्योर्मिथुनं प्रजातयोस्त्रिवर्षोप भुक्तं च धर्मिष्ठेषु विवाहेषु नानुयुञ्जीजीत। गान्धर्वासुरोपभुक्तं सवृद्धिकमुभयं दाप्येत। राक्षसपैशाचोपभुक्तं स्तेयं दद्यात्। इति विवाहधर्मः। (५) पृष्ठ सं० २६२

किसी **स्त्री** का पति परदेश चला जाय और उसकी (**स्त्री** की) जीविका निर्वाहं के लिए कोई जरिया न हो तो वह **स्त्री** अपने पुत्र और अपनी **पतोहू** के जीवन—निर्वाह के लिए अपने निजी धन को खर्च कर सकती है। किसी विपत्ति, बीमारी, दुर्भिक्ष या इसी तरह के आकस्मिक संकट से बचने के लिए और किसी धर्मकार्य में पति भी यदि **स्त्री** के निजी धन को खर्च करता है तो उसमें कोई बुराई नहीं। इसी प्रकार दो सन्तान पैदा होने पर **स्त्री**—पुरुष दोनों मिलकर यदि उस धन को खर्च करें तब भी कोई दोष नहीं; और ऐसे पति—**पत्नी** जिनका विवाह धर्मानुकूल हुआ हो, कोई सन्तान पैदा न होने पर तीन वर्ष तक उस धन को खर्च कर सकते हैं। जिन्होंने गान्धर्व या आसुर विवाह किया हो और आपसी सलाह से वे **स्त्री**—धन को खर्च कर डालें तो उनसे व्याजसहित मूलधन जमा कर लिया जाय। जिन्होंने राक्षस तथा पैशाच विधि से विवाह किया हो ऐसे पति—**पत्नी** यदि स्त्री धन को खर्च कर डालें तो उन्हें चोरी का दण्ड दिया जाय। यहाँ तक **विवाह** धर्म का निरूपण किया गया है।

१४. मृते भर्तरि धर्मकामा तदानीमेवास्थाप्याभरणं शुल्कशेषं च लभेत। लब्ध्वा वा विन्दमाना सवृद्धिकमुभयं दाप्येत। कुटुम्बकामा तु श्वशुरपतिदत्तं निवेशकाले लभेत। निवेशकालं हि दीर्घप्रवासे व्याख्यास्यामः। (१) पृष्ठ सं० २६२

स्त्री को पुनर्विवाह का अधिकार : पति के मर जाने पर स्त्री यदि अपने धर्म–कर्म पर रहना चाहती हो तो उसे अपने दोनों प्रकार के निजी धन तथा प्रीति धन ले लेना चाहिए। उस धन को ले लेने के बाद यदि वह दूसरा पति कर ले तो व्याज सहित सारे मूलधन को वह वापस कर दे। यदि वह परिवार की इच्छा से दूसरा विवाह करना चाहती हो तो अपने मृत पति और श्वसुर के दिए हुए धन को विवाह के समय में ही पा सकती है, उसके पहिले नहीं। इस प्रकार के पुनर्विवाह का विस्तृत विवेचन आगे दीर्घप्रवास प्रकरण में किया जाएगा।

१५. श्वशुरप्रातिलोम्येन वा निविष्टा श्वशुरपतिदत्तं जीयेत। ज्ञातिहस्तादभिमृष्टाया ज्ञातयो यथागृहीतं दद्युः। (२) पृष्ठ सं० २६३

यदि **विधवा** स्त्री अपने ससुर की इच्छा के विरूद्ध पुनर्विवाह करना चाहे तो ससुर और मृत–पति का धन उसे नहीं मिलेगा। यदि विरादरी वालों के हाथ से उसके **पुनर्विवाह** का प्रबन्ध हो तो विरादरी वाले ही उसके लिये हुए धन को वापस करें।

१६. न्यायोपगतायाः प्रतिपत्ता स्त्रीधनं गोपायेत्। (३) पृष्ठ सं० २६३

न्यायपूर्वक प्राप्त हुई **स्त्री** की रक्षा करने वाला पुरुष ही उसके धन की भी रक्षा करे। **पुनर्विवाह** की इच्छा करने वाली **स्त्री** अपने मृत पति के उत्तराधिकार को नहीं पा सकती है।

१७. पतिदायं विन्दमाना जीयेत। धर्मकामा भुञ्जीत। (४) पृष्ठ सं० २६३

यदि वह धर्मपूर्वक जीवन–निर्वाह करने की इच्छा करे, तो वह अपने मृत पति के उत्तराधिकार को भोग सकती है।

१८. पुत्रवती विन्दमाना स्त्रीधनं जीयेत। तत्तु स्त्रीधनं पुत्रा हरेयुः। (५) पृष्ठ सं० २६३

यदि **पुत्रवती स्त्री पुनर्विवाह** करना चाहे तो वह **निजी स्त्रीधन** की अधिकारिणी नहीं हो सकती। उस **स्त्री** के निजी धन के उत्तराधिकारी उसके पुत्र ही होंगे।

१९. **पुत्रभरणार्थं वा विन्दमाना पुत्रार्थं स्फातीकुर्यात्। (६) पृष्ठ सं० २६३**

यदि कोई **विधवा स्त्री** अपने पुत्रों के भरण—पोषण के लिए **पुनर्विवाह** करना चाहे तो उसे अपनी निजी सम्पति अपने लड़कों के नामजद कर देनी पड़ेगी।

२०. **बहुपुरुषप्रजानां पुत्राणां यथापितृदत्तं स्त्रीधनमवस्थापयेत्। (१) पृष्ठ सं० २६४**

यदि किसी **स्त्री** के कई पतियों के द्वारा पैदा हुए हों तो उसे चाहिए कि जिस पिता का जो पुत्र हो उसी के नाम उसके पिता की सम्पत्ति नामजद करे।

२१. **कामकारणीयमपि स्त्रीधनं विन्दमाना पुत्रसंस्थं कुर्यात्। (२) पृष्ठ सं० २६४**

अपनी इच्छा से खर्च करने के लिए प्राप्त हुए धन को भी वह **पुनर्विवाह** करने से पूर्व अपने पुत्रों के नाम लिख दे।

२२. **अपुत्रा पतिशयनं पालयन्ती गुरुसमीपे स्त्रीधनम् आ आयुःक्षयाद् भुञ्जीत, आपदर्थं हि स्त्रीधनम्। ऊर्ध्वं दायादं गच्छेत्। (३) पृष्ठ सं० २६४**

पुत्रहीन विधवा अपने पतिव्रत धर्म का पालन करती हुई गुरु के संरक्षण में रहकर जीवन पर्यन्त अपने स्त्रीधन का उपभोग कर सकती है। **स्त्रीधन** आपत्तिकाल के लिए ही होता है। उसके मरने के बाद उसका बचा हुआ धन उसके उचित उत्तराधिकारियों को मिलना चाहिए।

२३. **जीवति भर्तरि मृतायाः पुत्रा दुहितरश्च स्त्रीधनं विभजेरन्। अपुत्राया दुहितरः। तदभावे भर्ता। (४) पृष्ठ सं० २६४**

पति के रहते हुए यदि **स्त्री** मर जाय तो उसके निजी धन को उसकी सन्तानें आपस में बाँट लें। यदि लड़के न हों तो धन को **लड़कियाँ** ही बाँट लें। यदि **लड़कियाँ** भी न हों तो उसका पति उस धन को ले ले।

२४. **शुल्कमन्वाधेयमन्यद् वा बन्धुभिर्दत्तं बान्धवा हरेयुः। इति स्त्रीधनकल्पः। (५) पृष्ठ सं० २६४**

बन्धु—बान्धवों ने जो धन **विवाह** के समय **दहेज** के रूप में या दूसरे रूप में उस स्त्री को दिया है उसे वे वापस ले सकते हैं। यहाँ तक **स्त्री—धन** विषयक नियमों पर विचार किया गया।

२५. **वर्षाण्यष्टावप्रजायमानामपुत्रां बन्ध्यां चाकाङ्क्षेत; दश विन्दुं, द्वादश कन्याप्रसविनीम्। (६) पृष्ठ सं० २६४**

पुरुष को पुनर्विवाह का अधिकार : यदि किसी **स्त्री की** संतान न होती हो या उसके अन्दर सन्तान पैदा करने की शक्ति न हो, तो पति को चाहिए कि वह आठ वर्ष तक सन्तान होने की प्रतीक्षा करे। यदि स्त्री मरे हुए बच्चे ही जने तो दश वर्ष तक और यदि उसको **कन्याएँ** ही पैदा होती हों तो पति को बारह वर्ष तक इन्तजार करना चाहिए।

२६. ततः पुत्रार्थी द्वितीयां विन्देत। तस्यातिक्रमे शुल्कं स्त्रीधनमर्ध चाधिवेदनिकं दद्यात्। चतुर्विंशतिपणपरं च दण्डम्। (६) पृष्ठ सं० २६४

उसके बाद पुत्र की इच्छा करने वाला पुरुष **पुनर्विवाह** कर सकता है। जो भी पुरुष इस नियम का उल्लंघन करे उसे दहेज में मिला हुआ धन, **स्त्रीधन,** अतिरिक्त धन अपनी पहली **स्त्री** के गुजारे के लिए देना चाहिए। इसके अतिरिक्त वह चौबीस पण तक का जुर्माना सरकार को अदा करे।

२७. शुल्कं स्त्रीधनमशुल्कस्त्रीधनायास्तत्प्रमाणमाधिवेदनिक मनुरूपां च वृत्तिं दत्त्वा बह्वीरपि विन्देत। पुत्रार्था हि स्त्रियः। तीर्थसमवाये चासां यथाविवाहं पूर्वोढां जीवत्पुत्रां वा पूर्व गच्छेत्। (१) पृष्ठ सं० २६५

जिस **स्त्री के विवाह** में न तो **दहेज** मिला है और न उसके पास अपना निजी धन है, उसको दहेज तथा **स्त्री धन** के बराबर धन देकर और उसके जीवन–निर्वाह के पर्याप्त सम्पत्ति देकर कोई भी पुरुष कितनी ही **स्त्रियों** के साथ विवाह कर सकता है। क्योंकि **स्त्रियाँ** पुत्र पैदा करने के लिए ही होती हैं। यदि एक पुरुष की अनेक **पत्नियाँ** एक ही साथ **रजस्वला** हों तो पति को चाहिए कि वह सबसे पहिले विवाहिता **पत्नी** के पास समागम के लिए जाय अथवा उस **पत्नी** के पास जाय जिसका कोई पुत्र जीवित हो।

२८. तीर्थगूहनागमने षण्णवतिर्दण्डः। पुत्रवतीं धर्मकामां वन्ध्यां बिन्दुं नीरजस्कां वा नाकामामुपेयात्, न चाकामः पुरुषः। कुष्ठिनीमुन्मत्तां वा गच्छेत्। स्त्री तु पुत्रार्थमेवंभूतं वोपगच्छेत्। (२) पृष्ठ सं० २६५

यदि कोई पुरुष **ऋतु–काल** को छिपाकर अपनी **स्त्री** से संसर्ग नहीं करता तो उसको सरकार की ओर से छियानबे पण दंड दिया जाय। किसी भी पुरुष को चाहिए कि वह **पुत्रवती**, पवित्र जीवन वाली, **बन्ध्या, मृतपुत्रा** और **मासिकधर्मरहित** स्त्री के साथ तब तक संभोग न करे जब तक संभोग के लिए

वह स्वयं राजी न हो। संभोग की इच्छा होते हुए भी **कोढ़िन या पागल** स्त्री से संभोग नहीं करना चाहिए, किन्तु; पुत्र की इच्छा रखने वाली स्त्री किसी भी कोढ़ी या उन्मत्त पुरुष के साथ संसर्ग कर सकती है।

२९. **प्राणाभिहन्ता पतितस्त्याज्यः क्लीबोऽपि वा पतिः।। (३) पृष्ठ सं० २६६**

किसी भी नीच, प्रवासी, राजद्रोही, घातक, जाति तथा धर्म से गिरे हुए और नपुंसक पति से **स्त्री विवाह विच्छेद** कर सकती है।

प्रकरण—६९

अध्याय—३

विवाह सम्बन्ध

स्त्री की परवरिशः कठोर स्त्री के साथ व्यवहारः पति—पत्नी का द्वेषः पति पत्नी का अतिचारः और अतिचार पर प्रतिषेध

१. **द्वादशवर्षा स्त्री प्राप्तव्यवहारा भवति, षोडशवर्षः पुमान्। अत ऊर्ध्वमशुश्रूषायां द्वादशपणः स्त्रिया दण्डः, पुंसो द्विगुणः। (१) पृष्ठ सं० २६६**

बारह वर्ष की लड़की और सोलह वर्ष का लड़का **कानूनन बालिग** माने जाते हैं। इस उम्र के बाद यदि वे राज—नियम का उल्लंघन (अशुश्रूषा) करें तो लड़की को बारह पण और लड़के को चौबीस पण का दण्ड दिया जाय।

२. **भर्मण्यायामनिर्दिष्टकालायां ग्रासाच्छादनं वाधिकं यथापुरुषपरिवापं सविशेषं दद्यात्। निर्दिष्टकालायां तदेव सङ्ख्याय। बन्धं च दद्यात्। शुल्कस्त्रीधनाधिवेदनिकानामनादाने च। (२) पृष्ठ सं० २६६**

स्त्री की परवरिश : यदि किसी **स्त्री** के भरण—पोषण (भर्म) की अवधि नियत न हो तो पुरुष को चाहिए कि वह उस स्त्री के वस्त्र, भोजन और व्यय का यथोचित प्रबन्ध करे; अथवा अपनी आमदनी के अनुसार उसको अतिरिक्त सुख—सुविधा भी दे; किन्तु जिस स्त्री के भरण—पोषण का समय नियत हो और जिस स्त्री ने **दहेज, स्त्री धन** तथा अतिरिक्त धन लेना स्वीकार न किया हो, पति को चाहिए कि अपनी आमदनी के अनुसार उसको बँधी हुई रकम देता जाय।

३. **श्वशुरकुलप्रविष्टायां विभक्तायां वा नाभियोज्यः पतिः। इति भर्म। (३) पृष्ठ सं० २६६**

यदि **स्त्री** अपने मायके में रहती हो या स्वतन्त्र रह कर गुजारा करती हो, तो उसके भरण–पोषण के लिए पति को बाध्य नहीं किया जा सकता है। यहाँ तक **स्त्री** की परवरिश पर विचार किया गया।

४. नग्ने, विनग्ने, न्यङ्गे, अपितृके, अमातृके, इत्यनिर्देशेन विनयग्राहणम्। वेणुदलरज्जुहस्तानामन्यतमेन वा पृष्ठे त्रिराघातः। तस्यातिक्रमे वाग्दण्डपारुष्य–दण्डाभ्यामर्धदण्डाः। (४) पृष्ठ सं० २६६

कठोर स्त्री के साथ व्यवहार : दाम्पत्य–नियमों का उल्लंघन करने वाली **स्त्री को** पहिले 'नंगी, अधनंगी, लूली–लँगड़ी, बाप–मरी, माँ–मरी' आदि गालियाँ न देकर उसको भले ढंग से नम्रता तथा सभ्यता सिखानी चाहिए। यदि इससे कार्य न सधे तो उसकी पीठ पर बाँस की खपाची, रस्सी या डप्पण से तीन बार चोट करें। फिर भी वह सीधी राह पर न आवे तो उसे वाक्पारुष्य तथा दण्डपारुष्य का आधा दण्ड दिया जाय।

५. तदेव स्त्रिया भर्तरि प्रसिद्धमदोषाया ईर्ष्याया बाह्यविहारेषु द्वारेषु अत्ययो यथानिर्दिष्टः। इति पारूष्यम्। (१) पृष्ठ सं० २६७

यही दण्ड उस **स्त्री** को भी दिया जाय जो अकारण ही निर्दोष पति से बुरा व्यवहार करती हो और पति के दरवाजे पर या बाहर किसी प्रकार की इशारेबाजी या ऐयाशी करे। इस प्रकार के नियम–विरुद्ध आचरण करने वाली **स्त्री** के लिए इसी प्रकरण में दण्ड का निर्देश किया गया है। यहाँ तक कटु–भाषिणी **स्त्री** के व्यवहार पर विचार किया गया।

६. भर्तारं द्विषती स्त्री सप्तार्तवान्यमण्डयमाना तदानीमेव स्थाप्याभरणं निधाय भर्तारम् अन्यया सह श्यानमनुशयीत। (२) पृष्ठ सं० २६७

पति–पत्नी का द्वेष : अपने पति के साथ द्वेष रखने वाली स्त्री यदि सात ऋतुकाल तक दूसरे पुरुष के साथ समागम करती रहे तो उसे चाहिए कि वह अपने दोनों प्रकार के **स्त्री–धन** पति को सौंपकर पति को भी दूसरी **स्त्री** के साथ समागम करने की अनुमति दे दे।

७. भिक्षुक्यन्वाधिज्ञातिकुलानामन्यतमे वा भर्ता द्विषन् स्त्रियमे कामनुशयीत। (३) पृष्ठ सं० २६७

यदि पति, स्त्री से द्वेष करता हो तो उसको चाहिए कि वह अपनी **स्त्री** को **संन्यासिनी** तथा भाई–बन्धुओं साथ अकेली रहने से न रोके।

८. **दृष्टलिङ्गे मैथुनापहारे सवर्णापसर्पोपगमे वा मिथ्यावादी द्वादशपणं दद्यात्। (४) पृष्ठ सं० २६७**

पराई स्त्री के साथ संभोग करने के चिह्न स्पष्ट दिखाई देने पर भी यदि कोई पुरुष इनकार कर दे या किसी प्रेमिका के साथ संभोग करके साफ मुकर जाय तो उसको बारह पण का दण्ड दिया जाय।

९. **अमोक्ष्या भर्तुरकामस्य द्विषती भार्या, भार्यायाश्च भर्ता। परस्पर द्वेषान्मोक्षः। (५) पृष्ठ सं० २६७**

पति से द्वेष–वैमनस्य रखनेवाली स्त्री, पति की इच्छा के विरुद्ध तलाक नहीं दे सकती है। इसी प्रकार पति भी अपनी पत्नी को तलाक नहीं दे सकता है। **दोनों में परस्पर समान दोष होने पर ही तलाक संभव है।**

१०. **स्त्रीविप्रकाराद् वा पुरुषचेन्मोक्षमिच्छेद्, यथागृहीतमस्यै दद्यात्। पुरुषविप्रकारद् वा स्त्री चेन्मोक्षमिच्छेत्, नास्ये यथागृहीतं दद्यात्। अमोक्षो धर्म–विवाहानाम्। इति द्वेषः। (६) पृष्ठ सं० २६७**

पत्नी में कुछ बुराइयाँ आ जाने के कारण यदि पति उसका परित्याग करना चाहे तो, जो धन उसको **स्त्री** की ओर से मिला है उसे भी वह **स्त्री** को लौटा दे। यदि इसी कारण कोई **स्त्री** अपने पति से सम्बन्ध–विच्छेद करना चाहे तो पति से पाये हुए धन को वह पति को न लौटाये। किन्तु **चार प्रकार के धर्म विवाहों में किसी भी दशा में तलाक नहीं हो सकता है**। यहाँ तक पति–पत्नी के द्वेष–वैमनस्य पर विचार किया गया।

११. **प्रतिषिद्धा स्त्री दर्प मद्य क्रीडायां त्रिपणं दण्डं दद्यात्। दिवा स्त्रीप्रेक्षाविहारगमने षट्पणो दण्डः। पुरुषप्रेक्षाविहारगमने द्वादशपणः। रात्रौ द्विगुणः। (१) पृष्ठ सं० २६८**

पति–पत्नी का अतिचार : मना किए जाने पर भी यदि कोई **स्त्री** दर्प–वश मद्यपान और बिहार करे तो उस पर तीन पण, पति के मना करने पर यदि दिन में सिनेमा देखे तो छह पण और यदि किसी पुरुष के साथ सिनेमा देखे

तो बारह पण जुर्माना किया जाय। यदि यही अपराध वह रात में करे तो उसको दुगुना दण्ड दिया जाय।

१२. सुप्तमत्तप्रव्रजने भर्तुरदाने च द्वारस्य द्वादशपणः। रात्रौ निष्कासने द्विगुणः। (२) पृष्ठ सं० २६८

यदि कोई स्त्री सोते हुए या उन्मत्त हुए अपने पति को छोड़कर घर से बाहर चली जाय अथवा पति की इच्छा के विरुद्ध घर का दरवाजा बन्द कर दे तो उसको बारह पण दण्ड देना चाहिए। यदि कोई **स्त्री** अपने पति को रात में घर से बाहर कर दे तो उस **स्त्री** पर चौबीस पण का दण्ड किया जाय।

१३. स्त्रीपुंसयोर्मैथुनार्थेऽनङ्गविचेष्टायां रहोश्लीलसम्भाषायां वा चतुर्विंशतिपणः स्त्रिया दण्डः, पुंसो द्विगुणः। (३) पृष्ठ सं० २६८

परपुरुष या **परस्त्री** परस्पर मैथुन के लिए यदि इशारेबाजी करें या एकान्त में अश्लील बातचीत करें तो स्त्री पर चौबीस पण और पुरूष पर अड़तालीस पण का जुर्माना किया जाय।

१४. केशनीवीदन्तनखावलम्बनेषु पूर्वः साहसदण्डः, पुंसो द्विगुणः। (४) पृष्ठ सं० २६८

यदि वे परस्पर केश तथा कमर पकड़े एक दूसरे को चूमें, दाँत काटें या नाखून गड़ावे तो इस अपराध में स्त्री को पूर्व साहस दण्ड और पुरुष को उससे दुगुना दण्ड दिया जाय।

१५. शङ्कितस्थाने सम्भाषायां च पणस्थाने शिफादण्डः। स्त्रीणां ग्राममध्ये चण्डालः पक्षान्तरे पचशिफा दद्यात्। पणिकं वा प्रहारं मोक्षयेत्। इत्यतिचारः। (५) पृष्ठ सं० २६८

किसी संकेत स्थान में यदि वे परस्पर बातचीत करें तो आर्थिक दंड की जगह उन पर कोड़े लगाये जाँय। इस प्रकार की **अपराधिनी स्त्री** के किसी एक ही अंग पर गाँव के चंडाल द्वारा पाँच कोड़े लगवाये जाँय। पण दंड अदा करने पर प्रहार दंड कम कर दिया जाय। यहाँ तक अतिचार के विषय में कहा गया।

१६. प्रतिषिद्धयोः स्त्रीपुंसयोरन्योन्योपकारे क्षुद्रकद्रव्याणां द्वादशपणी दण्डः, स्थूलकद्रव्याणां चतुर्विंशतिपणः, हिरण्यसुवर्णयोश्चतुष्पचाशत्पणः स्त्रिया दण्डः, पुंसो द्विगुणः। त एवागम्ययोरर्धदण्डाः। (१) पृष्ठ सं० २६९

अतिचार पर प्रतिषेध : वर्जित करने पर यदि कोई **स्त्री** तथा पुरुष छोटी–मोटी उपहार की वस्तुएँ देकर परस्पर व्यवहार करें तो छोटे उपहार पर **स्त्री** को बारह पण और बड़े उपहार पर चौबीस पण दण्ड दिया जाय। यदि उपहार में वह सोने की कीमती चीजें दे तो उसे चौबीस पण का दण्ड दिया जाय। इन अपराधों को यदि पुरुष करे तो उस पर **स्त्री** से दुगुना दण्ड किया जाय। यदि वे **स्त्री**–पुरुष बिना मुलाकात किए ही उपहार की चीजें लेते–देते रहें तो पूर्वोक्त दण्ड से आधा दण्ड उन्हें दिया जाय।

१७. **राजद्विष्टातिचाराभ्यामात्मापक्रमणेन च।**
स्त्रीधनानीतशुल्कानामस्वामयं जायते स्त्रियाः।। (२) पृष्ठ सं० २६८

राज्य के प्रति बगावत करने पर, आचार का उल्लंघन करने पर और आवारा–गर्द होने पर कोई भी **स्त्री** अपना **स्त्री धन,** दूसरी शादी करने पर निर्वाह के लिए प्राप्त हुआ धन (आनीत) और **दहेज** में मिला हुआ धन; आदि की अधिकारिणी नहीं हो सकती।

प्रकरण—६०

अध्याय—४

विवाह सम्बन्ध

परिणीता का निष्पतन : परपुरुष का अनुसरण: पुनर्विवाह की स्थितिः—

१. **पतिकुलान्निष्पतितायाः षट्पणो दण्डोऽनयत्र विप्रकारात्। प्रतिषिद्धायां द्वादशपणः। प्रतिवेशगृहातिगतायाः षट्पणः (१) पृष्ठ सं० (२७०)**

स्त्रियों का घर से बाहर जानाः पतिघर से भागी हुई स्त्री पर छह पण का दण्ड दिया जाय, किन्तु यदि वह किसी भय के कारण भागे तो अदण्ड्य समझी जाय। पति के रोकने पर भी यदि कोई **स्त्री** घर से भाग निकले तो उस पर बारह पण दण्ड किया जाय। यदि वह पड़ोसी के ही घर में चली जाय तो उसे छह पण का दण्ड दिया जाय।

२. **प्रातिवेशिकभिक्षुकवैदेहकानामवकाशभिक्षापण्यादाने द्वादशपणो दण्डः, प्रतिषिद्धानां पूर्वः साहसदण्डः। परगृहातिगतायाश्चतुर्विंशतिपणः। (२) पृष्ठ सं० (२७१)**

पति की आज्ञा के बिना पड़ोसी को अपनें घर में पनाह देने, भिखारी को भीख देने और व्यापारी को किसी तरह का माल देने वाली **स्त्री** को बारह पण दण्ड दिया जाय। यदि कोइ **स्त्री** निषिद्ध व्यक्तियों के साथ यही व्यवहार करे तो उसे प्रथमसाहस दण्ड दिया जाय। यदि वह निर्दिष्ट सीमा के घरों से बाहर जाये तो उसे चौबीस पण दण्ड दिया जाय।

३. परभार्याविकाशदाने शत्यो दण्डोऽन्यत्रापद्भ्यः। वारणाज्ञानयोर्निर्दोषः। (३) पृष्ठ सं० (२७०)

विपत्तिरहित किसी परपत्नी को अपने घर में पनाह देने वाले पर सौ पण का दण्ड किया जाय। यदि कोई स्त्री गृहस्वामी के रोकने पर या छिपकर उसके घर में घुस जाय तो उस स्थिति में गृहस्वामी निरपराध समझा जाय।

४. प्रतिविप्रकारात् पतिज्ञातिसुखावस्थग्रामिकान्वाधिभिक्षु कीज्ञातिकुलानामन्य–तममपुरुषं गन्तुमदोष, इत्याचार्याः। (४) पृष्ठ सं० (२७०)

कुछ आचार्यो का अभिमत है कि पति से तिरस्कृत कोई **स्त्री** यदि अपने पति के सम्बन्धी पुरुषरहित घर में जाय या सुख–संपन्न, गाँव के मुखिया, अपने धन में निरीक्षक, **भिक्षुकी** या अपने किसी सम्बन्धी के पुरुषरहित घर में प्रवेश करे तो उसको दोषी नहीं समझा जाना चाहिए।

५. सपुरुषं वा ज्ञातिकुलम्; कुतो हि साध्वीजनस्यच्छलं, सुखमेतदवबोद् धुम्, इति कौटिल्यः। (१) पृष्ठ सं० (२७१)

इस सम्बन्ध में आचार्य कौटिल्य का मत है कि ऊपर कही गई अवस्थाओं में कोई भी साध्वी **स्त्री** अपने उन सम्बन्धियों या परिवारजनों के घरों में भी जा सकती है, जहाँ पुरुष विद्यमान हों, क्योंकि उसके छलपूर्ण व्यवहार उसके पति तथा सम्बन्धियों से छिपे नहीं रह सकते हैं।

६. प्रेतव्याधिव्यसनगर्भनिमित्तमप्रतिषिद्धमेव ज्ञातिकुलागमनम्। (२) पृष्ठ सं० (२७१)

मृत्यु, बीमारी, विपत्ति और प्रसव काल में **स्त्री** अपने सम्बन्धियों के यहाँ जा सकती है।

७. तन्निमित्तं वारयतो द्वादशपणो दण्डः। तत्रापि गूहमाना स्त्रीधनं जीयेत, ज्ञातयो वा छादयन्तः शुल्कशेषम्। इति निष्पतनम्। (३) पृष्ठ सं० (२७१)

ऊपर कहे गए अवसरों पर यदि कोई पुरुष अपनी **स्त्री** को अपने सम्बन्धियों के यहाँ जाने से रोके तो वह बारह पण दण्ड का अपराधी है। यदि कोई **स्त्री** जाकर भी अपने जाने की बात को छिपाये तो उसका **स्त्री–धन** जब्त कर लिया जाय। यदि सम्बन्धी लोग लेने–देने के डर से ऐसे अवसरों की सूचना न दें तो उनको वर की ओर से अवशिष्ट देय धन न दिया जाय। यहाँ तक **स्त्रियों** के घर से बाहर जाने (निष्पतन) के सम्बन्ध में विचार किया जाय।

८. **पतिकुलान्निष्पत्य ग्रामान्तरगमने द्वादशपणो दण्डः स्थाप्याभरणलोपश्च। गम्येन वा पुंसा सह प्रस्थाने चतुर्विंशतिपणः, सर्वधर्मलोपश्चान्यत्र भर्मदान्तीर्थगमनाभ्याम्। पुंसः पूर्वः साहसदण्डः तुल्यश्रेयसः, पापीयसो मध्यमः। बन्धुरदण्ड्यः। प्रतिषेधेऽर्धदण्डः। (४) पृष्ठ सं० (२७१)**

रास्ते में किसी परपुरुष के साथ स्त्री का चलनाः पतिघर से भाग कर सुदूर गाँव में जाने वाली **स्त्री** को बारह पण का दण्ड दिया जाय, और उसके नाम से जमा पूँजी तथा उसके आभूषण आदि जब्त कर लिये जाँय। यदि वह मैथुन के लिए किसी पुरुष का सहवास करे तो उस पर चौबीस पण दण्ड किया जाय और यज्ञयागादि धर्मकार्यों में उसको सहधर्मिणी के अधिकार से वंचित किया जाय; किन्तु यदि वह घर के भरण–पोषण या दूसरी जगह में रहने वाले पति के समीप **ऋतुगमन** के लिए जाय तो उसे अपराधिनी न माना जाय। यदि उच्च वर्ण का व्यक्ति इस अपराध को करे तो उसे प्रथम साहस दण्ड दिया जाय; और निम्न वर्ण के व्यक्ति को मध्यम साहस दण्ड। भाई यदि इस अपराध को करे तो दण्डनीय नहीं होता। यदि निषेध किए जाने के बाद वह इस अपराध को करे तो उसे आधा दण्ड दिया जाय।

९. **पथि व्यन्तरे गूढदेशाभिगमने मैथुनार्थेन शङ्कितप्रतिषिद्धाभ्यां वा पथ्यनुसारेण सङ्ग्रहणं विद्यात्। (१) पृष्ठ सं० (२७२)**

यदि कोई **स्त्री** मार्ग, जंगल या किसी गुप्त स्थान में अथवा किसी संदिग्ध या वर्जित पुरुष के साथ मैथुन के लिए घर से भाग निकले तो गिरफ्तार कर अपराध के अनुसार दण्ड दिया जाय।

१०. तालावचरचारणमत्स्यबन्धकलुब्धकगोपालकशौण्डिकानामन्येषां च प्रसृष्टस्त्रीकाणां पथ्यनुसरणमदोषः। प्रतिषिद्धे वा नयतः पुंसः स्त्रियो वा गच्छन्त्यास्त एवार्धदण्डाः। इति पथ्यनुसरणम्। (२) पृष्ठ सं० (२७२)

गाने–बजाने वाले नट–नर्तक, भाट, मछियारे, शिकारी, कलवार तथा इसी प्रकार के वे पुरुष जो **स्त्रियों** को साथ रखते हैं; उनके साथ जाने में **स्त्री** को कोई दोष नहीं। मना करने पर भी यदि कोई पुरुष किसी **स्त्री** को साथ ले जाय या **स्त्री** ही स्वयं किसी पुरुष के साथ चली जाय, तो उन्हें आधा दण्ड दिया जाय। यहाँ तक रास्ते में किसी परपुरुष के साथ **स्त्री** के जाने (पथ्यनुसरण) के सम्बन्ध में विचार किया गया।

११. ह्रस्वप्रवासिनां शूद्रवैश्यक्षत्रियब्राह्मणानां भार्याः संवत्सरोत्तरं कालमाकाङ्क्षेरन् अप्रजाताः, संवत्सराधिकं प्रजाताः प्रतिविहिताः द्विगुणं कालम्। अप्रतिविहिताः सुखावस्था बिभृयुः, परं चत्वारि वर्षाण्यष्टौ वा ज्ञातयः। ततो यथादत्तमादाय प्रमुञ्चेयः। (३) पृष्ठ सं० (२७२)

स्त्रियों को पुनर्विवाह का अधिकार: जिन शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मणों की पुत्रहीन **स्त्रियों** के पति कुछ समय के लिए विदेश गए हों वे एक वर्ष तक, और पुत्रवती **स्त्रियाँ** इससे अधिक समय तक अपने पतियों के आने की इन्तजारी करें। यदि पति, उनके भरण–पोषण का पूरा इन्तजाम करके गए हों तो इससे दुगुने समय तक **पत्नियाँ** उनकी इन्तजारी करें। जिनके भोजन–वस्त्र का प्रबन्ध न हो, उनके बन्धु–बान्धवों को चाहिए, कि चार वर्ष या इससे अधिक आठ वर्ष तक, वे उनका प्रबन्ध करें। इसके बाद पहिले विवाह में दिए गए धन को वापस लेकर वे उस **स्त्री** को दूसरी शादी करने की छूट दे दें।

१२. ब्राह्मणमधीयानं दशवर्षाण्यप्रजाता, द्वादश प्रजाता। राजपुरुषं आ आयु:क्षयादाकाङ्क्षेत। सवर्णतश्च प्रजाता नापवादं लभेत। (४) पृष्ठ सं० (२७२)

अध्ययन के लिए विदेश गए ब्राह्मणों की **पुत्रहीन स्त्रियाँ** दस वर्ष तक और पुत्रवती स्त्रियाँ बारह वर्ष तक, अपने पतियों के आने प्रतीक्षा करें। किसी राजकार्य से बाहर गए पतियों की प्रतीक्षा उनकी स्त्रियाँ आयु–पर्यन्त करें। पति के प्रवासकाल में यदि किसी समानवर्ण पुरुष से किसी **स्त्री** का बच्चा पैदा हो जाय तो निन्दनीय नहीं है।

१३. कुटुम्बर्द्धिलोपे वा सुखावर्स्थैर्विमुक्ता यथेष्टं विन्देत जीवितार्थमापद्‌गता वा। (१) पृष्ठ सं० (२७३)

कुटुम्बक्षय या समृद्ध बंधु–बांधवों के छोड़े जाने के कारण या विपत्ति की मारी हुई कोई भी **प्रोषितपतिका** जीवन–निर्वाह के लिए, अपनी इच्छा के अनुसार, दूसरा **विवाह** कर सकती है।

१४. धर्मविवाहात्कुमारी परिग्रहीतारमनाख्याय प्रोषितमश्रूयमाणं सप्त तीर्थान्याकाङ्क्षेत, संवत्सरं श्रूयमाणम्। आख्याय प्रोषितमश्रूयमाणं पञ्चतीर्थन्याकाङ्क्षेत, दश श्रूयमाणम्। एकदेशदत्तशुल्कं त्रीणि तीर्थान्याश्रूयमाणम्, श्रूयमाणं सप्त तीर्थान्याकाङ्क्षेत। दत्तशुल्कं पञ्च तीर्थान्यश्रूयमाणम्, दश श्रूयमाणम्। ततः परं धर्मस्थैविसृष्टा यथेष्टं विन्देत। तीर्थोपरोधो हि धर्मवधं इति कौटिल्यः। (२) पृष्ठ सं० (२७३)

चार प्रकार के धर्म–**विवाहों** के अनुसार जिस **कुमारी** का **विवाह** हुआ हो, और यदि उसका पति उससे बिना कहे ही परदेश चला जाय तो सात मासिक धर्म तक वह अपने पति की प्रतीक्षा करे। यदि उसकी कोई सूचना मिल गई हो तो एक वर्ष तक पत्नी उसकी प्रतीक्षा करे। यदि कहकर पति विदेश जाय और उसकी कोई खबर न मिले तो पाँच मासिक धर्म तक और मिल जाय तो दस मासिक धर्म तक उसकी इन्तजारी करे। **विवाह** के समय प्रतिज्ञात धन में से जिसने अपनी पत्नी को थोड़ा ही धन दिया हो और विदेश जाने पर उसकी कोई खबर न मिले तो तीन मासिक धर्म **पर्यन्त;** यदि खबर मिल जाय तो सात मासिक धर्म तक पत्नी उसकी प्रतीक्षा करे। जिस पति ने विवाह में प्रतिज्ञात सभी धन पत्नी को चुकता कर दिया हो, विदेश जाने पर उसकी कोई खबर न मिले तो पाँच मासिक धर्म तक और खबर मिल जाय तो दस मासिक धर्म तक उसकी प्रतीक्षा की जाय। इन सभी अवस्थाओं के बीत जाने पर कोई भी **स्त्री** धर्माधिकारी से आज्ञा लेकर अपनी इच्छा से अपना दूसरा विवाह कर सकती है। इस सम्बन्ध में आचार्य कौटिल्य का कथन है 'क्योंकि ऋतुकाल में **स्त्री** को पुरुष का सहवास न मिलना, धर्म का नाश हो जाने के बराबर अमङ्गलकारी है'।

१५. दीर्घप्रवासिनः प्रव्रजितस्य प्रेतस्य वा भार्या सप्त तीर्थान्याकाङ्क्षेत, संवत्सरं प्रजाता। ततः पतिसोदर्य गच्छेत्। बहुषु प्रत्यासन्नं धार्मिकं भर्मसमर्थ

कनिष्ठमभार्य वा। तदभावेऽप्यसोदर्य सपिण्डं कुल्यं वा। आसन्नमेतेषाम्। एष एव क्रम:। (३) पृष्ठ सं० (२७३)

जिस **स्त्री** का पति संन्यासी हो गया हो या मर गया हो, उसकी स्त्री सात मासिकधर्म तक दूसरा विवाह न करे। यदि उसकी कोई सन्तान हो तो वह एक वर्ष तक ठहर जाय। उसके बाद वह अपने पति के सगे भाई के साथ **विवाह** करे ले। यदि ऐसे सगे भाई बहुत हों तो वह, पति के पीठ पीछे पैदा हुए धार्मिक एवं भरण–पोषण में समर्थ भाई के साथ विवाह कर ले; या जिस भाई की **पत्नी** न हो उसके साथ विवाह कर ले। यदि पति का कोई सगा भाई न हो तो समान गोत्र वाले उसके किसी पारिवारिक भाई साथ **विवाह** कर ले। कम से पति का जो नजदीक–से नजदीक का भाई हो, उसके साथ विवाह कर ले।

१६. एतानुत्क्रम्य दायादान् वेदने जातकर्मणि।

जारस्त्रीदातृवेत्तारः सम्प्राप्ताः सङ्ग्रहात्ययम्।। (१) पृष्ठ सं० (२७४)

अपने पति की सम्पति के हकदार पुरुषों को छोड़कर यदि कोई **स्त्री** किसी दूसरे पुरुष के साथ विवाह करे तो विवाह करने वाला पुरुष, वह **स्त्री**, उस **स्त्री** को देने वाला, उस विवाह में शामिल होने वाले, ये सभी लोग, **स्त्री** को बहकाने या अनुचित ढंग से उसको अपने काबू में करने के जुर्मदार समझे जाँय और उनको यथोचित दण्ड दिया जाय।

प्रकरण–६१

अध्याय–५

दाय विभाग

उत्तराधिकार का सामान्य नियम

१. रिक्थं पुत्रवतः पुत्रा दुहितरो वा धर्मिष्ठेषु विवाहेषु जाताः। तदभावे पिता धरमाणः, पित्रभावे भ्रातरो भ्रातृपुत्राश्च। (१) पृष्ठ सं० (२७६)

सुवर्ण, आभूषण एवं नकदी आदि जो भी रिक्थ धन है उसके अधिकारी लड़के है, लड़कों के अभाव में वे **लड़कियाँ** रिक्थ धन की अधिकारिणी हैं, जो धर्म–विवाहों से पैदा हुई हैं। **लड़कियों** के अभाव में मृतक पुरुष का जीवित पिता,

पिता के अभाव में पिता के सगे भाई, और उनके अभाव में भी उनके पुत्र उस संपत्ति के हकदार हैं।

२. **सोदर्याणामनेकपितृकाणां पितृतो दायविभाग:। (३) पृष्ठ सं० (२७६)**

एक हीं **माता** से अनेक पिताओं द्वारा पैदा हुए लड़कों का दाय–विभाग पिता के क्रम से होना चाहिए।

३. **प्राप्तव्यवहाराणां विभाग:। अप्राप्तव्यवहाराणां देयविशुद्धं मातृबन्धुषु ग्रामवृद्धेषु वा स्थापयेयुर्व्यवहारप्रापणत्; प्रोषितस्य वा। (६) पृष्ठ सं० (२७६)**

पुत्रों के बालिग (प्राप्तव्यवहार) हो जाने पर ही संपत्ति का बँटवारा करना चाहिए नाबालिग (अप्राप्तव्यवहार) पुत्र जब तक बालिग न हो जाँय और विदेश गए पुत्र जब तक वापिस न लौट आएँ तब तक उनके हिस्से की सम्पत्ति को उनके माता या गाँव के किसी वृद्ध विश्वासी पुरुष के पास सुरक्षित रख देना चाहिए।

४. **सन्निविष्टसममसन्निविष्टेभ्यो नैवेशनिकं दद्यु:। कन्याभ्यश्च प्रादानिकम्। (१) पृष्ठ सं० (२७७)**

विवाहित बड़े भाइयों का कर्तव्य है कि वे अपने छोटे अविवाहित भाइयों के **विवाह** के लिए खर्च दें और अपनी **छोटी बहिनों** के **विवाह** में दहेज आदि के लिए यथोचित धन दें।

५. **अदायादकं राजा हरेत् स्त्रीवृत्तिप्रेतकार्यवर्जमम्, अन्यत्र श्रोत्रियद्रव्यात्। तत् त्रैविद्येभ्य: प्रयच्छेत्। (५) पृष्ठ सं० (२७७)**

जिस संपत्ति का कोई उत्तराधिकारी न हो उसे राजा ले ले, उस संपत्ति में से वह मृतक की **विधवा** के भरण–पोषण योग्य तथा मृतक के श्राद्धकर्म आदि के योग्य धन छोड़ दे। श्रोत्रिय के धन को राजा कदापि न ले, बल्कि उस संपत्ति को वह वेदविद् ब्राह्मणों में वितरित कर दे दिया जाना चाहिए। पतितों को छोड़ कर दूसरे सभी मूर्ख आदि को केवल भोजनवस्त्र के लिए उस संपति में से दिया जाना चाहिए।

६. **तेषां च कृतदाराणां लुप्ते प्रजनने सति।**

सृजेयुर्बान्धवा: पुत्रांस्तेषामंशान् प्रकल्पयेत्।। (१) पृष्ठ सं० (२७८)

यदि उक्त पतित, मूर्ख आदि पुरूषों की **स्त्रियाँ** हो, किन्तु अशक्त होने से उनसे वे संतान पैदा न कर सकें, तो उनके बंधु–बांधव उनकी (मूर्ख आदि की) **पत्नियों** से संतान पैदा करें। वे संतान अपनी परंपरागत संपत्ति के उत्तराधिकारी माने जाने चाहिएँ।

प्रकरण–६२

अध्याय–६

दाय विभाग

पैतृक क्रम से विशेषाधिकार

१. **एकस्त्रीपुत्राणां ज्येष्ठांशः ब्राह्मणानामजाः, क्षत्रियाणामश्वाः, वैश्यानां गावः, शद्राणामवयः। (१) पृष्ठ सं० (२७९)**

यदि एक **स्त्री** के कई पुत्र हों तो उनमें से सबसे बड़े पुत्र को वर्ण क्रम से इस प्रकार हिस्सा मिलना चाहिए: ब्राह्मणपुत्र को बकरियाँ, क्षत्रिय पुत्र को घोड़े, वैश्यपुत्र को गायें और शूद्रपुत्र को भेड़ें।

२. **अदायादा भगिन्यः मातुः परिवापाद्भुक्तकांस्याभरणभागिन्यः।**
(१) पृष्ठ सं० (२७९)

दाय भाग की अनधिकारिणी **बहिनें, माता** की सम्पत्ति में से पुराने बर्तन तथा जेवरात ले लें।

३. **तेन त्रिवर्णद्विवर्णपुत्रविभागः क्षत्रियवैश्ययोर्व्याख्यातः। (६)
पृष्ठ सं० (२८०)**

इसी प्रकार यदि किसी क्षत्रिय की **क्षत्रिया, वैश्या और शूद्रा**, तीन **पत्नियाँ** हों, तथा वैश्य की वैश्या और शूद्रा, दो ही पत्नियाँ हों तो उनके पुत्रों का दायविभाग भी उक्त विधि से ही समझ लेना चाहिए।

प्रकरण–६३

अध्याय–७

दाय विभाग

पुत्रक्रम से उत्तराधिकार

१. **परपरिग्रहे बीजमुत्सृष्टं क्षेत्रिणः, इत्याचार्याः। (१) पृष्ठ सं० (२८२)**

पुरातन आचार्यों का मत है कि **'किसी पुरुष से किसी पराई स्त्री में पैदा हुआ पुत्र उस पराई स्त्री की संपत्ति है'।**

२. स्वयंजातः कृतक्रियायामौरसः। तेन तुल्यः पुत्रिकापुत्रः। सगोत्रेणान्यगोत्रेण वा नियुक्तेन क्षेत्रजातः क्षेत्रजः पुत्रः। जनयितुरसत्यन्यस्मिन् पुत्रे स एव द्विपितृ को द्विगोत्रो वा द्वयोरपि स्वधारिक्थभाग् भवति। तत्सधर्मा बन्धूनां गृहे गूढजातस्तु गूढजः। बन्धुनोत्सृष्टोऽपविद्धः संस्कर्तुः पुत्रः। कन्यागर्भः कानीनः। सगर्भोढाया सहोढः। पुनर्भूतार्याः पौनर्भवः। (४) पृष्ठ सं० (२८२)

विधिपूर्वक **विवाहित स्त्री** से उसके पति द्वारा पैदा किया हुआ पुत्र औरस कहलाता है। उसी के समान **लड़की** का लड़का भी समझा जाता है। समानगोत्र अथवा भिन्नगोत्र **स्त्री** से उसके पति द्वारा पैदा किया गया लड़का क्षेत्रज कहलाता है। यदि मृतक पिता का कोई लड़का न हो तो वही, (दो पिता या दो गोत्र वाला लड़का ही) उन दोनों के पिंडदान और संपत्ति, का उत्तराधिकारी होता है। क्षेत्रज पुत्र की ही तरह जो बच्चा छिपे तौर पर **स्त्री** के किसी भाई–बन्धु के घर पैदा हो वह गूढज कहलाता है। यदि बन्धु–बान्धव उस बच्चे को अपने यहाँ न रखना चाहें और मारकर कहीं डाल दें या फेंक दें, उस दशा में जो उस बच्चे का पालन–पोषण करे वह पुत्र उसी का माना जाता है। **अविवाहित कन्या** के गर्भ से जो बच्चा पैदा हो उसे कानीन कहते हैं। **गर्भवती स्त्री का विवाह** होने पर जो बच्चा पैदा हो वह सहोढ कहलाता है। **दुबारा व्याहता स्त्री** से जो बच्चा पैदा हो उसे पौनर्भव कहते हैं।

३. तत्सधर्मा मातृभ्यामद्भिर्दत्तो दत्तः। (२) पृष्ठ सं० (२८३)

उक्त बालक के ही समान जो बालक **माता**–पिता के द्वारा, हाथ में जल लेकर, किसी दूसरे को दे दिया जाय वह दत्त कहलाता है; और पालन करने वाले की संपत्ति का वह उत्तराधिकारी होता है।

४. ब्राह्मणक्षत्रिययोरनन्तरा पुत्राः सवर्णाः, एकान्तरा असवर्णाः। (६) पृष्ठ सं० (२८३)

ब्राह्मण और क्षत्रिय के अनन्तर (ब्राह्मण के लिए क्षत्रिय और क्षत्रिय के लिए वैश्य) जाति की **स्त्री** से उत्पन्न पुत्र सवर्ण और एक जाति के व्यवधान से, अर्थात् ब्राह्मण से **वैश्या** में या क्षत्रिय से **शद्रा** में, उत्पन्न पुत्र असवर्ण समझे जाते हैं।

५. **ब्राह्मणस्य वैश्यायामम्बष्ठः, शूद्रायां निषादः पारशवो वा। क्षत्रियस्य शूद्रायामुग्रः। (७) पृष्ठ सं० (२८३)**

ब्राह्मण से **वेश्या** में उत्पन्न पुत्र अम्बष्ठ कहलाता है। ब्राह्मण से **शूद्रा** में उत्पन्न पुत्र निषाद या रशव कहलाता है। क्षत्रिय से **शूद्रा** में उत्पन्न पुत्र उग्र कहलाता है।

६. **शूद्र एव वैश्यस्य। (८) पृष्ठ सं० (२८३)**

वैश्य से **शूद्रा** में उत्पन्न पुत्र शूद्र ही माना जायेगा।

(८१) **सवर्णासु चैषामचरितव्रतेभ्यो जाता व्रात्याः। इत्यनुलोमाः। (१) पृष्ठ सं० (२८४)**

ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य द्वारा सवर्णा **स्त्रियों** में उत्पन्न पुत्रों का यदि यथासमय विधिपूर्वक उपनयन एवं ब्रह्मचर्य आदि संस्कार न किया जाय तो वे व्रात्य हो जाते हैं। ये सब अनुलोम **विवाहों** से पैदा होते हैं।

७. **शूद्रादयोगवक्षत्तृचण्डालाः। (२) पृष्ठ सं० (२८४)**

शूद्र द्वारा वैश्या, क्षत्रिया तथा ब्राह्मणी **स्त्रियों** में उत्पन्न पुत्र क्रमशः आयोगव, क्षत्ता और चाण्डाल कहलाते हैं।

८. **उग्रान्नैषाद्यां कुक्कुटकः, विपर्यये पुल्कसः। वैदेहिकायामम्बष्ठाद् वैणः, विपर्यये कुशीलवः। क्षत्तायामुग्राच्छ्वपाकः। इत्यैतेऽन्यै चान्तरालाः। कर्मणा वैण्यो रथकारः। (७) पृष्ठ सं० (२८४)**

क्षत्रिय—शूद्रा से उत्पन्न उग्र पुरुष द्वारा निषाद जाति की **स्त्री** में उत्पन्न बालक कुक्कुट कहलाता है। निषाद पुरुष से उग्रा **स्त्री** में उत्पन्न पुत्र पुल्कस कहलाता है। अम्बष्ठ पुरुष से **वैदेहिका स्त्री** में उत्पन्न पुत्र वैण कहलाता है। वैदेहक पुरुष से **अम्बष्ठा स्त्री** में उत्पन्न पुत्र कुशीलव कहलाता है। इसी प्रकार उग्र—क्षत्ता से श्वापाक आदि अवान्तर संकर जातियों के सम्बन्ध में समझना चाहिए। वैण्य; कर्म करने से रथकार कहा जाता है।

प्रकरण—७१

अध्याय—१५

क्रय विक्रय का बयाना

१. **विवाहानां तु त्रयाणां पूर्वेषां वर्णानां पाणिग्रहणासिद्धमुपावर्तनम्। शूद्राणां च प्रकर्मणः। वृत्तपाणिग्रहणयोरपि दोषमौपशायिकं दृष्ट्वा सिद्धमुपावर्तनम्। न त्वेवाभिप्रजातयोः। (१) पृष्ठ सं० (३२१)**

विवाह सम्बन्धी शर्तः ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन तीनों जातियों में **विवाह** के बाद **स्त्री** पुरुष के किसी प्रकार का उलट–फेर नहीं हो सकता है। शूद्रों में प्रथम संयोग हो जाने पर **स्त्री**–पुरुष एक–दूसरे को छोड़ सकते हैं। **ब्राह्मण आदि तीन वर्णों में विवाह के बाद सुहागरात के समय यदि पति–पत्नि को एक–दूसरे में कोई योनिलिङ्गज दोष जान पड़े तो सम्बन्ध–विच्छेद हो सकता है। सन्तान हो जाने पर किसी भी तरह सम्बन्ध–विच्छेद सम्भव नहीं है।**

२. **कन्यादोषमौपशायिकमनाख्याय प्रयच्छतः षण्णवतिर्दण्डः। शुल्कस्त्री धनप्रतिदानं च। (२) पृष्ठ सं० (३२१)**

कन्या के किसी गुप्त दोष को छिपाकर उसका विवाह करने वाले व्यक्ति पर छियानबे पण दण्ड किया जाय और उसे जो शुल्क तथा स्त्री धन दिया है वह वापस लिया जाय।

३. **वरयितुर्वा वरदोषमनाख्याय विन्दतो द्विगुणः। शुल्कस्त्रीधननाशश्च। (३) पृष्ठ सं० (३२१)**

इसी प्रकार जो वर को दोषों को छिपा कर **विवाह** करता है, उस पर दुगुना अर्थात् १९२ पण दण्ड किया जाय और उसको दिया हुआ शुल्क तथा **स्त्री धन** भी जब्त कर लिया जाय।

प्रकरण–८४

अध्याय–९

सरकारी विभागों और छोटे–बड़े कर्मचारियों की निगरानी

१. **परिगृहीतां दासीमाहितिकां वा संरुद्धिकामधिचरतः पूर्वः साहसदण्डः। चोरडामरिकभार्यां मध्यमः। सन्रुद्धिकामार्यामुत्तमः। संरुद्धस्य वा तत्रैव घातः। तदेवाध्यक्षेण गृहीतायार्यायां विद्यात्। दास्यां पूर्वः साहसदण्डः। (३) पृष्ठ सं० (३८४)**

खरीदी हुई या गिरवी रखी **दासी** यदि किसी कारण हवालात में बंद कर दी जाये और तब यदि कोई राजपुरुष उसके साथ व्यभिचार करे तो उसे प्रथम साहस दंड दिया जाय। चोर और अकस्मात् विनष्ट पुरुष (डामरिक) की **पत्नी के**

साथ ऐसा ही दुर्व्यवहार करने वाले राजपुरुष को मध्यम साहस दंड और कैद में बंद किसी **आर्या स्त्री** के साथ ऐसा करने पर उत्तम साहस दंड दिया जाय। यदि कोई कैदी ही ऐसा करे तो उसे प्राणदंड दिया जाय। सुवर्णाध्यक्ष यदि किसी **कुलीन स्त्री** के साथ दुराचार करे तो उसे भी प्राणदंड दिया जाय। **दासी** के साथ ऐसा करने पर प्रथम साहस दंड दिया जाय।

प्रकरण–८६

अध्याय–११

शुद्धदण्ड और चित्रदण्ड

१. प्रहारेण गर्भ पातयत उत्तमो दण्डः। भैषज्येन मध्यमः। परिक्लेशेन पूर्वः साहसदण्डः। (३) पृष्ठ सं० (३८९)

जो व्यक्ति प्रहार द्वारा **गर्भ गिराये** उसको उत्तम साहस दण्ड दिया जाय। औषध द्वारा **गर्भ** गिराने वाले को मध्यम साहस दण्ड दिया जाय। कठोर काम कराकर **गर्भ** गिराने वाले को प्रथम साहस दण्ड दिया जाय।

२. प्रसभं स्त्रीपुरुषघातकाभिसारकनिग्राहकाव– घोषकावस्कन्दकोपवेधकान् पथि वेश्मप्रतिरोधकान् राजहस्त्यश्वरथानां हिंसकान् स्तेनान् वा शूलानारोहयेयुः। (४) पृष्ठ सं० (३८९)

यदि कोई व्यक्ति **बलात्कार से किसी स्त्री** या पुरुष **की हत्या** कर डाले, बलात्कार से किसी स्त्री को अपहरण कर ले जाय, **बलात्कार** से किसी **स्त्री की नाक, कान काट ले,** धमकी देकर हत्या, चोरी की घोषणा करने वाला, **बलात्कार** से नगर तथा गाँवों का धन ले जाने वाला; भीत तोड़कर सेंध लगाने वाला, रास्ते की धर्मशालाओं तथा प्याउओं की चोरी करने वाला और राजा के हाथी; घोड़े तथा रथों को नष्ट करने, मारने या चुराने वाला, इन सभी प्रकार के अपराधियों को शूली पर लटका दिया जाय।

३. विषदायकं पुरुष स्त्रियं च पुरुषघ्नीमपः प्रवेशयेदगर्भिणीत्। गर्भिणीं मासावरप्रजाताम्। (३) पृष्ठ सं० (३९१)

विष देकर किसी की हत्या करने वाले **स्त्री**–पुरुष को जल में डुबाकर खत्म कर दिया जाय, बशर्ते कि वह **स्त्री गर्भिणी न हो**। यदि **गर्भिणी** हो तो बच्चा पैदा होने के एक मास बाद उसका ऐसा ही प्राणांत किया जाय।

प्रकरण—८७

अध्याय—१२

कुँवारी कन्या से संभोग करने का दण्ड

१. सवर्णामप्राप्तफलां कन्यां प्रकुर्वतो हस्तवधश्चतुःशतो वा दण्डः। मृतायां वधः। (१) पृष्ठ सं० (३९३)

जो व्यक्ति अपनी जाति की रजोधर्म रहित (अरजस्का) **कन्या को दूषित करे** उसका हाथ कटवा दिया जाय अथवा उस पर चार—सौ पण दण्ड किया जाय। **यदि वह बलात्कार के कारण मर जाय तो अपराधी को प्राणदण्ड की सजा दी जाय।**

२. प्राप्तफलां प्रकुर्वता मध्यमाप्रदेशिनीवधो द्विशतो वा दण्डः। पितुश्चावहीनं दद्यात्। (२) पृष्ठ सं० (३९३)

यदि कोई व्यक्ति **रजस्वला** हो चुकी **कन्या** को दूषित करे तो अपराधी की तर्जनी और मध्यमा उगलियाँ कटवा दी जाँय अथवा उस पर दो—सौ पण दण्ड किया जाय और लड़की के पिता को वह हर्जाना (अवहीन) दे।

३. न च प्राकाम्यमकामायाः लभेत। सकामायां चतुष्पञ्चाशत्पणो दण्डः। स्त्रियास्त्वर्धदण्डः। (३) पृष्ठ सं० (३९३)

संभोग के लिए इच्छा न करने वाली **कन्या** से गमन करने पर इच्छापूर्ति नहीं होती है। संभोग की इच्छा करने वाली **स्त्री** से गमन करने पर पुरुष को चौवन पण और **स्त्री** को सत्ताईस पण दण्ड किया जाय।

४. परशुल्कावरुद्धायां हस्तवधश्चतुःशतो वा दण्डः शुल्कदानं च। (४) पृष्ठ सं० (३९३)

जिस **लड़की की सगाई हो चुकी हो** उसके साथ संभोग करने वाले का हाथ काट दिया जाय या उस पर चार—सौ पण दण्ड किया जाय और सगाई का सारा खर्च उससे वसूल किया जाय।

५. सप्तार्तवप्रजातां वरणादूर्ध्वमलभमानां प्रकृत्य प्राकामी स्यात्, न चे पितुरवहीनं दद्यात्। ऋतुप्रतिरोधिभिः स्वाम्यादपक्रमति। (५) पृष्ठ सं० (३९३)

सगाई के बाद सात मासिक धर्म होने तक भी यदि **लड़की** का विवाह न किया जाय तो उसका होने वाला पति **लड़की** को यथेच्छा भोग सकता है, और **लड़की** के पिता को वह हर्जाना भी न दे। क्योंकि मासिकधर्म हो जाने के बाद लड़की पर पिता का कोई अधिकार नहीं रह जाता है।

६. त्रिवर्षप्रजातार्ववायास्तुल्यो गन्तुमदोषः। ततः परमतुल्योऽप्यनलङ्कृतायाः। पितृछव्यादा ने स्तेयं भजेत। (१) पृष्ठ सं० (३९४)

यदि मासिक धर्म होने पर भी कन्या का तीन वर्ष तक विवाह न किया जाय तो उसकी जाति का कोई भी पुरुष उसके साथ संभोग कर सकता है। यदि मासिक धर्म होते हुए तीन वर्ष से अधिक गुजर जाँय तो किसी भी जाति का पुरुष उसको अपनी **पत्नी** बना सकता है इसमें कोई दोष नहीं, किन्तु वह पुरुष **लड़की** के पिता के बनवाये आभूषण आदि नहीं ले जा सकता है। यदि वह पुरुष **लड़की** के पिता के आभूषण आदि वापस न करे तो उसको चोरी का दण्ड दिया जाय।

७. परमुद्दिश्यान्यस्य विन्दतो द्विशतो दण्डः। न च प्राकाम्यमकामायां लभेत। (२) पृष्ठ सं० (३९४)

दूसरे के लिए कही हुई **स्त्री** को 'वह पुरुष मैं ही हूँ' ऐसा कहकर जो अन्य पुरुष उपभोग करे उस पर दो–सौ पण दण्ड किया जाय। **स्त्री** की इच्छा न होने पर कोई भी पुरुष उससे संभोग न करे।

८. कन्यामन्यां दर्शयित्वाऽन्यां प्रयच्छतः शत्यो दण्डस्तुल्यायां, हीनायां द्विगुणः। (३) पृष्ठ सं० (३९४)

विवाह से पहिले जिस **कन्या** को दिखाया गया हो, विवाह में यदि उसी जाति की दूसरी **कन्या** दी जाय तो उस व्यक्ति पर सौ–पण दण्ड किया जाय। यदि उसकी जगह कोई नीच जाति की **कन्या** दी जाय तो दो–सौ पण दण्ड किया जाय।

९. प्रकर्मण्यकुमार्यश्चतुष्पञ्चाशतपणो दण्डः। शुल्कव्ययकर्मणी च प्रतिदद्यादवस्थाय तज्जातं पश्चात्कृता द्विगुणं दद्यात्। (४) पृष्ठ सं० (३९४)

जो पुरुष **क्षतयोनि स्त्री** को अक्षतयोनि कहकर दुबारा उसका विवाह कराये उस पर चौवन पण दण्ड किया जाय, और उससे शुल्क तथा अन्य खर्चा

भी वसूल किया जाय। यदि वह ऐसा ही कह कर तीसरी बार विवाह कराये तो उस पर दुगुना जुर्माना (१०८ पण) किया जाय।

१०. अन्यशोणितोपधाने द्विशतो दण्डः। मिथ्याभिशंसिनश्च पुंसः। शुल्कव्ययकर्मणी च जीयेत। न च प्राकाम्यमकामायां लभेत। (५) पृष्ठ सं० (३९४)

जो **स्त्री** अपनी **योनि–क्षीणता** दिखाने के लिए दूसरे का खून अपने कपड़ों पर लगाये उस पर दो–सौ पण दण्ड किया जाय। इसी प्रकार जो पुरुष **अक्षतयोनि स्त्री को क्षतयोनि** बताये उस पर भी दो–सौ पण दण्ड किया जाय तथा शुल्क एवं **विवाह–व्यय** भी उससे वसूल किया जाय। **स्त्री की इच्छा के विरुद्ध** उससे कोई भी **संभोग नहीं** कर सकता है।

११. स्त्री प्रकृता सकामा समाना द्वादशपणं दण्डं दद्यात्, प्रकर्त्री द्विगुणम्। अकामायाः शत्यो दण्डः, आत्मरागार्थं शुल्कदानं च। स्वयं प्रकृता राजदास्यं गच्छेत्। (६) पृष्ठ सं० (३९४)

संभोग की इच्छा से कोई **स्त्री** यदि अपने समान जाति वाले पुरुष से योनिक्षत कराये तो उस पर बारह पण दण्ड किया जाय। यदि वह स्वयं ही अपनी योनि को क्षत करे तो उस पर चौबीस पण दण्ड किया जाय। पुरुष की इच्छा न रखती हुई भी जो **स्त्री** क्षणिक आनन्द के लिए किसी पुरुष पुरुष से अपनी योनि क्षीण कराती है उस पर सौ पण दण्ड किया जाय और उस पुरुष को वह संभोग शुल्क दे। जो स्त्री अपनी इच्छा से संभोग कराये, उसको चाहिए कि वह राजदासी बन जाय।

१२. बहिर्ग्रामस्य पकृतायां मिथ्याभिशंसने च द्विगुणो दण्डः। (१) पृष्ठ सं० (३९५)

गाँव के बाहर निर्जन स्थान में संभोग कराने वाली **स्त्री** पर चौबीस पण जुरमाना किया जाय और यदि पुरुष संभोग करके मुकर जाय तो उस पर अठतालीस पण दण्ड किया जाय।

१३. प्रसह्य कन्यामपहरतो द्विशतः, ससुवर्णामुत्तमः। बहूनां कन्यापहारिणां पृथग्यथोक्ता दण्डाः। (२) पृष्ठ सं० (३९५)

किसी **कन्या का बलात् अपहरण** करने वाले पुरुष पर दो–सौ पण दण्ड किया जाय। आभूषणों से युक्त **कन्या का बलात् अपहरण** करने वाले को उत्तम

साहस दण्ड दिया जाय। अपहरण में यदि अनेक व्यक्तियों का हाथ हो तो प्रत्येक को यही दण्ड दिया जाय।

१४. गणिकादुहितरं प्रकुर्वतश्चतुष्पश्चाशत्पणो दण्डः। शुल्कं मातुर्भोगः षोडशगुणः। (३) पृष्ठ सं० (३९५)

वेश्या की लड़की के साथ बलात्कार करने वाले पर चौवन पण दण्ड किया जाय। और दंड से सोलह गुनी फीस (५६४ पण) वह **लड़की की माता** को अदा करे।

१५. दासस्य दास्या वा दुहितरमदासीं प्रकुर्वतश्चतुर्विंशतिपणो दण्डः, शुल्काबन्ध्यदानं च। निष्क्रयानुरूपां दासीं प्रकुर्वतो द्वादशपणो दण्डः, वस्त्राबन्ध्यदानं च। (४) पृष्ठ सं० (३९५)

किसी भी दास या दासी की लड़की के साथ संभोग करने वाले पुरुष पर चौबीस पण दण्ड किया जाय और उससे शुल्क तथा आभूषण आदि भी वसूल किये जाँय। दासता से छुड़ाने के बराबर धन देकर जो व्यक्ति किसी दासी से संभोग करे उस पर बारह पण जुरमाना किया जाय और उससे दासी स्त्री के लिए वस्त्र तथा जेवरात भी वसूल कर लिए जाँय।

१६. साचिव्यावकाशदाने कर्तृसमो दण्डः। (५) पृष्ठ सं० (३९५)

कन्या को दूषित करने में जो भी सहायता करे अथवा मौका या जगह दे उसे भी अपराधी के ही समान दण्ड दिया जाय।

१७. प्रोषितपतिकामपचरन्तीं पतिबन्धुस्तत्पुरूषो वा संगृह्णीयात्। संगृहीता पतिमाकांक्षेत। पतिश्चेत् क्षमेत, विसृज्येतोभयम्। अक्षमायां स्त्रियाः कर्णनासाच्छेदनम्। वधं जारश्च प्राप्नुयात्। (१) पृष्ठ सं० (३९६)

जिस **स्त्री** का पति विदेश में हो, यदि वह व्यभिचार कराये तो उसका देवर या नौकर उसको नियंत्रण में रखे। उनके नियन्त्रण में रहकर वह **स्त्री** अपने पति के आने की प्रतीक्षा करे। यदि पति उसके अपराध को क्षमा कर दे तो, जार सहित उसको दण्ड से बरी किया जाय, यदि क्षमा न करे तो **स्त्री** के नाक–कान क़ाट दिये जाँय और उसके जार को प्राणदंड की सजा दी जाय।

१८. जारं चोर इत्यभिहरतः पञ्चशतो दण्डः। हिरण्येन मुञ्चतस्तदष्टगुणः। (२) पृष्ठ सं० (३९६)

व्यभिचार छिपाने के लिए यदि कोई रक्षक पुरुष जार को चोर बताये तो उस पर पाँच सौ पण जुरमाना किया जाय। रक्षक पुरुष यदि हिरण्य की रिश्वत लेकर जार को छोड़ दे तो उस पर रिश्वत का आठगुना जुरमाना किया जाय।

१९. केशाकेशिकं संग्रहणम्। उपलिङ्गनाद्वा शरीरोपभोगानां तज्जातेभ्यः स्त्रीवचनाद्वा। (३) पृष्ठ सं० (३९६)

यदि कोई **स्त्री** किसी पुरुष के साथ फँसी हो तो उसका पता उसकी इन चेष्टाओं से किया जाय: यदि वह रास्ते में चलती हुई दूसरी **स्त्री** की चुटिया पकड़े, यदि उसके शरीर पर संभोग चिह्न लक्षित हों, यदि कामोत्तेजना के लिए अपने शरीर पर उसने चंदन आदि का लेप किया हो, यदि वह पुरुषों से इशारों से बात करे, यदि वह बात–चीत से स्वंयं ही प्रकट कर दे।

२०. परचक्राटवीहृतामोघप्रव्यूढामरण्येषु दुर्भिक्षे वा त्यक्तां प्रेतभावोत्सृष्टां वा परस्त्रियं निस्तारयित्वा यथासम्भाषितं समुपभुञ्जीत। जाति विशिष्टामकामामपत्यवतीं निष्क्रयेण दद्यात्। (४) पृष्ठ सं० (३९६)

जो पुरुष शत्रुओं से, जंगली लोगों से, नदी के प्रवाह से, जंगलों से, दुर्भिक्ष से रोग या मूर्च्छा से त्यागी हुई **पराई स्त्रियों** का उद्धार करे, वह उस **स्त्री** की रजामन्दी से उसके साथ तृप्त होकर संभोग कर सकता है। यदि वह **स्त्री** कुलीन हो, समान जाति की होने पर भी वह उद्धारकर्ता से संभोग की इच्छा न करे और बाल–बच्चों वाली हो तो उद्धार करने वाला उसको उसके पति के पास सौंप कर उससे यथोचित पुरस्कार प्राप्त करे।

२१. चोरहस्तान्नदीवेगाद् दुर्भिक्षाद्देशविभ्रमात्।

निस्तारयित्वा कान्ताराान्नष्टां त्यक्तां मृतेति वा।।

भुञ्जीत स्त्रियमन्येषां यथासम्भाषितं नरः।

न तु राजप्रतापेन प्रमुक्ताँ स्वजनेन वा।।

न चोत्तमां न चाकामां पूर्वापत्यवतीं न च।

ईदृशीं त्वनुरूपेण निष्क्रयेणापवाहयेत्।। (५) पृष्ठ सं० (३९६)

शत्रुओं से, जंगली लोगों से, नदी के प्रवाह से, जंगलों से, दुर्भिक्ष से, परित्यक्ता रोग या मूर्च्छा से त्यागी हुई **पराई स्त्रियों** को, उद्धार करने वाला व्यक्ति, भोग सकता है; किन्तु राजाज्ञा या स्वजनों से त्यक्त, कुलीन, कामनारहित और बाल–बच्चों वाली **स्त्रियों** का, आपत्ति से बचाने पर भी; उपभोग नहीं किया जा सकता है; प्रत्युत उचित पुरस्कार प्राप्त कर ऐसी **स्त्रियों** को उनके घर पहुँचा दिया जाय।

प्रकरण–८८

अध्याय–१३

अतिचार का दण्ड

१. कामं भार्यायामनिच्छन्त्यां कन्यायां वा दारार्थिनां भर्तरि भार्यायां वा संवननकरणम्। अन्यथा हिंसाया मध्यमः साहसदण्डः। (२) पृष्ठ सं० (४०१)

पति को न चाहने वाली स्त्री पर उसका पति, **कन्या** को **पत्नी** बनाने की इच्छा रखने वाला पुरुष और अपने पति पर उसकी पत्नी, यदि वशीकरण आदि प्रयोग करें तो अपराध न माना जाय। इनके अतिरिक्त तान्त्रिक प्रयोग करने वालों को मध्यम साहस दण्ड दिया जाय।

२. मातापित्रोर्भगिनीं मातुलानीमाचार्याणीं स्नुषां दुहितरं भगिनीं वाधिचरतस्त्रिलिङ्गच्छेदन वधश्च। सकामा तदेव लभेत। दासपरिचारका हितकभुक्ता च। (३) पृष्ठ सं० (४०१)

जो पुरुष अपनी **मौसी, बूआ, मामी, गुरुपत्नी, पुत्रवधू, लड़की** और **बहिन** के साथ व्यभिचार करे उसका लिंग और अंडकोश काटकर उसको प्राणदण्ड की सजा दी जाय। यदि मौसी, बूआ आदि स्वयं ऐसा करायें तो उनके दोनों स्तन काटकर और उनका भग–छेदन कर उन्हें भी प्राणदण्ड की सजा दी जाय। दास और परिचारक यदि व्यभिचार करें तो उन्हें भी यही दण्ड दिया जाय।

३. ब्राह्मण्यामगुप्तायां क्षत्रियस्योत्तमः, सर्वस्वं वैश्यस्य। शूद्रः कटाग्निना दह्येत। सर्वत्र राजभार्यागमने कुम्भीपाकः। (४) पृष्ठ सं० (४०१)

लोक–लाज से रहने वाली **ब्राह्मणी** के साथ यदि क्षत्रिय व्यभिचार करे तो उसे उत्तम साहस दण्ड दिया जाय; यदि वैश्य करे तो उसकी सारी सम्पत्ति हड़प ली जाय, यदि शूद्र करे तो उसको तिनकों की आग में जला

दिया जाय। राजा की **स्त्री** के साथ जो कोई भी व्यभिचार करे उसे तपे भाड़ में भून दिया जाय।

४. **श्वपाकीगमने कृतकबन्धाङ्कः परविषयं गच्छेत्। श्वपाकत्वं वा शूद्रः। (५) पृष्ठ सं० (४०१)**

चाण्डालिनी के साथ व्यभिचार करने वाले पुरुष के माथे पर योनि का निशान दाग कर उसे देश–निर्वासन का दण्ड दिया जाय, यदि ऐसा शूद्र करे तो उसे चाण्डाल बना दिया जाय।

५. **श्वपाकस्यार्यागमने वधः। स्त्रियाः कर्णनासाच्छेदनम्। (६)**
पृष्ठ सं० (४०१)

चांडाल यदि किसी **आर्या स्त्री** के साथ संभोग करे तो उसे प्राणदण्ड दिया जाय और उस पर **स्त्री** के नाक–कान काट दिया जाय।

६. **प्रव्रजितागमने चतुर्विंशतिपणो दण्डः। सकामा तदेव लभेत। (७)**
पृष्ठ सं० (४०१)

संन्यासिनी के साथ संभोग करने वाले पर चौबीस पण दण्ड किया जाय, यदि **संन्यासिनी** कामातुर होकर ऐसा कराये तो उस पर भी चौबीस पण दण्ड किया जाय।

७. **रूपाजीवायाः प्रसह्योपभोगे द्वादशपणो दण्डः। (१) पृष्ठ सं० (४०२)**

वेश्या के साथ बालात् व्यभिचार करने पर बारह पण दण्ड दिया जाय।

८. **बहूनामेकामधिचरतां पृथक् पृथक् चतुविंशतिपणो दण्डः। (२)**
पृष्ठ सं०, (४०२)

यदि अनेक व्यक्ति एक **स्त्री** के साथ बारी–बारी से संभोग करें तो एक–एक का चौबीस–चौबीस पण दण्ड दिया जाय।

९. **स्त्रियमयोनौ गच्छतः पूर्वः साहसदण्डः। पुरुषमधिमेहतश्च। (३)**
पृष्ठ सं० (४०२)

यदि कोई पुरुष किसी **स्त्री** के गुदा या मुख में संभोग करें तो उसे प्रथम साहस दण्ड दिया जाय। लौंडेबाजी करने पर भी यही दण्ड किया जाय।

(१) **पिशुनः श्रोता पुत्रदारैरपि त्यज्यते ।। १६६ ।। पृष्ठ सं० (७८२)**

चुगली करने और सुनने वाले पुरुष को उसके **स्त्री**–पुत्र भी छोड़ देते हैं।

(२) **माताऽपि दुष्टा त्याज्या ।। २४७ ।। पृष्ठ सं० (७८६)**

माता भी यदि दुष्ट हो तो उसको छोड़ देना चाहिए।।

(३) **स्त्रीणाममैथुनं जरा ।। २८५ ।। पृष्ठ सं० (७८८)**

मैथुन न करने से **स्त्री** शीघ्र वृद्ध हो जाती है।

(४) **अगम्यागमनादायुर्यशः पुण्यानि क्षीयन्ते ।। २८७ ।। पृष्ठ सं० (७८८)**

वेश्या आदि (अगमय) **स्त्रियों** के साथ सहवास करने से आयु, यश और पुण्य नष्ट हो जाते हैं।

(५) **अधनः स्वभार्ययाऽप्यवमन्यते ।। २९३ ।। पृष्ठ सं० (७८८)**

निर्धन व्यक्ति की **स्त्री** भी पति का अपमान कर बैठती है।

(६) **न स्त्रीरत्नसमं रत्नम् ।। ३१३ ।। पृष्ठ सं० (७८८)**

स्त्रीरत्न से बढ़कर दूसरा रत्न नहीं है।

(७) **न स्त्रैणस्य स्वर्गाप्तिर्धर्मकृत्यं च ।। ३१७ ।। पृष्ठ सं० (७८८)**

स्त्री में आसक्त पुरूष को न तो स्वर्ग मिलता है और न उसके द्वारा कोई धर्मकार्य हो पाता है।

(८) **स्त्रियोऽपि स्त्रैणमवमन्यते ।। ३१८ ।। पृष्ठ सं० (७८९)**

स्त्रियाँ भी स्त्रैण पुरूष का अपमान कर देती हैं।

(९) **भर्तृवशवर्तिनी भार्या ।। ३३६ ।। पृष्ठ सं० (७९०)**

पति के वश में रहने वाली **पत्नी** ही भार्या (भरण–पोषण की अधिकारिणी) होती है।

(१०) **मातृताडितो वत्सो मातरमेवानुरोदिति ।। ३४१ ।। पृष्ठ सं० (७९०)**

माता के द्वारा ताड़ित बच्चा, माता के ही आगे रोता है।

(११) **अलौहमयं निगडं कलत्रम् ।। ३५६ ।। पृष्ठ सं० (७९१)**

स्त्री बिना लोहे की बेड़ी है।

(१२) **दुष्कलत्रं मनस्विनां शरीरकर्शनम् ।। ३५८ ।। पृष्ठ सं० (७९१)**

दुष्ट स्त्री मनस्वी पुरूष के शरीर को कृश बना देती है।

(१३) **अप्रमत्तो दारान्निरीक्षेत ।। ३५९ ।। पृष्ठ सं० (७९१)**

अप्रमत्त होकर सदा **स्त्री** का निरीक्षण करना चाहिए।

(१४) **स्त्रीषु किञ्चिदपि न विश्वसेत् ।। ३६० ।। पृष्ठ सं० (७९१)**

स्त्रियों पर जरा भी विश्वास न करना चाहिए।

(१५) **न समाधिः स्त्रीषु लोकज्ञता च ।। ३६१ ।। पृष्ठ सं० (७९१)**

स्त्रियों में न विवेक होता है और न लोकव्यवहार का ज्ञान।

(१६) **गुरूणां माता गरीयसौ ।। ३६२ ।। पृष्ठ सं० (७९१)**

गुरूजनों में **माता** का स्थान सर्वोच्चं होता है।

(१७) **सर्वावस्थासु माता भर्तव्या ।। २६३ ।। पृष्ठ सं० (७९१)**

अतएव प्रत्येक अवस्था में **माता** का भरण–पोषण करना चाहिए।

(१८) **स्त्रीणां भूषणं लज्जा ।। ३६५ ।। पृष्ठ सं० (७९१)**

स्त्री का आभूषण लज्जा, है।

(१९) **राजदासी न सेवितव्या ।। ३७९ ।। पृष्ठ सं० (७९१)**

राजदासी से किसी तरह का सम्बन्ध न रखना चाहिए।

(२०) **या प्रसूते सा भार्या ।। ३८९ ।। पृष्ठ सं० (७९२)**

सन्तान को जन्म देने वाली **स्त्री** ही भार्या है।

(२१) **तीथ्रसमवाये पुत्रवतीमनुगच्छेत् ।। २९० ।। पृष्ठ सं० (७९२)**

अनेक **स्त्रियों** के एक साथ ऋतुमती होने पर उस **स्त्री** के पास जाना चाहिए, जो पहले पुत्रवती हो।

(२२) **सतीर्थागमनाद् ब्रह्मचर्य नश्यति ।। ३९१ ।। पृष्ठ सं० (७९२)**

रजस्वला **स्त्री** के साथ संभोग करने से ब्रह्मचर्य नष्ट होता है।

(२३) **न परक्षेत्रे बीजं विनिक्षिपेत् ।। ३९२ ।। पृष्ठ सं० (७९२)**

परस्त्री के गर्भ में वीर्य का निक्षेप नहीं करना चाहिए।

(२४) **पुत्रार्था हि स्त्रियः ।। ३९३ ।। पृष्ठ सं० (७९२)**

पुत्र–प्राप्ति के लिए ही स्त्रियों का वरण किया जाता है।

(२५) **स्वदासीपरिग्रहो हि दासभावः ।। ३९४ ।। पृष्ठ सं० (७९२)**

अपनी दासी के साथ परिग्रह करना अपने को दास बना लेना है।

(२६) **मातरमिव वत्साः सुखदुःखानि कर्तारमेवानुगच्छन्ति ।। ३९७।। पृष्ठ सं० (७९२)**

जैसे बछड़ा माता के पास जा पहुँचता है वैसे ही सुख और दुःख अपने कर्ता के पास जा पहुँचते हैं।

(२७) **परदारान्नगच्छेत् ।। ४१२ ।। पृष्ठ सं० (७९३)**

पराई स्त्री के साथ समागम न करना चाहिए।

(२८) **अन्नदानं भ्रूणहत्यामपि मार्ष्टि ।। ४१३ ।। पृष्ठ सं० (७९३)**

अन्नदान से भ्रूण (गर्भस्थ शिशु) हत्या का भी पाप मिट जाता है।

(२९) **स्त्रीणां भूषणं सौभाग्यम् ।। ४४९ ।। पृष्ठ सं० (७९५)**

सुहाग स्त्री का आभूषण है।

(३०) **दुर्लभः स्त्रीबन्धनान्मोक्षः ।। ४७६ ।। पृष्ठ सं० (७९६)**

स्त्री के बन्धन से छूटना बड़ा दुष्कर है।

(३१) **स्त्री नाम सर्वाशुभानां क्षेत्रम् ।। ४७७ ।। पृष्ठ सं० (७९६)**

स्त्री समस्त अशुभों की जन्मदात्री है।

(३२) **न च स्त्रीणां पुरुषपरीक्षा ।। ४७८ ।। पृष्ठ सं० (७९६)**

स्त्री, पुरुष की परीक्षा नहीं कर सकती।

(३३) **स्त्रीणां मनः क्षणिकम् ।। ४७९ ।। पृष्ठ सं० (७९६)**

स्त्री का मन क्षण–क्षण बदलता रहता है।

(३४) **अशुभद्वेषिणः स्त्रीषु न प्रसक्ताः ।। ४८० ।। पृष्ठ सं० (७९६)**

अशुभ कर्मो को न चाहने वाले लोग स्त्रियों में आसक्त नहीं होते।

(३५) **प्रदोषे न संयोगः कर्तव्यः ॥ ४९१ ॥ पृष्ठ सं० (७९७)**

संध्याकाल में **संभोग** वर्जित है।

(३६) **न मात्रा सहवासः कर्तव्यः ॥ ५०८ ॥ पृष्ठ सं० (७९७)**

एकान्त में **माता** के भी साथ न रहे।

(३७) **स्त्रीणां न भर्तुः परं दैवतम् ॥ ५१२ ॥ पृष्ठ सं० (७९८)**

स्त्री के लिए पति बढ़कर कोई देवता नहीं है।

(३८) **तदनुवर्तनमुभयसुखम् ॥ ५१३ ॥ पृष्ठ सं० (७९८)**

पति के इच्छानुसार चलने वाली **स्त्री** को इहलोक और परलोक, दोनों का सुख प्राप्त होता है।

* कौटिलीय अर्थशास्त्रम्, वाचस्पति गैरोला, चतुर्थ संस्करण २००३ पर आधारित।

******

उपसंहार

प्रस्तुत अध्ययन ग्रन्थों के अन्तर्गत जिन विषयों पर विचार व्यक्त किये गये देखा जाय तो वे उसी रूप में हमारे समक्ष आते हैं जैसा कि हमारे आचार्य मनु, एवं कौटिल्य ने कहा। परन्तु मेरे लिए यह अत्यन्त आवश्यक हो जाता है कि इन वर्णित तथ्यों में कितने विषय अनालोचनीय हैं अथवा आलोचनीय हैं मै उन पर विचार व्यक्त करूँ।

इस क्रम में मैं सर्वप्रथम मनु के बहुत सारे विषयों को यहाँ रखती हूँ जो मेरी दृष्टि में आलोचना योग्य हैं।[1] मनु का यह मानना कि स्त्रियाँ पुरुषों को अपने हावभाव से दूषित करती हैं[2] अत्यन्त ही अनुचित प्रतीत होता है। इससे भी अनुचित बात तो अध्याय तीन के छठें एवं सातवें श्लोक में उधृत है कि कन्या का उत्पादक पिता दोषी है अथवा जिनके कुल में अत्यधिक कन्याओं को जन्म होता है उनके वंश में व्याह ही नहीं करना चाहिये।

मनुस्मृति के अध्याय ३ के आठवें एवं नवें श्लोक में मनु का यह उद्धरण कि जिस कन्या का नाम नक्षत्र, वृक्ष, नदी, पहाड़, पक्षी आदि के नाम पर हो उसे साथ विवाह न करें है भी मुझे अत्यन्त अनुचित प्रतीत होता है।

मेरी दृष्टि में मनुस्मृति के अन्तर्गत ऐसे अनेक प्रसंग है जो अत्यन्त अनुचित प्रतीत होते हैं पर मुझे ऐसा लगता है कि अवश्य ही हर अनुचित बात के पीछे मनु के पास एक सशक्त तर्क तो रहा ही होगा। यह ग्रन्थ जिस समाज अथवा जिन परिस्थितियों में लिखा गया उस समय तो इसका पूर्णतया पालन किया जाना अनिवार्य एवं सुविधाजनक रहा होगा किन्तु वर्तमानकालीन परिवेश एवं परिस्थितियों में इस ग्रन्थ का औचित्य पूर्णतया कारगर नहीं, अत: इसमें संशोधन की आवश्यकता है।

इसी प्रकार देखा जाय तो कौटिलीय अर्थशास्त्र में अनेक ऐसे प्रसंग आते हैं। जिसकी तीव्र आलोचना[३] की जा सकती है। इसके अन्तर्गत जब कौटिल्य कहते हें कि राजा को सर्वप्रथम अपनी रानियों[४] (तथा अपने पुत्रों) से अपनी रक्षा करनी चाहिये, यह कथन स्त्री को सन्देह के घेरे में खड़ा कर देता है पर साथ ही यह भी लगता है कि अवश्य ही संघराज्य संचालन हेतु यह भी एक महत्वपूर्ण विषय हो। किन्तु बार–बार कौटिल्य का इस बात पर बल देना कि यदि राजा अपनी पत्नी से मिलने जाय तो किसी वृद्धा अथवा भरोसे मन्द दासी के साथ ही अपनी पत्नी (रानी) से मिले, अकेले कदापि न मिलने जाय, क्योंकि ऐसा करने में कभी–कभी धोखा हो राजा है यह बात मेरी दृष्टि से आपत्तिजनक है क्योंकि एक तरफ जहाँ एक स्त्री (रानी) अपना घर छोड़कर समर्पित भाव से पतिगृह (राजा के घर) आयी है तो आखिर वह किसी प्रलोभन हेतु अपने पति (राजा) का अनहित करेगी।

कौटिल्य ने जहाँ एक ओर स्त्रियों की समस्याओं पर विचार करते हुए कठोरता से काम लिया वहीं दूसरी ओर उनकी सहृदयता किसी से छिपी भी नहीं है। कौटिल्य ने अपनी न्याय एवं दण्ड व्यवस्था के अन्तर्गत जिन विन्दुओं पर विचार किया उसे देखने पर पता चलता है कि कौटिल्य एक न्यायप्रिय व्यक्ति थे।

इसी प्रकार यदि हम मनुस्मृति में मनु की न्यायप्रियता की बात करें तो उनका भी कोई पक्ष कम मजबूत नहीं है। मनु ने स्पष्ट रूप से कहा कि जो पिता अथवा पति स्त्रीधन से बेटी अथवा पत्नी आदि के भूषण, वस्त्र और सवारी इत्यादि बेचकर जीवनयापन करते हैं वे नरकगामी होते हैं[५]। हमारा समाज सदैव मनु की उन बातों को ही ध्यान देता है जहाँ उन्होंने 'स्त्री स्वतन्त्रता' का समर्थन नहीं किया, जबकि ऐसी अनेक बातें जो मनुस्मृति में उधृत है जो 'स्त्री समर्थक हैं। मनु का ये मानना कि जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं इसका एक जीता जागता एवं सबसे बड़ा उदाहरण है।

ये सभी (उपर्युक्त) बातें जहाँ अपनी–अपनी जगहँ महत्वपूर्ण हैं वही एक बात और भी है कि हम देखें कि कौटिल्य एवं मनु स्त्री पक्ष के कितने समर्थक एवं कितने विरोधी हैं।

सर्वप्रथम हम यदि नारी के विविध संस्कारों की बातें करें तो पायेंगे कि मनुस्मृति में मनु ने इस पर विस्तारपूर्वक विचार किया है; जबकि कौटिलीय अर्थशास्त्र में ऐसे प्रसङ्गों की कमी है। मनुस्मृति में मनु ने स्त्री नामकरण, विवाह, यज्ञोपवीत पर विशेष रूप से विचार किया है।

द्वितीयत: यदि हम मनु एवं कौटिल्य के साम्पत्तिक विचार की चर्चा करें तो पायेंगे की दोनों ने 'स्त्रीधन' पर स्त्री के अधिकार की चर्चा की है दोनों का मानना है कि स्त्रीधन महत्वपूर्ण है।

तृतीयत: स्त्री एवं कुटुम्ब की बात करें तो मनु का मानना है कि स्त्री को नाराज होने पर भी सदैव प्रसन्न चित्त होकर भोजन निर्माण कार्य करना चाहिये साथ ही परिवार का ध्यान भी रखना चाहिये जबकि कौटिल्य ने इस प्रकार की कोई बात नहीं की है।

मुख्यरूप से विवाह, पुनर्विवाह, विधवाविवाह, तलाक के बारे में देखा जाय तो मनु एवं कौटिल्य के विचारों में थोड़ा अन्तर है। मनु का मानना है कि विधवा स्त्री का पुनर्विवाह नहीं हो सकता न ही विवाहिता स्त्री तलाक ही ले सकती है; जबकि यदि इन्हीं विषयों पर कौटिल्य के विचार देखें तो हम पायेंगे कि कौटिल्य ने स्त्री को पुनर्विवाह का अधिकार दिया है साथ ही कौटिल्य ने तलाक सम्बन्धी विभिन्न परिस्थितियों की भी चर्चा की है।

इस प्रकार प्रस्तुत परियोजना प्रबन्ध के सभी भागों के अध्ययन के उपरान्त विदित होता है कि मनु एवं कौटिल्य दो ऐसे विद्वान थे जिन्होंने आचारशास्त्र विषयक ग्रन्थों की रचना की। जिसके अन्तर्गत स्त्री को भी बड़े ही महत्व की दृष्टि से देखा। स्त्री की अनेक समस्याओं पर विचार भी किया।

प्रस्तुत परियोजना प्रबन्ध का शीर्षक 'मनुस्मृति एवं कौटिलीय अर्थशास्त्र में नारी: एक अध्ययन' प्राय: यह स्पष्ट कर देता है कि इस प्रबन्ध का सारतत्व मनुस्मृति एवं कौटिलीय अर्थशास्त्र के अध्ययनोपरान्त प्राप्त हुआ है जिसमें मुख्य रूप से अध्ययन का केन्द्रविन्दु नारी हैं।

विवरणिका में स्पष्ट रूप से ज्ञात हो जाता है कि यह अध्ययन किन–किन विन्दुओं पर आधारित है। इसके अध्ययन या परियोजना प्रबन्ध का एकमात्र मूल उद्देश्य है कि स्त्रीविषय अनेक विन्दुओं पर जहाँ हम मनु एवं

कौटिल्य सदृश आचार्यों की झूठी आलोचना करते हैं, हम उन तथ्यों से अवगत हों एवं स्वयं विचार करें कि उनके कथन कहाँ तक सही एवं कहाँ तक आलोचनीय हैं, उनमें किसी प्रकार का परिवर्तन आवश्यक है। दो चार आलोचनीय कथनों के कारण हम पूरे ग्रन्थ की एवं विद्वान् आचार्यों की निन्दा करें तो यह अनुचित है अतः यह हमारा परम कर्तव्य है कि जिस प्रकार भोजन निर्माण के समय एक सुगृहणी खाद्‌य सामग्री में से कंकड़ पत्थर चुनकर फेंक देती हैं एवं सुखाद्य (शुद्ध अन्न) का प्रयोग भोजन निर्माण में कर लेती हैं उसी प्रकार हमारे प्राचीन ज्ञान परम्परा के रत्न आकर के अमूल्य ज्ञान रत्न मनुस्मृति एवं कौटिलीय अर्थशास्त्र की अच्छी बातों को हम ग्रहण करें एव बुरी बातों को कंकड़ पत्थर की भाँति बाहर निकाल दें तो पायेंगे कि ये ग्रन्थ हमारे लिए आदर्श जीवन मूल्यों की वृहद् परिकल्पना में सहायक भूमिका निभा सकते हैं।

जहाँ तक स्त्री की बात है तो स्त्री हर युग में सम्माननीय एवं कल्याणी रही, एक माँ, पत्नी, बहन, बेटी हर रूप में उसकी भूमिका प्रबल, जिम्मेदार एवं महत्वपूर्ण रही। प्रस्तुत पुस्तक में विभिन्न भूमिका में स्त्री की एक अच्छी झलक मिलती है। यह पुस्तक एक वर्ष के अध्ययन का प्रतिफल है, मुझे अभीं भी यह प्रतीत होता है कि इन ग्रन्थों का और भी गहराई के साथ अध्ययन किया जाना आवश्यक है। इस अल्पकाल में यह पुस्तक आपके समक्ष प्रस्तुत है अब यह आप विद्वान्‌जनों का दायित्व इसकी उपादेयता के सन्दर्भ में विचार करें।

१ देखें, परिक्रम संख्या १३, आपत्तिजनक बातें स्त्री के सन्दर्भ में मनुस्मृति के अन्तर्गत।

२ मनुस्मृति, २.२१३

३ परिक्रम संख्या ६, आपत्तिजनक बातें (कौ० अर्थ) स्त्री के सन्दर्भ में देखें

४ रक्षितों राजा रायं रक्षत्यासन्नेभ्यः, कौ० अर्थ० १,१२,१६ ।

५ मनुस्मृति, ३.५२ ।

मूल ग्रन्थ सूची

१. मनुस्मृति–

टीकासप्तकोपेत, भारतीय, विद्याभवन बम्बई, सानुवाद, चौखम्बा संस्कृत प्रतिष्ठान दिल्ली, टीकाकार पं० जनार्दन झा।

२. मनुस्मृति–

(भाषा–टीका) टीकाकार पं जनार्दन झा, प्रकाशक हिन्दी पुस्तक एजेन्सी कलकत्ता, संवत् १९८१

३. कौटिलीय अर्थशास्त्र–

वाचस्पति गैरोला, चतुर्थ संस्करण २००३ पर आधारित।

******

डॉ. मनीषा शुक्ला

प्रस्तुत पुस्तक महिला अध्ययन एवं विकास केन्द्र, सामाजिक विज्ञान संकाय, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय द्वारा वर्ष २००४ में पूरी की गयी परियोजना **'मनुस्मृति एवं कौटिल्य अर्थशास्त्र में नारी: एक अध्ययन'** पर आधारित है। यह पुस्तक महिला अध्ययन एवं विकास केन्द्र द्वारा **'भारतीय ज्ञान परम्परा और स्त्री'** शृंखला के अन्तर्गत प्रकाशित की जा रही है। प्रस्तुत शृंखला का ध्येय भारतीय शास्त्रों तथा पुरातात्विक स्रोतों का पूर्वाग्रहमुक्त अध्ययन कर उनमें निहित लैंगिक समता के स्वर को मुखरित करना है। अध्ययन के बिन्दु इस प्रकार हैं– धर्म, संस्कार, सम्पत्ति, वय अवस्था, कुटुम्ब, विवाह, स्वयंवरण, पुनर्विवाह, वैधव्य, त्याग (तलाक), नियोग, न्याय, आदि। इन सबके साथ ही स्त्री विषयक आपत्तिजनक तथ्यों का अध्ययन भी प्रस्तुत किया गया है।

वर्तमान में **डॉ० मनीषा शुक्ला** महिला अध्ययन एवं विकास केन्द्र, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में परियोजना सहायिका हैं। इन्होंने वर्ष २००१ में **'क्षत्रपतिचरितम महाकाव्य का समीक्षात्मक अध्ययन'** विषय पर काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग से पी०एच०डी० की उपाधि प्राप्त की। साथ ही इन्होंने परियोजना शोध प्रबन्ध **ऋगतिरिक्त वेदों में स्त्री: एक अध्ययन** (यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद के विशेष सन्दर्भ में) २००६–२००७ में पूर्ण किया। इनकी प्रकाशित पुस्तक **ऋग्वेद संहिता में स्त्री: एक अध्ययन** 'भारतीय ज्ञान परम्परा में स्त्री' शृंखला की एक कड़ी है।

चन्द्रकला पाडिया

ISBN 978-81-905690-2-6

Rs. 250/-